खण्ड-130, अंक-8
शुक्रवार, 14 फाल्गुन, शक संवत् 1875
(5 मार्च, 1954 ई0)

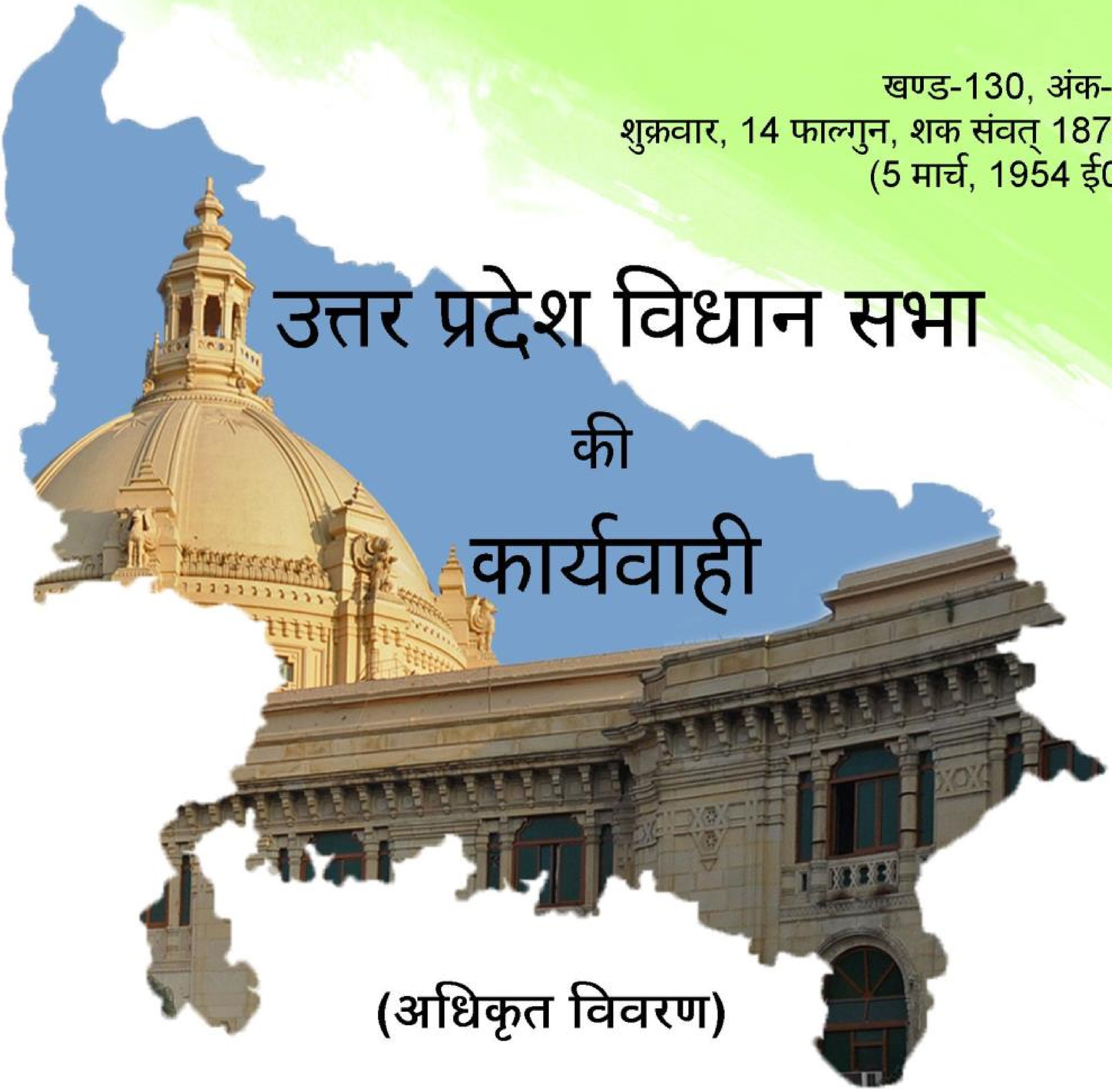

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 130 में 9 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:
अधीक्षक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ , उत्तर प्रदेश (भारत)
१९५४

मूल्य : बिना महसूल 4 आने, महसूल सहित 5 आने |
वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

उत्तर प्रदेश विधान सभा

शुक्रवार, ५ मार्च, १९५४

विधान सभा की बैठक सभा-मंडप, लखनऊ में ११ बजे दिन में अध्यक्ष श्री आत्माराम गोविंद खेर की अध्यक्षता में आरम्भ हुई।

उपस्थित सदस्यों की सूची (३६७)

अक्षयवर सिंह, श्री
अनन्तस्वरूप सिंह, श्री
अब्दुलमुईज खां, श्री
अब्दुलरऊफ खां, श्री
अमरेशचन्द्र पाँडेय, श्री
अमृतनाथ मिश्र, श्री
अलीजहीर, श्री सैयद
अवधशरण वर्मा, श्री
अवधेशचन्द्र सिंह, श्री
अशरफअली खां, श्री
आर्थरग्राइस, श्री
आशालता व्यास, श्रीमती
इरतजा हुसैन, श्री
इसरारुल हक़, श्री
इस्तफा हुसैन, श्री
उदयभान सिंह, श्री
उमाशंकर, श्री
उमाशंकर तिवारी, श्री
उमाशंकर मिश्र, श्री
उल्फतसिंह चौहान निर्भय, श्री
ऐजाज रसूल, श्री
कन्हैयालाल, श्री
कन्हैयालाल वाल्मीकि, श्री
कमलापति त्रिपाठी, श्री
कमलासिंह, श्री
कमाल अहमद रिज़वी, श्री
करणसिंह यादव, श्री
करनसिंह, श्री
कल्याणचन्द मोहिले, उपनाम छन्नन गुरू, श्री
कामताप्रसाद विद्यार्थी, श्री
कालीचरण टंडन, श्री
काशीप्रसाद पाँडेय, श्री
किन्दरलाल, श्री
किशनस्वरूप भटनागर, श्री
कुंवरकृष्ण वर्मा, श्री
कृपाशंकर, श्री
कृष्णचन्द्र गुप्त, श्री
कृष्णचन्द्र शर्मा, श्री
कृष्णशरण आर्य, श्री
केवलसिंह, श्री
केशभान राय, श्री
केशवगुप्त, श्री
केशवपाँडेय, श्री
केशवराम, श्री
कैलाश प्रकाश, श्री
खयाली राम, श्री
गंगाधर, श्री
गंगाधर जाटव, श्री
गंगाधर शर्मा, श्री
गंगाप्रसाद, श्री
गंगाप्रसाद सिंह, श्री
गज्जूराम, श्री
गणेशचन्द्र काछी, श्री
गणेशप्रसाद जायसवाल, श्री
गणेशप्रसाद पाँडेय, श्री
गिरजारमण शुक्ल, श्री
गिरधारीलाल, श्री
गुप्तारसिंह, श्री
गुरुप्रसाद पाँडेय, श्री
गुरु प्रसाद सिंह, श्री

गुलजार, श्री
गेंदा सिंह, श्री
गोविंदवल्लभ पंत, श्री
गौरीराज, श्री
घनश्यामदास, श्री
घासीरामजाटव, श्री
चतुर्भुजशर्मा, श्री
चन्द्रभानु गुप्त, श्री
चन्द्रभानुशरण सिंह, श्री
चन्द्रवती, श्रीमती
चन्द्रसिंह रावत, श्री
चन्द्रहास, श्री
चित्तरसिंह निरंजन, श्री
चिरंजीलाल जाटव, श्री
चिरंजीलाल पालीवाल, श्री
चुन्नीलाल सगर, श्री
छेदालाल, श्री
छेदालाल चौधरी, श्री
जगतनारायण, श्री
जगदीशप्रसाद, श्री
जगन्नाथप्रसाद, श्री
जगन्नाथबख्श दास, श्री
जगन्नाथसिंह, श्री
जगपतिसिंह, श्री
जटाशंकर शुक्ल, श्री
जयपाल सिंह, श्री
जयराम वर्मा, श्री
जवाहरलाल रोहतगी, डाक्टर
जुगलकिशोर, श्री
जोरावर वर्मा, श्री
झारखंडे राय, श्री
टीकाराम, श्री
डल्लाराम, श्री
तुलसीराम, श्री
तुलाराम, श्री
तुलाराम रावत, श्री
तेजप्रताप सिंह, श्री
तेजबहादुर, श्री
तेजासिंह, श्री
त्रिलोकीनाथ कौल, श्री
दयाल दास भगत, श्री
दर्शनराम, श्री
दलबहादुर सिंह, श्री
दाऊदयाल खन्ना, श्री
दाताराम, श्री
दीनदयालु शर्मा, श्री
दीनदयालु शास्त्री, श्री
दीपनारायण वर्मा, श्री
देवकीनन्दन विभव, श्री
देवदत्त मिश्र, श्री
देवदत्त शर्मा, श्री
देवराम, श्री
देवेन्द्रप्रताप नारायण सिंह, श्री
द्वारकाप्रसाद मौर्य, श्री
द्वारिकाप्रसाद पाँडेय, श्री
धनुषधारी पाँडेय, श्री
धर्म सिंह, श्री
नत्थू सिंह, श्री
नन्दकुमार देव वाशिष्ठ, श्री
नरदेव शास्त्री, श्री
नरेन्द्रसिंह विष्ट, श्री
नवलकिशोर, श्री
नागेश्वर द्विवेदी, श्री
नाजिम अली, श्री
नारायणदत्त तिवारी, श्री
नारायणदास, श्री
नारायणदीन वाल्मीकि, श्री
नेकराम शर्मा, श्री
नेत्रपाल सिंह, श्री
नौरंगलाल, श्री
पद्मनाथ सिंह, श्री
परमानन्द सिन्हा, श्री
परमेश्वरी राम, श्री
परिपूर्णानन्द वर्मा, श्री
पहलवान सिंह चौधरी, श्री
पाती राम, श्री
पुत्तू लाल, श्री
पुद्दन राम, श्री
पुलिनविहारी बनर्जी, श्री
प्रकाशवती सूद, श्रीमती
प्रतिपाल सिंह, श्री
प्रभाकर शुक्ल, श्री
प्रभूदयाल, श्री
फजलुल हक़, श्री
फतेहसिंह राणा, श्री
फूलसिंह, श्री
बद्रीनारायण मिश्र, श्री
बनारसीदास, श्री
बलदेवसिंह, श्री
बलदेवसिंह आर्य, श्री

बलवीर सिंह, श्री
बलभद्रप्रसाद शुक्ल, श्री
बलवन्तसिंह, श्री
बशीरअहमद हकीम, श्री
बसंतलाल, श्री
बसंतलाल शर्मा, श्री
बाबूनन्दन, श्री
बाबूराम गुप्त, श्री
बाबू लाल कुसुमेश, श्री
बाबू लाल मीतल, श्री
बालेन्दुशाह, महाराजकुमार
बिशम्बर सिंह, श्री
बिश्राम राय, श्री
बेचनराम, श्री
बेचनराम गुप्त, श्री
बेनीसिंह, श्री
बैजनाथप्रसाद सिंह, श्री
ब्रह्मदत्त दीक्षित, श्री
भगवतीदीन तिवारी, श्री
भगवतीप्रसाद दुबे, श्री
भगवतीप्रसाद शुक्ल, श्री (प्रतापगढ़)
भगवती प्रसाद शुक्ल, श्री (बाराबंकी)
भगवान दीन वाल्मीकि, श्री
भगवान सहाय, श्री
भीमसेन, श्री
भुवरजी, श्री
भूपाल सिंह खाती, श्री
भृगुनाथ चतुर्वेदी, श्री
भोलासिंह यादव, श्री
मकसूद आलम खां, श्री
मंगलाप्रसाद, श्री
मथुरा प्रसाद त्रिपाठी, श्री
मथुराप्रसाद पाँडेय, श्री
मदनगोपाल वैद्य, श्री
मदनमोहन उपाध्याय, श्री
मन्नीलाल गुरुदेव, श्री
मलखान सिंह, श्री
महमूद अली खां, श्री (सहारनपुर)
महाराज सिंह, श्री
महावीरप्रसाद शुक्ल, श्री
महावीर प्रसाद श्रीवास्तव, श्री
महीलाल, श्री
मान्धाता सिंह, श्री
मिजाजीलाल, श्री
मिहरबान सिंह, श्री
मुजफ्फर हसन, श्री
मुन्नूलाल, श्री
मुरलीधर कुरील, श्री
मुश्ताक अली खां, श्री
मुहम्मद अदील अब्बासी, श्री
मुहम्मद अब्दुल लतीफ, श्री
मुहम्मद अब्दुस्समद, श्री
मुहम्मद तकी हादी, श्री
मुहम्मद नसीर, श्री
मुहम्मद मंजूरुल नबी, श्री
मुहम्मद शाहिद फाखरी, श्री
मोहनलाल, श्री
मोहन सिंह, श्री
मोहनसिंह शाक्य, श्री
यमुना सिंह, श्री
यशोदा देवी, श्रीमती
रघुनाथ प्रसाद, श्री
रघुराज सिंह, श्री
रघुवीर सिंह, श्री
रणंजय सिंह, श्री
रतनलाल जैन, श्री
रमेशचन्द्र शर्मा, श्री
रमेश वर्मा, श्री
राघवेन्द्रप्रताप सिंह, राजा
राजकिशोर राव, श्री
राज कुमार शर्मा, श्री
राजनारायण, श्री
राजनारायण सिंह, श्री
राजवंशी, श्री
राजाराम किसान, श्री
राजाराम मिश्र, श्री
राजाराम शर्मा, श्री
राजेन्द्रदत्त, श्री
राधाकृष्ण अग्रवाल, श्री
राधामोहन सिंह, श्री
राम अधार तिवारी, श्री
राम अधीन सिंह यादव, श्री
राम अनन्त पाँडेय, श्री
राम अवध सिंह, श्री
राम किंकर, श्री
रामकुमार शास्त्री, श्री
रामकृष्ण जैसवार, श्री
रामगुलाम सिंह, श्री
रामचन्द्र विकल, श्री
रामचरण लाल गंगवार, श्री

रामजी लाल सहायक, श्री
रामजी सहाय, श्री
रामदास आर्य, श्री
रामदास रविदास, श्री
रामदुलारे मिश्र, श्री
रामनरेश शुक्ल, श्री
रामनारायण त्रिपाठी, श्री
रामप्रसाद, श्री
रामप्रसाद देशमुख, श्री
रामप्रसाद नौटियाल, श्री
रामप्रसाद सिंह, श्री
रामबली मिश्र, श्री
रामभजन, श्री
रामरतन प्रसाद, श्री
रामराज शुक्ल, श्री
रामलखन, श्री
रामलखन मिश्र, श्री
रामलाल, श्री
रामवचन यादव, श्री
रामशंकर द्विवेदी, श्री
रामशंकर रविवासी, श्री
रामसनेही भारतीय, श्री
रामसहाय शर्मा, श्री
रामसुन्दर पाँडेय, श्री
रामसुन्दर राम, श्री
रामसुभग वर्मा, श्री
रामसुमेर, श्री
रामस्वरूप , श्री
रामस्वरूप गुप्त, श्री
रामस्वरूप भारतीय, श्री
रामस्वरूप मिश्र विशारद, श्री
रामहरख यादव, श्री
रामहेत सिंह, श्री
रामेश्वरप्रसाद, श्री
रामेश्वरलाल, श्री
लक्ष्मणराव कदम, श्री
लक्ष्मीदेवी, श्रीमती
लक्ष्मीशंकर यादव, श्री
लालबहादुर सिंह, श्री
लालबहादुर सिंह कश्यप, श्री
लीलाधर अष्ठाना, श्री
लुत्फ अली खां, श्री
लेखराज सिंह, श्री
वंशनारायण सिंह, श्री
वंशीदास धनगर, श्री
वंशीधर मिश्र, श्री
वसी नकवी, श्री
वासुदेवप्रसाद मिश्र, श्री
विचित्रनारायण शर्मा, श्री
विद्यावती राठौर, श्रीमती
विश्वनाथसिंह गौतम, श्री
विष्णु दयाल वर्मा, श्री
विष्णु शरण दुब्लिश, श्री
वीरसेन, श्री
वीरेन्द्रनाथ मिश्र, श्री
वीरेन्द्रपति यादव, श्री
वीरेन्द्रवर्मा, श्री
वीरेन्द्र विक्रम सिंह, श्री
वीरेन्द्र शाह, राजा
व्रजभूषण मिश्र, श्री
व्रजरानी मिश्र, श्रीमती
व्रजवासीलाल, श्री
व्रजबिहारी मिश्र, श्री
व्रजबिहारी मेहरोत्रा, श्री
शंकर लाल, श्री
शम्भूनाथ चतुर्वेदी, श्री
शिवकुमार मिश्र, श्री
शिवकुमार शर्मा, श्री
शिवदान सिंह, श्री
शिवनाथ काटजू, श्री
शिवनारायण, श्री
शिवपूजन राय, श्री
शिवप्रसाद, श्री
शिवमंगल सिंह, श्री
शिवमंगल सिंह कपूर, श्री
शिवराजबली सिंह, श्री
शिवराम पाण्डेय, श्री
शिवराम राय, श्री
शिववक्ष सिंह राठौर, श्री
शिववचन राव, श्री
शिवशरण लाल श्रीवास्तव, श्री
शिवस्वरूप सिंह, श्री
शुकदेव प्रसाद, श्री
शुगन चन्द, श्री
श्याम मनोहर मिश्र, श्री
श्यामलाल, श्री
श्रीचन्द, श्री
श्रीनाथ भार्गव, श्री
श्रीनाथ राम, श्री
श्रीनिवास, श्री

श्रीनिवास पंडित, श्री
श्रीपति सहाय, श्री
संग्राम सिंह, श्री
सच्चिदानन्द नाथ त्रिपाठी, श्री
सज्जनदेवी महनोत, श्रीमती
सत्यनारायण दत्त, श्री
सफिया अब्दुल वाजिद, श्रीमती
सम्पूर्णानन्द, डाक्टर,
सावित्री देवी, श्रीमती
सियाराम गंगवार, श्री
सियाराम चौधरी, श्री
सीताराम, डाक्टर
सीताराम शुक्ल, श्री
सुखीराम भारतीय, श्री
सुरुजूराम, श्री
सुरेन्द्रदत्त वाजपेयी, श्री
सुरेशप्रकाश सिंह, श्री
सूर्यप्रसाद अवस्थी, श्री
सूर्यबली पांडेय, श्री
सेवाराम, श्री
हनुमानप्रसाद मिश्र, श्री
हबीबुर्रहमान अंसारी, श्री
हबीबुर्रहमान आजमी, श्री
हबीबुर्रहमान खां हकीम, श्री
हमीद खां, श्री
हरखयाल सिंह, श्री
हरगोविंद पन्त, श्री
हरगोविंद सिंह, श्री
हरदयाल सिंह पिपल, श्री
हरदेव सिंह, श्री
हरसहाय गुप्त, श्री
हरि प्रसाद, श्री
हरिश्चन्द्र अष्ठाना, श्री
हरिश्चन्द्र वाजपेयी, श्री
हरि सिंह, श्री
हुकुम सिंह, श्री
हेमवतीनन्दन बहुगुना, श्री

प्रश्नोत्तर

तारांकित प्रश्न

*१–३–श्री भगवान सहाय (जिला शाहजहांपुर)—[९ अप्रैल, १९५४ के लिये स्थगित किये गये।]

जौनपुर में उद्योग-धन्धों के लिए स्कूल खोलने पर विचार

*४—श्री बाबूनन्दन—क्या सरकार सरकारी हायर सेकेंडरी स्कूल जौनपुर को तोड़ कर उद्योग–धंधों का स्कूल कायम करने जा रही है ? यदि हां, तो कब से ?

शिक्षा मंत्री (श्री हरगोविन्द सिंह)—यह प्रश्न विचाराधीन है।

*५—श्री बाबूनन्दन—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि उपर्युक्त स्कूल में कौन–कौन सा उद्योग–धंधा सिखलाया जावेगा ?

श्री हरगोविन्द सिंह—यह प्रश्न अभी उपस्थित नहीं हुआ है।

जौनपुर जिले में हरिजन–सुधार पर व्यय

*६—श्री बाबूनन्दन—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जौनपुर में हरिजन सहायक विभाग की तरफ से वित्तीय वर्ष ३१ मार्च सन् १९५३ ई० तक के लिये कितना रुपया हरिजन उत्थान तथा प्रचार आदि के लिये दिया गया था और कितना खर्च हुआ ?

श्री हरगोविन्द सिंह—वित्तीय आर्थिक वर्ष १९५२–१९५३ में जौनपुर जिले में हरिजन उत्थान तथा प्रचार कार्य के लिये कुल ४८,१६६ रु० ९ आ० दिया गया जिसमें से ३७,१६६ रु० ९ आ० खर्च हुआ।

श्री बाबूनन्दन—क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि यह प्रश्न जो विचाराधीन है उसके कब तक पूरा होने की सम्भावना है ?

श्री हरगोविन्द सिंह—जी हां, जुलाई के पहले।

श्री बाबूनन्दन—क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि सन् १९५२–५३ में हरिजन उत्थान तथा प्रचार के लिये जो ४८१६६।।-) दिया गया था उस रुपये से कम क्यों खर्च किया गया ?

शिक्षा मंत्री के सभासचिव (डाक्टर सीताराम)—इस रुपये में से १० हजार रुपया कुयें के लिए था। जिलाधिकारियों से अब यह खबर मिली है कि वह रुपया मार्च के पहले युटिलाइज किया जायगा। अब वह रुपया खर्च कर रहे हैं।

श्री बाबूनन्दन—क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि हरिजन उत्थान तथा प्रचार के लिये कोई व्यक्ति रखा गया है, यदि हां, तो उसको क्या वेतन दिया जा रहा है और वह कब से रखा गया है ?

डाक्टर सीताराम—जी हां, रखा गया है। उसके लिये ७५ रुपया महीना वेतन देने की व्यवस्था की गयी है।

श्री रामदास रविदास (जिला फैजाबाद)—क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि जौनपुर जिले में जो यह हरिजनों को रुपया दिया गया है क्या यह वहां के हरिजनों की संख्या के अनुपात से दिया गया है ?

श्री हरगोविन्द सिंह—इसमें किसी संख्या का अनुपात नहीं होता।

अलीगढ़ में भयंकर विस्फोट

*७—श्री नेकराम शर्मा (जिला अलीगढ़)—क्या यह सही है कि अलीगढ़ शहर में दिसम्बर, १९५३ के प्रथम सप्ताह में एक भयंकर विस्फोट हुआ जिसके फलस्वरूप जान और माल की भारी हानि हुयी ? यदि हां, तो कितनी ?

गृह मंत्री (डाक्टर सम्पूर्णानन्द)–७ दिसम्बर सन् १९५३ ई० को अलीगढ़ शहर में एक विस्फोट हुआ जिसके फलस्वरूप ५ व्यक्ति मर गये और ५ छोटे मकान, जिनकी कीमत करीब ३ १/२ हजार रुपये थी, नष्ट हो गये।

*८—श्री नेकराम शर्मा—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि इस विस्फोट के कारण क्या–क्या थे ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—सर्वश्री गनेशीलाल मोतीलाल बच्चों के खेलने वाले पिस्तौल के लिये कागज की टोपियां बनाने का काम करते थे। उन्होंने एक कोठरी में मिट्टी के तेल के लिनों में कागज तथा कार्क की टोपियां बड़ी मात्रा में इकट्ठा कर रक्खी थीं। यह कोठरी कार्क की टोपी के रिक्त स्थान को मन्सल पुटाश से भरने और उन पर कागज चिपटाने के काम में आती थीं। ऐसा मालूम होता है कि घटना के दिन पांचों मृत व्यक्ति इस कोठरी में किसी काम से गये और टोपियों की उलट-पलट करते हुए किसी व्यक्ति की बीड़ी द्वारा अथवा अन्य किसी प्रकार अग्नि की चिनगारी से आग लग कर इस विस्फोट की घटना हुयी।

श्री नेकराम शर्मा—क्या माननीय मंत्री बतलाने का कष्ट करेंगे कि यह मकान जिसमें यह विस्फोट हुआ वह घनी आबादी में स्थित था ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—इसके सम्बन्ध में मुझे कोई जानकारी नहीं है।

श्री नेकराम शर्मा—क्या माननीय मंत्री जी बतलाने का कष्ट करेंगे कि जिस मकान में यह विस्फोट हुआ तो उस विस्फोट के पूर्व उस दूकान का इन्सपेक्शन हुआ था ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—इसकी सूचना की जरूरत होगी।

श्री हरदयाल सिंह पिपल (जिला अलीगढ़)—क्या माननीय मंत्री जी यह बतलाने का कष्ट करेंगे कि जिस कारखाने में यह विस्फोट हुआ था उसका मालिक कौन है ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—जवाब में बतलाया गया है कि गणेशीलाल मोतीलाल।

श्री श्रीचन्द (जिला मुजफ्फरनगर)—क्या माननीय मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि पांचों मरने वालों में कोई बाहर का भी था ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—इसकी कोई सूचना नहीं है।

श्री नेकराम शर्मा—जो मकान गिरे हैं वे कच्चे थे या पक्के ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—जहां तक मेरी सूचना है, वे कच्चे थे।

श्री भगवान सहाय—इस गोदाम का निरीक्षक विस्फोटक इंस्पेक्टर द्वारा कब हुआ और उन्होंने क्या रिपोर्ट दी ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—मैं पहले कह चुका हूं कि इसके लिये सूचना की आवश्यकता है।

श्री हरदयालसिंह पिपल—क्या यह सच है कि जिस कारखाने का विस्फोट हुआ उसके मालिक शिवचरन लाल गुप्ता थे।

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—जहां तक हमारी इत्तला है, गणेशीलाल मोतीलाल थे।

श्री रामप्रसाद देशमुख (जिला अलीगढ़)—क्या मरने वाले लाइसेंस होल्डर की दूकान पर काम करने वाले थे ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—मैंने कहा कि इस बारे में हमारे पास कोई सूचना नहीं है कि वे उसके काम करने वाले थे या बाहर के थे।

श्री श्रीचन्द—क्या मरे व्यक्तियों के बारे में जांच कराई गयी कि वे कौन कौन थे ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—जरूर स्थानीय अधिकारियों को इसकी सूचना होगी, लेकिन इस समय मेरे पास कोई सूचना नहीं है। नोटिस चाहिये।

माध्यमिक शिक्षा संगठन सम्बन्धी नरेन्द्रदेव कमेटी की रिपोर्ट

*९—श्री नारायणदत्त तिवारी (जिला नैनीताल)—क्या सरकार माध्यमिक शिक्षा संगठन सम्बन्धी नरेन्द्रदेव कमेटी रिपोर्ट को प्राप्त कर चुकी है ? अगर हां, तो क्या सरकार उक्त रिपोर्ट में प्रस्तावित मुख्य-मुख्य सिफारिशों को इस सदन को बताने की कृपा करेगी ?

श्री हरगोविंद सिंह—जी हां, रिपोर्ट प्रकाशित की जा चुकी है और उसकी सिफारिशें संक्षेप में समिति की रिपोर्ट के अध्याय ९ में दी हुयी हैं।

समिति की सिफारिशों में से कतिपय टेक्निकल (प्राविधिक) तथा सामान्य शिक्षा का समन्वय, छात्रों का उनकी रुचि और योग्यता के अनुकूल वर्गीकरण, वर्तमान परीक्षा प्रणाली के दोषों का निराकरण सहायता प्राप्त संस्थाओं के संचालन का सुचारु प्रबंध तथा पाठ्य पुस्तकों के निर्माण से सम्बन्ध रखती हैं। समिति ने अनेक सामान्य प्रश्नों जैसे अनुशासन तथा धार्मिक एवं नैतिक शिक्षा पर भी विचार किया है और इसकी सम्मति दी है।

*१०—श्री नारायणदत्त तिवारी—क्या सरकार कृपया बतावेगी कि वह उक्त नरेन्द्रदेव कमेटी रिपोर्ट को प्रकाशित कर कब तक अपना निश्चय व्यक्त करने जा रही है?

श्री हरगोविंद सिंह—रिपोर्ट प्रकाशित की जा चुकी है। माध्यमिक शिक्षा परिषद् तथा जनता से सुझाव प्राप्त हुए हैं, और उन पर विचार किया जा रहा है।

श्री नारायणदत्त तिवारी—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि नरेन्द्रदेव कमेटी की मुख्य सिफारिशों के लिये माध्यमिक शिक्षा परिषद् ने क्या विचार प्रकट किये हैं?

श्री हरगोविंद सिंह—विस्तृत व्याख्या के लिये सूचना चाहिये।

श्री नारायण दत्त तिवारी—क्या नरेन्द्रदेव कमेटी की रिपोर्ट के साथ-साथ सरकार मदालियर कमेटी की रिपोर्ट की भिन्नता और समानताओं पर भी विचार कर रही है?

श्री हरगोविंद सिंह—यह तो उत्तर दे दिया जा चुका है कि दोनों रिपोर्टों पर विचार हो रहा है और निकट भविष्य में सदन में विधेयक प्रस्तुत किया जायगा।

प्रयाग विश्वविद्यालय के सम्बन्ध में मूथम इंक्वायरी कमेटी की सिफारिशें

*११—श्री नारायणदत्त तिवारी—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि प्रयाग विश्वविद्यालय के सम्बन्ध में मूथम इन्क्वायरी कमेटी ने मुख्य-मुख्य क्या सिफारिशें की हैं?

श्री हरगोविंद सिंह—रिपोर्ट अगस्त, १९५३ में प्रकाशित हो चुकी है।

श्री नारायणदत्त तिवारी—इस रिपोर्ट के सम्बन्ध में सरकार क्या करने जा रही है?

श्री हरगोविंद सिंह—सरकार उस पर निश्चय लेने जा रही है।

देवरिया जिले में डकैतियां

*१२—श्री बद्रीनारायण मिश्र (जिला देवरिया)—क्या सरकार बतायेगी कि देवरिया जिले के अन्तर्गत गत ४ माह में कितनी डकैतियां हुयीं?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—१ अक्टूबर, १९५३ से ३१ जनवरी, १९५४ तक ७ डकैतियां हुयीं।

*१३—श्री बद्रीनारायण मिश्र—क्या यह सत्य है कि आजकल तहसील सलेमपुर में डकैतों का बहुत जोर बढ़ गया है?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—जी नहीं।

श्री झारखंडे राय (जिला आजमगढ़)—क्या माननीय मंत्री जी को कोई ऐसी शिकायत मिली है कि वहां डकैतियों को चोरियां लिखा जा रहा है ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—जी नहीं।

श्री शिवनारायण (जिला बस्ती)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि इन ७ डकैतियों में कितने केस फैसल हो चुके हैं ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—एक डकैती थाना हाटा में हुई, जिसमें १५ आदमी गिरफ्तार हुए और उसमें चोरी का माल भी बरामद हुआ है। तरिया सूजा थाना में जो डकैती हुई उसमें २४ आदमी गिरफ्तार हुये हैं, चोरी का माल भी बरामद हुआ है। बरहद थाने में ८ आदमी गिरफ्तार हुये हैं, शिनाख्त की कार्यवाही हो रही है। कोतवाली थाने में १४ आदमी गिरफ्तार हुए हैं। शिनाख्त की कार्यवाही हो रही है। थाना फुफुन्दू में ५ आदमी गिरफ्तार हुये हैं। एक ने कनफैशन भी किया है और उसने २८ आदमियों के नाम बताये हैं, इनकी गिरफ्तारी की कोशिश हो रही है। उनकी गिरफ्तारी के बाद मुकद्दमा होगा।

*१४—श्री बद्रीनारायण मिश्र—[हटा दिया गया।]

फसलों की रक्षा के लिए किसानों को हथियार देने का आदेश

*१५—श्री बैजनाथ प्रसाद सिंह (जिला बलिया)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि किन जिलों में सरकार ने फसल को जंगली जानवरों से बचाने के लिये बिना शुल्क किसानों को हथियार देने का आदेश दिया है ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—सरकार ने बिना शुल्क किसानों को हथियार देने के कोई आदेश नहीं जारी किये हैं।

*१६—श्री बैजनाथ प्रसाद सिंह—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि उपर्युक्त आदेश के अन्तर्गत किन-किन जिलों में कितने हथियार किसानों को दिये गये हैं ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—यह प्रश्न नहीं उठता।

श्री बैजनाथ प्रसाद सिंह—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि सरकार ने नील घोड़ों को मारने के लिये किसानों को बन्दूकों के लाइसेंस देने का आदेश दिया है ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—जी हां, वह यह है कि इस प्रकार के जानवर जो फसलों को हानि पहुंचाते हैं उनको मारने के लिये किसानों को लाइसेंस दिये जा सकते हैं ?

श्री बैजनाथ प्रसाद सिंह—क्या सरकार किसानों को जंगली जानवरों को मारने के लिये निःशुल्क लाइसेंस देने पर विचार कर रही है ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—जी हां, यह निवेदन किया गया कि ऐसे आदेश जारी कर दिये गये हैं।

पर्वतीय जिलों में पीने के पानी का कष्ट

*१७—श्री गेंदा सिंह (जिला देवरिया)—क्या सरकार को ज्ञात है कि पर्वतीय जिलों (अल्मोड़ा तथा गढ़वाल) में पीने के पानी का बड़ा कष्ट है ? यदि हां, तो उसके लिये सरकार ने अब तक क्या प्रबन्ध किया है ?

श्री हरगोविन्द सिंह—जी हां। सरकार ने पर्वतीय जिलों के लिए, जिनमें अल्मोड़ा, गढ़वाल, नैनीताल, टेहरी-गढ़वाल सम्मिलित हैं, पीने के पानी की सुविधाओं को बढ़ाने के लिये ५०,००० रु० की एक धनराशि प्रति वर्ष खर्च करने का आयोजन किया है।

*१८—श्री गेंदा सिंह—क्या सरकार को ज्ञात है कि गत वर्षों में इन जिलों में पानी के प्रबन्ध के लिये कुछ अनुदान दिया जाता था?

श्री हरगोविन्द सिंह—जी हां।

*१९—श्री गेंदा सिंह—क्या इस वर्ष भी अनुदान दिया गया है? यदि हां, तो प्रत्येक जिले के लिये कितना? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री हरगोविन्द सिंह—जी हां।

सन् १९५३-५४ में पर्वतीय जिलों को दिये गये अनुदानों की सूची निम्न प्रकार है:

	रु०
नैनीताल	१२,५००
अल्मोड़ा	१२,५००
गढ़वाल	१२,५००
टेहरी-गढ़वाल	१२,५००

प्रश्न नहीं उठता।

श्री गेंदा सिंह—क्या माननीय शिक्षा मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि वह पिछली रक़म कितनी है जो बतलायी गयी है?

डाक्टर सीताराम—पहले से मतलब आप का किस सन् से है?

श्री गेंदा सिंह—इस प्रश्न में लिखा हुआ है कि ५३-५४ में जो रक़म मंजूर की गयी है उससे पहले की रक़म मैं जानना चाहता हूं।

डाक्टर सीताराम—उतनी ही दी जाती थी।

श्री गेंदा सिंह—यह रक़म जो सन् १९५३-५४ के लिये मंजूर हुई है, क्या माननीय शिक्षा मंत्री जी को मालूम है कि इस रक़म में से कितनी रक़म अब तक खर्च की जा चुकी है?

डाक्टर सीताराम—सब रक़म खर्च हो चुकी है, सिर्फ १८०८ रुपया अभी तक खर्च नहीं किया गया है।

श्री गेंदा सिंह—क्या यह जानकारी माननीय शिक्षा मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि इस रक़म से कितने लोगों के लिये पानी का प्रबन्ध हुआ है?

श्री हरगोविन्द सिंह—इसकी कोई गणना नहीं की गयी है लेकिन पानी जितने लोग हैं पी सकते हैं।

श्री नारायणदत्त तिवारी—क्या मैं इस बात को जान सकता हूं कि पीने के लिये पानी के अनुदान से शिक्षा विभाग और माननीय शिक्षा मंत्री का क्या सम्बन्ध है?

श्री हरगोविन्द सिंह—यह हरिजन सहायक विभाग से सम्बन्धित है।

श्री मदनमोहन उपाध्याय (जिला अल्मोड़ा)—क्या यह जो अनुदान पानी के लिये दिया गया है, यह सिर्फ हरिजनों के पानी पीने के लिये दिया गया है?

श्री हरगोविन्द सिंह—हरिजनों का पानी कोई अलग नहीं होता।

श्री गंगाधर मैंठाणी (जिला गढ़वाल)—क्या सरकार कृपा करके बतलायेगी कि उसके पास कोई ऐसे आंकड़े हैं कि जिला गढ़वाल, नैनीताल और टेहरी में कितने गांव ऐसे हैं जहां कि पीने के लिये पानी का प्रबन्ध नहीं है ?

श्री हरगोविन्द सिंह—मेरा ख्याल है कि सब गांवों में पानी का प्रबंध तो है ही, लेकिन उससे अधिक होना चाहिये या नहीं, यह दूसरा प्रश्न है।

श्री नरेन्द्रसिंह विष्ट (जिला अल्मोड़ा)—क्या सरकार कृपा करके बतलायेगी कि जिला अल्मोड़ा में जो रुपया पीने के पानी के लिये दिया जाता था वह लैप्स होता रहा और अब वह इसीलिये बन्द कर दिया गया है ?

श्री हरगोविन्द सिंह—इससे हरिजन सहायक विभाग का कोई सम्बन्ध नहीं है। अगर माननीय सदस्य इसके बारे में जानना चाहते हैं तो वे अलग से प्रश्न दे दें।

श्री गेंदा सिंह—क्या माननीय शिक्षा मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि इन रुपयों से पानी की क्या व्यवस्था की गयी ?

डाक्टर सीताराम—उनके लिये गूल बनवाये गये।

श्री गेंदा सिंह—क्या गूलों से पानी का इन्तजाम हुआ है जैसा कि अभी माननीय शिक्षा मंत्री जी ने जवाब दिया है ?

श्री हरगोविन्द सिंह—जी हां।

तहसील घोसी, जिला आजमगढ़ में विशेष पुलिस की तैनाती

*२०—श्री रामसुन्दर पाण्डेय (जिला आजमगढ़)—क्या गृह मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि घोसी (आजमगढ़) तहसील के दुवारी, मधुवन, स्नोदी, मझवारा, गौहरपुर, घोसी आदि गांवों में पुलिस की टुकड़ी रक्खी गयी है ? यदि हां, तो क्यों ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—गत मार्च में किसान-जमींदार संघर्ष हो जाने के कारण इन गांवों में शान्ति व्यवस्था स्थापित करने के लिये पुलिस रक्खी गयी थी।

श्री रामसुन्दर पाण्डेय—क्या माननीय गृह मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि किसानों और जमींदारों में संघर्ष होने का क्या कारण था ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—इस सम्बन्ध में सदन में बहुत कुछ कई बार विवाद हो चुका है अगर पूरे कारण बतलाये जायं तो ज्यादा समय लग सकता है। शांति व्यवस्था की जिम्मेदारी स्थानीय अधिकारियों पर है। शांति व्यवस्था में विघ्न पड़ने का अंदेशा होने से पुलिस को यह कार्यवाही करनी पड़ी।

श्री व्रजविहारी मिश्र (जिला आजमगढ़)—क्या माननीय मंत्री जी को ज्ञात है कि अभी गौहरपुर में ८ बीघे रबी की फसल काट कर गिरा दी गयी है ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—मुझे ठीक इत्तिला नहीं है लेकिन ऐसी बातें उस जिले में होती ही रहती हैं, इसलिये असम्भव नहीं है।

श्री ब्रजभूषण मिश्र (जिला मिर्जापुर)---क्या इन गांवों पर जो पुलिस रखनी पड़ी उसके लिये कोई प्युनिटिव टैक्स भी लगाया गया है ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---जी नहीं।

श्री शिवमंगल सिंह कपूर (जिला बस्ती)---क्या यह सही है कि कुछ राजनीतिक वातावरण से वहां के जमींदारों और किसानों में संघर्ष हो गया था इसलिये पुलिस रखनी पड़ी ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---पुलिस क्यों रखनी पड़ी इसका उत्तर तो मैंने दे दिया। हां, राजनीतिक दल तो इन बातों में दिलचस्पी लेते ही रहते हैं और उनकी चर्चा हो चुकी है।

श्री झारखंडे राय---क्या यह सही है कि जिन गांवों में पुलिस रखी गयी थी वहां के भूतपूर्व जमींदारों से मिल कर किसानों पर अत्याचार करती थी ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---पुलिस का काम तो अत्याचारों को रोकना है, भला पुलिस कभी अत्याचार करती है।

श्री रामसुन्दर पाण्डेय---क्या माननीय गृह मंत्री बतलायेंगे कि मलेरकोट, अलईपुर सौदीपुर आदि गांवों में पी० ए० सी० और पुलिस के लोगों ने वहां के भूतपूर्व जमींदारों से मिल, कर किसानों के खेत कटवाये हैं ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---जी हां, मेरे पास ऐसी शिकायतें भी आती हैं और साथ ही ऐसी शिकायतें भी आती हैं कि कई लोग जो काफी जिम्मेदार समझे जाते हैं वे किसानों से मिलकर जमींदारों को नुकसान पहुंचाते रहते हैं। हर किस्म की शिकायतें हमारे पास आती रहती हैं।

श्री ब्रजविहारी मिश्र---क्या माननीय गृह मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि पुलिस के रखे जाने से वहां के देहातों में कुछ शान्ति है ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---जी हां।

श्री रामसुन्दर पांडेय---क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि पुलिस के रखने के कारण और जमींदार किसान संघर्ष के कारण कितने लोगों पर मुकदमें चलाये गये ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---यह बहुत ब्योरे का सवाल है बिना इसकी पूर्व सूचना के मैं इतना ब्योरे में नहीं बता सकता।

आजमगढ़ जिले में कत्लों की संख्या

*२१---श्री रामसुन्दर पाण्डेय---क्या गृह मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि आजमगढ़ जिले में गत वर्ष में किन किन थानों के क्षेत्र में कितने कितने क़त्ल हुये हैं ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---मांगी हुई सूचना साथ में नत्थी नक्शे में देखी जा सकती है।

(देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ ६२६ पर)

श्री रामसुन्दर पाण्डेय---क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि इस तालिका में दिये हुये कत्लों की संख्या में वे कत्ल भी शामिल हैं जो चोरी और डकैती में हुये थे ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---जो कुछ क़त्ल हुये चाहे वे किसी वजह से हुये हों सभी इस संख्या में शामिल हैं।

श्री रामसुन्दर पाण्डेय---क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि देवगांव के अन्दर जो तीन क़त्ल हुये हैं वे किन किन गांवों में हुये हैं ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---गांवों के नाम तो मेरे पास इस समय नहीं लिखे हुये हैं।

आजमगढ़ जिला बोर्ड द्वारा विद्यार्थियों की फीस में वृद्धि

*२३---श्री उमाशंकर (जिला आजमगढ़)---क्या सरकार कृपा करके बतायेगी कि आजमगढ़ जिला बोर्ड ने अपर प्राइमरी के विद्यार्थियों की फीस पार साल से दूने से भी अधिक कर दी है ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री हरगोविन्द सिंह---जी हां, शिक्षा में बढ़े हुये व्यय के लिये आय-वृद्धि के उद्देश्य से परिषद् ने फीस बढ़ाई है।

श्री उमाशंकर---क्या सरकार ने वादा किया था कि शिक्षा में बढ़े हुये व्यय को वह अपने दिये हुये अनुदानों से पूरा करेगी ?

श्री हरगोविन्द सिंह---जी नहीं, ऐसा कोई वादा नहीं किया गया था।

श्री उमाशंकर---क्या यह सच है कि सरकार ने १८,७२८ रु० राजकीय शिक्षालयों के अनुदानों में से काट लिया है ?

श्री हरगोविन्द सिंह---जी नहीं।

श्री उमाशंकर---क्या यह सच है कि बिहारीघाट के घाट से जो लगभग ५४ हजार रुपये की आमदनी जिला बोर्ड को होती थी वह बन्द कर दी गयी है ?

श्री हरगोविन्द सिंह---इसकी कोई इत्तला मेरे पास नहीं है।

श्री रामसुन्दर पाण्डेय---क्या सरकार बताने की कृपा करेंगी कि आजमगढ़ जिला बोर्ड को सरकार से कुछ कर्जा भी दिया गया है ?

श्री हरगोविन्द सिंह---हां, दिया गया है लेकिन उसकी कितनी संख्या है यह मैं इस वक्त नहीं बता सकता।

श्री रामसुभग वर्मा---क्या यह सही है कि फीस बढ़ जाने के कारण विद्यार्थियों की तादाद कम हो गयी है ?

श्री हरगोविन्द सिंह---शायद बढ़ती ही जा रही है।

श्री व्रजविहारी मिश्र---क्या जिला बोर्ड आजमगढ़ के अध्यापकों का बकाया वेतन अदा कर दिया गया ?

श्री हरगोविन्द सिंह---हां, जरूर अदा कर दिया गया होगा क्योंकि उनको इधर भी कुछ अनुदान दिया गया है।

श्री उमाशंकर---क्या यह सही है कि जिला बोर्ड आजमगढ़ के लिये सरकारी अनुदान में से एक लाख से अधिक रुपया काट लिया गया है ?

श्री हरगोविन्द सिंह---इसकी सूचना चाहिये।

ग्राम नेवादा, थाना महाराजगंज, जिला आजमगढ़ में बलवे की घटना

*२४—श्री उमाशंकर—क्या सरकार को ज्ञात है कि ग्राम नेवादा, थाना महाराज गंज, जिला आजमगढ़ में २-२-५३ को बलवे की एक घटना घटित हुई ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—बलवे की कोई घटना नहीं हुई।

*२५—श्री उमाशंकर—क्या सरकार को विदित है कि उपर्युक्त घटना की सूचना आजमगढ़ के सुपरिन्टेंडेंट पुलिस को तीन बार दी गई परन्तु पुलिस ने अब तक घटनास्थल पर जाकर जांच नहीं की ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—सरकार तथा जिला अधिकारियों के पास इस आशय की रिपोर्ट की गयी कि ग्राम नेवादा में बलवा हो गया है। जांच करने पर पता चला कि गांव की दो पार्टियों के बीच जमीन के एक टुकड़े के ऊपर झगड़ा था। जिला धीश ने इस झगड़े को तय करा दिया था।

श्री उमाशंकर—क्या कृष्णमाधव लाल जी ने कोई दरख्वास्त दी है इस बलवे के लिये कि उसकी जांच किस आफिसर ने की ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—जी हां, मुझको एक दरख्वास्त दी थी। इस मामले में सुपरिण्टेंडेण्ट पुलिस ने जा कर खुद जांच की।

रामपुर में भारतीय स्वतंत्रता समारोह के बहिष्कार करने का आन्दोलन

*२६—श्री देवकी नन्दन विभव (जिला आगरा)—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि रामपुर में कुछ साम्प्रदायिक संस्थाओं और व्यक्तियों ने १५ अगस्त, १९५३ को भारतीय स्वतंत्रता समारोह के बहिष्कार करने का आन्दोलन उठाया था ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—जी हाँ। रामपुर में कुछ व्यक्तियों ने स्वतंत्रता समारोह में बाधा डालने का प्रयत्न किया था।

श्री देवकी नन्दन विभव—क्या माननीय मंत्री जी बताने का कष्ट करेंगे कि उन व्यक्तियों के प्रति सरकार ने क्या कार्यवाही की ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—उन व्यक्तियों में मुख्य तो कुछ कम्युनिस्ट पार्टी के लोग थे और उनमें से मुख्य-मुख्य आदमी गिरफ्तार कर लिये गये हैं। उसका परिणाम यह हुआ कि जो लोग गड़बड़ी करने वाले थे वह दब गये और कुछ लोगों ने अपने इरादे को अपने मन में रख लिया।

श्री देवकी नन्दन विभव—क्या माननीय मंत्री जी बताने का कष्ट करेंगे कि भविष्य में जो इस तरह से स्वतंत्रता दिन के सम्बन्ध में आन्दोलन किये जाते हैं उन्हें कुछ मजबूती से रोकने की कोशिश करेंगे ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—यह बात सही है कि इस क़िस्म का आन्दोलन भद्दा है लेकिन जो कुछ मजबूती या बे मजबूती है वह तो कानून के अन्दर ही की जा सकती है। जब तक कोई सख्श अपने मन में ही कोई बात रखता है तब तक उसके खिलाफ कोई कोई कार्यवाही करना जरा कठिन बात है।

श्री सीताराम शुक्ल (जिला बस्ती)—क्या सरकार कृपा करके बतलायेगी कि जो लोग गिरफ्तार हुये थे वह इस वक्त जेल में हैं या बाहर ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द--मैं यह ठीक नहीं कह सकता, मेरा ख्याल है कि वह अब छूट गये हैं।

श्री कृष्णशरण आर्य (जिला रामपुर)--क्या माननीय गृह मंत्री जी उन व्यक्तियों का नाम बतलाने की कृपा करेंगे जो गिरफ्तार हुये थे ?

†**डाक्टर सम्पूर्णानन्द**--गिरफ्तार व्यक्तियों के नाम निम्नलिखित हैं :--

१--श्री रामनरेश वर्मानी,
२--श्री फकीरचन्द,
३--श्री याकूब खां,
४--श्री अकबर नदीम।

श्री भगवती प्रसाद शुक्ल (जिला प्रतापगढ़)--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि उन कम्युनिस्ट नेताओं के खिलाफ इंडियन पैनल कोड के अनुसार कोई मुकदमा चलाया गया या नहीं ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द--सेक्शन १५१ के अनुसार उनकी गिरफ्तारी हुयी थी। इस वक्त मैं नहीं बतला सकता कि मुकदमा चला और क्या उसका नतीजा हुआ।

श्री नवलकिशोर (जिला बरेली)--क्या माननीय मंत्री जी यह भी बतायेंगे कि इस आन्दोलन में रामपुर के डिग्री कालेज के विद्यार्थी भी शामिल थे ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द--खास तौर से किसी कालेज के विद्यार्थियों की बाबत इत्तिला मेरे पास नहीं है।

श्री नेकराम शर्मा--क्या माननीय मंत्री जी यह बताने का कष्ट करेंगे कि किस साम्प्रदायिक संस्था के व्यक्ति इसमें मौजूद थे ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द--हमको यह सूचना मिली थी कि उस दिन कम्युनिस्ट पार्टी तो मनाने वाली थी 'बरबादी दिवस' जन संघ मनाने वाला था 'अखंड भारत दिवस', और समाज वादी मनाने वाले थे 'अंधी सरकार दिवस'।

श्री झारखंडे राय--क्या माननीय मन्त्री जी बतलायेंगे कि वे साम्प्रदायिक संस्थायें कौन हैं जिन्होंने इस दिवस का बहिष्कार करने का आंदोलन उठाया था।

डाक्टर सम्पूर्णानन्द--जहाँ तक मेरा ख्याल है जन संघ तो साम्प्रदायिक संस्था मानी जा सकती है और उसका मैंने नाम लिया भी था।

श्री मुहम्मद शाहिद फाखरी (जिला गोंडा)--क्या मिनिस्टर साहब मेहरबानी करके फरमायेंगे कि अखंड भारत दिवस मनाना क्या कानूनन जुर्म है ?

श्री अध्यक्ष--(डाक्टर सम्पूर्णानन्द से)--यह राय का सवाल है, आप राय देना चाहें तो दे दें।

डाक्टर सम्पूर्णानन्द--मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि यह जुर्म है या नहीं, यह तो मैं नहीं कह सकता, यह कानूनी सवाल है, लेकिन बहरहाल किसी के गिरफ्तार करने की नौबत नहीं आयी।

---

†माननीय अध्यक्ष के १० मार्च, १९५४ के आदेशानुसार संशोधित।

श्री कृष्णशरण आर्य---क्या माननीय गृह मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि क्या मौलवी फरीदुद्दीन वहां की म्युनिसिपैलिटी के चेयरमैन हैं और क्या यह सही है कि वह प्रजा सोशलिस्ट पार्टी के इमदाद से चेयरमैन चुने गये हैं ?

श्री अध्यक्ष---मैं इसकी इजाजत नहीं देता, यह राजनीतिक पार्टी की बात है।

जिला गोंडा में क़त्लों की संख्या

*२७---श्री गंगाप्रसाद (जिला गोंडा)---क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि जिला गोंडा में सन् १९५२ जनवरी से सन् १९५३ सितम्बर तक कितने क़त्ल और डकैती हुई हैं ? कितने कत्ल लाठी द्वारा, कितने बल्लम द्वारा और कितने तलवार द्वारा या अन्य शस्त्रों द्वारा हुये हैं और उनकी संख्या प्रत्येक थानेवार क्या है ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---१४ डकैती और ४५ कत्ल हुये। कत्लों के सम्बन्ध में मांगी हुई सूचना साथ में नत्थी नक्शे में देखी जा सकती है।

(देखिये नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ ६२७ पर)

श्री गंगाप्रसाद---क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि जो १४ डकैतियाँ हुई हैं उनमें कितनों पर केसेज चलाये गये और कितने छूट गये ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---इसके लिये सूचना की जरूरत होगी।

जिला गोंडा में तिर्रे मनोरमा के मेले में झगड़ा

*२८---श्री गंगा प्रसाद---क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि जिला गोंडा में तिर्रे मनोरमा के मेले से आती हुई बैलगाड़ियों पर दिनांक २०-२१ नवम्बर, ५३ ई० की रात में गोंडा-बलरामपुर रोड पर हथियारबन्द डाकुओं ने हमला किया और गाड़ियों पर बैठी हुई महिलाओं को जबरदस्ती उठा-उठा कर नीचे फेंक दिया और उनके जेवरात छीन लिये ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---मेले से आती हुई बैलगाड़ियों पर एक दर्जन से अधिक व्यक्तियों ने लाठियों द्वारा आक्रमण किया और मेले से लौटते हुये पुरुषों और स्त्रियों को चोटें पहुंचाईं, यह मारपीट आपसी झगड़े के कारण हुई थी। जेवर या अन्य किसी माल के छीने जाने की सूचना नहीं है।

श्री गंगाप्रसाद---क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि आखिर झगड़े का क्या कारण है ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---ज्यादा ब्योरा तो मैं नहीं दे सकता। खासतौर से इसलिये कि मामला अदालत में है लेकिन कुछ हमारी सूचना यह है कि किसी घाट या ऐसी चीज के ठेके की बाबत झगड़ा हुआ था।

श्री गंगाप्रसाद---क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि झगड़ा मेले के उठाने के कारण हुआ था या दुकानदारों से हुआ था ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---इन सब बातों लिये मुक़दमें के फैसले का इन्तजार करना चाहिये।

*२९---श्री गंगाप्रसाद---क्या सरकार कृपया बतायेगी कि इसमें धन और जन की कितनी हानि हुई है, कितने व्यक्ति घायल हुये हैं और स्थानीय पुलिस इस मामले में क्या कर रही है ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द--इस आक्रमण में चार व्यक्ति घायल हुए जिनमें से एक की अस्पताल में मृत्यु हो गई, धन को कोई हानि नहीं हुई। पुलिस ने ५ व्यक्तियों का धारा १४७/३०४ भारतीय दण्ड विधान के अन्तर्गत चालान कर दिया है और मुकदमा न्यायालय में चल रहा है।

अध्यापकों की वेतन-वृद्धि का प्रश्न

*३०--**श्री रामचन्द्र विकल** (जिला बुलन्दशहर)--क्या सरकार कृपा कर बतायेगी कि अध्यापकों के स्ट्राइक को बन्द कराते समय सरकार ने उन्हें वेतन वृद्धि के सम्बन्ध में कोई आश्वासन दिया था? यदि हाँ, तो क्या?

श्री हरगोविन्द सिंह--जी नहीं, सरकार ने कोई आश्वासन नहीं दिया था। प्रश्न नहीं उठता।

श्री रामचन्द्र विकल--क्या सरकार अध्यापकों के वेतन वृद्धि के प्रश्न पर विचार करने जा रही है?

श्री हरगोविन्द सिंह--इस समय तो उसका कोई प्रश्न विचाराधीन नहीं है?

थाना सिकन्दराबाद, जिला बुलन्दशहर में शस्त्रों के विवरण की सूची

*३१--**श्री रामचन्द्र विकल**--क्या सरकार कृपा कर बतायेगी कि जिला बुलन्दशहर के थाना सिकन्दराबाद, दनकौर, दादरी और ककोड़ के क्षेत्र में किस-किस के पास कितने-कितने लाइसेंस बन्दूक और रिवाल्वरों के हैं?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द--थाना सिकन्दराबाद में १०६, दादरी में ५७, दनकौर में ४१ तथा ककोड़ में ४८ लाइसेंस दिये गये हैं। चूंकि नाम, पता तथा शस्त्रों के विवरण की सूची लम्बी है, उसका यहाँ देना सम्भव नहीं है। यदि माननीय सदस्य चाहें तो उसे मेरे कार्यालय में आकर देख लें।

हिण्डनपुल (गाजियाबाद) पर से पुलिस हटाने की मांग

*३२--**श्री रामचन्द्र विकल**--क्या सरकार कृपया बतायेगी कि बाहर जाने वाली वस्तुओं की रोकथाम करने के लिये जो पुलिस हिन्डन पुल (गाजियाबाद) पर लगी हुई है उसे वहाँ से हटा कर देहली और यू० पी० सीमा पर लगाने का विचार सरकार कर रही है? यदि हाँ, तो कब तक?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द--जी नहीं।

श्री रामचन्द्र विकल--क्या सरकार को मालूम है कि मेरठ और बुलन्दशहर का वह भाग जो दिल्ली की सीमा से मिलता है हिंडल पुल पर यह पाबन्दी लगाने से ग्रामीण लोगों की जो छोटी-मोटी आवश्यकता की चीजें हैं उनको ले जाने में बड़ी भारी परेशानी हो रही है?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द--पुलिस जो वहाँ पर है उसकी वजह से लोगों को परेशानी हो रही है इसकी मुझे कोई सूचना नहीं है।

रामपुर कोला गांव में किसानों और जमींदारों के बीच झगड़ा

*३३--**श्री झारखंडे राय**--क्या सरकार को मालूम है कि २८ जनवरी, १९५३ को बलुआ (थाना कम्पियरगंज, जिला गोरखपुर) के आदमियों ने रामकोला गाँव पर दिन में ९ बजे हमला किया, पूरे गाँव को भली भांति लूटा, ४ घरों को जला दिया, जो मिला उसपर हमला कर के चोटें पहुंचाई और स्त्रियों के एक-एक गहने छीन लिये तथा उन पर अत्याचार किया?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द--२८-१-५३ को रामकोला गाँव में भूतपूर्व जमींदार और किसानों के दलों के बीच खड़ी फ़सल पर क़ब्ज़ा करने के ऊपर बलवा हुआ। दोनों दलों ने थाना कैम्पियरगंज में मार-पीट, लूट और घर जलाये जाने की रिपोर्टें लिखाई और किसानों की तरफ से एक आरोप यह भी किया गया कि एक स्त्री के साथ बलात्कार हुआ।

*३४--**श्री झारखंडे राय**--क्या सरकार बतायेगी कि इस विषय में जिला अधिकारियों और सरकार के पास शिकायतें आईं जिनमें जाँच तथा उचित कार्यवाही की माँग की गयी है? अगर हाँ, तो उस पर सरकार की ओर से क्या कदम उठाये गये और उनका क्या परिणाम हुआ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द--इस विषय में शिकायतें आईं और उनकी जाँच करने पर पता चला कि दोनों रिपोर्टों में अतिशयोक्ति थी। इस जाँच के फलस्वरूप बलवा करने और चोट पहुंचाने के लिये एक दल पर १०८/३२६ आई० पी० सी० और दूसरे पर १४८/३२६ आई० पी० सी० का मुकदमा चलाया गया। १४५ क्रिमिनल प्रोसीजर कोड का भी मुकदमा चलाया गया, अदालत के भूतपूर्व जमींदारों को मुक्त कर दिया है तथा १७ किसानों को विभिन्न अवधि के लिये जो अधिकतम एक साल का है, कारावास का दंड दिया है।

श्री झारखंडे राय--क्या माननीय गृह मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जमींदारों की ओर से कितने आदमी उस बलवे में घायल हुये?

श्री अध्यक्ष--इसका तो फैसला हो चुका है अदालत में, मैं इसकी इजाजत नहीं देता हूं कि उसके पीछे जायं।

श्री झारखंडे राय--क्या माननीय गृह मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जो बलात्कार की शिकायत हुई थी, उसकी जाँच किस अफसर के जरिये करायी गई?

श्री अध्यक्ष--इसके लिये भी मैं इजाजत नहीं देता। जब मुकदमा फैसल हो चुका तो उसके ऊपर कोई जिक्र नहीं हो सकता।

बलिया जिले में बीमार क़ैदियों को अतिरिक्त भोजन

*३५--**श्री झारखंडे राय**--क्या सरकार को पता है कि बलिया जिला जेल में क़ैदियों को बीमारी में भी अतिरिक्त भोजन किसी प्रकार का नहीं दिया जाता है? क्या सरकार इसकी जाँच करेगी?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द--जिला जेल, बलिया के बीमार क़ैदियों को जो अस्पताल में दाखिल होते हैं नियत अस्पताली खुराक और अतिरिक्त भोजन जो मेडिकल अफसर उचित समझते हैं दिया जाता है।

श्री झारखंडे राय--क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि अस्पताल में जो अतिरिक्त भोजन मिलता है, उसके लिये कोई नियम है या मेडिकल अफसर के विचार पर ही निर्भर है?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द--किस क़िस्म का खाना दिया जा सकता है किस मात्रा में, उसका तो नियम मेडिकल मैनुअल में पैरा ५४६ पर दिया हुआ है, उसको देख लें। किस रोगी को क्या दिया जाय यह मेडिकल अफसर की राय पर है।

कुम्भ मेले में तैनात पुलिस के उच्च अधिकारी

*३६--**श्री परिपूर्णानन्द वर्मा** (जिला गोरखपुर)--क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गत ३ फरवरी को संगम बाँध पर दिन में साढ़े नौ बजे की दुर्घटना के अवसर पर पुलिस के कौन जिम्मेदार अधकारी वहाँ उपस्थित थे?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—घटनास्थल पर जो पुलिस के जिम्मेदार अधिकारी उपस्थित थे उनके नाम व पद निम्नलिखि हैं :—

१—श्री जे० पी० त्रिपाठी, आई० पी० एस०, एस० पी० ई० चा० कुम्भ मेला।

२—श्री पी० एन० अवस्थी
३—श्री पी० सी० चतुर्वेदी
४—श्री ओम प्रकाश
} प्लाटून कमान्डर पी० ए० सी०

*३७—**श्री परिपूर्णानन्द वर्मा**—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि अभी तक कुम्भ मेले में कितने व्यक्ति भूले भटके पाये गये ? क्या उनको उनके घर वापस किया गया ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—अभी तक कुल ५,६६८ भूले-भटके व्यक्ति मेले में पाये गये। उनमें से ५,६६५ व्यक्ति वापस किये जा चुके हैं।

श्री परिपूर्णानन्द वर्मा—क्या माननीय गृह मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि जिन पदाधिकारी का नाम उन्होंने पढ़ कर सुनाया वे पहले से ही उस स्थान पर नियुक्त थे या इत्तफ़ाकिया वहाँ पर पहुंच गये थे ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—पहले से वहाँ नियुक्त थे ?

श्री शिवनारायण—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि वह लोग जो भूले-भटके थे, उनका धन जो गायब है, उनकी कुल कितनी रक़म सरकार के पास जमा है ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—इस सवाल के सम्बन्ध में तो कोई सूचना मैं नहीं दे सकता लेकिन हाँ, कुछ सामान थोड़ा बहुत, जो कुछ जमा है, वह पुलिस के पास है। उसकी सूचना तो शायद कई बार निकल चुकी है।

हरिजनों पर अत्याचार के सम्बन्ध में जिलाधीश हमीरपुर को प्रार्थना-पत्र

*३८—**श्री जोरावर वर्मा** (जिला हमीरपुर)—क्या सरकार को मालूम है कि अजनर निवासी श्री भग्गूलाल ठेकेदार ने सभा सचिव, शिक्षा मन्त्री और जिलाधीश हमीरपुर की सेवा में वहाँ के कुछ सवर्णों द्वारा हरिजनों पर किये गये अत्याचारों के सम्बन्ध में प्रार्थना-पत्र भेजे थे ? क्या सरकार उस प्रार्थना-पत्र को मेज़ पर रखने की कृपा करेगी ?

श्री हरगोविन्द सिंह—जी हाँ। प्रार्थना-पत्रों की प्रतिलिपियाँ संलग्न हैं।

(देखिये नत्थी 'ग' आगे पृष्ठ ६२८–६३० पर)

श्री जोरावर वर्मा—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि उक्त प्रार्थना-पत्रों पर अभी तक क्या कार्यवाही की गई ?

श्री हरगोविन्द सिंह—उपर्युक्त प्रार्थना-पत्रों पर जिलाधीश हमीरपुर ने सुपरिन्टेन्डेन्ट पुलिस से जांच करवाया है और उसकी रिपोर्ट से पता चलता है कि मामला पुराना व गैर दस्तनदाजी होने के कारण कोई कार्यवाही नही की जा सकी। परन्तु सब-इंसपेक्टर अजनर को हिदायत कर दी गयी है कि यदि भविष्य में उन लोगों की ओर से जिनकी शिकायत की गई है किसी झगड़े का भय हो तो समय के अन्दर उस झगड़े को रोकने का प्रबन्ध किया जाय।

श्री जोरावर वर्मा—क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि सुपरिन्टेन्डेन्ट पुलिस ने यह जांच किस के द्वारा करवाई ?

श्री हरगोविन्द सिंह—ऐसी कोई सूचना तो नहीं है, लेकिन जाहिर है कि वह पुलिस के जरिये से ही हुई होगी।

श्री जोरावर वर्मा—क्या माननीय मंत्री जी को मालूम है कि जिस अधिकारी के द्वारा यह जांच करवायी गयी, उसके खिलाफ भी शिकायत थी ?

श्री हरगोविन्द सिंह—ऐसी कोई इत्तला तो मेरे पास नहीं है।

सिकन्दराराऊ तहसील में रक्षा कमेटियों को हथियारों के लाइसेंस

*४०—श्री नेकराम शर्मा—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि सिकन्दराराऊ दक्षिणी क्षेत्र में कितनी रक्षा कमेटियां बन चुकी हैं और कितनी रक्षा कमेटियों ने हथियारों के लाइसेंस के लिये अर्जियां दी हैं ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—कुल १६२ रक्षा कमेटियां अभी तक बन चुकी हैं। इनमें से ३२ सदस्यों ने लाइसेन्स के लिये प्रार्थना-पत्र दिये हैं।

*४१—श्री नेकराम शर्मा—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि हथियारों के कितने लाइसेंस रक्षा कमेटियों को दिये गये ? यदि नहीं दिये गये, तो क्यों ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—२७ लायसेन्स दिये जा चुके हैं और शेष ५ की बाबत जांच हो रही है। लाइसेंस कमेटियों को नहीं प्रत्युत व्यक्तियों को दिये जा रहे हैं।

श्री नेकराम शर्मा—क्या माननीय मंत्री जी बताने का कष्ट करेंगे कि जो २७ रक्षा कमेटियों को लाइसेंस दिये गये हैं उनके नाम क्या-क्या हैं ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—जी नहीं। इसके लिये सूचना की आवश्यकता होगी। और वे लाइसेंस कमेटियों को नहीं दिये गये हैं बल्कि व्यक्तियों को दिये गये हैं।

श्री नेकराम शर्मा—क्या माननीय मंत्री जी बताने का कष्ट करेंगे कि रक्षा कमेटियों को लाइसेंस देने में सरकार को क्या कठिनाई हो रही है ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—कल पुलिस बजट के सिलसिले में भी मैंने इसका जिक्र किया था कि अभी तक तो व्यक्तियों को ही लाइसेंस दिये गये हैं लेकिन हम सोच रहे हैं कि कोई ऐसी स्कीम निकाली जा सके जिससे व्यक्तियों के अलावा इन ग्राम रक्षा समितियों को भी हथियार रखने के लिये लाइसेंस दिये जा सकें और उसके लिये हम आर्म्स ऐक्ट वगैरह देखकर कोई व्यवस्था करने की कोशिश कर रहे हैं।

अतारांकित प्रश्न

छिछोर (बलिया) केस के क़ैदियों का स्थान

१—श्री झारखंडे राय—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि छिछोर (बलिया) केस के कम्यूनिस्ट बन्दी किन-किन जेलों में रक्खे गये हैं ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—छिछोर (बलिया) केस के बन्दी सेंट्रल जेल बनारस, सेंट्रल जेल नैनी तथा सुल्तानपुर और फ़ैजाबाद के जिला जेलों में रक्खे गये हैं।

उत्तर प्रदेश बोर्ड आफ संस्कृत स्टडीज के लिये विधान सभा के दो निर्वाचित सदस्यों के नामों की घोषणा

श्री अध्यक्ष—मैं एक सूचना देना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश बोर्ड आफ संस्कृत स्टडीज के लिये विधान सभा के दो सदस्यों के निर्वाचन के लिए दो अभ्यर्थी विधिवत नामनिर्देशित हुये हैं—(१) श्री दीनदयालु शास्त्री, (२) श्री सहदेव सिंह। कल तीन बजे अपराह्न तक नाम वापस लेने का अन्तिम समय था। इस समय के भीतर कोई नाम वापस नहीं हुआ। अतएव सर्व श्री दीन दयालु शास्त्री तथा सहदेव सिंह उत्तर प्रदेश बोर्ड आफ संस्कृत स्टडीज के लिये विधिवत् निर्वाचित घोषित कर दिये गये।

विशेषाधिकार अवहेलना की श्री गेंदा सिंह द्वारा शिकायत

श्री अध्यक्ष—मेरे पास कल श्री गेंदासिंह जी ने एक विशेषाधिकार की अवहेलना की शिकायत उपस्थित की थी और मैंने गृह मंत्री जी के पास उसे भेज दिया था। उसमें कई शिकायतें हैं। एक मुख्य शिकायत यह है कि उन्हें वारन्ट के बमूजिब १५ दिन के लिये बन्द कर दिया गया लेकिन रिमैंड न आने के बाद भी उन्हें जेल खाने में कुछ रोज अधिक रक्खा गया। यह एक उनकी शिकायत है। दूसरे उन्होंने कोई तार वगैरह करने का प्रयत्न किया था जेल से, वह रोक लिया गया। इस तरह की शिकायतों पर विशेषाधिकार की अवहेलना का प्रश्न यह नया हमारे सदन के सामने उपस्थित हुआ है। मैंने बहुत देखने की कोशिश की कहीं इस प्रकार के प्रश्न पर या इस तरह की शिकायत पर ऐसा प्रश्न कहीं उठा है लेकिन वह मुझे कहीं नहीं मिला। मैं सदस्यों को यह सूचना दे देना चाहता हूं कि इस सदन के विशेषाधिकार वही हैं जो कि इंग्लैंड की पार्लियामेंट के हैं। इसलिये हमें दो बन्धनों के बीच में इस विषय पर विचार करना पड़ता है। एक तो यह कि कोई नया विशेषाधिकार नहीं कायम किया जा सकता। दूसरे हमारे लिये यह भी बन्धन है कि जो इंग्लैंड की पार्लियामेंट के विशेषाधिकार हैं, वही हमारे हैं, उससे अधिक नहीं। यानी हम नया विशेषाधिकार भी नहीं कायम कर सकते और हमारे यहां कोई ऐसी पुरानी प्रथा नहीं जिसके सहारे हम यह कह सकें कि विशेषाधिकार की इसमें अवहेलना हुई। मैं यह उचित समझता हूं कि सदन का समय इसमें बचाऊं और इसलिये माननीय गृह मंत्री जी और गेंदा सिंह जी मेरे पास अपने-अपने विचार इस विषय में भेज दें और उनके पास अगर कोई इंग्लैंड की पार्लियामेंट की नजीर हो या यहां की भी केंद्रीय पार्लियामेंट की कोई नजीर हो तो वह भी मेरे पास भेज दें। उसके बाद मैं इसके ऊपर विचार करूंगा कि आया मैं अनुमति दूं कि यह प्रश्न यहां पर उठाया जाय या न उठाया जाय। दूसरे अगर मैं अनुमति दे दूं तो उसके बाद यह वैध है या नहीं, इसके ऊपर विचार होकर निर्णय दूंगा। यदि वैध समझूंगा तो फिर इसका तरीका यह है कि सदन में उसके ऊपर एक दम विचार नहीं होगा बल्कि प्रिवलेज कमेटी के सामने यह प्रश्न जायगा क्योंकि सदन के किसी सदस्य से संबंधित मामला नहीं है, बाहरवालों से, संबंधित है। इसी प्रकार की एक शिकायत नारायणदत्त तिवारी जी ने भी भेजी है। उसके लिये भी मैंने अभी जो विचार प्रकट किये लागू हैं।

आप साढ़े तीन बजे मेरे कमरे में आ जायं और स्पष्टीकरण कर दें ताकि सदन के सामने जब यह मामला आये तो समय व्यर्थ न खर्च हो

अमृत बाजार पत्रिका में श्री रामनरेश शुक्ल के भाषण को न छापने के प्रश्न पर १५ फरवरी, १९५४ को श्री अध्यक्ष द्वारा दिये गये निणय का स्पष्टीकरण

श्री अध्यक्ष—अब मैं एक और प्रश्न के ऊपर सदन के सामने अपना स्पष्टीकरण यानी खुलासा रखना चाहता हूं। मैंने १५ फरवरी को एक व्यवस्था दी थी श्री रामनरेश शुक्ल की

[श्री अध्यक्ष]

शिकायत पर कि कुछ अखबारों में कुछ चीजें नहीं छपीं। उसके बाद मेरे पास कुछ पत्रकार भी आये, उनसे चर्चा की। उनके भी सन्देह मेरे सामने रखे गये। इसलिये मैं खुलासा सदन में सुना देना चाहता हूं। आगे के लिये किस प्रकार कार्यवाही होगी उसके भी सुझाव इसमें मौजूद हैं।

१५ फरवरी को मैंने माननीय श्री रामनरेश शुक्ल की शिकायत पर एक निर्णय दिया। श्री शुक्ल ने मेरा ध्यान अमृत बाजार पत्रिका के डाक संस्करण की ओर आकृष्ट किया जिसमें कि संकल्प के प्रस्तावक और समर्थक के नाम और विचार प्रकाशित नहीं किये गये थे, और केवल विरोधी दल के उन वक्ताओं के विचार प्रकाशित किये गये थे जिन्होंने संकल्प पर अपने संशोधन उपस्थित किये थे। उनको सन्देह था कि यह भूल जान बूझ कर की गयी है। पूर्वोक्त शिकायत के प्रत्युत्तर में विरोधी दल के नेता ने सदन में सामान्य विचार प्रगट किया कि उनकी राय में समाचार पत्र प्रायः बहुमत वाले सदस्यों के भाषणों का अधिक प्रचार करते हैं। इस अवसर पर मैंने सदन में इस प्रश्न पर और आलोचनाएं रोक दीं और माननीय सदस्यों से कहा कि वे अपनी शिकायतें मेरे पास कमरे में भेज दें। मैंने अमृत बाजार पत्रिका के प्रतिनिधि से भी कहा कि वे अपनी स्थिति स्पष्ट करने के लिये मुझसे मिलें। दूसरे दिन माननीय गृह मंत्री ने भी मुझसे पत्र-व्यवहार किया जिसमें उन्होंने मेरा ध्यान अमृत बाजार पत्रिका के दूसरे दिन के हिन्दी और अंग्रेजी संस्करणों में वाद विवाद की कार्यवाही में प्रकाशित दो विचित्र भूलों की ओर आकृष्ट किया। इस पत्र-व्यवहार में ऐसा संकेत नहीं था कि वे भूलें जान बूझ कर की गयी हैं। तत्पश्चात् दूसरे दिन अमृत बाजार पत्रिका के प्रतिनिधि मुझसे मिले और उन्होंने अपने स्पष्टीकरण में बताया कि रिपोर्टिंग की प्रायिक प्रणाली किस प्रकार की होती है और उन्होंने किसी दैनिक पत्र के प्रकाशन की कार्यशैली का भी कुछ ब्यौरा मुझे बताया। मुझे पूर्ण संतोष हो गया कि उनकी ओर से संकल्प के प्रस्तावक के नाम के लोप हो जाने में जान बूझ कर प्रयत्न नहीं किया गया बल्कि रिपोर्टिंग की प्रक्रिया में और प्रकाशन की प्रस्तुत कार्यशैली के प्रवाह में जिसमें खबर का अनेक हाथों में आना जाना आवश्यक है प्रस्तावक का नाम तथा संक्षिप्त भाषण के प्रकाशन में विलम्ब हुआ जो दूसरे दिन के पत्र में प्रकाशित हुआ। जब मैंने देखा कि सदन में संदेह का वातावरण है तो मैंने उचित समझा कि न केवल उक्त शिकायत पर ही मैं अपना निर्णय दूं, अपितु सामान्यतः विचार प्रगट करना और सदन की कार्यवाहियों की रिपोर्टिंग की प्रणालियों पर सुझाव देना भी उचित समझा। यह मैंने इस हेतु से किया कि सदन में संदेह का वातावरण दूर हो जाय और इस सदन के सदस्यों तथा प्रेस प्रतिनिधियों के बीच, जिन्हें इस सदन की दैनिक कार्यवाहियों की रिपोर्टिंग का अधिकार है सद्भावना और पारस्परिक विश्वास का सम्बन्ध स्थापित हो जाय। परन्तु मुझे समाचार-पत्रों की आलोचनाओं को पढ़ कर तनिक आश्चर्य हुआ यद्यपि उनकी भाषा संयत और पर्याप्त नियंत्रित थी। ऐसा प्रतीत होता है कि अपने निर्णय के प्रसंग में मैंने जो विचार प्रकट किये थे उनसे समाचार-पत्रों से सम्बद्ध व्यक्तियों के मन में भ्रम उत्पन्न हुआ। तत्पश्चात् कुछ समाचार-पत्रों के प्रतिनिधि मुझसे मेरे कमरे में मिले और उन्होंने मेरे निर्णयों तथा तत्सम्बद्ध विचारों का मुझसे स्पष्टीकरण चाहा। मुझे विश्वास है कि मुझे उनके भ्रम के निवारण में काफी सफलता मिली।

मैं समझता हूं कि एक भिन्न दृष्टिकोण से इस सदन के सम्मानित सदस्यों के मन में भी इस विषय में उसी प्रकार का भ्रम उत्पन्न हो सकता है। अतः मैंने यह उचित समझा कि मैं अपने निर्णयों एवं तत्सम्बद्ध विचारों तथा सुझावों के रूप और आशय का अधिक स्पष्टीकरण कर दूं।

लोकतंत्र पद्धति में समाचार-पत्रों का वास्तविक लोकतांत्रिक राज्य के निर्माण एवं उसे जीवित रखने में अत्यन्त महत्वपूर्ण स्थान है। सही समाचारों एवं सूचनाओं के अविलम्ब प्रसार द्वारा तथा वर्तमान विषयों की आलोचनाओं द्वारा जिनका प्रभाव राज्य की नीतियों पर पड़ता है, वे राज्य के शासन तथा जनसाधारण के मस्तिष्क पर प्रबल एवं शक्तिशाली प्रतिक्रियाएं उत्पन्न कर देते हैं। क्योंकि समाचार-पत्र राज्य के शासन एवं जनसाधारण के

मस्तिष्क में प्रबल प्रभाव उत्पन्न कर देते हैं, अतः वे लोक-तंत्र की अमूल्य संपत्ति समझे जाते हैं और इसी कारण राजनीतिज्ञों में उन्हें "चतुर्थ आस्थान" (Fourth estate) की संज्ञा दी है। स्वतंत्र, विश्वसनीय, संयत, उत्तरदायित्व पूर्ण और कुशल समाचार-पत्र किसी आधुनिक लोकतान्त्रिक राज्य के जीवन तथा उसे सुचारु रूप से चलाने के लिये आवश्यक ही नहीं है अपितु अपरिहार्य भी हैं। विधान मण्डल जो कि एक लोकतांत्रिक राज्य में जनता के प्रतिनिधि तथा शासन को सुचारु रूप से चलाने के लिये उत्तरदायी हैं वे भी समाचार-पत्रों के मार्ग के ही सहपथिक हैं। अन्तर इतना ही है कि उनके साथ जनता का वैध अनुमोदन भी है और उन्हें एक उत्तरदायित्व पूर्ण शासन चलाने का अधिकार भी प्राप्त है। अतः मैं अनुभव करता हूं कि जनमत की इन दो शक्तिशाली संस्थाओं, विधान मण्डल और समाचार पत्रों को, जिनका जनता के ऊपर इतना प्रबल प्रभाव है, एक स्थायी लोकतांत्रिक राज्य के निर्माण के लिये सहयोग और एकता की भावना से कार्य करना चाहिये। इसी कारण मैंने उन ऐतिहासिक घटनाओं की चर्चा की है जिनसे समाचार-पत्रों को यह अधिकार मिला था कि वे इंग्लैंड की पार्लियामेंट के वाद विवाद सुन सकें एवं वहां की कार्यवाहियों का उचित तथा उत्तरदायित्वपूर्ण ढंग पर स्वतंत्रतापूर्वक रिपोर्टिंग भी कर सकें। इस सम्बन्ध में दो रायें नहीं हो सकतीं कि ऐसे अमूल्य अधिकारों के साथ-साथ तदनुरूप कर्त्तव्य भी होते हैं। इसी प्रकार से जब कि विधान मण्डल सब सामान्य लोकतांत्रिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिये समाचार-पत्रों के महत्व को स्वीकार करते हैं और आशा करते हैं कि समाचार पत्र किन्हीं कर्त्तव्यों का पालन करें तो उनको भी समाचार-पत्रों के प्रति अपना कर्त्तव्य पालन करना पड़ता है कि वे उनके साथ सहानुभूति का व्यवहार करें और उनकी उन भूलों पर ध्यान न दें जो सदोष कार्यशैली के कारण से या आकस्मिक या नैमित्तिक गलतियों के कारण से हो जाती हों। उन्हें तो समाचार पत्र ऐसे समझने चाहिये कि वे मानों विधान मण्डलों की ही कुछ वृद्धि या विस्तार हों। मेरी यह कामना है कि मेरा निर्णय तथा अन्य विचार जो मैंने प्रकट किये हैं वे उपर्युक्त विचारों के प्रकाश में ही पढ़े जायं।

यहां पर मैं उस भ्रम का निवारण करना चाहता हूं जो मैं समझता हूं कि काफी लोगों में विद्यमान है। जब कभी अध्यक्ष सदन में कुछ कहता है तो लोग समझते हैं कि अध्यक्ष के मुख से जो भी शब्द निकलता है वह अध्यक्ष की व्यवस्था है या एक ऐसा आदेश है कि जिसका अवश्यमेव पालन होना चाहिये मैं इस विचार से सहमत नहीं हूं। जब वह किसी ऐसे विषय पर व्यवस्था देता है जिसकी शिकायत की गयी है या जो उसे निर्दिष्ट किया गया है तब यह निस्संदेह एक व्यवस्था है और सदन में उसका अवश्य पालन होना चाहिये। किन्तु व्यवस्था देने के अतिरिक्त भी अध्यक्ष को अन्य कार्य करने होते हैं। उसे सदन में शान्ति व्यवस्था रखनी पड़ती है, एक शान्त वातावरण रखना पड़ता है और स्वस्थ प्रथायें भी स्थापित करनी होती हैं। वाद-विवाद में शांति बनाये रखने के उद्देश्य से वह समय समय पर सदस्यों के तथा अभ्यागतों के समक्ष कई प्रकार के विचार प्रकट करता है और सुझाव देता है। ऐसे विचार प्रायः उसकी व्यवस्थाएं नहीं होते। ऐसे विचार केवल तर्क हो सकते हैं जिनका ध्येय सदस्यों को किसी कार्य से निवृत होने के लिये प्रोत्साहित करना होता है या उसका ध्येय किसी ऐसी कार्य पद्धति का अनुसरण करना है जिससे माननीय सदस्यों के बीच में पारस्परिक सद्भावना पैदा हो। कभी कभी उसके वचनों में परिहास रहता है जिसका उद्देश्य सदन के कुछ सदस्यों की उत्तेजित भावना को शान्त करना होता है। ऐसे वाक्यों को 'परिहासात्मक वाक्य' कहा जायगा और किसी भी कल्पना से कहें वे अध्यक्ष की व्यवस्था नहीं कहे जा सकते।

मैंने अपने निर्णय में मुख्य शिकायत के ऊपर विचार किया, मैंने उसके ऊपर अपना मत प्रकट किया और इस बात की स्पष्ट व्यवस्था दी कि इसमें विशेषाधिकार की अवहेलना का प्रश्न नहीं उठता। उसमें शेष बातें या तो मेरे विचार हैं या सुझाव। मैंने माननीय सदस्यों का ध्यान भूलों की उन संभावनाओं की ओर आकृष्ट किया जो कि समाचार-पत्रों के प्रकाशन में वर्तमान कार्यशैली के कारण से होती हैं और कहा कि इस अवस्था में ऐसा संदेह नहीं किया जाना

[श्री अध्यक्ष]

चाहिये कि भूल चूक सदा जान बूझ कर ही की जाती है। इसी प्रकार समाचार-पत्रों के प्रतिनिधियों तथा रिपोर्टरों को मैंने इस प्रकार का परामर्श दिया जिसके फलस्वरूप मेरे मत में प्रकाशन में भूल होने के अवसरों में कमी आ जायगी।

मैंने माननीय सदस्यों को यह भी सुझाव दिया कि यद्यपि उन्हें नियमों के अनुसार किसी बात को सदन में लाने का अधिकार है, तथापि समाचार पत्रों के विरुद्ध उनकी जो शिकायत हो वे उसे मेरे पास कमरे में आकर ही कहें। मैं समझता हूं कि अब हम एक ऐसी अवस्था में पहुंच गये हैं जब हमें सदन से बाहर ऐसे विषयों पर विचार एवं समझौता करने के लिये एक प्रेस परामर्शदात्री समिति प्रेस गैलरी (प्रेस कन्सल्टेटिव या एडवाइजरी कमेटी) की स्थापना करनी चाहये। केवल ऐसे विषय जो सर्वथा दुराग्रह या सदन के घोर अपमान के हों तो वे उचित जांच के पश्चात् सदन में लाये जाने चाहिये। अन्य लोकतांत्रिक देशों के अनुभव से ज्ञात होता है कि दंड की अपेक्षा परामर्श की प्रणाली से दोनों ओर ही अधिक लाभ प्राप्त हुआ है। परामर्श की प्रणाली से पार्लियामेंटों का उनके विधान, उनकी प्रतिष्ठा तथा उनके विशेषाधिकारों के प्रति समाचार-पत्रों से अधिक सम्मान प्राप्त हुआ है। दूसरी ओर समाचार-पत्रों को पार्लियामेंटों में विशिष्ट स्थान प्राप्त हुआ है जिसकी ओर मैंने पहले संकेत किया है।

मेरा उद्देश्य सदन तथा पत्रकारों में सद्भावना का सम्बन्ध स्थापित करना है तथा ऐसी स्थिति उत्पन्न करना है जिससे यदि रिपोर्टिंग में कोई सदोष प्रणाली हो जिसके कारण भूलें होती हों तो वे भूलें यथासंभव बचाई जा सकें। मैं यह मानता हूं कि मेरे निर्देशन मार्ग से भिन्न ऐसे अन्य मार्ग भी हो सकते हैं जिनसे मेरे बताये हुए उद्देश्य की पूर्ति हो सकती है। इसलिये यदि उक्त उद्देश्यों की पूर्ति के लिये उन अन्य भावों का अनुसरण पत्रकार करें तो मुझे कोई आपत्ति न होगी।

उत्तर प्रदेश औषधि (नियंत्रण) (संशोधन) विधेयक, १९५३

श्री अध्यक्ष—मैं घोषणा करता हूं कि उत्तर प्रदेश औषधि (नियंत्रण) (संशोधन) विधेयक, १९५३ पर, जिसे उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने अपनी २२ दिसम्बर, १९५३ ई० की बैठक में तथा उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपनी २४ दिसम्बर, १९५३ की बैठक में पारित किया था, राष्ट्रपति की अनुमति २९ जनवरी, १९५४ को प्राप्त हो गयी और वह १९५४ का उत्तर प्रदेश का द्वितीय अधिनियम बन गया।

१९५४–५५ के लिये आय-व्ययक में अनुदानों के लिए मांगों पर मतदान

श्री अध्यक्ष—अब वित्तीय वर्ष १९५४–५५ ई० के लिये आय–व्ययक में अनुदानों के लिये विचार प्रारम्भ होगा।

अनुदानों के लिये समय--विभाजन

श्री रामनारायण त्रिपाठी (जिला फैजाबाद)—आज दो अनुदान हैं एक १८ और दूसरा ३९। तो इसमें अनुदान १८, ५।। बजे तक होना चाहिये और उसके बाद ३९ ले लिया जाय

श्री शिवनारायण (जिला बस्ती)—मैं प्रस्ताव करता हूं कि दोनों अनुदान साथ साथ चलें तो अच्छा है।

श्री जयपाल सिंह (जिला सहारनपुर)—इसमें मुझे आपत्ति है।

श्री शिवनाथ काटजू (जिला इलाहाबाद)—जिस तरह से इसमें सूची छपी हुई है उसी प्रकार से इसको लिया जाय। इन दोनों को आगे पीछे करना मुनासिब नहीं है।

श्री रामनारायण त्रिपाठी— नों के साथ साथ लेने का मैं भी विरोध करता हूं।

श्री अध्यक्ष—तो अलग अलग लिये जावेंगे। साढ़े पांच तक पहला और फिर दूसरा।

श्री शिवनारायण—मैं प्रस्ताव करता हूं कि पार साल जब अनुसूचित जातियों का अनुदान आया तो सदन खाली हो गया था। तो मैं यह चाहूंगा कि पहले इसे ले लिया जाय या चूंकि दोनों शिक्षा मन्त्री से सम्बन्धित हैं, तो दोनों एक साथ ले लिये जावें।

श्री रामनारायण त्रिपाठी—पहले शिक्षा और बाद में हरिजन ले लिया जाय।

महाराजकुमार बालेन्दुशाह (जिला टेहरी-गढ़वाल)—जो आपत्ति श्री शिवनारायण जी ने उठाई है, भाषण तो विशेष कर मन्त्री जी या आपके यानी चेयर के लिये होता है। सदस्यगण हों या न हों, उससे कोई विशेष सम्बन्ध नहीं होता है।

श्री अध्यक्ष—मैं विरोधी दल के नेता की राय जानना चाहूंगा क्योंकि विशेष टीका-टिप्पणी करने का मैं उनको मौक़ा देना चाहता हूं।

श्री रामनारायण त्रिपाठी—मैं उसका विरोध करता हूं।

श्री अध्यक्ष—तो फिर दोनों अलग-अलग लिये जावेंगे।

१९५४-५५ के आय-व्ययक में अनुदानों के लिये मांगों पर मतदान—
अनुदान संख्या १८—लेखा शीर्षक ३६—वैज्ञानिक विभाग और ३७—शिक्षा

*शिक्षा मंत्री (श्री हरगोविन्द सिंह)—श्रीमन्, गवर्नर महोदय की सिफारिश से मैं प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या १८—लेखा शीर्षक ३६—वैज्ञानिक विभाग और ३७—शिक्षा के अन्तर्गत ९,४७,५१,००० रु० की मांग स्वीकार की जाय।

इस अनुदान का यदि चालू वर्ष के अनुदान से मुकाबला करें तो लगभग ९२ लाख रुपये की वृद्धि हुई है। हो सकता है कि शिक्षा की उपयोगिता और प्रसार और प्रजातंत्र में इसका मुख्य स्थान होते हुये यह समझा जाय कि यह वृद्धि संतोष-जनक नहीं है। लेकिन यदि हम अपनी सीमित आय देखें और उत्तरोत्तर विकास कार्य की वृद्धि देखें, तो मुझे यह कहने में तनिक भी संकोच नहीं होता कि यह वृद्धि संतोषजनक है। इस सम्बन्ध में एक बात और स्मरण रहे कि ऐसा समझा जा सकता है कि पूरे बजट में शिक्षा का अनुपात कम है। दूसरे प्रदेशों से यदि इसका मुकाबला किया जाय तो काग़ज़ पर ऐसा मालूम होता है कि हमारे प्रान्त में, इस देश में सबसे बड़ा प्रान्त होते हुये भी, शिक्षा का अनुपात कम है। लेकिन जब मैंने उसकी छान बीन की तो मुझे ऐसा मालूम हुआ कि वास्तव में यदि शिक्षा सम्बन्धी जितने अनुदान हैं उन सबको जोड़ा जाय तो सम्पूर्ण बजट में शिक्षा का अनुदान १५-१६ करोड़ के लगभग या इससे अधिक होगा। यह जो अनुदान मैंने भवन के सम्मुख प्रस्तुत किया है केवल लिटरेरी ऐजूकेशन का अनुदान कहा जा सकता है परन्तु इसके अतिरिक्त उद्योगों के लिये, चिकित्सा के लिये, कृषि के लिये, हरिजन सहायक या और भी जो शिक्षा संबंधी अनुदान हैं वह हमारे प्रान्त में अलग अलग विभागों के अन्तर्गत अलग अलग रखे गये हैं। यदि शिक्षा के सब अनुदानों को मिला लिया जाय तो हमें इस बात का गौरव हो सकता है कि संपूर्ण बजट में शिक्षा का अनुपात २० प्रतिशत के करीब होगा। यह एक ऐसा प्रतिशत है जिस पर हमारे प्रान्त को गौरव होना चाहिये। आर्थिक संकट जिससे हमारा प्रान्त गुज़र रहा है, मैं समझता हूं कि सब माननीय सदस्य उसको जानते होंगे उस कारण से मुझे बड़े दुख के साथ अपने कालेजों में, माध्यमिक शिक्षालयों में और बालिकाओं की शिक्षा के सम्बन्ध में, १५, १० और साढ़े छः फीसदी की कमी करनी पड़ी थी। लेकिन मुझे

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री हरगोविन्द सिंह]

खुशी है कि वह १५ प्रतिशत जो कालेजों के अनुदान में, १० प्रतिशत जो माध्यमिक विद्यालयों के अनुदान में और साढ़े छः प्रतिशत बालिकाओं की शिक्षा के अनुदान में जो कमी की गयी थी वह चालू वर्ष में ही सारा रुपया दे दिया जायगा जिससे वे अपना कार्य चला सकें।

मैंने अभी आप के समक्ष यह कहा कि शिक्षा के अनुदान में ९२ लाख रुपये की वृद्धि हुई है और उस वृद्धि का यदि आप विश्लेषण करें तो आप देखेंगे कि यूनिवर्सिटी की मद में साढ़े ९ लाख की वृद्धि, माध्यमिक शिक्षा में ७ लाख ७० हजार की वृद्धि, प्राइमरी एजूकेशन में साढ़े छियत्तर लाख और लड़कों को जो स्कालरशिप दिया जाता है उसमें २ लाख १५ हजार रुपये की वृद्धि हुई है। इस वृद्धि में जैसा कि आपने देखा होगा कि अधिकांश वृद्धि प्राइमरी शिक्षा के सम्बन्ध में हुई है। उसमें मैंने बताया कि साढ़े छियत्तर लाख की वृद्धि हुई है जिसका मुख्य कारण यह है कि माननीय सदस्यों को शायद यह ज्ञात होगा कि इस शिक्षा में एक अमली परिवर्तन किया जा रहा है। आज चारों तरफ से यह मांग है कि हमारी शिक्षा प्रणाली हमारे देश की आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं करती और उसमें हमें कुछ ऐसे परिवर्तन करने चाहिये जिससे हमारे नवयुवक शिक्षा पा कर पंगु न बनें। आज की शिक्षा प्रणाली पर सबसे बड़ा यही आक्षेप किया जा रहा है कि शिक्षा के साथ साथ देश में बेकारी पैदा हो रही है, नवयुवक शिक्षित हो कर पंगु बनते जा रहे हैं। अगर कोई देश अपने नवयुवकों को केवल इसलिये शिक्षा देता है कि वे पढ़ कर सरकारी नौकरियों के लिये दौड़ें तो इसमें कोई संदेह नहीं कि ऐसा राज्य अवश्य ही अवनति को प्राप्त होगा। इसलिये यह आवश्यक हुआ कि शिक्षा प्रणाली में कोई परिवर्तन किया जाय। वह परिवर्तन किस ओर से शुरू किया जाय उसमें भी कोई दो रायें नहीं हो सकतीं कि इस परिवर्तन का आरम्भ प्रारम्भिक शिक्षा से ही होना चाहिये और इसी कारण प्रारम्भिक शिक्षा में यह परिवर्तन किया जा रहा है और इस दिशा में प्रयत्न किया जा रहा है कि हम अपने उन स्कूल जाने वाले बालकों में ऐसी प्रवृत्ति पैदा करें, उनमें ऐसा उत्साह पैदा करें कि वे इस बात पर निर्भर न रहें कि शिक्षा प्राप्त करके वे अपनी जीविका के लिये दर दर घूमते फिरें बल्कि उनमें एक स्वावलम्बन की प्रवृत्ति हो, उनमें इस बात का उत्साह भी हो कि अपनी कठिनाइयों से लड़ कर उसे पराजित कर सकें और इसीलिये हम अपने प्रान्त के ३,२०० जूनियर हाई स्कूलों में कृषि शिक्षा अनिवार्य करने जा रहे हैं। उसके लिये ३,२०० शिक्षकों का चुनाव भी कर रहे हैं। यह कार्य बड़ा वृहत् है, अपनी दृष्टि से बड़ा महत्वपूर्ण भी है। इसमें जनता का सहयोग भी अधिकांश चाहिये और इसलिये मैं माननीय सदस्यों से यह आशा करूंगा कि इस योजना को सफल बनाने में हर एक चीज को भुला कर जितना भी उनसे सम्भव हो वे इसको सफल बनाने में प्रयत्नशील हों। योजना की रूप रेखा थोड़ी सी यह है कि इन ३,२०० स्कूलों में हम इस बात का प्रयत्न करेंगे कि गांव वालों से खेत ले कर कोई दस दस एकड़ भूमि उनको दें जिसमें कि वे क्रियात्मक रूप से काम करके खेती सीखें। अभी तक हमारी कृषि शिक्षा का भी यह दोष रहा है कि हमारे इन कालेजों में, कानपुर एग्रीकल्चर कालेज या और जो कृषि के कालेज हैं, इनमें विद्यार्थियों की कमी तो आजसे पहले नहीं हुआ करती थी और उसका एकमात्र कारण यही था कि वे यह समझते थे कि कृषि के ग्रेजुएट हो जाने के बाद उनको सुगमता से नौकरी मिल जाती थी लेकिन जब नौकरी का मिलना कम होने लगा तो वहां विद्यार्थियों की संख्या भी कम होने लगी। कहने का अर्थ यह है कि जो विद्यार्थी हमारे इन कृषि विद्यालयों में पढ़ते थे वे इसलिये शायद नहीं पढ़ते थे कि वे कृषि का ज्ञान प्राप्त करके स्वयं खेतों में जाकर अपना कार्य आरम्भ करें बल्कि उनका अभिप्राय केवल नौकरी प्राप्त करना होता था। तो इसी कारण इस बात का प्रयत्न किया जायगा कि हम इन स्कूलों के साथ छोटा छोटा १०, १० एकड़ का फार्म बनावें और उनमें जा कर उनसे अपनी खेती स्वयं करावें। हो सकता है कि शायद आरम्भ में यह संभव न हो सके कि हमें सभी स्कूलों के लिये पर्याप्त क्षेत्रफल में भूमि मिल सके। जहां भूमि मिल जायगी वहां तो यह आसान हो जायगा और इस समय भी हमारे पास करीब करीब साढ़े ६ हजार एकड़ भूमि मिल गयी है या इसका वायदा हो गया है। दो हजार एकड़ भूमि तो मिल गयी है और चार या साढ़े चार हजार एकड़ भूमि के वायदे हो चुके हैं। लेकिन हमें प्रयत्न तो इस सम्बन्ध में यह करना है कि हम गांव वालों को प्रोत्साहित करें, उनको

आकर्षित करें। चूंकि उन्हीं के बच्चों की शिक्षा का प्रश्न है इसलिये उन्हीं से इस बात को कहें कि वे अपनी भूमिदान इन स्कूलों को करें लेकिन जहां भूमि न भी मिले वहां इस बात का भी प्रयत्न किया जायगा कि हम लगान पर कृषकों से खेत लें और जहां यह भी संभव न होगा वहां अभिप्राय यह है कि इन जूनियर हाई स्कूलों को, जो निकटवर्ती गांव हैं उनके विकास कार्य से संबंधित कर दिया जाय। तो इस प्रकार से हम अपने प्रान्त में ३२ सौ मिनिऐचर कम्युनिटी प्रोजेक्ट्स का निर्माण करेंगे जिसमें कि वह लड़के निकटवर्ती गांवों में जाकर विकास कार्य करें और जिससे गांव वाले भी उनकी ओर आकर्षित हो सकें और गांव वालों का आर्थिक उत्थान भी संभव हो सके। और इसी कारण इस अनुदान में साढ़े छिहत्तर लाख की वृद्धि है।

अभी तक हमारी एक योजना थी। सन् १९४७ में यह योजना चलायी गयी थी कि हम २२ हजार प्राइमरी स्कूल्स देहातों में खोलें जिसमें कि हमारे प्रान्त में यह व्यवस्था हो जाय कि सारे जिले सैचुरेटेड हो जायं। सैचुरेटेड का अर्थ यह है कि जितने प्राइमरी स्कूलों की आवश्यकता हो एक मील या डेढ़ मील के अन्दर कोई ऐसा क्षेत्रफल न हो जिसमें स्कूल न हो। इस योजना के अन्तर्गत साढ़े बारह हजार स्कूल खुले और करीब आधा प्रान्त, २३ या २५ जिले ऐसे हैं जहां अब प्राइमरी स्कूलों की आवश्यकता नहीं है। लेकिन आप इस बजट में, जो आप के सामने प्रस्तुत है, देखेंगे कि इस बात का प्रयत्न नहीं किया गया है कि हम इन स्कूलों की संख्या में वृद्धि करें हां तिब्बत की सरहद पर तो इस बात का इसमें प्रबन्ध है कि वहां हम २० प्राइमरी स्कूल, ३ जूनियर हाई स्कूल, तीन या दो माध्यमिक हाई स्कूल और एक ट्रेनिंग कालेज खोलें लेकिन उसके अतिरिक्त प्राइमरी पाठशालायें खोलने की योजना इस समय स्थगित कर दी गयी है और उसका एकमात्र कारण यह है कि हम जितने स्कूल खोल चुके हैं हम उसकी व्यवस्था से संतुष्ट नहीं हैं। हम यह चाहते हैं कि हम उनको सुव्यवस्थित बना दें। हमने उनको बेसिक स्कूलों की संज्ञा तो दे रखी है लेकिन हम यह समझते हैं कि बेसिक स्कूलों की भांति उनका कार्यक्रम नहीं है। हम उनको सुव्यवस्थित बनाना चाहते हैं और इस भवन द्वारा इस नीति का समर्थन होगा यह हम समझते हैं क्योंकि स्कूलों की संख्या बढ़ा दी जाय और व्यवस्था उसकी न की जाय तो उससे शिक्षा कुछ बढ़ेगी ऐसा विचार मेरा नहीं है। तो इसलिये इस अनुदान के अन्दर प्राइमरी शिक्षा में इतनी बड़ी वृद्धि होते हुये भी साढ़े छिहत्तर लाख की वृद्धि तो है लेकिन उसमें इस बात का प्रबन्ध नहीं है कि हम अपने प्राइमरी स्कूलों की संख्या में वृद्धि करें इसलिये हम चाहते हैं कि हमारा प्रयत्न इस दिशा में अगले वर्ष में रहे कि हम अपने उन प्राइमरी स्कूलों को व्यवस्था को ठीक करें।

इस सम्बन्ध में आपको श्रीमन् याद होगा कि चालू वित्तीय वर्ष का बजट उपस्थित करते हुये मैंने एक वादा किया था कि उस समय हमारे प्राइमरी स्कूलों के अध्यापकों का वेतन कई महीनों तक का बकाया था और दूसरा यह है कि जब राजकीय पाठशालायें डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के सुपुर्द की गयीं तो जो अध्यापक हमारे राजकीय पाठशालाओं के थे उनको भी डिस्ट्रिक्ट बोर्ड को सौंपा गया। लेकिन उस समय प्राविडेन्ट फंड की कोई व्यवस्था नहीं हो सकी थी। आज मुझे हर्ष है कि जब मैं इस भवन में आपके सम्मुख बोल रहा हूं तो शायद प्रांत में किसी डिस्ट्रिक्ट बोर्ड में अध्यापकों का वेतन बाकी नहीं है। अभी हाल ही में सरकार द्वारा ३२ लाख रुपया डिस्ट्रिक्ट बोर्डों को अनुदान के रूप में दिया गया जिससे कि वह अध्यापकों के वेतन दे सकें। उसी के साथ साथ इस बजट में इस बात का भी प्रबंध है कि हमारे उन राजकीय पाठशालाओं के अध्यापकगण जो अब डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के अन्तर्गत चले गये हैं उनको प्राविडेन्ड फंड भी दिया जाय। चालू वर्ष में बजट में प्रबन्ध न होते हुए भी दस लाख रुपया दिया जा रहा है उनके प्राविडेन्ड फंड के लिये और जो अनुदान हमने आपके सामने प्रस्तुत किया है उसमें ५ लाख की एक धनराशि और है जो उनके प्राविडेन्ट फंड के लिये डिस्ट्रिक्ट बोर्डों को दी जा रही है। इस तरह से हमारे अध्यापकों की जो एक उचित मांग थी वह सरकार द्वारा स्वीकृत हुयी और उनको जब से कि वह डिस्ट्रिक्ट बोर्ड में गये हैं तब से प्राविडेन्ट फंड दिया जायगा।

[श्री हरगोविन्द सिंह]

प्राइमरी शिक्षा के सम्बन्ध में एक महत्वपूर्ण बात और है। अभी तक हमारी प्राइमरी कक्षाओं के लिये एक बेसिक रीडर थी। वह पुस्तकें, जो बदलाव हुआ है उसके अनुसार नहीं थीं इसलिये प्राइमरी कक्षाओं की नयी पुस्तकें तैयार हुयी हैं जो अगली जुलाई से उन कक्षाओं में चालू की जायंगी। इसके अतिरिक्त जूनियर हाई स्कूल्स के लिये भी क्या पाठ्यक्रम होगा वह भी हमारे पास तैयार है और हम उसको शाया कर रहे हैं और लोगों की सम्मतियां उस पर मांग रहे हैं। जो पाठ्यक्रम निश्चित हुआ है उस पर उनकी राय ले लेने के बाद वह भी निश्चय हो जायगा और यह सम्भव हो सकेगा कि अगले वर्ष से तो प्राइमरी कक्षाओं में और उसके बाद से जूनियर हाई स्कूलों में भी पाठ्क्रम बदल सकें।

सेकेंड्री शिक्षा के सम्बन्ध में आप जानते ही हैं कि उस पर एक कमेटी नियुक्त हुयी थी, आचार्य नरेन्द्रदेव कमेटी और उसी हेतु केन्द्र से भी एक मुदैलियर कमीशन बैठा था। इस समय दोनों की रिपोर्ट सरकार के विचाराधीन है और उस पर बोर्ड की भी राय ली जा रही है। और निकट भविष्य में हम आपके सम्मुख एक विधेयक प्रस्तुत करेंगे जोकि इन विचारों पर आधारित होगा। स्कूलों की संख्या तो उत्तरोत्तर बढ़ ही रही है और मेरा ख्याल है कि चालू वर्ष में १०२ या १०३ हाई स्कूल और खुले हैं और ८३ हाई स्कूल इन्टरमीडिएट दरजे तक पहुंच गये हैं और मेरा अनुमान है कि शायद ४०० से अधिक ही प्रार्थना-पत्र आज बोर्ड के सामने स्वीकृति के लिये उपस्थित हैं। यह बढ़ाव एक ओर से यदि यह भी कहा जाय कि अच्छी बात है या शुभ लक्षण है तो दूसरी ओर से यह भी एक विचार है कि यह बढ़ाव शायद हमारी समस्याओं को और जटिल बनायेगा। इसलिये इस ओर भी सरकार का ध्यान है और इसका समावेश जो विधेयक आपके सम्मुख प्रस्तुत होगा उसमें किया जायगा। हम यह भी चाहते हैं कि इस बढ़ाव को इस रूप में रखा जाय कि अभिप्रायहीन शिक्षा अधिक न होने पाये। इन दोनों कमेटियों की रिपोर्ट में इस ओर काफी ध्यान दिया गया है और इस बात का प्रयत्न किया गया है कि इन स्कूलों में ऐसी शिक्षा दी जाय कि इन्टरमीडिएट पास होकर के एक विद्यार्थी निकले तो वह ऐसे उद्योग सीख कर निकले कि वह अपनी जीविकोपार्जन उससे कर सके। तो इस बात का भी प्रबन्ध उस विधेयक में होगा। आप जानते हैं कि इसमें धनराशि की बड़ी जरूरत होगी। फिर भी सरकार का ध्यान इस ओर है और सरकार बड़ी गम्भीरता से इस पर विचार भी कर रही है। जो बदलाव इस साल प्राइमरी शिक्षा में हम ला रहे हैं, समय आने पर वही बदलाव हमारे हाई स्कूल, इन्टरमीडियेट के स्कूलों और हायर सेकेंडरी स्कूलों में भी होगा। तो इस सम्बन्ध में हम आपके सम्मुख जल्दी ही एक विधेयक उपस्थित करेंगे।

युनिवर्सिटीज को आप जानते ही हैं कि आप के प्रांत में लखनऊ विश्वविद्यालय, आगरा विश्वविद्यालय और इलाहाबाद विश्वविद्यालय यह तीन विश्वविद्यालय हैं जिनका सम्बन्ध प्रदेशीय सरकार से है। आगरा विश्वविद्यालय के सम्बन्ध में थोड़े ही दिन हुये जब आपने एक अधिनियम बनाया था और आज वह अधिनियम आगरा विश्वविद्यालय में लागू है और हम उससे आशा करते हैं कि उसमें जो दोष आ गये थे शायद उस अधिनियम से इस बात में बहुत दूर तक सहायता मिलेगी कि वे दोष उससे निकल सकें।

इलाहाबाद विश्वविद्यालय के सम्बन्ध में एक जांच कमेटी मूथम जांच कमेटी के नाम से नियुक्त हुयी थी। उस मूथम कमेटी की रिपोर्ट हमारे सम्मुख है। उस पर इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की कोर्ट और एक्जिक्यूटिव की राय भी हमारे सम्मुख है। अभी तक जो इन युनिवर्सिटीज का क़ानून है उसमें व्यवस्था यह है कि अगर सरकार कोई बात लखनऊ या इलाहाबाद विश्वविद्यालय से कहना चाहती है तो बावजूद इसके कि लखनऊ विश्वविद्यालय लखनऊ में है और इलाहाबाद विश्वविद्यालय भी यहां से १४० मील की दूरी पर है, लेकिन सरकार के कहने के लिये कम से कम चार वर्ष चाहिये और डेढ़ दो लाख रुपये भी चाहिये तब सरकार कोई बात कह सकती है।

उस क़ानून में व्यवस्था यह है कि अगर सरकार को विश्वविद्यालय से कोई बात कहनी हो तो पहले एक जांच कमेटी की नियुक्ति करे, एक वर्ष में डेढ़ वर्ष में वह जांच कमेटी अपनी राय दे, राय मिल जाने के बाद सरकार अपनी राय उनके पास भेजे, फिर वहां कोर्ट और एक्जिक्यूटिव की मीटिंग हो, फिर वह सरकार के पास अपनी राय भेजें, उसके बाद सरकार फिर उनको ऐडवाइस दे, फिर वह कोर्ट और ऐक्जिक्यूटिव के सामने उपस्थित हो, फिर दूसरी तरफ कोर्ट और एक्जिक्यूटिव अपनी राय भेजे, तब सरकार अपने डाइरेक्टिव ईश्यू कर सकती है। मुझे तो पहले इसका कोई ज्ञान नहीं था। लेकिन मूथम कमेटी के सम्बन्ध में यह मालूम हुआ कि शायद चार वर्ष कम से कम चाहिये और शायद एक लाख डेढ़ लाख रुपया भी जांच कमेटी में लगा होगा। इतना धन तो चाहिये तब कोई बात इन विश्वविद्यालयों से कह सकते हैं। अब कहना केवल यह था कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय ने भी और लखनऊ विश्वविद्यालय ने भी अपने ऊपर काफी क़र्जा लाद लिया है। वह क़र्जा उचित है या अनुचित है यह बात तो दूसरी है लेकिन वह क़र्जा कैसे हुआ, उसकी क्या व्यवस्था की जाय, किस प्रकार से उसकी ऐसी व्यवस्था की जाय कि भविष्य में इतना क़र्जा ये विश्वविद्यालय अपने ऊपर न ले लें, ये कोई व्यावसायिक संस्थायें तो हैं नहीं कि अपने ऊपर क़र्जा कर लें, इनका सिनेट हाल तो कभी नीलाम होने वाला है नहीं। तो इसलिये इस कमेटी की नियुक्ति हुयी थी और हम निकट भविष्य में इन दोनों विश्वविद्यालयों के सम्बन्ध में आपके सामने विधेयक प्रस्तुत करेंगे और उसमें इस बात का प्रयत्न किया जायगा कि भविष्य में ऐसी अवस्था उपस्थित न हो जिसमें कि इन विश्वविद्यालयों के ऊपर इतना बड़ा क़र्जा लद जाय। यह क़र्जा ऐसा समझा जाता है कि इस समय क़रीब ३५, ४० लाख रुपये के है। सरकार ने तो पहले ही इस बात की घोषणा कर दी थी कि इस जांच के बाद वह इन क़र्जों की अदायगी करेगी।

इसी के साथ साथ संस्कृत विश्वविद्यालय भी निकट भविष्य में, आपने गवर्नर महोदय के भाषण में देखा होगा, कि उसकी चर्चा है। तो संस्कृत विश्वविद्यालय काशी और गोरखपुर विश्वविद्यालय के बारे में भी हम निकट भविष्य में भवन के सामने विधेयक प्रस्तुत करेंगे।

स्त्री शिक्षा के सम्बन्ध में भी इसी चालू वर्ष के अन्दर गाजीपुर, रामपुर और देवरिया में तीन इन्टरमीडिएट कालेजेज खोले गये हैं और बुलन्दशहर में एक जूनियर हाई स्कूल खोला गया है। इसके अतिरिक्त स्त्रियों के एडल्ट एजुकेशन के लिये २५ हजार रुपये से १०४ ऐसे स्कूल खोले गये हैं जिनमें स्त्रियों को एडल्ट एजुकेशन के अन्तर्गत शिक्षा दी जायगी। इस अनुदान में हम ४२ लाख रुपये स्त्री शिक्षा पर खर्च करते हैं। मैं यह तो नहीं कहता कि यह धनराशि संतोषजनक है लेकिन अपने आर्थिक संकट को देखते हुये मैं समझता हूं कि इतना इस समय करना सम्भव हुआ है और भविष्य में इस बात का प्रयत्न हम करते रहेंगे कि स्त्री शिक्षा के लिये अधिक से अधिक जितना भी हो सके, पर्याप्त मात्रा में देने की कोशिश करें।

सोशल ऐक्टीविटीज के सम्बन्ध में इस समय हमारे पास क़रीब साढ़े १३ सौ लायब्रेरीज हैं और ३६,००० रीडिंग रूम्स हैं जिनको हम सहायता देते हैं। इसके अतिक्ति लेखकों को भी हम काफी रुपया देते हैं। ७० लेखकों को हमने पुरस्कार दिया है और क़रीब ४८ हजार रुपया हम पुरस्कार में बांट चुके हैं और निकट भविष्य में २० हजार और बांटेंगे और ४० ऐसे लेखक जो बेचारे बड़ी आर्थिक कठिनाई में हैं उनको भी हम इस चालू वर्ष में मदद दे सके हैं। यह कहना कि इसमें अधिक धनराशि होनी चाहिये यह तो यथार्थ है ही लेकिन उस दिशा में भी हम इतना ही इस समय कर रहे हैं।

मिलिटरी एजूकेशन के विषय में भी हमारे प्रांत में साथ ही साथ दो योजनायें चल रही हैं। एक तो सोशल सर्विस १० जिलों में चलती थी। इसके अतिरिक्त हमारे प्रांत में एक मिलिटरी एजूकेशन की स्कीम है, जिसके अन्तर्गत एक एन० सी० सी० की स्कीम चल रही

[श्री हरगोविन्द सिंह]

है। उसके लिए भी प्रांत की सरकार रुपया देती है और उसके अतिरिक्त एक प्रांत की मिलिटरी एजूकेशन, जिसको पी० सी० सी० कहते हैं उसकी भी एक योजना चलती है। इस योजना के अन्दर हमारे १७ जिले थे, १० जिले सोशल एजूकेशन के अन्तर्गत और १७ जिले मिलिटरी एजूकेशन के अन्तर्गत थे। यह दोनों स्कीमें अब मिला दी गयी हैं और आने वाले वर्ष में हमारे लिए यह सम्भव हो गया कि हम सारे प्रांत में मिलिटरी एजूकेशन का विस्तार कर दें। हां, अभी यह विस्तार सीमित रहेगा उन्हीं शहरों तक या टाउन के स्कूलों तक। देहातों में जो हमारे हायर सेकेंडरी स्कूल हैं उन में हम इस साल इस स्कीम को लागू नहीं कर सकेंगे, लेकिन अब उसका विस्तार सारे प्रांत में होगा और हमारे इन स्कूलों में शहर के और टाउन्स के हायर सेकेंडरी स्कूलों में जितने भी विद्यार्थी हैं उनको अगले वर्ष मिलिटरी ट्रेनिंग दी जायगी।

हमारे पास एक फिल्म सेक्शन भी है और उसमें भी अभी तक हम ७ फिल्म बना सके हैं और अब इस बात का प्रबन्ध होगा कि हम इन फिल्मों को स्कूलों में लड़कों को दिखलावें।

इसके अतिरिक्त आप जानते हैं कि हमारे यहां एक मैरिस कालिज आफ म्यूजिक है, वह लखनऊ में है। वह संगीत विद्यालय है। अब नये आने वाले वर्ष मे वह नैशनल ऐकेडेमी के रूप में परिवर्तित हो जायगा और उसमें हमारे प्रान्त की एक तिहाई, सेंट्रल गवर्नमेंट से एक तिहाई और और सरकारों से एक तिहाई धनराशि मिलेगी। तो इस तरह से उसका स्तर बहुत ऊंचा होगा। वह एक यूनिवर्सिटी की तरह से म्युजिक की यूनिवर्सिटी बनेगी और उसका नाम होगा नेशनल ऐकेडेमी आफ हिन्दोस्तानी म्यूजिक।

इस चालू वित्तीय वर्ष की एक महान् चीज यह हुयी है जिसका कि आपको ज्ञान होगा, वह देवनागरी स्क्रिप्ट है। देवनागरी के बारे में हमारी प्रांतीय सरकार ने सन् १९४७ में आचार्य नरेन्द्र देव की अध्यक्षता में एक कमेटी की नियुक्ति की थी। हिन्दी प्रचारिणी सभा ने कुछ सुझाव इस बात का दिया था कि देवनागरी लिपि में कोई सुधार होना चाहिये, जो ऐसे वर्णाक्षर हैं जिनके दो रूप हैं, उनका एक रूप निश्चित होना चाहिये, इत्यादि इत्यादि। ऐसे बहुत से सुझाव उन्होंने दिये थे। तो आचार्य नरेन्द्रदेव की अध्यक्षता में एक कमेटी की नियुक्ति हमारी सरकार ने की थी। उसने उन सुझावों को देखा और उन पर अपनी राय दी। वह राय सरकार ने सन् ५० में ही स्वीकार कर ली, लेकिन हिन्दी राष्ट्रभाषा हो जाने के कारण यह आवश्यक हुआ कि उसमें हिन्दोस्तान के सभी लोगों का सहयोग प्राप्त किया जाय। तो यहां लखनऊ में एक बड़ा आयोजन किया गया, जिसमें सभी प्रांतों के शिक्षा मंत्री और मुख्य मंत्रियों को आमंत्रित किया गया। इसके अलावा उससे संबंधित और जो व्यक्ति थे उनको आमंत्रित किया गया और एक निश्चित रूप देवनागरी लिपि का उस कांफ्रेंस से स्वीकार हुआ, वह शीघ्र ही सब जगह भेजा जायगा और यह आशा की जायगी, उनसे प्रार्थना भी की जायगी कि वह निश्चित रूप के अनुसार ही देवनागरी लिपि का प्रयोग भविष्य में करें। यह भी एक ऐसा कार्य हमारे प्रांत ने किया है कि जो इतिहास में सदैव स्वर्णाक्षरों से लिखा रहेगा। मैं भवन का अधिक समय नहीं लेना चाहता इसलिये कि शायद एक ही दिन है और इसी में माननीय सदस्य अपने विचार भी व्यक्त करना चाहेंगे। इन थोड़े से शब्दों के साथ मैं अपना अनुदान इस भवन के सामने उपस्थित करता हूं।

श्री अध्यक्ष---माननीय रामनारायण त्रिपाठी, आप १५ मिनट समय लेंगे ?

श्री रामनारायण त्रिपाठी (जिला फैजाबाद)---जी हां।

श्री अध्यक्ष---तो १५ मिनट आपके लिए रहेगा, बाकी लोगों के लिए दस मिनट का समय रहेगा।

*श्री रामनारायण त्रिपाठी––अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय शिक्षा मंत्री जी द्वारा उपस्थित शिक्षा अनुदान में ९ करोड़ ४७ लाख ५१ हजार रुपये की मांग में एक रुपये की कटौती का प्रस्ताव पेश करता हूं।

अध्यक्ष महोदय, शिक्षा का विषय किसी लोक कल्याणकारी सरकार के लिए और साथ ही ऐसी सरकार के लिए जो यहां हमेशा से नहीं रही हो बल्कि विदेशियों की गुलामी को आजादी की लड़ाई के बाद खत्म करके यहां आयी हो, उसके लिए और भी महत्वपूर्ण हो जाता है। यद्यपि मैंने माननीय शिक्षा मंत्री के सेल्फ प्रेज वाले भाषण को बड़े गौर से सुना, लेकिन उसके बावजूद भी मैं दुख के साथ कहना चाहता हूं कि हमारी सरकार ने या तमाम कांग्रेसी सरकारों ने शिक्षा जैसे महत्वपूर्ण प्रश्न के सम्बन्ध में जो असावधानी बरती है वह अक्षम्य है। अध्यक्ष महोदय, आप जानते हैं कि किसी देश में जब अपने देश की सरकारें हों तो उस समय शिक्षा के सम्बन्ध में काफी आंकड़ों की आवश्यकता सरकार के सामने होनी चाहिये। जिस समय सन् १९४७ में हमारे देश में कांग्रेसी सरकारें या अपने देश में अपनी सरकारें आयीं, उस समय इस शिक्षा के विभाग में आमूल परिवर्तन होना चाहिये था। सभी माननीय सदस्य इस बात को जानते हैं कि विदेशी शासन की शिक्षा प्रणाली की हम बहुत निन्दा किया करते थे और यह कहा करते थे कि यह तो सिर्फ नौकरियों के लिये दी जाती है। ऐसी हालत में फिर भी कोई समुचित सुधार शिक्षा में नहीं किया गया। लगभग आठ साल के बाद एक उत्तम चीज अवश्य आयी है और जहां तक जूनियर हाई स्कूल में कृषि शिक्षा का सम्बन्ध है, उसके लिए तो मैं माननीय मंत्री जी को बधाई दे सकता हूं लेकिन मेरी राय में सन् ४८ में ही यह बात हो जानी चाहिये थी। अध्यक्ष महोदय, अगर आज जापान, अमेरिका और हिन्दुस्तान की शिक्षा के बारे में मैं संक्षेप में वर्णन करूं तो यह कह सकता हूं कि जापान में तीन "एच" की शिक्षा दी जाती है, हेड एजूकेशन, हार्ट एजूकेशन और हैन्ड एजूकेशन। अमेरिका में तीन "एम" की शिक्षा दी जाती है–मेंटल एजूकेशन, मैकेनिकल एजूकेशन और मैनुअल एजूकेशन। लेकिन मुझे दुख के साथ कहना पड़ता है कि हमारे प्रदेश में आज भी वही तीन "आर" की शिक्षा दी जाती है "रीडिंग" "राइटिंग" तथा "रिथमेटिक"। मैं माननीय शिक्षा मंत्री जी का ध्यान उनके एक शब्द की तरफ दिलाना चाहता हूं "सेचुरेशन प्वाइंट"। मैं इसी शब्द के बारे में माननीय शिक्षा मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि जिस समय सन् १९४७–४८ में आपकी सरकार आयी, उस समय क्या क्लर्कों के लिए, ऐडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट्स के लिए अनेकों ऐसे ग्रैज्युएट्स जिन्होंने किसी उद्योग की या कृषि सम्बन्धी शिक्षा प्राप्त नहीं की थी, सेचुरेशन प्वाइंट से ज्यादा यहां मौजूद नहीं थे? तो उसके बाद भी लगातार ८ साल तक युनिवर्सिटियों की शिक्षा और हायर सेकेंड्री स्कूलों की शिक्षा बिना किसी सुनियोजित ढंग के चलाते जाना यह किस बुद्धिमानी का द्योतक है। उस समय भी सेचुरेशन प्वाइंट था।

श्री हरगोविंद सिंह––सेचुरेशन प्वाइंट मैंने सिर्फ प्राइमरी एजूकेशन के सिलसिले में कहा था, युनिवर्सिटी और हायर सेकेंड्री स्कूलों की शिक्षा के लिए नहीं कहा था।

श्री अध्यक्ष––खैर, वह उसका और विस्तार कर रहे हैं।

श्री हरगोविंद सिंह––विस्तार तो चाहे जितना करें लेकिन उसको तोड़ें नहीं।

श्री रामनारायण त्रिपाठी––माननीय मंत्री जी ने मेरी बात ध्यान से सुनी नहीं। मैं यह कह रहा था कि प्राइमरी शिक्षा के बारे में सेचुरेशन प्वाइंट अब उनका आया लेकिन सरकारी नौकरियों के लिए, क्लर्क्स के लिए, ग्रैजुएट्स और अंडर ग्रैजुएट्स का सेचुरेशन प्वाइंट १९४७ में आ गया था और उसके बावजूद भी लाखों और करोड़ों की संख्या में उनकी तादाद

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री रामनारायण त्रिपाठी]

बढ़ायी गयी। वह क्यों ? यही मेरा मतलब था। इस तरह आज भी आमूल परिवर्तन के बाद भी हमारी सरकार कोई सुनियोजित ढंग से नहीं बता सकती कि कितने लोगों को औद्योगिक शिक्षा की आवश्यकता है, कितने लोगों को कृषि शिक्षा की आवश्यकता है, कितने डाक्टरों की आवश्यकता है। किसी भी कल्याणकारी राज्य में जहां रुपये का बजट होता है वहां राष्ट्रीय आवश्यकताओं का भी बजट बनाया जाना चाहिये। लेकिन इसकी कोई व्यवस्था नहीं हुयी। मुझे बड़ी प्रसन्नता हुयी थी जिस समय माननीय मुख्य मंत्री ने अपने बजट भाषण में बतलाया था कि दो चीजों में वह बहुत सुधार करना चाहते हैं। एक तो शिक्षा के सम्बन्ध में और दूसरे उद्योग के सम्बन्ध में। मुझे काफी प्रसन्नता हुयी थी। लेकिन सात साल के बाद भी आवश्यकताओं के अनुसार चलने की व्यवस्था की ओर कोई ध्यान नहीं दिया गया। माननीय शिक्षा मंत्री ने शुरू शुरू में यह भी कहा कि हमारा प्रदेश सारे देश के प्रदेशों से सब से अधिक रकम शिक्षा पर खर्च करता है। मेरे पास समय इतना नहीं है कि मैं और प्रदेशों का जिक्र करूं, लेकिन मैं माननीय मंत्री जी के शिक्षा के आंकड़े बताना चाहता हूं। सन् १९४८–४९ ई० में इस प्रदेश में पूरे बजट का शिक्षा पर १६.६ खर्च किया गया। सन् १९५२–५३ में पूरे बजट का शिक्षा पर १२.०८ खर्च किया गया। सन् १९५३–५४ में पूरे बजट का १०.९६ खर्च किया गया और १९५४–५५ के बजट में पूरे बजट पर का ११.६९ है। अध्यक्ष महोदय, आप जानते हैं कि १९५४–५५ के आंकड़ों का यह असली स्वरूप नहीं है। इन्हीं आंकड़ों से जितनी सेविंग होगी उसका परसेंटेज भी कम जायगा।

आज यह कहा जा रहा है, यूनिवर्सिटी प्राब्लम्स के बारे में माननीय शिक्षा मंत्री की एक अनोखी राय है। यूनिवर्सिटी के विद्यार्थियों का हमारे देश की आजादी में बहुत बड़ा हाथ था और सन् १९४२ के आंदोलन को विद्यार्थी आन्दोलन कह दिया जाय तो अनुचित नहीं होगा। उनके दिमागों में बड़ी बड़ी आशायें थीं, लेकिन जब वह देखते हैं कि पहले राज्य में और इस राज्य में भी उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं होती, बल्कि हमारी सरकार भी एमलेस मैड रेस आफ एजूकेशन चलाती चली जा रही है तो उनको बड़ी निराशा होती है। माननीय शिक्षा मंत्री ने तो यहां तक कहा कि जितना शिक्षा का प्रसार करना पड़ेगा उतना हमें पुलिस फोर्स भी बढ़ाना पड़ेगा। यह ऐसी चीजें हैं जिनसे माननीय मंत्री का दिमाग साफ नहीं मालूम होता कि किस प्रकार की शिक्षा वह देना चाहते हैं। असल में इन सारी चीजों की जिम्मेदारी सरकार पर है। जब तक सरकार समुचित ढंग से आवश्यकताओं का बजट नहीं बनाती, तब तक यह समस्या हल नहीं हो सकती। जूनियर स्कूल ३,०७१ और हायर सेकेंड्री स्कूल १,१२६ कुल मिलाकर ४,१८७ स्कूल हैं। माननीय मंत्री जी ने सिर्फ ३,२०० बताया, यह मेरी समझ में कुछ नहीं आया कि क्या मामला है। अध्यक्ष महोदय, आचार्य नरेन्द्रदेव जी की कमेटी की रिपोर्ट पर कार्य हो ही रहा है और कुछ बातें लागू भी कर दी गयी हैं और मैं समझता हूं कि और भी बातें जल्द से जल्द पूरे तौर से लागू होनी चाहिये। एक बात तो शिक्षा के सम्बन्ध में सर्वमान्य है कि किसी भी सरकार का जो अपने देश की सरकार होती है कोई ऐसा प्लान होना चाहिये कि १० साल या ५ साल में तमाम लोग साक्षर हो जायं, लेकिन हमारे प्रांत या देश की सरकार ने कोई ऐसी योजना अभी तक नहीं बनायी।

जहां तक प्राइमरी और जूनियर हाई स्कूल की शिक्षा का सवाल है, काफी योजना के साथ इस शिक्षा को बढ़ाना चाहिये। कम से कम साक्षरता और स्थानिक समस्याओं की आवश्यकता की पूर्ति के लिए सब को शिक्षा मिल ही जानी चाहिये। फिर यूनिवर्सिटी एजूकेशन कैसे हो इस पर तो रुक कर भी विचार हो सकता है। चीन में जिसे थोड़े दिन आजादी पाये हुए, उसके बावजूद भी वहां जितनी यूनिवर्सिटी एजूकेशन है वह टेक्निकल हो या डाक्टरी सम्बन्धी हो वह फ्री दी जाती है, लेकिन हमारी सरकार थोड़ा सा अनुदान देकर समझती है कि वह यज्ञ प्रारम्भ कर रही है। आचार्य नरेन्द्रदेव जी की कमेटी की

जो इंटेरिम रिपोर्ट प्राप्त हुयी थी उसमें डिस्ट्रिक्ट साइकालोजी सेंटर की बात कही गयी थी और इलाहाबाद में वह चल भी रहा है, लेकिन ८ साल के बाद भी एक भी उनका प्रयोग स्टैन्डर्डाइज नहीं हुआ ।

अध्यक्ष महोदय, साइकालोजिकल सेंटर में १५ अध्यापक पहले लिये गये थे डिस्ट्रिक्ट सेंटर्स खोलने के लिये । जो वहाँ १२० रुपये तनख्वाह पाने वाले अध्यापक थे वे ज्यादा योग्य थे और जो २५० रुपये पाने वाले अध्यापक थे उनकी कम योग्यता थी और जो लोग ट्रेंड किये गये थे उन १५ आदमियों को स्थान न देकर अनट्रेंड आदमी रख लिये गये । ऐसी साइकालोजिकल इंस्टीट्यूट या ब्यूरो जहाँ यह समझा जाता है कि वहां ऐसी टैक्स्टबुक्स तैयार होंगी जो हमारी समस्याओं का सुधार करेंगी जब वहाँ के अध्यापकों को असंतोष है कि वहां समुचित व्यवस्था नहीं की गई तो और समस्याओं का हल कैसे हो सकेगा ।

माननीय शिक्षा मंत्री ने पब्लिक सर्विस कमीशन की रिपोर्ट को देखा होगा । पेडागाजिकल इंस्टीट्यूट, इलाहाबाद की जो है उसके लिये पब्लिक सर्विस कमीशन ने एक अलग प्रिंसिपल चुना और सरकार ने उस रिपोर्ट की अवहेलना करके एक दूसरे सख्श को चुना जो अमेरिका जरूर हो आया था लेकिन जिसके पास मुनासिब योग्यता नहीं थी । जब सरकार ऐसी इंस्टीट्यूट्स के लिये ऐसी अव्यवस्था कर बैठती है तो यह अजीब बात मालूम होती है ।

इसी तरह से आगरा यूनिवर्सिटी का मसला जिस वक्त आया था तो मैंने कहा था कि डायरेक्टर आफ एग्रीकल्चर को सिनेट में या एक्जिक्यूटिव में न रखना चाहिये लेकिन माननीय मंत्री जी ने कहा कि जाना चाहिये । लेकिन उसके कुछ दिन ही बाद एक एडीशनल डायरेक्टर आफ एजूकेशन की पोस्ट की बजट में व्यवस्था कर दी गई । जहां एक एडीशनल डायरेक्टर की पोस्ट को बजट में प्रोवाइड किया गया वहीं इसी सरकार द्वारा वैज्ञानिक खोज में २० हजार की कमी की गई, ग्रामोत्थान योजनाओं में ३४,००० रुपये की कमी की गई, सामाजिक सेवाओं के लिये नवयुवकों को ट्रेनिंग देने की योजना में २,३९,००० रुपये की कमी की गई वैज्ञानिक विभाग में ९,००० रुपये की कमी की गई और सरकारी प्रोफेशनल कालेजज में १,२३,००० रुपये की कमी की गई । ये ऐसी आवश्यकतायें थीं जिनमें कमी नहीं होनी चाहिये थी । जो हमारी शिक्षा की प्रगति की दूसरी ओर मोड़ रही थीं, इनमें कैसे कमी की गई यह मैं माननीय शिक्षा मंत्री से जानना चाहूंगा । पता नहीं, कौन जे० के० इंस्टीट्यूट है उसको ४० हजार रुपये दे दिये गये । एन० सी० सी० के बारे में यह शिकायत है कि केन्द्रीय सरकार ने कहा था कि ५० रुपये प्रति व्यक्ति को हिस्सा मिलना चाहिये उसकी हमारी सरकार ने अवहेलना की ।

इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के लिये रेकरिंग ग्रांट १३,७८,००० रु०, लखनऊ यूनिवर्सिटी के लिये १४,६५,००० रुपये, आगरा यूनिवर्सिटी के लिये १,२३,७०० रुपये, अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के लिये १,४९,००० रुपये और बनारस यूनिवर्सिटी के लिये १,५५,००० रुपये सरकार ने मंजूर की है । इलाहाबाद और लखनऊ यूनिवर्सिटी के लिये नान रेकरिंग ग्रांट्स में १,००,००० रुपये और ३०,००० रु० मंजूर किये गये हैं । अध्यक्ष महोदय, बनारस विश्वविद्यालय दुनिया में दूसरे नम्बर का विश्वविद्यालय कहा जाता है और मैं समझता हूं कि किन्हीं चीजों में उसे प्रथम श्रेणी में भी गिना जा सकता है लेकिन उसके द्वारा माँग होने पर भी उसको ग्रांट सिर्फ १,५५,००० रुपये की ही दी है । यह अजीब बात है ।

एक अजीब बात और बजट कापी के पेज १४८ में आप देखेंगे । उसमें हर प्रसाद शिक्षा निधि का जिक्र आया है । उसमें काशी विद्यापीठ के लिये एक मुश्त रकम लिखी हुई है लेकिन रकम में कोई आंकड़ा नहीं है । अगर कहा जाय तो मैं उसे सिफर ही कह सकता हूं । काशी विद्यापीठ एक महत्वपूर्ण संस्था है और अन्य यूनिवर्सिटियों के बराबर मैं उसको स्थान देने के लिये तैयार हूं । लेकिन एक मुश्त रकम की जगह सिफर रक्खा हुआ है यह एक अजीब बात है ।

[श्री रामनारायण त्रिपाठी]

इलाहाबाद में एक अनजुमने अरेबिया है। शायद अरबी की शिक्षा देने के लिये कोई संस्था होगी। उसके लिये ७०० रुपये प्रतिवर्ष रक्खे गये हैं। लेकिन अजीब बात तो यह है कि आर्य प्रतिनिधि सभा को भी २,४०० रु० प्रति वर्ष दिये गये हैं। यह कौन सी शिक्षा संस्था है। यह तो विशेष धर्म के लोगों की संस्था है। धार्मिक संस्थाओं को ग्रांट देना आपत्तिजनक मालूम होता है। इस ओर माननीय शिक्षा मंत्री को ध्यान देना चाहिये।

अध्यक्ष महोदय, सेंट्रल पेडागाजिकल इंस्टीट्यूट के बारे में भी शिक्षा मंत्री महोदय का ध्यान दिलाना चाहता हूं कि वहाँ हायर सेकेंड्री स्कूल को पालिटिक्स में हिस्सा लेने का पूरा अधिकार है। अगर कांग्रेस की पालिटिक्स में हिस्सा लिया जाता है तब तो माननीय मंत्री को वह बात पसन्द होती है लेकिन विरोधी दल की पार्टीज की पोलिटिक्स में हिस्सा लिया जाता है तो उसे दबाया जाता है। मैं मिसाल के तौर पर मरचेंट्स हायर सेकेंड्री स्कूल, बड़ागांव की याद दिलाना चाहता हूं। उनके आचार्य को इन्सपैक्टर के अप्रूवल के बिना अलग कर दिया। इस टरमिनेशन आफ सरविस के खिलाफ ऊपर तक कोशिश की गयी तो यहां से डायरेक्टर आफ एजूकेशन का ऊपर से तार गया कि इस मामले में इन्सपैक्टर के अप्रूवल की जरूरत नहीं है। एजूकेशनल कोड के परिशिष्ट की धारा १० के यह बिलकुल खिलाफ है। गवर्नमेंट के पास भेजने को कहा गया तो कहा कि इसकी अपील नहीं होती और इस तरह के मामलों की अपील नहीं होती। इस प्रकार की पालिसी कि एक पार्टी की प्रशंसा करना और दूसरे को डिस्करेज करना उचित नहीं है। इन शब्दों के साथ मैं इस कटौती के प्रस्ताव को हाउस के सामने पेश करता हूं।

महाराजकुमार बालेन्दुशाह(जिला टेहरी गढ़वाल)---अध्यक्ष महोदय, जिस प्रकार शिक्षा मंत्री ने भाषण दिया उससे मुझे ऐसा लगा कि कल पुलिस के बजट के संबंध में जो यहां पर भाषण हुये और जिस खुले दिल से भाषण हुये उससे माननीय शिक्षा मंत्री ने शायद यह समझा कि उस प्रकार के भाषण से बचने का एक तरीका है कि शुरू में आध पौन घंटा लेंले ताकि कम से कम मौका सदस्यों को बोलने का मिले। किन्तु मुझे आश्चर्य है कि इस साल माननीय शिक्षा मंत्री को ऐसी चेष्टा करने की क्यों आवश्यकता पड़ी।

जहाँ तक कि आजकल का जमाना है जब कि पैसे से हरएक चीज होती है तो मैं यह समझता हूं कि इस बात को ध्यान में रखते हुये कि शिक्षा विभाग अधिक व्यय कर रहा है कुछ हद तक हमारे शिक्षा मंत्री धन्यवाद के पात्र हैं। माननीय वित्त मंत्री ने अपनी बजट स्पीच में कहा था कि बजट एक दर्पण है तो इस दर्पण को याद रखते हुये इस बात की कोशिश की गयी कि शिक्षा विभाग ऊंचा किया जाय, शिक्षा विभाग के संबंध में हमें क्या देखना है? हमको यह देखना है कि शिक्षा विभाग ने क्या तरक्की की। माननीय शिक्षा मंत्री ने कुछ खुलासा भी किया। किन्तु शिक्षा की नीति जो इस प्रदेश में चालू है उस संबंध में पूरी बात समझ में नहीं आयी। पिछले साल वोकेशनल एजुकेशन के सिलसिले में किसी समय हमारे शिक्षा मंत्री ने उसकी आलोचना की थी और कहा था कि थ्योरिटिकली भले ही वोकेशनल एजुकेशन भली चीज हो मगर उसके करने में बहुत सी पेंचीदियाँ पैदा होती हैं और पिछले साल उन्होंने आपत्ति उठायी थी। मुझे खुशी है कि उन्होंने अपनी राय को कुछ बदला है और इस बजट में उन्होंने वोकेशनल एजुकेशन के लिये भी एक उपाय निकाला है। जो एग्रीकलचर बायस उनका देने का विचार है उस संबंध में मैं यह कहूंगा कि हालाँकि भारतवर्ष एक कृषि प्रधान देश है मगर केवल एक एग्रीकलचर पर एम्फसिस देना एक प्रकार से दूसरा प्रोबलेम पैदा करना है। जिस प्रकार के आजकल पढ़े लिखे क्लैरिकल जोब के लिये घूमा करते हैं उसी प्रकार से वह भी हो जायगा। अगर एक कृषि पर ही जोर दिया जायगा तो एक समय आयेगा कि उसके विद्यार्थी बेकारी के शिकार बनेंगे। इसलिये मैं यह समझता हूं और माननीय शिक्षा मंत्री से यह कहूंगा हालाँकि उन्होंने यह ठीक समझा है मगर एग्रीकलचर को

बायस देना उचित नहीं होगा। अध्यक्ष महोदय, समय अधिक नहीं है। अब मैं केवल दो विषयों पर कहूंगा। माननीय शिक्षा मंत्री ने विद्यार्थियों के संबंध में कुछ कहा कि और उन्होंने शोक प्रकट किया कि उनको जिस तरीके से आर्गनाइज किया जा रहा है वह निन्दनीय है, इस संबंध में यहाँ चर्चा पहले ही हो चुकी है और अधिक कहने की आवश्यकता नहीं है। मगर मैं यही पूछना चाहूंगा कि क्या सरकार ने इसका कारण पा लिया है या नहीं। बहुत कुछ कहा जाता है विद्यार्थियों के डिस्पिलिन के बारे में या लिबरटी को लाइसेंस समझा जाता है तथा विद्यार्थियों को जो स्वतंत्रता दी जाती है उसे वे कबूल नहीं करते हैं। मगर मेरा विचार यह है, वह गलत हो सकता है कि विद्यार्थियों के अध्यापक असंतुष्ट हैं और यही इसका कारण है। मैं जानता हूं कि हमारे शिक्षा मंत्री के गुरू आज के गुरू से अच्छे रहे होंगे और हमारे गुरू हमारी संतान के गुरू से अच्छे रहे होंगे परन्तु यही मुख्य कारण है कि आज का टीचर अपने काम में मन नहीं लगाता है। वह एक प्रकार से टाइम सर्व करता है। विद्यार्थी के भविष्य से उसका कोई सम्पर्क नहीं है। जब तक अध्यापकों की दशा नहीं सुधारी जाती तब तक स्कूलों में उन्नति करना असंभव बात होगी।

मुझे दुख हुआ जब मैंने शिक्षा मंत्री के भाषण में स्पोर्ट्स के बारे में कोई चर्चा नहीं सुनी। स्पोर्ट्स का नाम लेते ही सदन में हंसी शुरू हो जाती है। मेरा मतलब केवल यही नहीं है कि उनको रिक्रियेशन के तौर पर स्पोर्ट्स दिया जाय। विदेशों में भी स्पोर्ट्स को विशेष महत्व दिया जाता है। स्पोर्ट्स में विद्यार्थियों को डिस्पलिन मिलता है जिसे पाने के बाद ही वह जीवन के संग्राम में सफलता पूर्वक काम कर सकता है। कुछ प्रबन्ध इसके लिये है मगर मैं आशा करता हूं कि माननीय मंत्री जी और अधिक रुपया देंगे और जहाँ तक हो सके कौंसिल आफ फिजीकल कल्चर को रिवाइव करने के चेष्टा करें।

अन्त में मैंने जो एक और चित्र देखा वह नये स्कूलों की इमारतें बनने का और पुराने स्कूलों की इमारतें गिरने का है। शिक्षा मंत्री ने विशेष रूप से बतलाया कि नये स्कूल बनाने के लिये रुपया रखा गया है किन्तु पुराने स्कूलों की मरम्मत के लिये आपने क्या रखा है? अगर वह जानना चाहेंगे कि मरम्मत कहाँ के स्कूल चाहते हैं तो मैं उनसे निवेदन करूंगा कि टेहरी-गढ़वाल के जिले में ६-६ महीने और साल साल भर तक स्कूलों की मरम्मत नहीं होती। इसलिये जहाँ हम नये स्कूल बना रहे हैं, आप बनावें उसमें मुझे कोई आपत्ति नहीं है लेकिन पुराने स्कूलों की मरम्मत भी साथ साथ होनी चाहिये वरना नये स्कूल बनाने से भी जितना लाभ होना चाहिये उतना नहीं होगा। इस प्रदेश में जब पुराने स्कूल गिरे जा रहे हैं, तो नये स्कूलों का बजट एक बहाना और छल का रूप धारण कर लेता है।

श्री जगदीश प्रसाद (जिला मुरादाबाद)---अध्यक्ष महोदय, शिक्षा के अनुदान के संबंध में जैसा कि अभी विरोधीदल के दो माननीय सदस्यों ने कहा, वास्तव में हमारे शिक्षा मंत्री बधाई के पात्र हैं। इसमें बहुत सी चीजों के साथ साथ स्त्री शिक्षा, समाज सेवा सेना शिक्षा आदि ऐसी चीजें भी हैं। विशेषतौर पर मैं देखता हूं कि जो हमारी शिक्षा में अभी तक कमी थी और जो हमारी शिक्षा का उद्देश्य होना चाहिये था, उस ओर प्रगति की जा रही है। इस बात का प्रयास किया जा रहा है कि विद्यार्थी जिस विषय में अपना विकास अच्छी प्रकार से कर सकते हैं उन्हीं के अन्दर उनको शिक्षा दी जाय। इसके लिये मनोविज्ञान केन्द्र और अध्ययन विज्ञान केन्द्र खोले गये हैं। मैं इस अवसर का लाभ उठाते हुये, अध्यक्ष महोदय, यदि अपने विचार भी माननीय मंत्री तक पहुंचा दूं तो असंगत न होगा।

विश्वविद्यालयों के संबंध में केवल एक ही बात कहूंगा कि विश्वविद्यालयों में बढ़ती हुई संख्या को हमें कम करना है। जिस तेजी के साथ हमारे विद्यार्थी एम० ए०, बी० ए० पास करते जा रहे हैं वह हमारे देश की प्रगति के लिये अधिक सहायक न होगा। मैं समझता हूं कि इसमें दिक्कतें हैं जिनके विषय में हमारे मंत्री जी ने अभी कहा फिर भी कुछ प्रयत्न होना ही चाहिये। जहाँ तक मैं समझता हूं यही हो सकता है कि जो फर्स्ट डिवीजन में आये या और कोई मार्क्स नियत किये जायं उनको आगे सब्जेक्ट्स में बढ़ने दिया जाय।

[श्री जगदीश प्रसाद]

माध्यमिक शिक्षा के संबंध में मैं अपने विचार माननीय शिक्षा मंत्री के सम्मुख आपके द्वारा रखूंगा क्योंकि उस क्षेत्र का एक कार्यकर्त्ता होने के नाते उसकी मुझे जानकारी है और उसकी वास्तविक दिक्कतों को मैं महसूस करता हूं। मेरा ऐसा विचार है कि जहाँ तक माध्यमिक शिक्षा का संबंध है यदि यह प्राइवेट शिक्षा संस्थाओं को सुपुर्द कर दी जाय तो सरकार को इसमें सुविधा होगी। मैं नहीं जानता कि इसके संबंध में माननीय मंत्री जी के क्या विचार हैं, लेकिन मैं यह जानता हूं कि शिक्षा का परसेंटेज जो सार्वजनिक संस्थायें बर्दाश्त कर रही हैं बहुत अधिक है। इस बजट के अनुसार १ करोड़ २२ लाख उन संस्थाओं को दिया जाता है और ९० लाख रुपया गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन्स पर खर्च किया जाता है। अगर हम विद्यार्थियों की संख्या के हिसाब से देखें तो हमें मालूम होगा कि प्राइवेट संस्थाओं से निकले हुये विद्यार्थियों की संख्या सरकारी संस्थाओं से निकले विद्यार्थियों की संख्या के मुकाबिले में बहुत अधिक है, लेकिन ५२-५३ के वास्तविक आँकड़ों से भी मैं जो बढ़ोत्तरी सरकारी संस्थाओं पर हुई है वह १४ लाख कुछ हजार है और प्राइवेट संस्थाओं को कुल १२ लाख अधिक दिया गया है। मैं यह इस विचार के अनुसार कहता हूं कि प्रारम्भिक शिक्षा लोकल बाडीज को दे दी जाय, माध्यमिक शिक्षा प्राइवेट संस्थाओं को दे दी जाय, यूनिवर्सिटी की शिक्षा यूनिवर्सिटी करें तथा टैक्नीकल शिक्षा गवर्नमेंट पूरे तौर पर करे। मैं समझता हूं कि इसमें सरकार को सुविधा होगी।

माध्यमिक शिक्षा के संबंध में मुझे एक बात और कहना है और उस दिक्कत को मैंने स्वयं महसूस किया है। फर्ज किया कि किसी को ग्रांट दी जाय, लेकिन कभी कभी २९-३० मार्च को उसकी सूचना का तार जाता है और ३१ मार्च को वह लैप्स हो जाती है। इस दिक्कत का शिकार मैं हो चुका हूं। ४५० रु० का बिल वसूल करने में १००-१२५ रुपया इलाहाबाद कई बार आने जाने में खर्च करने पड़े जब कि जिलाधीश को यह तस्लीम हो गया था कि यह सब क्लर्क की गलती से हुआ था। इसके लिये मैं एक सुझाव देना चाहता हूं अगर यह रुपया जिलों को ब्लाक ग्रान्ट के रूप में दे दिया जाय तो ज्यादा अच्छा होगा। जैसे यहाँ पर एक कमेटी बनती है उसी प्रकार जिलों को रुपया आप अलाट करके एक कमेटी वहाँ बना दें तो ज्यादा अच्छा होगा और अधिक सुविधाजनक होगा।

इसी प्रकार स्कूलों में नयी क्लासों को खोलने के संबंध में कभी-कभी जुलाई में सूचना दी जाती है। अगर किसी स्कूल में ९ वीं या ११वीं कक्षा खोलने का सवाल है तो विद्यार्थियों को पहले से ही मालूम होना चाहिये कि ऐसा होने वाला है, जिससे वे बाहर इन्तजाम न करें नहीं तो वे ये समझते हैं कि कहीं ऐसा न हो कि यहाँ भी न खुले और बाहर भी इन्तजाम न कर पायें।

(इस समय १ बजकर १५ मिनट पर सदन स्थगित हुआ और २ बजकर १५ मिनट पर उपाध्यक्ष श्री हरगोविन्द पंत की अध्यक्षता में सदन की कार्यवाही पुनः आरम्भ हुई)

श्री जगदीश प्रसाद—उपाध्यक्ष महोदय, अभी मैं जिक्र कर रहा था कि स्कूलों में नये क्लास खोलने के लिये देरी से मान्यता दी जाती है जिससे स्कूल के अधिकारियों और विद्यार्थियों दोनों के लिये असुविधा होती है। इस लिये मैं प्रार्थना करूंगा कि माननीय मंत्री जी इस पर विचार करें कि कोई ऐसी व्यवस्था की जा सके कि मान्यता कि सूचना शीघ्र मिल जाया करे। यदि जिले के लेविल पर यह किया जा सकता हो तो और भी सुविधाजनक होगा।

इसके बाद मैं निरीक्षण के संबंध में कुछ कहूंगा। यह निरीक्षण विभाग जो प्राइवेट इंस्टीट्यूशन का निरीक्षण करता है उसका एक प्रकार से केवल व्यवस्था से ही सम्बन्ध रह गया है, शिक्षा से उसका कोई सम्बन्ध नहीं मालूम पड़ता है। परन्तु शिक्षा का निरीक्षण दरअसल में अधिक होना चाहिये था। बिल्डिंग कैसी है, फर्नीचर कैसा है, आदि प्रश्न जब कि

कोई सेक्शन खोलना होता है तो सामने आते हैं। इस सम्बन्ध में जैसे कि फर्नीचर आदि का प्रश्न उसमें कुछ ढील कर दी जाय तो ज्यादा उपयोगी होगा। इतनी लम्बी डेक्स कुर्सी होनी चाहिये, अगर इस शर्त में कुछ ढीली कर दी जाती है तो शिक्षा के ऊपर उसका कोई बुरा असर न होगा। फर्श पर बैठ कर भी पढ़ाई हो सकती है। मुझे आशा है कि माननीय मन्त्री जी इस पर विचार करेंगे और देखेंगे कि शिक्षा की प्रगति को कम न करते हुये किन-किन चीजों में ढिलाई की जा सकती है।

इसके बाद मैं बेटर मैनेजमेंट के बारे में कुछ कहना चाहता हूं। माननीय मंत्री जी ने जिक्र किया कि हायर सेकेंन्डरी स्कूल के रिआर्गनाइजेशन के बारे में वे कमेटी की सिफारिशों पर विचार कर रहे हैं। इस अवसर पर यदि मैं कुछ कहूं तो अनुचित न होगा और मुझे विश्वास है कि माननीय मंत्री जी उस पर विचार करेंगे। जिन सिफारिशों का सम्बन्ध प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस से है उन सिफारिशों को अगर प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस मान लेते हैं तो सरकार को उन्हें मान लेने में कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिये। जैसे कि मैनेजमेंट के बारे में तीन सदस्य सरकार की तरफ से नामिनेट किये जाते हैं लेकिन कमेटी की रिपोर्ट में उसको अनावश्यक करार दे दिया गया है। और इस सिफारिशों को मैनेजर ऐसोसियेशन ने भी स्वीकार कर लिया है तो ऐसी सिफारशें जो प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस से ताल्लुक रखती हैं और उन्होंने मंजूर कर ली है, मैं आशा करता हूं कि इनको शिक्षा मंत्री जी अवश्य मंजूर कर लेंगे।

जिलों में रचनात्मक कोर्सेज की स्वीकृति दी जाती है, लेकिन दिक्कत यह पड़ती है कि एक ही सब्जेक्ट बहुत से स्कूल ले लेते हैं। जैसे बढ़ईगीरी का काम सिखलाने में सहूलियत पड़ती है उसको यह सब स्कूल ले लेते हैं। लेकिन मेरे विचार से यदि माननीय शिक्षा मंत्री किसी जिले में चार उद्योगों की शिक्षा देना चाहते हैं, तो उन्हें यह देखना चाहिये कि उन उद्योगों के लिये अलहदा-अलहदा चार स्कूलों में सुविधा दी जाय।

इसके अतिरिक्त मैं समझता हूं कि इन सुझावों के साथ इस बजट को शिक्षा के सम्बन्ध में निश्चित रूप से प्रगतिशील कहा जा सकता है। इस नयी योजना में जो कोर्सेज रखे गये हैं उनके लिये यह मानना पड़ेगा कि हमारी एक बहुत बड़ी दिक्कत कि हमारे विद्यार्थी स्कूलों से निकल कर बेरोजगार रहते हैं वह हल हो जायगी।

अनिवार्य प्रारम्भिक शिक्षा की बहुत दिनों से मांग थी। वह डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स के अलावा म्युनिसिपैलिटियों में भी अनिवार्य होती जा रही है और आशा है कि शीघ्र ही सब जगह अनिवार्य हो जायगी। कृषि शिक्षा जिसमें ३,२०० अध्यापकों की ट्रेनिंग होगी एक प्रगतिशील कदम है और एक बड़ी दिक्कत इससे दूर होगी। इसके बाद मैं माननीय शिक्षा मंत्री जी को अध्यापकों की मांगों के सम्बन्ध में बधाई देता हूं कि उन्होंने बड़ी ही कुशलता के साथ उसको हैंडिल किया और उनकी बहुत सी मांगों को मान भी लिया। इसके अतिरिक्त उन्होंने जो कुछ स्कूलों को कम करने का जिक्र किया यह बहुत ही अच्छा कदम मेरे विचार से उन्होंने उठाया क्योंकि स्कूली शिक्षा बढ़ती ही चली जा रही थी और उस पर ठीक कंट्रोल हम नहीं कर पा रहे थे और वह शिक्षा करीक्यूलम के हिसाब से भी ठीक नही हो पा रही थी इससे कोई लाभ होने वाला नहीं था। इसके अतिरिक्त इसको ठीक तरह से करने के लिये यदि हम शिक्षा के स्तर को बढ़ायेंगे तो उचित ही होगा। इन शब्दों के साथ मैं माननीय मंत्री जी को इस बजट के लिये बधाई देता हूं

श्री शिवनाथ काटजू (जिला इलाहाबाद)––उपाध्यक्ष महोदय, मैं सबसे पहले मन्त्री जी को बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने जो ग्रान्टों में कमी की थी उसके लिये उन्होंने आश्वासन दिया है कि एडेड स्कूलों को उतनी ही ग्रांट मिलेगी जैसा कि पूर्व में मिला करती थी। शिक्षा मंत्री के सामने जो समस्यायें हैं वे काफी जटिल हैं और मैं पूरी तरह से उनके साथ सहानुभूति रखता हूं, क्योंकि शिक्षा के प्रसार को कोई रोक नहीं सकता। प्रारम्भिक स्कूलों की संख्या में वृद्धि

[श्री शिवनाथ काटजू]

होगी, उसमें जो लड़के हैं उनकी वृद्धि होगी, माध्यमिक स्कूलों और संस्थाओं में वृद्धि होगी और यूनिवर्सिटीज के अन्दर जितने विद्यार्थी हैं उनकी संख्या में वृद्धि होगी और इसके प्रवाह को, भले ही सिद्धान्त आपके कुछ हों, रोकना न मैं मुनासिब समझता हूं और न मैं समझता हूं कि यह हो सकता है। ऐसी परिस्थिति में जाहिर है कि हमारे पास रुपये की कमी है, आर्थिक कठिनाइयां हैं इसलिये गवर्नमेंट के सामने समस्यायें बढ़ती जायंगी इसलिये मैं निवेदन किया कि मैं सरकार के साथ और विशेष रूप से शिक्षा मन्त्री जी के साथ सहानुभूति रखता हूं।

शिक्षा तीन विभागों में विभाजित है, प्राथमिक, माध्यमिक और यूनिवर्सिटीज की शिक्षा। मेरा निवेदन यह है कि सरकार की ओर से जो रुपया खर्च किया जाय उसमें समता का ध्यान अवश्य होना चाहिये। मैं यह देखता हूं कि प्राथमिक शिक्षा पर काफी रुपया खर्च किया जाता है लगभग ३ करोड़ ८० लाख रुपया सरकार खर्च करेगी। माध्यमिक शिक्षा पर २ करोड़ १२ लाख लेकिन मुझे दुख है कि यूनिवर्सिटीज के ऊपर केवल ४० लाख रुपया रखा गया है मेरा निवेदन है कि जहां तक प्रारम्भिक और माध्यमिक शिक्षा का सम्बन्ध है उसका विस्तार तो होगा ही, लेकिन यूनिवर्सिटीज की शिक्षा के ऊपर भी सरकार को अधिक ध्यान देना चाहिये। कभी-कभी मुझे आभास होता है कि सरकार प्रारम्भिक शिक्षा और माध्यमिक शिक्षा पर विशेष ध्यान रखती है लेकिन यूनिवर्सिटीज शिक्षा के विषय में कोई बोलने वाला नहीं है।

श्री हरगोविन्द सिंह—नहीं, उस पर ज्यादा रुपया है।

श्री शिवनाथ काटजू—हां, वह कालेजेज को मिला कर है, लेकिन मैं तो इस समय यूनिवर्सिटीज पर ही कह रहा हूं। मेरा निवेदन यह है कि यूनिवर्सिटियों की महत्ता पर विशेष ध्यान देना चाहिये क्योंकि वहां से जो विद्यार्थी निकलेंगे वे एक तरह के निचोड़ हैं और उन्हीं के ऊपर राष्ट्र का भविष्य बहुत कुछ निर्भर है। आज के युग में जब हमको संसार से टक्कर लेनी पड़ती है तो स्पष्ट ही है कि विज्ञान के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में, और शिक्षा सम्बन्धी क्षेत्रों में से जो विद्यार्थी निकले वह देश में ही नहीं, बल्कि संसार के और देशों से टक्कर ले सकें।

तो श्रीमन्, यदि हमारी यूनिवर्सिटीज को रुपये की काफी सहायता न दी गई तो मैं इसमें देश का कल्याण नहीं समझता। विशेषरूप से मैं प्रयाग विश्वविद्यालय की ओर आपका ध्यान आकर्षित करता हूं, वित्त मंत्री ने भी प्रयाग विश्वविद्यालय के संबंध में जो कुछ कहा, उससे यही प्रतीत होता था कि यूनिवर्सिटी ने बहुत सा कर्जा ले लिया और बड़ी फिजूलखर्ची की और उनको हम एक लाख रुपया दे रहे हैं और यह आशा करते हैं कि वह जो १० लाख रुपया उनको लोन के रूप में दिया गया था वह शायद वापस मिल जाय। यदि सरकार समझती है कि वह १० लाख रुपया उनको कभी वापस मिल जायगा तो मेरे ख्याल में यह एक प्रकार की आशा ही है क्योंकि यूनिवर्सिटी कोई फार्म तो है नहीं कि जो कर्जा दिया गया था वह वहां से मिल जायगा। वहां तो खर्चे में वृद्धि ही होगी न कि कमी। इस समय भी माननीय शिक्षा मंत्री ने मूथम कमेटी की चर्चा की और एक आक्षेप के रूप में कहा कि प्रयाग विश्वविद्यालय के अन्दर बड़ी गड़बड़ियां हुई हैं। मैंने मूथम कमेटी की रिपोर्ट पढ़ी है। मेरा प्रयाग विश्वविद्यालय से कई प्रकार का संबंध भी है। मैं वहां के कोर्ट का भी सदस्य हूं। इसलिये मेरा निवेदन है कि जहां मूथम कमेटी ने कुछ इररेगुलेरटीज के संबंध में चर्चा की है वहां मूथम कमेटी ने कुछ इररेगुलेरटीज के संबंध में चर्चा की है वहां मूथम कमेटी ने सरकार पर भी काफी दोष लगाये हैं। सरकार के ऊपर यह दोष लगाया है कि सरकार जितना रुपया उस समय देती थी जबकि १,८०० लड़के यूनिवर्सिटी में थे उसको देखते हुये सरकार ने उस रुपये में वृद्धि नहीं की है, जबकि वहां ६ हजार लड़के हो गये हैं मूथम कमेटी ने यह भी कहा है कि जितने वहां पर अध्यापक होने चाहिये उतने नहीं हैं। जितने वहां पर बोर्डिंग हाउसेज होने चाहिये उनमें बहुत कमी है। जितने

जितने खेलकूद के साधन होने चाहिये उनमें भी कमी है। और जिस प्रकार की लाइब्रेरी होनी चाहिये वह भी नहीं है। तो जहां सरकार सूथम कमेटी की एक बात पकड़ लेती है वहां सरकार के पास दूसरी बातों के लिये क्या उत्तर है? मैं यह निवेदन करूंगा कि हम अपने विश्वविद्यालयों को चाहे वह प्रयाग हो, चाहे वह लखनऊ हो यदि उचित रूप से आर्थिक सहायता नहीं देंगे तो हम यूनिवर्सिटियों में वह साधन नहीं रख सकेंगे जिससे कि हमारे विद्यार्थी वैज्ञानिक क्षेत्र में या साहित्य के क्षेत्र में अच्छी से अच्छी शिक्षा पा सकें और संसार से टक्कर ले सकें और इससे हमारा एक प्रकार का अहित ही होगा। तो मैं यह निवेदन करूंगा कि सरकार विश्वविद्यालयों के ऊपर विशेष रूप से ध्यान दे और जहां तक मुमकिन हो सके उनके खर्चे के मुताबिक रुपया देने में उदारता से काम लें।

जहां तक सरकार की योजना देहात के स्कूलों में कृषि के शिक्षा के संबंध में है वह बहुत ही सुन्दर है और मैं आशा करता हूं कि वह सफल होगी। जहां तक ग्रांट का सम्बन्ध है मेरा निवेदन यह है जहां सरकार और संस्थाओं को ग्रांट देती है वहां कुछ संस्थायें ऐसी भी हैं जिनको न मालूम क्यों सरकार ने ग्रांट देना बन्द कर दिया है। इस सम्बन्ध में मैं प्रयाग की हिन्दुस्तानी ऐकेडेमी की तरफ ध्यान आकर्षित करता हूं। मेरा उससे सम्बन्ध है और मैं वहां का सदस्य भी हूं। जो कुछ भी सरकार से उसकी लिखा पढ़ी हुई है वह मेरी जानकारी में है। मैं निवेदन करूंगा कि हिन्दुस्तानी ऐकेडेमी एक ऐसी संस्था है जिसको सहायता न देना एक प्रकार से अनुचित ही है। दूसरा मेरा निवेदन प्रयाग म्यूजियम के सम्बन्ध में है। वह हमारे यहां पहले म्युनिसिलिपैलटी के अन्तर्गत था और अब भी म्युनिसिपैलटी के अन्तर्गत है। मेरी समझ में नहीं आता कि जहां सरकार ने और संस्थाओं को ग्रांट दी है वहां प्रयाग की के म्यूजियम को ग्रांट क्यों नहीं दी। इस सम्बन्ध में मैं यह भी निवेदन करूंगा कि कौशाम्बी में जो खुदाई हुई उसको ऐक्सकैवेशन कहा जाता है, लेकिन मेरा विचार यह है कि उचित रूप से ऐक्सकैवेशन होता तो उसकी रिपोर्ट निकलती। अभी तक रिपोर्ट नहीं निकली है। बहुत सा रुपया खर्च हो चुका है। वहां खुदाई से जो सामग्रियां निकली हैं उनको लखनऊ लाया जा रहा है, दिल्ली भेजा जा रहा है। यह भी मेरे ख्याल से प्रयाग के प्रति अन्याय है। प्रयाग के साथ ब्रिटिश गवर्नमेंट ने भी बहुत काफी जुल्म किये हैं और मैं कम अज कम अपनी सरकार से यह आशा नहीं करूंगा कि वह हमारे शहर के साथ उसी प्रकार का बर्ताव करे जैसा कि अंग्रेजी सरकार किया करती थी। मेरा निवेदन है कि कौशाम्बी में जो वस्तुएं निकली हैं वे प्रयाग में जो म्युनिसिपैलटी का म्युजियम है उसी को दी जांय।

इस शब्दों के साथ मैं सरकार की जो-जो शिक्षा सम्बन्धी योजनाएं हैं उनकी सफलता की आशा करता हूं और शिक्षा मंत्री को बधाई देता हूं कि उन्होंने पिछले साल से इस साल में रुपये की वृद्धि की है। पहले लगभग साढ़े आठ करोड़ ५५ लाख रुपया का बजट था और इस साल ९ करोड़ ४७ लाख के ऊपर व्यय किया जा रहा है। यह एक प्रकार से शिक्षा क्षेत्र में उन्नति का सूचक है। लेकिन जैसा कि मैंने निवेदन किया है कि इस रुपये को अच्छी तरह से फैलाया जाय और विश्वविद्यालयों के ऊपर भी विशेष रूप से ध्यान दिया जाय।

†श्री देवदत मिश्र (जिला उन्नाव)--माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं शिक्षा मंत्री को शिक्षा के लिये अनुदान उपस्थित करने के निमित्त बधाई देता हूं। हमारे राज्य की शिक्षा की व्यवस्था जिस ढंग से पुनःसंगठित की जा रही है वह प्रशंनीय है। आवश्यकता इस बात की है कि हम पहले एक नतीजे पर आयें कि हमको अपने राज्य में किस प्रकर के नागरिकों को किस प्रकार की शिक्षा देनी है और वह शिक्षा राज्य के विकास में और राज्य की प्रगति मे कितना सहायक हो सकती है या नहीं हो सकती है। इन बातों का विचार करते हुये यह समझा जा सकता है कि कोई भी व्यवस्था जो काफी दिनों से चली आ रही है उसमें आमूल परिवर्तन एकाएक नहीं

† वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री देवदत्त मिश्र]

किया जा सकता। एकाएक इस प्रकार का आमूल परिवर्तन आज के दिन करना संभव नहीं है किन्तु उस दिशा में हम कदम उठा रहे हों तो हमको यह समझना चाहिये कि हमारा लक्ष्य राज्य के विकास की दृष्टि से नागरिक निर्माण करना है। मैं विरोधी दल से अनुरोध करूंगा कि वे जरा शान्ति के साथ सुनने की सहिष्णता दिखायें। उन्हें भी अवसर मिलेगा। जैसा अभी माननीय काटजू जी ने कहा कि शिक्षा में समान रूप से व्यय करने की आवश्यकता है, मैं उनके इस मत से भिन्न मत रखता हूं क्योंकि आरम्भिक शिक्षा में जितना अधिक व्यय किया जायगा उतना ही अधिक उच्चतर शिक्षा के लिये विद्यार्थियों को तैयार कर सकते हैं। अभी तक हमने देखा कि विदेशी हुकूमत के जमाने में प्राथमिक शिक्षा में जो खर्च किया जाता था वह नाम मात्र का था। हमारी कांग्रेस सरकार के आने पर जो प्रारम्भिक शिक्षा में व्यय किया गया उसका अनुपात यदि देखा जाय तो उससे स्पष्ट होगा कि हमने प्रारम्भिक शिक्षा को सर्वाधिक महत्व दिया और दिया जाना चाहिये। एक विद्यार्थी को केवल पढा देना ही पर्याप्त नहीं है। उसके बौद्धिक, वैज्ञानिक, मनोवैज्ञानिक सामाजिक एवं भावी जीवन के लिये जिस प्रकार की उपयोगी शिक्षाओं की आवश्यकता है उनकी तरफ दिलचस्पी पैदा करने की प्रवृत्ति के लिये आप देखेंगे कि हमारी इस सरकार ने पुनर्संगठन का कार्य लिया और तब से उसने प्रारम्भिक शिक्षा और माध्यमिक शिक्षा इन दोनों ही के लिये अन्दर इस प्रकार की व्यवस्था की। आप जानते हैं कि इस प्रकार की व्यवस्था के लिये हमें अनुकूल पाठ्यक्रमों की आवश्यकता है, अनुकूल अध्यापकों की आवश्यकता है, अनुकूल वातावरण निर्माण करने की आवश्यकता है। बिना इन कामों के, जो स्पेड वर्क्स हैं, यदि कोई भी व्यवस्था परिवर्तित की जाय तो वह चल नहीं सकती। हमने देखा कि शिक्षा व्यवस्था में इस बात की व्यवस्था की गई है कि अनुकूल पाठ्यक्रम बनवाये जायं और उनके लिये अच्छे-अच्छे शिक्षा विभाग के जो अनुभवी लोग थे उनका सहयोग प्राप्त करके अनुकूल पाठ्यक्रमों का निर्माण कराया गया। मनोवैज्ञानिक शिक्षा देने के लिए छोटे-छोटे बालकों को आरम्भ से ही उनकी जो वृत्तियां हैं वे सब विकसित होती चली जायं और आगे चल कर वे सुनागरिक बन सकें इसके लिये मनोवैज्ञानिक सेंटर्स खोले गये। यह ठीक है कि अभी वे पर्याप्त मात्रा में नहीं हैं, किन्तु जैसा कि माननीय मंत्री जी ने आश्वासन दिया है, इसका भविष्य में विस्तार होगा।

हमारे कुछ मित्रों ने यह कहा कि विद्यालयों में खासकर विश्वविद्यालयों में राजनीति की चर्चा की और कहा कि कांग्रेस की राजनीति तो टालरेट की जाती है, लेकिन दूसरे दलों की राजनीति टालरेट नहीं की जाती है। हमारा ऐसा ख्याल है कि यह लांछन पैर नहीं रखता खड़ा होने के लिये क्योंकि आज यदि विश्वविद्यालयों की स्थिति देखी जाय तो वहां पर छात्रान्दोलन के नाम से दूसरे दल जिस प्रकार से राजनीतिक दिलचस्पी पैदा कर रहे हैं वे स्वयं इस बात को समझते होंगे कि जिम्मेदारी किस की है। वैसे कांग्रेसियों का संबंध होना तो स्वाभाविक ही है क्योंकि शासन उनके हाथ में है और किसी भी विश्वविद्यालय या विद्यालय से यदि उनका प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष संबंध होता है तो वह राजनीतिक दिलचस्पी के कारण नहीं बल्कि जो उत्तरदायित्व उनके हाथ में है उसके निर्वाह के कारण उनसे सम्पर्क होना स्वाभाविक है। कल अगर ऐसा दिन आये कि समाजवादी दल के हाथ में शासन आये तो उनका भी सम्पर्क उनसे इतना ही होगा।

एक बात की तरफ मैं माननीय मंत्री का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। जिला बोर्डों को शिक्षा के लिये काफी ग्रांट्स दी गई हैं और दी जायंगी, ऐसा आश्वासन भी दिया गया है। किन्तु मैं यह चाहता हूं कि उसमें इयरमार्क करना चाहिये। मैं अपने जिले की एक बात बतलाता हूं कि आज जिला बोर्ड का शायद ही कोई स्कूल ऐसा हो जिसकी इमारत इस प्रकार की हो कि जो कुछ दिन और चल सके। बहुत सी इमारतें ऐसी हैं जो भग्नप्राय हैं और जिला-बोर्ड उनकी मरम्मत करने के लिये भी पैसा खर्च नहीं कर सकते हैं। इस प्रकार की स्थिति जो है उसके लिये मैं चाहूंगा कि माननीय मंत्री यदि इस प्रकार के जिस जिला बोर्ड को प्रारम्भिक

शिक्षा के लिये या माध्यमिक शिक्षा के लिये जो सहायता देते हैं उसमें से कुछ रकम इमारतों की मरम्मत के लिये सुरक्षित कर दें तो ठीक होगा । अन्यथा, यदि इमारतें गिर गईं तो उनका बनाना बहुत मुश्किल होगा और हमारा ऐसा ख्याल है कि शिक्षा की प्रगति रुकेगी ।

माननीय बालेन्दुशाह ने स्पोर्ट्स के लिये जिक्र किया था । मैं भी उनके साथ सहमत हूं । खेल की तरफ प्रोत्साहन अधिक दिया जाना चाहिये, लेकिन मैं माननीय शिक्षा मंत्री से अनुरोध करूंगा कि जो प्राइवेट कालेजेज और स्कूल्स हैं वे काफी अच्छी रकम स्पोर्टस के नाम पर लिया करते हैं । वह रकम कहां जाती है और उसका क्या होता है । इसकी तरफ अगर वह ध्यान दें तो हमारा ख्याल है कि हमको राज्य की तरफ से उस संबंध में ज्यादा खर्च करने की जरूरत नहीं, स्कूल और कालेज का जो फंड है उसी से हम अपने राज्य में ज्यादा स्पोर्टस का विकास कर सकते हैं ।

अब इसके बाद कुछ भाइयों ने आर्य प्रतिनिधि सभा की सहायता की बात कही । आर्य प्रतिनिधि सभा को सहायता जरूर दी जाती है, लेकिन किसी धार्मिक विशेष संस्था को नहीं दी जाती है । मेरा ऐसा ख्याल है कि आर्य प्रतिनिध सभा किसी धर्म विशेष की संस्था नहीं है वह एक सामाजिक संस्था है । लेकिन वह धर्मविशेष की संस्था नहीं है और आर्य प्रतिनिधि सभा ने शिक्षा के लिये जितना कार्य किया है हमारे इस राज्य में और दूसरे राज्यों में, हमको उनका कृतज्ञ होना चाहिये । विदेशी हुकूमत के जमाने में शिक्षा पर जितना सरकार खर्चा करती थी उससे कहीं ज्यादा आर्य प्रतिनिधि सभा शिक्षा में खर्च किया करती थी । गुरुकुल कांगड़ी, गुरुकुल महाविद्यालय है जोकि गुरुकुल सभा द्वारा संचालित विद्यालय हैं जिन्होंने देश के विकास और स्वतंत्रता आन्दोलन में देश के उन नौजवानों का निर्माण किया है जिनमें कोई मजहबी तास्सुब नहीं, कोई साम्प्रदायिक भावना नहीं । राष्ट्रीय भावना को जागृत करने वाली इस प्रकार की जो संस्थायें हैं उनको यदि कोई सहायता दी जाती है तो हमारा ख्याल है कि विरोधी दल उसमें उदारता से काम लेगा । इतना ही मेरा निवेदन है ।

श्री बंशीदास धनगर (जिला मैनपुरी)—श्रीमान् उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से आज जो हमारे भवन के सामने प्रस्ताव है, मैं समझता हूं मैं उसके आमूल विरोध के लिये खड़ा हूं । मैंने शायद साढ़े दस वर्ष की स्कूल शिक्षा पाई और २१ वर्ष मैंने अध्यापन का कार्य किया । बीस इक्कीस वर्ष के और साढ़े दस वर्ष के अनुभव के हिसाब से मैं कह सकता हूं कि हमारे देश की जो शिक्षा है उसके बजट के लिये जो इस वक्त रुपया दिया जाना मंजूर किया गया है उससे दुगना, तिगुना या कुल बजट का आधा रुपया भी इस बजट के लिये दे दिया जाय तब भी हमारी शिक्षा में जो आजकल चल रही है उसमें कतई कोई फायदा देश को नहीं हो सकता । मैं इसके लिये एक शिक्षा सिद्धांत शास्त्री का एक कोटेशन आपके सामने रखूंगा । जबकि मैं ट्रेनिंग कालेज में था, वहां पर एक किताब में लिखा था और उस शिक्षा सिद्धांती ने कहा है कि "आई सा होलसेल करप्शन इन इंडियन एजूकेशन" । यह उस समय का रिमार्क है जबकि यहां ब्रिटिश हुकूमत थी । मैं नहीं समझता हूं कि उस समय की शिक्षा परिपाटी में और शिक्षा सिद्धांतों में और जिस प्रकार की शिक्षा कि हमारे देश और इस यू० पी० सरकार में चल रही है उसमें किसी प्रकार का कोई भी परिवर्तन है । करप्शन जो उस वक्त शिक्षा विभाग में था तो इस समय उससे कहीं ज्यादा है । हमारे शिक्षा विभाग के सारे आदमी चाहे पढ़े-लिखे हों, जो शिक्षा विभाग के या दूसरे मुहकमों के नौकर और सर्विस के हों और इसके अलावा जितने पढ़े लिखे लोग हैं इस विभाग के और दूसरे विभागों के, वे रिश्वत लेते हैं, पक्षपात करते हैं चाहे वह मिनिस्टर हैं, चाहे वह एम० एल० ए० हैं, चाहे किसी विभाग के अध्यक्ष हैं, चाहे साधारण कोटि के अधिकारी हैं, तो मैं समझता हूं कि इस देश की शिक्षा बिलकुल निर्मूल है और व्यर्थ है । क्यों ? जिस वक्त कि हम शिक्षा के सिद्धांत की किताबों को पढ़ते हैं तो शिक्षा के सिद्धांत में यह कहा गया है कि यह शिक्षा इन आधारों पर होनी चाहिये कि "मेंटल, मारेल एन्ड फिजिकल डेवलपमेंट आफ ए मैन" यानी आत्मिक, शारीरिक और बुद्धि विकास के लिये हमारी शिक्षा है । जब इस तरफ से हम देखते हैं तो हमारी शिक्षा में

[श्री बंशीदास बत्तगर]

एक बड़े आमूल परिवर्तन की जरूरत है। उसकी तरफ हमारी सरकार का ध्यान नहीं है और मैं साफ-साफ कहूंगा कि हमारे जो पदाधिकारी हैं, जो परोक्ष विधि में पदाधिकारी हैं, चाहे वह मिनिस्टर हों या कोई हों उनका शायद ध्यान इस ओर न हो। न उनको इसकी परवाह है और न शायद जरूरत है और न शायद वह महसूस करते हैं कि आमूल परिवर्तन के मानी क्या हैं। जहां तक मैंने महसूस किया लोग एक तोता रटंत में पड़े हुये हैं। आमूल परिवर्तन का मानी क्या है? यहां पर सीधा सा मतलब यह है कि वह शिक्षा व्यर्थ है जिस शिक्षा से हमारे देश का नागरिक अगर शिक्षा प्राप्त करने के बाद नौकरी की तलाश करता है तो उसे नौकरी नहीं मिल सकती है और नौकरी ही क्या अगर वह देश के विकास में फिट इन नहीं हो सकता है तो वह शिक्षा व्यर्थ है। मैं यह कहूंगा कि पूर्ण या उच्च से उच्च शिक्षा पाये हुये बहुत से लोग मौजूद हैं यहां पर हमारे लेजिस्लेटर्स हैं, तनख्वाह पाते हैं, या जो इसके पहले वह तनख्वाह पाते थे जिस सर्विस में थे वहां या जिस सर्विस की तलाश में थे, अगर उस शिक्षा से वे इतना पैसा नहीं पा सकते कि अपनी तालीम को जस्टीफाइ कर सकें तो मैं समझता हूं कि वह सब शिक्षा व्यर्थ है, वह शिक्षा व्यभिचारी शिक्षा है, उस शिक्षा से कोई फायदा नहीं है।

आज हमारे सामने इतना बड़ा अनइम्प्लायमेंट का क्वेश्चन है। दूसरे देशों की शिक्षा से यदि हम आज अपने देश की शिक्षा को मिलायें तो हमें मालूम पड़ेगा कि सारे देशों में एक ही देश है जहां वह शिक्षा दी जाती है कि जिससे वहांके पढ़े-लिखे लोगों को जरूरत नहीं है कि वह नौकरी ढूढ़ें वह शिक्षा है जापान की है। इसके अलावा यदि हम देखते हैं अमेरिका की शिक्षा और दूसरों की शिक्षा तो उसमें भी बड़ी जबरदस्त हम बनावट पाते हैं। यह शिक्षा उस देश के विकास के हिसाब की नहीं कही जा सकती जैसी कि हम जापान में देखते हैं। आज जब यहां की शिक्षा को हम देखते हैं तो यहां की शिक्षा तो उसके सामने पसंगे में तुल जायगी। यह शिक्षा बिलकुल निकम्मी शिक्षा है जिससे कि देश के नागरिक का कुछ भी फायदा नहीं होता और इस शिक्षा को पाये हुये लोग देश के विकास के साथ-साथ कदम नहीं रख सकते।

इसलिये मैं यह कहता हूं कि शिक्षा विभाग में सबसे ज्यादा आमूल परिवर्तन की जरूरत है और उसकी खास वजह यह है कि यहां सभी लोग कहते हैं कि यह देश खेतिहर है, इसका विकास खेतिहर हिसाब से होना चाहिये तो इसकी शिक्षा भी खेतिहर हिसाब से होनी चाहिये। हमारे शिक्षा मंत्री दूसरी तरफ कहेंगे कि अब ३,२०० आदमियों की एक पलटन की भर्ती हम करने जारहे हैं जिसमें उस शिक्षा के पढ़े लिखे लोग लिये जायेंगे जो कि कृषि पढ़े हुये हैं, वह ऐग्रीकल्चरल कालेज में शिक्षा पाये हुये लोग होंगे, अब तो शिक्षा देश के विकास के मुताबिक ठीक होगी? मैं कहूंगा कि वह लोग और भी इस देश के विकास के लिये निकम्मे साबित होंगे। इसके लिये मैं एक सीधा सा उदाहरण आपके सामने रखना चाहता हूं कि मैं एक किसान का बालक हूं, शायद मैं ही एक पहला आदमी हूं, ५० पीढ़ियों में अपने खानदान की कि जिसने हाई स्कूल तक की तालीम पाई और फिर एफ० ए०, बी० ए० की शिक्षा ग्राइवेट तो प्राप्त की। इन सबके आधार पर मैं यह कह सकता हूं कि यह सब तालीम हमारी उस खेती के लिये व्यर्थ है।

मैंने ६ नौकरियां करके हर नौकरी से इस्तीफा इसलिये दिया कि ये सारे पढ़े-लिखे लोग जानबूझकर जातिपक्ष करते हैं। मैं हर तरह की सरकारी और गैर सरकारी नौकरी में रहा, शिक्षा विभाग में भी रहा, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के शिक्षा विभाग में भी रहा, सभी नौकरियों में रहा लेकिन जहां भी देखा वहां यह हालत है कि पढ़े लिखे लोग, बड़े-बड़े प्रोफेसर्स यहां तक कि डाइरेक्टर, यहां के इंस्पेक्टर आफ स्कूल्स, यहां के उस वक्त के मिनिस्टर मैंने देखा कि सारे के सारे एक जातीय पक्षपात में इस कदर सने हुये हैं कि कुछ कहा नहीं जा सकता जब तक हम एक शिक्षित आदमी में इतना महत्व नहीं पैदा करते हैं कि मेंटल, मारल और फिजिकल एजुकेशन की तरफ उसे ले जायं, तब तक वह शिक्षा व्यर्थ की बात है। यह रुपया सारे का सारा व्यर्थ में बरबाद हो रहा है। जहां तक इसके लिये राय देना चाहता हूं कि शिक्षा कैसी होनी चाहिये तो मैं कहूंगा कि वह शिक्षा ऐसी होनी चाहिये जो कि बिलकुल खेती के विकास में सहायक हो। मैंने जब नौकरियों से इस्तीफे दे दिये तो मैंने यह निश्चय किया कि मैं अपने

लड़कों को और बाकी खानदान के लोगों को थोड़ा पढ़ा-लिखा कर नौकरी नहीं कराऊंगा। मैंने थोड़ी बहुत तालीम के बाद अपने लड़के को एग्रीकल्चरल स्कूल में भेजा। पांच ऐग्रीकल्चरल स्कूल थे मैंने पांचों को देखा और मैंने सबसे अच्छा स्कूल बुलन्दशहर को पाया।

श्री धर्म सिंह (जिला बुलन्दशहर)--माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं शिक्षा मंत्री को धन्यवाद देता हूं कि आज उन्होंने इस बजट को पेश करते समय बहुत सी बातों का ध्यान रखा। किसी देश के लिये शिक्षा का स्थान बहुत महत्वपूर्ण होता है। जिस समाज में हम रहते हैं अगर उस समाज की दशा को सुधारने के लिये शिक्षा को उठाने का प्रयत्न नहीं किया जाता है तो वह समाज नीचे चला जाता है। और उस वातावरण में वह देश भी गड्ढे में चला जाता है।

जहां तक हमारे प्रदेश की शिक्षा का संबंध है। हमारे प्रदेश की शिक्षा तीन भागों में विभाजित की जा सकती है प्राइमरी, हायर सेकेंड्री और यूनिवर्सिटी। लेकिन जब मैं यह देखता हूं कि शुरुआत में जैसा कि माननीय शिक्षा मंत्री जी ने कहा था कि हमारी एक पालिसी थी बहुत से स्कूल खोलने की, लेकिन उसके साथ ही साथ वह किस प्रकार इस बात का निर्णय करने लगे कि हमारी प्राइमरी शिक्षा जिस प्रकार व्यापक बनायी थी उस प्रकार से व्यापक नहीं रहेगी। शिक्षा के संबंध में एक बड़ी ही उत्तम बात यह हुई है कि प्राइमरी एजूकेशन के लिये और उसके बाद जूनियर हाई स्कूलों के लिये मैं समझता हूं कि एक क्रांतिकारी कदम है जैसा कि शिक्षा मंत्री जी ने कहा। लेकिन मुझे शक होता है, जब मैं पश्चिमी जिलों की बात करता हूं जहां पर भूमि प्राप्त करना बहुत कठिन कार्य है। मैं शिक्षा मंत्री जी से इस संबंध में निवेदन करना चाहता हूं कि चकबन्दी योजना में या इसके अलावा कोई इस प्रकार का विधेयक लाते जिससे जमीन प्राप्त होती। वहां पर एक बीघा जमीन लेना कितना कठिन है। हो सकता है कि उन ३२ सौ अध्यापकों के लिये कुछ ऊसर या बंजर जमीन मिल जाय। और मान लीजिये जमीन मिल भी जाय तो जो प्राइमरी स्कूलों में पढ़ने वाले विद्यार्थी हैं जिन की उम्र १२ वर्ष से कम होती है वहां पर क्या करेंगे। क्या वह अध्यापक उनके लिये हल की व्यवस्था करेंगे? या बैलों का आयोजन करेंगे? यह मेरी समझ में बिलकुल नहीं आ सका, कहने का अभिप्राय यह है कि हर समाज के उठाने के लिये शिक्षा का जहां तक संबंध है बहुत ही नियम होने चाहिये। अंग्रेजों ने हमारे यहां शिक्षा की जो नींव डाली थी वह इसलिये कि वह अपने शासन को कायम रखना चाहते थे। लेकिन मैं देखता हूं अब जब कि हमारी सरकार है, प्रजातंत्र है, हम यहां पर जनता के प्रतिनिधि हैं, वहां पर प्राइवेट स्कूलों और सरकारी स्कूलों के मुकाबिले में सौतेली मां जैसा बरताव होता है। मेरी समझ में यह बात नहीं आती कि किस तरह हम लोग शिक्षा की तरफ बढ़ रहे हैं। मैं देखता हूं कि प्राइवेट स्कूलों के या मंजूरशुदा स्कूलों के अध्यापकों के मुकाबिले में गवर्नमेंट स्कूलों के अध्यापकों को वेतन अधिक मिलता है, डी० ए० अधिक मिलता है। मैं माननीय शिक्षा मंत्री जी से प्रार्थना करता हूं कि वह इस प्रकार के सौतेली मां के व्यवहार को दूर करें।

उपाध्यक्ष महोदय, इसके बाद मैं माननीय शिक्षा मंत्री जी का ध्यान हायर सेकेंड्री स्कूल या कालेजेज की ओर दिलाना चाहता हूं। मैं देखता हूं कि छोटे-छोटे बालकों में रोज जन संघी अथवा कम्यूनिस्ट मनोवृत्ति का प्रचार किया जाता है। मैं खुद जानता हूं कि बहुत से स्कूलों में जहां जन संघी मास्टर साहबान हैं वे अपने विद्यार्थियों को वहां की शाखाओं में भेजते हैं। एक तरफ तो हम यह कहते हैं कि विद्यार्थियों को राजनीति में हिस्सा न लेना चाहिये लेकिन दूसरी तरफ स्कूलों में जो जन संघी मास्टर विद्यार्थियों को पढाते हैं और २४ घंटे उनके साथ रहते हैं वे उनके दिमागों में जहर भरते रहते हैं। मेरी समझ में यह नहीं आता कि शिक्षा मंत्री की तरफ से इसको रोकने के लिये कोई कदम नहीं उठाया जाता। मैं यह नहीं कहता कि उनको कांग्रेस का या सत्तारूढ़ पार्टी का उपदेश दिया जाय, लेकिन साथ ही जो जनसंघी या कम्युनिज्म का राजनैतिक अखाड़ा वहां बना हुआ है उस प्रकार के वातावरण को भी न रहना चाहिये और मैं माननीय शिक्षा मंत्री से प्रार्थना करूंगा कि वह इसको बदलें और ऐसी संस्थाओं की ऐड बिलकुल बन्द कर दें।

[श्री धर्म सिंह]

एक बात मैं और अर्ज कर देना चाहता हूं। बड़ा दुःख का विषय है कि आज विद्यार्थियों में अनुशासनहीनता बढ़ रही है। अगर किसी बच्चे को नकल करने से रोका जाय तो वहां छुरा भोंकने की नौबत आ जाय तो मेरी समझ में नहीं आता कि बच्चे किस प्रकार से अपना मेंटल डेवलपमेंट शिक्षा के द्वारा कर सकते हैं। इसलिये जहां अनुशासनहीनता की बात हो, उस तरफ सरकार ध्यान न दे तो ९ करोड़ रुपया बजट में रखने से और यहां पर उसके सम्बन्ध में बहस करने से कोई लाभ न होगा।

उपाध्यक्ष महोदय, इतना ही नहीं, आज नैतिक पतन भी इतना हो चला है जिसका कोई अन्दाजा नहीं लगाया जा सकता। मैं बुलन्दशहर जिले के डिस्ट्रिक्ट बोर्ड की ओर शिक्षा मंत्री का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। कई बार अधिकारियों को लिख कर दिया गया, शिक्षा मंत्री को लिख कर दिया गया कि बुलन्दशहर डिस्ट्रिक्ट बोर्ड की कुल आमदनी १३ लाख रुपये की है और उसमें से ९ लाख रुपया वहां का डिस्ट्रिक्ट बोर्ड एजूकेशन पर खर्च कर रहा है। मुझे दुख होता है कि जब दूसरे डिस्ट्रिक्ट बोर्डस को ९०, ८० और ७० फीसदी ग्रांट इन ऐड दी जाती है तो बुलन्दशहर डिस्ट्रिक्ट बोर्ड को इतनी कम ग्रांट क्यों दी जाती है कि उसका गुजारा नहीं हो पाता और जो डेवलपमेंट के कार्य डिस्ट्रिक्ट बोर्ड द्वारा होने चाहिये वे नहीं हो पाते। माननीय शिक्षा मंत्री इस ओर ध्यान दें और जो उचित बात हो उसे किया जाय।

अन्त में मैं एक बात यह कह देना चाहता हूं कि शिक्षा के संबंध में जो कदम उठाया जाय वह ठोस कदम होना चाहिये। हम कभी प्राइमरी शिक्षा शुरू करते हैं और फिर उसे बन्द कर देते हैं। कभी इस प्रकार का वातावरण लाते हैं और कभी उस प्रकार का वातावरण लाते हैं। आज जिस प्रकार की एजूकेशन को प्रारम्भ करने की बात की जा रही है उसका असर २० साल में होगा। इसलिये हमें सोच समझ कर कोई ठोस कदम इस दिशा में बढ़ाना चाहिये।

श्री उमाशंकर मिश्र (जिला बाराबंकी)—श्रीमान् उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस अनुदान का समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। शिक्षा के सम्बन्ध में मुझे यह कहना है कि विद्या जो है वह मनुष्य का भूषण है। यदि भूषण पहनते न बने तो वही भूषण दूषण हो जाता है। विद्या ज्ञान को प्रखर करती है। विद्या की शोभा विवेक से होती है। यदि विद्या के अन्दर विवेक नहीं है तो वह विद्या अधूरी रह जाती है और वास्तव में जो लाभ होना चाहिये वह लाभ नहीं हो पाता। विवेक प्राप्त करने के लिये आवश्यकता होती है, अच्छी संगति की। बैठने-उठने और दिनचर्या ठीक प्रकार की हो तो हम उस स्थिति में रहकर उससे ज्ञानार्जन का लाभ उठा सकते हैं। हम आजकाल इसके विपरीत देखते हैं। वास्तव में विद्या से जो लाभ होना चाहिये वह लाभ नहीं हो रहा है। हमारी अमूल्य निधि राजनैतिक आजादी हमको मिल गयी है उसको महात्मा गान्धी जी ने हमको दिलाया है। अभी सामाजिक और आर्थिक आजादी और हमको प्राप्त करना है तभी हमारा समाज बन सकता है और तभी व्यक्ति भी बन सकता है। अगर व्यक्ति नहीं बनता है तो समाज भी नहीं बन सकता है और फिर देश का कल्याण भी नहीं हो सकता है। व्यक्ति बनने के लिये आवश्यकता है कि आदर्श को सामने रखकर उस पर दृढ़ता से चला जाय। हमारे यहां चार आश्रम इसी कारण से बनाये गये हैं। ब्रम्हचर्य, ग्रहस्थ, बानप्रस्थ और सन्यास। ब्रम्हचर्य आश्रम में रहकर विद्यार्थी २५ साल तक विद्या अध्ययन करता था और विद्या भी उचित ढंग से दी जाती थी जिसका उदाहरण रामचरित मानस में आज भी मिलता है "गुरु गृह पढ़न गये रघुराई। अल्पकाल विद्या सब पाई"। मैं किसी कि सुनी हुयी बात नहीं कहता हूं अपनी आंखों देखी बात कहता हूं। "कहौं न कछु करि जुगुति विशेषी, यह सब मैं निज नयनन देखी।" आप जब भी नैमिषारण्य में जाकर देखिये कि वहां पर स्वामी नारदानन्द जी एक विद्यालय चला रहे हैं। वहां पर आप देखें कि किस प्रकार की शिक्षा दी जाती है। मैंने वहां पर जाकर देखा है कि विद्यार्थी अतिथि को आकर दंडवत प्रणाम करते

हैं। उनसे पूछते हैं कि कहां से आये हैं और किस प्रयोजन से आये हैं और बहुत भली प्रकार सद्व्यवहार करते हैं। आपकी शिक्षा में और उस शिक्षा में जमीन आसमान का अन्तर पाया जाता है। मैं आपको आदर्श की बात बतलाता हूं कि हमारे जो पूज्य महात्मा गान्धी थे जिन्होंने इस देश को आजादी दिलायी है वह इस देश में रामराज्य की स्थापना करना चाहते थे जिससे प्रत्येक आदमी सुख और शान्ति से यहां पर रह सके। रामचरित मानस में यह कहा गया है कि रामचन्द्र जी को वहां की प्रजा ने चुनकर राजा की गद्दी पर बिठलाया था। "जो पंचहि मत लागै निका, करौ राम कह सुन्दर टीका।" वहां पर पंचायत का राज्य था और उस पंचायती राज्य की उस समय कितनी सुन्दर शैली थी इसका भी हमको रामायण में उदाहरण मिलता है। आजकल गुरु लोग विद्यार्थियों के घर पर पढ़ाने के लिये जाते हैं फिर भी विद्यार्थियों को विद्या नहीं आती है। किन्तु प्राचीन काल में विद्यार्थी गुरुओं के आश्रम पर विद्या अध्ययन करने जाते हैं। आजकाल हम समाज में देखते हैं कि प्रत्येक मनुष्य शान्ति और सुख चाहता है, लेकिन वह शान्ति के रास्ते पर नहीं चलता है। फिर हम कैसे अपनी उन्नति कर सकते हैं और अपने देश को कैसे ऊपर उठा सकते हैं। हमारा भारतवर्ष कभी दुनिया में गुरू समझा जाता था यहां पर दुनियां के कोने-कोने से विद्या अध्ययन करने के लिये लोग आते थे और अपने वहां जाकर फिर उसका प्रचार करते थे। आज हमारी सरकार बराबर इस बात का प्रयत्न कर रही है कि हमारे विद्यार्थी ऐसे ही योग्य बनें। किन्तु जो शिक्षा उनको दी जाती रही है वह ठीक नहीं है। उससे उन्नति होना कुछ कठिन है वह संसार के लिये प्रकाश नहीं दे सकती। उस विद्या के अन्दर संशोधन करने की जरूरत है। हमें अपनी उस प्राचीन विद्या पद्धति को फिर यहां पर लाना है। मैं आपको बतलाता हूं कि हमारे भारतवर्ष में विद्या का जिस स्थान से श्रीगणेश होता था अन्य देशों में उसका अन्त होता था। वहा पर हमारे देश का बहुत मान किया जाता था। आज हम उस विद्या को खो बैठे हैं। हमें अपने देश में उस आजादी के प्राप्त होने के बाद उस गुरुता और गौरव को स्थापित करना है और उस विद्या को जागृत करना है जो संसार को कल्याण का पथ दिखा सके।

इस सम्बन्ध में जो हमारी सरकार ने प्रगति की है वह मैं आपके सम्मुख रखना चाहता हूं। सन् १९४५-४६ में प्रारम्भिक पाठशालाओं की संख्या १९,०१७ थी और १९५१-५२ में वह ३२,४९९ हो गयी। उसी प्रकार प्रारम्भिक पाठशालाओं के छात्रों की संख्या ४५-४६ में १३,७१,००० थी तो वह ५१-५२ में जाकर २९,१९,९४० हो गयी। जूनियर हाई स्कूलों की संख्या १,६७६ थी और अब ३,०७१ हो गई है। इससे कम से कम हमारे बच्चे सद्विद्या ग्रहण करने के योग्य तो हो ही रहे हैं। मुझे इस बात का हर्ष होता है कि हमारा देश कृषि प्रधान देश होते हुये सरकार ने कृषि शिक्षा की ओर विशेष ध्यान दिया है। इसके लिये मैं उसको बधाई देता हूं। एक त्रुटि है जिसे दूर किया जाना चाहिये, शिक्षा और सद्विद्या श्रीगणेश भी बाल्य जीवन से ही होना चाहिये। रामचरित मानस में लिखा है कि "जिमि न नवे फिर उकट कुकाठू।" इसी तरह बच्चों का बाल्य जीवन न संभालने से फिर वह सूखे काठ की तरह संभाले या नवाये नहीं जा सकते हैं। बचपन की शैली बिगड़ जाने से तमाम जीवन खराब हो जाता है। बच्चों की संगति अच्छी होनी चाहिये। मुझे तो पूर्ण विश्वास है कि यदि हमारे विद्यार्थियों को नैतिक शिक्षा भी दी जाय तब भी देश की उन्नति होगी। हम देखते हैं कि हमारा लक्ष्य मानवी प्रगति से दानवी (मौलिक) प्रगति में चला गया है। भगवान श्रीकृष्ण ने अर्जुन से कहा था कि 'हे अर्जुन तू दानवी प्रकृति को छोड़कर मानवी प्रकृति को अपना, तो तेरी जीत होगी।' आज आप किसी विद्यालय में जावें तो विद्यार्थी ताली बजाते हैं। यह उनकी भूल न होकर शिक्षा पद्धति की भूल है। हमारे गुरुजन उनके दोषों को दूर नहीं कर पाते हैं। मैंने बाराबंकी जिले में देखा कि वहां एक डिप्टी इन्सपैक्टर ने विद्यार्थियों को हाई स्कूल की परीक्षा में टोक दिया कि तुम नकल क्यों करते हो। विद्यार्थियों ने रास्ते में जाकर उनके साथ दुर्व्यवहार किया और वह कुछ नहीं कर पाये। आज हमारा सारा समाज दूषित होगया है। ऐसी अवस्था में हमें अपने बच्चों को चरित्र-निर्माण की शिक्षा देनी चाहिये।

[श्री उमाशंकर मिश्र]

बालक और बालिकाओं की शिक्षा अलग-अलग होनी चाहिये वरना इससे दोष उत्पन्न होते हैं। बालिकाओं के समक्ष सती सीता, अनुसुइया, सावित्री आदि के आदर्श रखने चाहिये। महाराणी अनुसुइया ने ब्रह्मा, विष्णु और महेश जैसे जग निर्माताओं को बालक बनाकर छोड़ा है। आप चित्रकूट में जावें तो वहां स्मरण हो आता है कि उनके अन्दर कितना चरित्र था।

श्री दीनदयालु शास्त्री (जिला सहारनपुर)---श्रीमन्, हमारे शिक्षा मंत्री जी ने अपने भाषण में जो कुछ कहा है मैं उसके एक-एक शब्द का समर्थन करता हूं। किन्तु मैं विश्व-विद्यालयों के सम्बन्ध में यह चाहूंगा कि वह इस नीति को विस्तृत रूप दें। उन्होंने काशी में संस्कृत के विश्वविद्यालय और गोरखपुर में एक और विश्वविद्यालय स्थापित करने की बात कही है। मेरा ख्याल है कि आजकल सरकारी नीति का ऐसा रूप होगया है कि उसका ध्यान लखनऊ के पूरब की ओर जाता है, पश्चिम की ओर नहीं। गोरखपुर में विश्वविद्यालय की मांग शायद अभी हाल ही की है लेकिन मेरठ में विश्वविद्यालय की मांग पुरानी है। मेरा तो यह ख्याल है कि मेरठ का जो वर्तमान कालेज है उसमें सब फैकल्टीज की पढ़ाई होती है अगर उसको ही थोड़ा सा विस्तृत रूप दे दिया जाय तो बिना अधिक खर्च के ही वहां विश्वविद्यलय स्थापित किया जा सकता है। इसलिये मैं सुझाव दूंगा कि गोरखपुर और बनारस को छोड़कर आप पश्चिमी जिलों की ओर ध्यान दें। चाहे वहां बिजली जाय या न जाय, नहर जाय या न जाय लेकिन वहां पर शिक्षा का प्रसार अवश्य होना चाहिये। हमारे बहुत से भाई इस सदन में कहते हैं कि उच्च शिक्षा का प्रसार हमारे प्रांत के लिये लाभदायक नहीं है। मेरा ख्याल है कि हमारे प्रांत की आबादी ब्रिटेन की आबादी से सवाई है। वहां पर अगर ५ करोड़ आबादी है तो हमारे प्रांत की आबादी साढ़े छै करोड़ है लेकिन वहां जबकि दो दर्जन विश्वविद्यालय हैं यहां केवल ४-५ विश्व-विद्यालय ही हैं। अतः यहां पर दो तीन विश्वविद्यालय और बढ़ा दिये जाने चाहियें। इससे इस प्रांत का बहुत बड़ा उपकार होगा और कोई भी किसी प्रकार की फिजूलखर्ची नहीं होगी।

अब मैं बनारस संस्कृत शिक्षा परिषद् के बारे में कुछ कहना चाहता हूं मैं उसका दो वर्षों से सदस्य हूं। उसका अनुभव बतला कर मैं माननीय मंत्री जी से कहना चाहता हूँ कि यदि उसकी आवश्यकता नहीं है तो उसको तोड़ दीजिये लेकिन अगर आप उसकी आवश्यकता अनुभव करते हैं तो उसके जो निर्णय हों वे कार्यान्वित होने चाहिये। पिछले साल १७ मार्च को संस्कृत शिक्षा परिषद ने यह फैसला किया था कि जुलाई, १९५३ से नयी पाठ्य पद्धति जारी कर दी जाय यह निश्चय बहुमत से हुआ था। प्रिंसिपल महोदय जो परिषद के प्रधान हैं इस निर्णय को कार्यान्वित नहीं करना चाहते थे इसलिये उस मीटिंग में जो यह तय हुआ था कि पाठ्य पद्धति को अंतिम रूप देने के लिये अप्रैल में एक मीटिंग बुलाई जाय, उसको नहीं माना और अप्रैल में मीटिंग नहीं बुलाई और शिक्षा संचालक से खुद मिलकर यह निर्णय ले लिया कि सन् ५३ में वही पुरानी पाठ्य पद्धति जारी रहे। संस्कृत शिक्षा परिषद की दूसरी मीटिंग अगस्त में हुई और उसने इसका प्रोटेस्ट किया और कहा कि यह ठीक नहीं है। उसमें यह भी तय किया गया कि नवम्बर में पाठ्य पद्धति के लिये मीटिंग बुलाई जाय और जुलाई से नया पाठ्यक्रम शुरू कर दिया जाय, लेकिन प्रिंसिपल महोदय ने फिर भी वह मीटिंग नहीं बुलाई। कहा यह गया कि नयी शिक्षा परिषद् बन रही है उसके बनने पर फिर देखा जायगा। मैंने यह देखा कि वे अपनी तबियत के कुछ लोगों को ही शिक्षा परिषद में रखना चाहते हैं। इसलिये मंत्री महोदय से मेरा यह निवेदन है कि जो नयी पाठ्य पद्धति तैयार की गयी है उसको तुरन्त चालू किया जाना चाहिये।

मैंने यह भी देखा कि अरबी और फारसी के ५ इंसपेक्टर्स हैं जो भिन्न-भिन्न रीजन्स में रहते हैं, लेकिन संस्कृत के जो इंसपेक्टर्स हैं वे केवल बनारस में ही रहते हैं अगर उनको टेहरी-गढ़वाल या अल्मोड़े में किसी स्थान का निरीक्षण करना है तो न केवल उनको बड़ा लंबा भत्ता ही मिलता है किन्तु उनको वहां जाने में और काम देखने आदि में दिक्कतें होती हैं और वे ठीक

प्रकार से अपने निरीक्षण का कार्य नहीं कर पाते हैं। अतः इन निरीक्षकों का विभाजन होना चाहिये ताकि वे संस्कृत की शिक्षा पर अधिक ध्यान दे सकें।

बनारस राजकीय संस्कृत कालेज के प्रिंसिपल के बारे में सदन में आमतौर पर शिकायतें होती रहती हैं। पिछले वर्ष माननीय नेता विरोधीदल ने भी इस ओर कुछ संकेत किया था। मैं भी इस सदन में बहुत अधिक तो नहीं कहना चाहता लेकिन इतना अवश्य कहूंगा कि इस सम्बन्ध में शीघ्र ही कार्यवाही होनी चाहिये और यह भी पता किया जाना चाहिये कि राजकीय संस्कृत कालेज बनारस का जो स्टाफ है उसका तीन चौथाई केवल बलिया जिले का ही क्यों है और बाकी राज्य के जिलों का स्टाफ क्यों नहीं है। वहां जो गुटबन्दी है उसके कारण पढ़ाई में जो कमजोरी आ गयी है उस ओर भी ध्यान दिया जाना चाहिये। इसी प्रसंग में मुझे यह भी कहना है कि मुझ से पहले एक वक्ता ने कहा कि आर्य प्रतिनिधि सभा ने जो संस्थायें खोली हैं उनको मदद मिलनी चाहिये। मैं उसको यह रूप नहीं देता हूं। आर्य-प्रतिनिधि सभा ने जो कुछ किया, अच्छा किया। मैं तो केवल यह रूप देता हूं कि सन् ४७ से पहले जब कि यहाँ विदेशी शासन था कुछ संस्थायें ऐसी थीं जिन्होंने जानबूझ कर सरकारी मदद लेने से इन्कार किया था। उन्होंने एक व्रत धारण किया था, उन्होंने एक तपस्या का रूप ले लिया था और कहा था कि जब तक यहां विदेशी शासन है हम उनकी एक कौड़ी भी अपनी संस्था के लिये नहीं लेना चाहते हैं। मैं यह समझता हूं कि जब अपनी सरकार आयी तो उसका यह फर्ज था कि वह उन संस्थाओं की मदद करे और उनको कुछ न कुछ सहायता दे। लेकिन सन् ४७ से लेकर आज सन् ५४ तक हमारा शिक्षा विभाग सोच ही रहा है कि ऐसी संस्थाओं को मदद मिलनी चाहिये या नहीं मिलनी चाहिये। मैं उनमें की एक संस्था से सम्बन्ध रखता हूं और मुझे इस बात का गर्व है कि उस संस्था ने देश और जाति के कल्याण के लिये बहुत कुछ किया है। चाहे आप सहायता दें या न दें वह आगे भी अपना कार्य करती रहेंगी। इस सम्बन्ध में मैं यह भी कहूंगा कि सन् ४७ जहाँ हमारे देश में स्वतंत्रता लेकर आया वहाँ हमारे देश का विभाजन भी हुआ और यह सबको पता है कि गुरुकुल काँगड़ी का संचालन पंजाब की एक संस्था द्वारा होता था। पंजाब की उस संस्था का करीब-करीब सर्वनाश हो चुका है। इसलिये पहले जो यह समझते थे कि सरकार सहायता दे या न दे, हम जनता की सहायता लेते थे। अब चूंकि पंजाब की हालत खराब है इसलिये उस संस्था को वह मदद नहीं मिल पाती। इसलिये भी मैं यह चाहता हूं कि सरकार इस ओर ध्यान दे। यह नहीं कि कभी बिल्डिंग के लिये दो हजार दे दिया या कभी ४ हजार दे दिया बल्कि बाकायदा नियमपूर्वक आवर्त्तक अनुदान उसके नाम पर मिलना चाहिये।

इसके बाद मैं कुछ और संस्थाओं के लिये कहना चाहता हूं जिसका संकेत श्री देवदत्त जी ने किया है। हमारा अपना जिला सहारनपुर है जहाँ पर अब तक कोई भी डिग्री-कालेज नहीं है जब कि हमारे पड़ोसी जिलों में दो-दो डिग्री कालेज हैं। वहाँ हजारों की संख्या में लड़के पढ़ते हैं। पिछले दिनों आगरा विश्वविद्यालय ने सहारनपुर जिले में दो कालेजों के लिये डिग्री कालेज खोलने की स्वीकृति दे दी है, ऐसा मैंने सुना है। लेकिन उसका अन्तिम निर्णय सरकार को करना है। मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान इस ओर दिलाना चाहता हूं कि सहारनपुर बहुत बड़ा जिला है, सहारनपुर शहर भी बहुत बड़ा है और इसलिये वहाँ पर डिग्री कालेज की अत्यन्त आवश्यकता है। चाहे वह किसी कारण क्यों न हो, उनको इस ओर ध्यान देना चाहिये। मैं यह जानता हूं कि सरकार जो यह कहती है कि आज डिग्री कालेज की ज्यादा जरूरत नहीं रही लेकिन यह प्रश्न "हैव्ज और हैव नाट्ज" का है, "अस्ति और नास्ति" का है। और जगह न खोलें लेकिन जहाँ डिग्री कालेज नहीं है वहाँ तो खोलना ही चाहिये और इसलिये सहारनपुर में डिग्री कालेज अवश्य होना चाहिये और वह सन् ५४ की जुलाई में खुल जाना चाहिये। इसी तरह से ज्वालापुर की एक संस्था की बात है। मैं इस बात को समझ नहीं सका हूं कि

[श्री दीनदयालु शास्त्री]

स्कूलों को ग्रांट किस आधार पर, किस सिद्धान्त पर मिलती है। हरद्वार में शरणार्थियों की तादाद बहुत ज्यादा हो गयी तो सन् ४८ में वहाँ पर तीन हाई स्कूल खुले। इन तीन हाई स्कूलों में दो स्कूलों को तो ६-६ हजार रुपया वार्षिक अनुदान मिलता है लेकिन ज्वालापुर हाई स्कूल, जो उन्हीं के साथ ही खुला और जिसमें उन दोनों से ज्यादा लड़के पढ़ते हैं केवल २,४०० रु० वार्षिक अनुदान मिलता है और खास कर उस हालत में जब कि ज्वालापुर में एक चौथाई आबादी पंजाबी शरणार्थियों की है, एक चौथाई आबादी हरिजनों की है और एक चौथाई आबादी उन मुसलमानों की है जो सन् ४७ और ४८ में ज्वालापुर छोड़ कर चले गये थे। इसलिये मेरा यह सुझाव है कि ऐसे कस्बे में रहने वालों के लिये कम से कम उतना अनुदान तो जरूर मिलना ही चाहिये जितना पंचपुरों के और हाई स्कूलों को मिलता है। माननीय शिक्षा मंत्री जी ने जो योजना रखी और बहुत सी बातें कहीं उनका मैं समर्थन करता हूं और उसके लिये मैं उनको बधाई देता हूं।

श्री उपाध्यक्ष---श्री गंगाधर मैठाणी....

श्री भगवान सहाय (जिला शाहजहाँपुर)---आन ए प्वाइंट आफ आर्डर सर। मैं यह कहना चाहता हूं कि यदि सदस्यों का नाम किसी सूची द्वारा पुकारा जाता है तो उस सूची में कौन-कौन आदमी हैं, यह सदन को बतला दिया जाय ताकि सब बार-बार खड़े होने की जहमत न करें या अगर आप अपनी आँखों से ही पकड़ते हैं तो मैं आपकी व्यवस्था चाहता हूं।

श्री चन्द्रसिंह रावत (जिला गढ़वाल)---मैं भी इसका समर्थन करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष---मैं माननीय सदस्यों को बतला देना चाहता हूं कि नाम मेरे पास कई आते हैं। इतना जरूर है कि जहाँ कहीं पार्टी हिप की तरफ से नाम आते हैं तो उन्हीं के ऊपर विशेष ध्यान देना पड़ता है और इसके बाद मैं देखता हूं कि जो लोग नहीं बोले हैं उनको बोलने का मौका दूं और यदि कोई सामने आ जाता है और उसका बोलना मैं निहायत जरूरी समझता हूं तो उसको मौका देता हूं। लेकिन हाउस इतना बड़ा है जिससे सबको प्रसन्न करना सम्भव नहीं है। मैं समझता हूं कि इसका अधिकार मुझको है और सदन भी इस बात को मानेगा कि मैं अपने विवेक को ठीक तरह से काम में ला रहा हूं।

श्री गंगाधर मैठाणी (जिला गढ़वाल)--- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय रामनारायण त्रिपाठी जी द्वारा प्रस्तुत कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करने के लिये मैं खड़ा हुआ हूं। मुझे प्रसन्नता है और इसके लिये मैं शिक्षा मंत्री को बधाई भी देता हूं कि उन्होंने बहुत दिनों से जो की मांग थी कि शिक्षा पद्धति में परिवर्तन किया जाय उसकी ओर ध्यान दिया है। तीन हजार जूनियर हाई स्कूलों में और हायर सेकेन्डरी स्कूलों में कृषि की शिक्षा वह दिलाना चाहते हैं। एक ओर तो हम यह देखते हैं लेकिन दूसरी ओर जब इम्प्लीमेंटेशन की बात आती है तो उसकी सफलता में हमें संदेह होने लगता है क्योंकि जो स्कीम रखी गयी है उसमें १० एकड़ भूमि की बात है। मंत्री महोदय ने यह बतलाया है कि उनको छः सौ एकड़ भूमि मिलने का आश्वासन मिल चुका है। लेकिन हमने देखा है कि आचार्य विनोबा भावे के भूदान यज्ञ के प्रबल प्रयास करने के बाद भी काफी भूमि प्राप्त नहीं हो पायी है फिर भी प्रयास करना ही चाहिये लेकिन यह तो यहाँ की बात हुई पहाड़ी क्षेत्रों में अगर हम जायं तो हमें इस स्कीम में कुछ न कुछ परिवर्तन अवश्य करना पड़ेगा।

इसके अतिरिक्त इधर नयी शिक्षा में कुछ परिवर्तन करने की चेष्टा की गयी है लेकिन जो पिछले दिनों में प्रारम्भिक शिक्षा के प्रसार की योजना थी उसको रोक दिया गया है। यह ठीक नहीं क्योंकि देश के अन्दर निरक्षरता का जो कलंक है उसको

दूर करना परमावश्यक है। बहुत से जिले ऐसे हैं जैसे गढ़वाल जिला है वहाँ पर बहुत से लोगों ने प्राइमरी स्कूलों के लिये बिल्डिंगें बनवायी हैं उनके लिये आश्वासन बराबर दिया गया कि १ हजार रुपया प्रत्येक स्कूल के लिये दिया जायगा लेकिन जिन लोगों ने भवन बनवा दिये हैं उनको अभी तक एक हजार रुपया नहीं दिया गया है। इस ओर हम शिक्षा मंत्री जी का ध्यान दिलाते हैं और आशा करते हैं कि हम वह कार्य करें जिससे लोगों को शिक्षा में योग देने में सहयोग मिले।

इसके बाद मैं हायर सेकेंडरी स्कूलों की ओर सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। सरकार जो हायर सेकेंडरी स्कूल्स हैं, चाहे वह प्राइवेट हों और चाहे गवर्नमेंट के, दोनों को महंगाई भत्ता देती है लेकिन इन दोनों में इतना अधिक भेद रखा गया है कि जिन अध्यापकों को ७५ रुपया वेतन मिलता है उनको पाँच रुपया महंगाई का भत्ता मिलता है। यह बहुत कम है और जो राजकीय पाठशालाओं के लोग हैं उनमें और इनमें बहुत अन्तर है।

श्री नेकराम शर्मा (जिला अलीगढ़)—उपाध्यक्ष महोदय, हाउस में इतना शोर हो रहा है कि यह हो पता नहीं चलता कि क्या स्पीच हो रही है।

श्री उपाध्यक्ष—मैं समझता हूं कि हाउस शान्ति से काम में सहायता देगा।

श्री गंगाधर मैठाणी—प्राइवेट हायर सेकेंडरी स्कूल्स बहुत से हैं जिनके द्वारा देश के बहुत बड़े हिस्से को लाभ होता है लेकिन उनके अध्यापकों को बहुत कम महंगाई भत्ता मिलता है। इसकी ओर सरकार का ध्यान जाना चाहिये।

दूसरी बात यह है कि पहाड़ी जिलों में मैंने देखा है कि बहुत से लोगों ने हायर सेकेंडरी स्कूलों की बहुत सी बिल्डिंगें बनवाई हैं और पर्याप्त बिल्डिंग्ज आगे भी बन रही हैं। उन्होंने अपने श्रम के द्वारा भवन खड़े किये हैं। हमारे माननीय परिपूर्णानन्द जी जो कि बोर्ड आफ हाई स्कूल एंड इन्टरमीडियेट एजूकेशन के अध्यक्ष हैं उन्होंने जो अपना रुख रक्खा है उसे देखकर मुझे प्रसन्नता हुई। मुझे आशा है कि ग्रामीण क्षेत्रों में जिन लोगों ने भवन बनाये हैं वहाँ उनके पास रुपया नहीं है जो कि इन्डाउमेंट फंड में जमा कर दिया जाय इसलिये मेरा शिक्षा मंत्री जी से निवेदन है कि जो लोगों ने भवन बनाये हैं उनको एक किस्म से इन्डाउमेंट फंड मान लिया जाय जिससे लोगों को आगे बढ़ती हुई भावनाओं को प्रोत्साहन हो।

उपाध्यक्ष महोदय, दूसरी बात मुझे यह कहनी है कि हमारे देश में जो संस्कृत की शिक्षा है उसके ऊपर सरकार का बिल्कुल ध्यान नहीं है। इस सम्बन्ध में एक कमेटी डाक्टर भगवानदास के सभापतित्व में बैठी, एक कमेटी श्री यज्ञनारायण उपाध्याय के सभापतित्व में बैठी और एक कमेटी डाक्टर मंगलदेव जी के सभापतित्व में बैठी। उन कमेटियों की जो रिकमेंडेशन्स हैं उनको सरकार किसी तरह भी इम्प्लीमेंट नहीं करती है। आज ग्रामीण क्षेत्रों में बहुत से स्कूल हैं जिनको जो सहायता मिलती है वह एक प्रकार से नगण्य है और उसे देखकर बड़ा दुःख होता है। जहाँ तक राजकीय संस्कृत कालेज, बनारस का संबंध है वहाँ लड़कों के रहने के लिये जो बोर्डिंग हाउस बना हुआ है वह इतना छोटा और गन्दा है जिसमें मैं नहीं समझता कि वह लड़के जो कि पढ़ते हैं कैसे रहते होंगे। आज एक ओर तो सरकार यह कहती है कि हम उसको विश्वविद्यालय बनायेंगे और दूसरी ओर उस कालेज की माँगों को पूरा भी नहीं करती है। इस ओर मैं विशेष रूप से सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं।

[श्री गंगाधर मैठाणी]

उपाध्यक्ष महोदय, मुझे एक बात और कहनी है। समय तो अवश्य कम है लेकिन वह बात बहुत महत्वपूर्ण है। जो विद्यार्थी पढ़ते हैं उनके लिये पुस्तकें खास चीजें होती हैं। मैंने देखा कि यहाँ टेक्स्ट बुक्स के लिये एक स्पेशल आफिसर आन ड्यूटी रक्खे गये थे। उस सम्बन्ध में जो वादविवाद हुआ और जो भ्रष्टाचार हुआ वह सदन को भी मालूम है। वह अधिकारी तो अलग कर दिये गये लेकिन अब भी हम देखते हैं कि उस समय के स्टाफ के लोग काम कर रहे हैं।

इसके अलावा हम देखते हैं कि जो गवर्नमेंट पब्लिकेशन होता है उसके लिये अभी १३ फरवरी को गजट में छापा गया कि पब्लिशर्स जो हैं वह प्रार्थना-पत्र दें। उसके बाद लखनऊ में ही १४, १५, १६ बल्कि १८ तारीख तक लोगों को सूचना मिलती है। उसकी आखिरी तारीख २० रक्खी गई जिससे केवल ४० पब्लिशर ही प्रार्थना-पत्र दे सके। उसके बाद अन्य पब्लिशर्स को मौका नहीं दिया गया। इस तरह से इसमें काफी भ्रष्टाचार होता है जिसकी ओर मैं अपने माननीय शिक्षा मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। दूसरी बात यह है कि जो लेखक होते हैं उनकी पुस्तकें १०० रु० के चालान द्वारा मंगाई जाती हैं। उनका रेव्यू बड़े बड़े विद्वानों द्वारा कराया जाता है। जब पुस्तकें स्वीकृत की जाती हैं तो रेव्यू फाड़ दिया जाता है। मैं यह देखता हूं चूंकि मैं भी एक अध्यापक हूं कि वह पुस्तकें इस स्तर की होती हैं जिनको एक विद्वान् और उच्चकोटि का मनुष्य कभी रेकमेंड नहीं कर सकता। इस समय पाठ्यक्रम में जो पुस्तकें रक्खी जाती हैं उनके ऊपर विशेष सावधानी रखने की आवश्यकता है। उससे सरकार और जनता को बहुत लाभ हो सकता है। इसलिए मैं माननीय शिक्षा मंत्री महोदय का ध्यान इस ओर आकर्षित करता हूं।

अब मुझे श्रीनगर और कर्णप्रयाग की ओर माननीय शिक्षा मंत्री का ध्यान आकर्षित करना है। श्रीनगर गढ़वाल के केन्द्र स्थान में है। वहाँ पर इंटरमीडिएट क्लासेज खोलने के लिये एक बिल्डिंग बनाई गयी, लाखों रुपया खर्च किया गया, लेकिन तीन चार वर्ष हो गये और वहाँ अभी तक क्लासेज नहीं खोले गये। इसके साथ साथ चमोली तहसील के अन्दर कर्णप्रयाग में एक मात्र हायर सेकेंडरी स्कूल है। लेकिन वहाँ पर अभी तक बिल्डिंग नहीं बनी है। लड़के झोपड़ियों में पढ़ते हैं।

आखिर में मैं माननीय शिक्षा मंत्री का ध्यान इस ओर आकर्षित करूंगा कि कर्णप्रयाग से लेकर नीती तक जो कि एक सौ डेढ़ सौ मील पड़ता है, उसमें एक लाख से अधिक आबादी है उसके बीच में कोई हायर सेकेंडरी स्कूल नहीं है।

भोटिया लोगों के लिये कुछ इसमें प्राविजन किया गया है। लेकिन मैं आशा करता हूं कि अल्मोड़ा, गढ़वाल और टेहरी इन तीन जिलों में जो कि सीमान्त में भोटिया रहते हैं उनकी आवश्यकताओं को देखते हुये माननीय शिक्षा मंत्री जी उनकी शिक्षा के ऊपर ध्यान देंगे।

श्री नरेन्द्रसिंह बिष्ट (जिला अल्मोड़ा)—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस अनुदान के समर्थन में खड़ा हुआ हूं। सब से पहले मैं मंत्री महोदय को हार्दिक बधाई देता हूं कि उन्होंने तिब्बत के बार्डर के इलाकों के लिये, जो कि दारमा और जोहार के इलाके कहलाते हैं, उनके लिये इस बजट में शिक्षा के लिये बहुत अनुदान रखे हैं। वह इलाका अंग्रेजी हुकूमत के समय में भी हमेशा पिछड़ा हुआ था और उस इलाके में शिक्षा का अब तक कोई भी प्रचार नहीं हुआ। मुझे इस बात को सुनकर हार्दिक खुशी हुई कि वहाँ अब स्कूल खोले जायेंगे और खास कर मुसियारी पाँगू में हाई स्कूल और कुछ मोबाइल स्कूल खोले जायेंगे जिनका वहाँ होना नितान्त आवश्यकीय था। इसके साथ मैं माननीय मंत्री जी से यह भी प्रार्थना करना चाहता हूं कि वह इलाका बहुत गरीब, अशिक्षित और बहुत

पिछड़ा हुआ इलाका है, इसलिये जो शिक्षा वहाँ दी जाय उसका निःशुल्क होना बहुत जरूरी है और भी जो सुविधाएं उस इलाके में दी जायं वे कहा से कम न हों ताकि वहाँ के लोगों में यह भावना पैदा हो कि शिक्षा का मूल्य क्या है और इस प्रकार शिक्षा का प्रचार उन इलाकों में हो सके।

इसके अलावा कुछ और स्कूल हमारे इलाके में ऐसे हैं जिनकी ओर माननीय मंत्री महोदय का ध्यान में आकर्षित करना चाहता चाहूं गा। चम्पावत, बेरीनाग में दो स्कूल ऐसे हैं जिन स्कूलों को जंगलात के सेल प्रोसीड्स से रुपया मिलता था। जंगल बेचे गये, ठेकेदारों ने रुपया भी दे दिया, लेकिन अभी तक वह रुपया उनको नहीं मिला।

सारी चम्पावत तहसील के अन्दर केवल लोहाघाट में एक हायर सेकेंडरी स्कूल है और वह पाँच सौ वर्ग मील में एक ही स्कूल है। उस स्कूल के लिये भी सरकार ने अभी तक कोई भवन नहीं बनाया गोकि पब्लिक ने ७५ हजार रुपया वहाँ जमा किया था। आज सात साल हो गये। कई आश्वासन वहाँ की पब्लिक को दिये गये कि बिल्डिंग बनाई जायगी, लेकिन कोई व्यवस्था सुचारु रूप से नहीं बन पायी। ऐसे ही पिथौरागढ़ में एक गवर्नमेंट कालेज है जिसके लिये कई वर्षों से ६५ हजार रुपया वहाँ की पब्लिक का सरकार के खजाने में जमा है। कई दफा वहाँ से प्रार्थना की गयी कि साइंस ब्लाक्स बनाये जायं, लेकिन अभी तक वह नहीं बन सके हैं। इसके साथ साथ गंगोलीहाट में केवल महाकाली का हायर सेकेंडरी स्कूल है। इंटेलिजेंस के लिहाज से, यदि इंटेलिजेंस टेस्ट के जरिये देखा जाय तो यह इलाका सारे पहाड़ के इलाके में सब से आगे पाया जायगा। मैं काश्मीर में भी दस साल रहा और काश्मीरी पंडितों से मिलने का मुझे मौका मिला है। वह इंटेलिजेंट जरूर होते हैं, लेकिन गंगोलीहाट में जो इंटेलिजेंस है वह काश्मीर से किसी तरह से कम नहीं है। अगर ऐसे लोगों को शिक्षा का मौका मिलता तो वे बहुत उन्नति करते। वह इलाका छः सात साल से अकाल पीड़ित है। वहाँ लोगों के पास न कुछ खाने को है और न कुछ पहनने को है। एक धर्मशाला में ४, ५ सौ विद्यार्थी पढ़ते हैं, बड़ी दयनीय हालत वहाँ की है। जब मैं वहाँ गया तो देखा कि ५०० विद्यार्थियों में एक के भी पास जूता पहनने को नहीं, जाड़े के महीनों में एक एक कमीज पहन कर स्कूल को आते हैं और ठिठुरते घरों को जाते हैं और दिमाग में अगर देखा जाय तो बहुत से विद्यार्थी ऐसे हैं जो फर्स्ट डिवीजनर्स निकलते हैं मगर गरीबी की वजह से वे बेचारे यों ही रह जाते हैं। इस सम्बन्ध में मुझे एक पोएम याद आती है :—Gray's elegy—

"Full many a gem of purest ray serene,
The dark unfathomed caves of ocean bear,
Full many a flower is born to blush unseen,
And waste its fragrance in the deserted air."

ऐसे कितने ही होनहार बालक इस देश में पैदा हो सकते हैं परन्तु उनको कोई भी मौका शिक्षा प्राप्त करने का नहीं मिलता है। वे बहुत ही दुखी हालत में हैं। मैं माननीय मंत्री का खासतौर से ध्यान इस इलाके की ओर आकर्षित करना चाहता हूं और बड़ी प्रार्थना करता हूं कि इस इलाके की ओर जरूर ध्यान दिया जाय और इस इलाके में एक कालेज जरूर बनाने की कोशिश की जाय।

इसके अलावा पहाड़ के इलाके में इंडाउमेंट फंड के विषय में जैसा कि एक पूर्व वक्ता ने कहा कि १५ हजार रुपये होने पर ही एक स्कूल रेकगनाइज होता है, यह एक बड़ी धनराशि है जो कि पर्वतीय इलाकों में जहाँ बहुत गरीबी है, इतना रुपया एकत्रित होना बहुत मुश्किल होता है। मैं प्रार्थना करता हूं कि यह अड़चन हटा दी जाय क्योंकि इसके कारण बहुत कठिनाई होती है।

[श्री नरेन्द्र सिंह विष्ट]

इसके अलावा एक खास बात की ओर माननीय मंत्री का ध्यान मुझे आकर्षित करना है और वह है मिलिटरी ट्रेनिंग। पर्वतीय इलाके हमेशा काफी मिलिटरी सोल्जर्स देते रहे हैं। कश्मीर की लड़ाई में भी आप देखेंगे कि कुमायूं की फौज ने जो वहाँ यश प्राप्त किया वह हमेशा के लिये हिन्दुस्तान के इतिहास में याद किया जायगा और उन्हीं की बदौलत हम लोग कश्मीर की लड़ाई में विजय पा सके हैं। मैं आशा करता हूं कि वहाँ के जो सोल्जर्स मिलिटरी में हैं और वहाँ के जो और नौजवान लोग हैं उनकी मिलिटरी ट्रेनिंग के लिये कोई न कोई व्यवस्था सरकार को करनी चाहिये। हो सके तो सेंट्रल गवर्नमेंट से मिल कर उनके उत्थान के लिये सरकार को कोशिश करनी चाहिये। अगर यह न हो सके तो कम से कम नेशनल कैडेट कोर या और जो दूसरी प्रकार की ट्रेनिंग प्रान्त में और जगहों पर दी जाती है वह उनको अवश्य दी जाय।

इसके अतिरिक्त एक संस्कृत पाठशाला के बारे में, जिसका कि जिक्र मैं पहले भी इस सदन में कर चुका हूं, मैं मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। ३०, ३५ हजार रुपये लगाकर वहाँ की पब्लिक ने बिल्डिंग बनवाई। वह स्थान कमेड़ी देवी है, वहाँ एक नारायण स्वामी जी हैं जिन्होंने काफी रुपया इसमें दिया और वह बिल्डिंग बनवाई। लेकिन ३५ हजार रुपया खर्च करने के बाद वह बिल्डिंग अधूरी रह गई है और संस्कृत की शिक्षा का कोई प्रबन्ध नहीं है। उसकी छत नहीं पड़ सकी। इसलिये मैं सरकार से प्रार्थना करता हूं कि वह उसकी छत डलवा दे और कोई ऐसी व्यवस्था बनाये कि संस्कृत की पाठशाला सुचारुरूप से चल सके।

अन्त में मुझे यह कहना है कि हमारे प्रदेश में जो प्रारम्भिक शिक्षा दी जा रही है उसमें बहुत सुधार की आवश्यकता है। हम देखते हैं कि जो प्राइमरी एजूकेशन हमारे देश में दिया जा रहा है वह एक ब्रिटिश लिगेसी के मुताबिक चल रहा है जो कि मेकाले ने चलाया था कि हिन्दुस्तान में क्लर्क्स पैदा किये जायं। बाल्यकाल की अवस्था में जो फ्लेक्सिटी plasticity दिमाग में रहती है उसमें जो कुछ भी बच्चा सीखता है वह हमेशा के लिये रहता है। इसीलिये कहा जाता है कि "Child is the father of the man" जो taste tendency बचपन में पैदा हो जाती है वह जीवन भर उसमें रहती है। तो मैं प्रार्थना यह करता हूं कि जो भी हमारी एजूकेशन प्राइमरी स्टेज में है वह अब तक बहुत आंशिक की गयी है, बहुत साधारण किस्म के अध्यापकों के हाथ में दे दी गयी है, बहुत थोड़ा खर्च उसमें किया गया है। अगर सरकार उसमें अच्छे-अच्छे विद्वानों को भेजे, अच्छे किस्म की शिक्षा की ऐसी पद्धति चलाये जिससे मेंटल (दिमागी), फ़िजिकल (शारीरिक) और नैतिक उत्थान को भी हमारे देश के लिए, हमारी मातृभूमि के लिए जरूरी है, पैट्रियोटिज्म (मातृभूमि के लिये प्रेम) जिस अवस्था में हमारे अन्दर होना चाहिये उस अवस्था में हमारे अन्दर आ जाय, इस किस्म की शिक्षा का प्रचार प्राइमरी स्टेज में होना चाहिये। इसके लिये मैं सरकार से यह प्रार्थना करना चाहता हूं कि जो प्राइमरी एजूकेशन सिस्टम है उसमें बहुत सुधार किया जाय और साथ ही साथ इसके मैं बधाई सरकार को देता हूं कि जो ऐग्रिकल्चरल एजूकेशन देने की सरकार ने ठानी है और ३,२०० अध्यापक लिये जाने वाले हैं और ३,२०० जगहों में १० एकड़ और ५ एकड़ के एग्रिकल्चरल फार्म बनेंगे, यह एक बड़ी अच्छी योजना है। इसके मुताबिक, मैं आशा करता हूं कि जो मेरा मंशा है उसमें बहुत हद तक कामयाबी होगी।

श्री भगवान सहाय--उपाध्यक्ष महोदय, श्रीमन्, आपके द्वारा माननीय मंत्री जी का विशेष तौर से और इस सदन का एक बहुत बड़े खतरे की ओर ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं जिससे न केवल हमारे राज्य को ही, बल्कि हमारे सारे देश को बहुत बड़ा खतरा है। हमारे स्कूलों में पढ़ाई के लिये यह कहा जाता है कि उसमें इक्स्ट्रा करिकुलम ऐक्टिविटीज होनी चाहिये।

परन्तु आज जो भी हमारे एक्सट्रा करिकुलम ऐक्टिविज होती है वह है अधिकतर अमरीकन फ़िल्म्ज़, अमरिकन लिट्रेचर, अमरीकन प्रोपैगेंडा और अमरीकन किताबें। परन्तु यह न तो फिल्मज है, न प्रापैगेंडा है और न लिट्रेजर है, यह स्पाइग है, यह हमारे देश के अन्दर जितनी भी बातें है उनके ऊपर एक किस्म की नजर है। इसके ऊपर मैं श्रीमन्, आपके द्वारा माननीय मंत्री जी का खासतौर से ध्यान दिलाना चाहता हूं।

दूसरी बात यह है कि हमारे यहां बाहर से खास तौर से अमरीका से, कैजुयेल स्टूडेन्ट्स आते हैं जो हमारी यूनिवर्सिटीज के अन्दर शिक्षा पाते हैं। वह न कोई डिग्री लेते हैं, न उनके लिये कोई कोर्स निर्धारित होते है, वह केवल यूनिवर्सिटीज के टिचर्स से अटैच्ड होते हैं और जिनके पास कभी भी कुछ सीखने के लिए नहीं जाते हैं। वह अमरीका से तैयार होकर, लिट्रेचर, और आदेश लेकर आते हैं और यहां आकर इस प्रकार की खोज-बीन करते हैं कि ब्राह्मण और बनियें में क्या भेद है, क्या दुश्मनी है। ठाकुर और कायस्थ में क्या दुश्मनी का कारण है। इस किस्म की बातों के ऊपर खोज-बीन करते हैं और देहातों में जाते हैं। यहाँ पर भी दलबन्दियों के बारे में जानकारी करते हैं। कांग्रेस में लेफ्टिस्ट के ग्रोथ के क्या कारण हैं, इनके ऊपर खोज-बीन करते हैं। इनसे शिक्षा से कोई सम्बन्ध नहीं है, यह बहुत बड़ा खतरा है देश के लिये जिसके ऊपर मैं माननीय मंत्री जी का जितना ध्यान दिलाऊं वह थोड़ा है।

इसके अलावा एक बात मुझे और कहनी है कि कुछ फंड हमारे इस बजट में माननीय मंत्री जी ने यूनिवर्सिटीज को दिये है जिससे इंस्ट्रक्शन आन पब्लिक ऐडमिनिस्ट्रेशन दिये जायेंगे, इसमें बाहर से अमरीकन प्रोफेसर आयेंगे और यहां पर आकर के हमारी यूनिवर्सिटीज के अन्दर क्या खोज-बीन करेंगे, क्या पायेंगे वह इन सब बातों को देखकर हम खुद ही अन्दाजा लगा सकते हैं। मैं माननीय परिपूर्णानन्द जी से विशेष तौर से आग्रह करूंगा कि इस पर वह अवश्य प्रकाश डालने की कृपा करें जब वह इस बात पर बोलें।

इसके अलावा श्रीमन्, मैं लखनऊ यूनिवर्सिटी की तरफ थोड़ा सा ध्यान विशेष रूप से दिलाना चाहता हूं। लखनऊ यूनिवर्सिटी के अधीन मेडिकल कालिज भी आता है और आज मेडिकल कालिज के अन्दर कोई भी मरीज ऐडमीशन नहीं पा सकता है जब तक डाक्टर्स को प्राइवेटली घर पर न दिखला दे और फीस न अदा कर दे। यह चिट्ठी है मेरे पास एक हाउस फ़िज़ीशियन की जो उन्होंने अपने एक रिश्तेदार को लिखी है, जिन्होंने उसे मेरे पास भेजा हैं इस आशय से कि मैं इससे सरकार को आगाह करूं। इसमें लिखा है कि अगर ऐडमीशन चाहते हों तो पहले डाक्टर को घर के ऊपर दिखाओ, अन्यथा दो, तीन, चार महीने और ठहरना पड़ेगा। क्या हम उनको ग्रांट इसलिये देते हैं कि मेडिकल कालिज के डाक्टरों के प्राइवेट बैंक बैलेंसेज और बढ़ायें जायें। श्रीमान्, इसकी ओर माननीय मंत्री जी का विशेष ध्यान होना चाहिये। मुझे शिक्षा विभाग के चलचित्र यूनिट की ओर भी माननीय मंत्री जी का ध्यान विशेष रूप से दिलाना है। अभी दो तीन दिन की बात है। शिक्षा विभाग ने जो सात फिल्में बनायी हैं उन में से छः फिल्में नावेल्टी सिनेमा में दिखायी गयीं। उनमें जो अच्छी फिल्में होंगी वहीं दिखायी गई होंगी यह निश्चित है। उनको देखने के बाद मेरी समझ में यह नहीं आया कि उनमें शिक्षा की क्या बात है। वह डाकूमेंटरी फिल्म्स थी। किसी भी डाकूमेंटरी फिल्म्स को दिखाने पर विद्यार्थियों का सांस्कृतिक विकास होगा, थोड़ी सी उनकी जनरल नालेज बढ़ेगी इसमें शक नहीं उसमें एक फिल्म भूदान के सम्बन्ध में थी। मैं नहीं समझता कि उसमें ऐसी कौन सी बात थी जो शिक्षा के बारे में थी। एक फिल्म शीशे के मैनुफैक्चर के बारे में थी। उसमें सब बातें तो बतायी गयीं, लेकिन यह नहीं बताया गया कि सिलका मिट्टी कहाँ से आती है और हिन्दुस्तान में कहाँ पायी जाती है। जो खास चीज थी शिक्षा से सम्बन्ध रखने वाली उसी को छोड़ दिया। नागरी लिपि सुधार के बारे में एक फिल्म थी। माननीय मंत्री जी की उसमें तस्वीर दिखायी गयी। माननीय मुख्य मंत्री जी को बताया। यह भी बताया कि अन्य प्रमुख आदमी हिन्दुस्तान के आये हैं। परन्तु उनका कोई नाम उन तस्वीरों में नहीं था। जिस प्रकार की तस्वीरें इनफारमेशन डिपार्टमेंट बनाता है उनसे भी खराब किस्म की ये तस्वीरें मेरे

[श्री भगवान सहाय]

सामने आयीं। जब मैं तस्वीरों को देखने गया था तो मैं समझता था कि कोई ऐसी तस्वीरें होंगी जिनमें इतिहास और भूगोल के सबक होंगे जिनको देखकर विद्यार्थी समझ भी लें और यह भी न महसूस करें उनको सबक पढ़ाया जा रहा है। यह सिनेमेटोग्राफ यूनिट एक बहुत ही कम्प्लीकेटेड टेकनिकल यूनिट है। अगर हमारा सूचना विभाग और शिक्षा विभाग अलग अलग अपनी यूनिट रखें और उनसे अच्छी फिल्में न बनें तो इससे क्या फायदा है? सही यह है कि सूचना विभाग के पास एक यूनिट रहे और जिस विभाग को तस्वीरें बनवानी हों वह अपनी आवश्यकता उनके पास भेज दें और फिल्म तैयार हो जाय जैसी वह चाहते हैं।

उसके बाद मुझे यह कहना है कि मैं अधिकतर लखनऊ, इलाहाबाद, बनारस में गवर्नमेंट इंटरमीडिएट कालेज देखता हूं। एक जमाना था कि जब इंटरमीडियेट कालेजेज और हाई स्कूल हमारी शिक्षा के न्युक्लियस बन गये थे और उनके चारों तरफ दूसरे एजूकेशनल इंस्टीटयूशंस ने तरक्की पाई लेकिन आज इन इंस्टीटयूशंस की यहाँ पर कोई आवश्यकता नहीं है क्योंकि यह प्रयत्न मतलब हल कर चुके हैं। इनको हटा कर ऐसी छोटी जगहों पर ले जाना चाहिये जहाँ पर ये केन्द्र बनें और उनके चारों तरफ शिक्षा पनपे और नये एजूकेशनल इंस्टीटयूशंस तैयार हों। इस तरह से इन बड़े शहरों में जो माध्यमिक शिक्षा पर हमारी सरकार खर्च कर रही है वह बिल्कुल गलत है। इन स्कूलों को जल्द से जल्द हमें छोटी जगहों पर ले जाना चाहिये जहाँ पर शिक्षा आज नहीं मिलती है और जहाँ की जनता गरीब है और शिक्षा के लिये त्राहि-त्राहि कर रही है।

*श्री मुहम्मद तकी हादी (जिला मुरादाबाद)---श्रीमान्, इस साल का बजट देखने के बाद और शिक्षा मंत्री जी का भाषण सुनने के बाद इससे इन्कार नहीं किया जा सकता कि हमारी सरकार ने उस तरीके तालीम को बदलने के लिये जिसके मुताल्लिक हर शख्स कहता था कि वह गलत है और कोई अमली इकदाम नहीं हुए, उस तरीके तालीम को बदलने के लिये अमली जामा पहनाने की कोशिश हमारे शिक्षा मंत्री जी कर रहे हैं। प्राइमरी स्कूल के सिलसिले में जो हिस्ट्री उन्होंने बयान की कि किस तरह से वहां अब खेती की तालीम साथ-साथ दी जायगी, यकीनन वह एक बहुत बड़ा कदम है और उससे काफी हद तक लोगों को इम्प्लायमेंट मिल जायगा। लेकिन साथ-साथ यह भी गौर करना है कि जो स्कीम उन्होंने बतलायी है, वह कहां तक कामयाब हो सकती है। सबसे पहला सवाल यह है कि आया दस एकड़ जमीन हर एक स्कूल को मिल भी सकती है या नहीं। उसके बाद दूसरी चीज जो गौरतलब है वह यह है कि आया ऐसे उस्ताद इस वक्त मिल सकते हैं कि जो इस तरह की तालीम का जो मंशा है वह पूरा कर सके और जो मिल सकते हैं आया वह ऐग्रीकल्चर की सही तालीम दे भी सकते हैं या नहीं। यानी तालीम पाकर जो तुलबा कामयाब होकर निकलेंगे आया वह ऐग्रीकल्चर करेंगे भी या कि सिर्फ वह यह चाहेंगे कि उनको नौकरी मिल जाय। तीसरा सवाल यह है कि क्या यह सिर्फ ऐग्रीकल्चर की तालीम दे देना काफी होगा या नहीं। कहीं ऐसा न हो कि बजाय फायदे के इससे नुकसान ही पहुंच जाय। जहां तक माननीय शिक्षा मंत्री जी की इस राय का ताल्लुक है कि ज्यादा स्कूल खोलने से बेहतर यह मालूम होता है कि जो स्कूल खुल गये हैं वही सही मानों में चलाये जा सकें, इससे मैं मुत्तफिक हूं। उन्हें मालूम होगा कि जिस तरीके से कि कम्पलसरी एजुकेशन तेजी से रायज की गई, उस तरीके से ट्रेंड स्टाफ नहीं मिल सका और हमारी सरकार ने इस तरफ ज्यादा तवज्जह भी नहीं किया। मैं समझता हूं कि इस जमाने में जो तुलबा के अन्दर इंडिसिप्लिन दिखायी पड़ रही है और जिसकी शिकायतें आ रही हैं उसका एक खास कारण है ट्रेंड स्टाफ

*वक्ता ने भाषण कर पुनर्वीक्षण नहीं किया।

का न होना। जो तुलबा तालीम पाते हैं प्राइमरी एजुकेशन की उनके लिए जरूरत है कि काबिल से काबिल उस्ताद के मातहत उन्हें तालीम दी जाय ताकि वह सही मानों में तालिबइल्म कहे जा सकें और उस्ताद भी सही मानों में उस्ताद कहलाये जा सकें। मैं समझता हूं कि यह सभी जानते हैं कि पुराने वक्त में जो तरीका तालीम का था उसमें उस्ताद का रोब दबदबा इतना काफी होता था कि जिस की वजह से बच्चे की हिम्मत नहीं होती थी कि वह स्कूल से बाहर जाकर कोई ऐसा कार्य कर सके जो कि काबिले एतराज हो। इस वक्त वह रोब उस्ताद का नहीं रह गया है। इसकी वजह यह है कि उनको ठीक से ट्रेनिंग नहीं दी गई है। मैं समझता हूं कि माननीय शिक्षा मंत्री जी खास तरीके से इस तरफ तवज्जह करेंगे कि जहां तक हो सके रुपये को इस मद में सर्फ करके ट्रेंड स्टाफ, इन स्कूलों में रख सकें।

जहां तक हायर सेकेंडरी स्कूलों का ताल्लुक है मैं समझता हूं कि हमारे शिक्षा मंत्री जी ने बहुत कम इसकी तरफ अपनी स्पीच में इशारा किया है। पिछले जमाने में मुख्तलिफ तरीके की स्कीमें गवर्नमेंट एग्जामिन कर रही थी और यह देखा जा रहा था कि कुछ करेक्ट सिस्टम निकाला जायगा जिनकी वजह से कुछ रद्दोबदल इन हायर सेकेंडरी स्कूलों की मौजूदा हालत में हो सकेगी। मुझे यकीन है कि जो कमेटियां इस सिलसिले में बैठायी गई थीं, उनकी रिपोर्ट को जल्द से जल्द आउट करके, उनकी जो हिदायतें हैं उनको जल्द से जल्द अमली जामा पहनाया जायगा ताकि जो इस समय शिकायतें इन हायर सेकेंडरी स्कूलों की हैं वह दूर हो सकें। पिछले बजट के मौके पर मैंने शिक्षा मंत्री जी की तवज्जह अपनी कांस्टीटुएंसी की हालत की तरफ दिलायी थी। मैंने यह उनसे अर्ज किया था कि अमरोहे में कोई स्कूल इस वक्त साइंस में इंटरमीडिएट में रिकग्नाइज्ड नहीं है। मैंने यह बतलाया था कि यह वहां के लोगों की एक बहुत बड़ी मांग है और मुझे खयाल था कि पिछले जुलाई में ही वह उस तरफ तवज्जह करेंगे। लेकिन मुझे अफसोस है कि उन्होंने तवज्जह नहीं की, वहां की हालत यह है कि अमरोहे की पापूलेशन ६० हजार है, हसनपुर की भी पापूलेशन करीब ४० हजार के है। यानी जहां की पापूलेशन १ लाख की हो वहां एक भी स्कूल साइन्स में रेकग्नाइज्ड इंटर मीडिएट का न हो, यह बड़े अफसोस की बात है। तो दो तीन साल से बराबर अमरोहे के लोगों की तरफ से यह मांग हो रही है कि वहां एक गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल होना जरूरी है क्योंकि और स्कूल हैं वहां लेकिन कोई स्कूल ऐसा नहीं है कि जिसके मुताल्लिक़ यह कहा जा सके कि वह अपना स्कूल साइंटिफिक ग्रूप में रेकग्नाइज करा लेगा, इसलिये कि उनकी माली हालत अच्छी नहीं है। गवर्नमेंट हाई स्कूल, अमरोहा की बिल्डिंग तो बहुत अच्छी है। मैंने खुद जाकर उसको देखा है। मैं कह सकता हूं कि वहां साइंस क्लासेज खोलने में बहुत कम रुपया खर्च होगा। सब से बड़ा सवाल यह किया जाता है कि सरकार के पास इतना रुपया कहां है। मुझे यह अर्ज करना है कि रुपया तो अमरोहे की पब्लिक ने पहले से ही जमा कर दिया है। साढ़े सात हजार रुपया पहले जमा कर दिया था और वह बढ़ कर अब १० हजार के करीब हो गया है। तो स्कूल खोलने के लिये जो जरूरियात हो सकती हैं वे सब इस रुपये से पूरी की जा सकती हैं। मैं समझता हूं कि साइंस क्लासेज खोलने में इससे ज्यादा रुपया खर्च नहीं होगा। लिहाजा जब इतना रुपया मौजूद है तो फिर कोई वजह नहीं मालूम होती कि वहां साइंस क्लासेज न खोल दिये जायं। जहां तक फीगर्स का ताल्लुक है अमरोहे में तीन हायर सेकेंडरी स्कूल चल रहे हैं। (आवाजें--सुनाई नहीं पड़ता) उनमें तकरीबन १८९ लड़के आठवीं क्लास में, ४३१ नवीं क्लास में और ४५३ टेन्थ क्लास में हैं। इस तरह से यह तादाद इतनी है कि ११वां क्लास खोलना जरूरी हो जाता है। वहां फिर साइंस क्लास के खोलने के लिये किसी इमारत की जरूरत नहीं है। एक आध कमरा और बढ़ा दिया जायगा उसी से जरूरियात पूरी हो जायंगी। स्टाफ के बढ़ाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, जो मौजूदा स्टाफ है उसी से काम चल जायगा। सिर्फ दो टीचर्स के बढ़ाने

[श्री मुहम्मद तकी हादी]

से काम चला लिया जायगा एक तो फिजिक्स के लिये दूसरा केमिस्ट्री के लिये। इसके मुताल्लिक मैंने एक नोट भी भेजा है।

कुछ सदस्य---सुनाई नहीं पड़ता। जरा जोर से बोलिये।

श्री मुहम्मद तकी हादी---आशा है कि डायरेक्टर साहब और शिक्षा मंत्री जी इस ओर तवज्जह देंगे और इस मांग को पूरा करेंगे। अमरोहे के देहातों में कोई हाई स्कूल अच्छा नहीं है। नारायणपुर में जो स्कूल है उसकी बिल्डिंग मुकम्मल है, यहां का स्टाफ भी ट्रेन्ड है। उसे हाई स्कूल रिकगनाइज कर लिया जाय। मैं उम्मीद करता हूं कि माननीय शिक्षा मंत्री इस तरफ तवज्जह देंगे।

राजा वीरेन्द्रशाह (जिला जालौन)---माननीय अध्यक्ष महोदय, जो इस भवन में शिक्षा के ऊपर विचार चल रहा है मैं भी अपने विचार उसके मुताल्लिक रखना चाहता हूं। श्रीमन्, मैं सरकार और मंत्री जी को बधाई दूंगा कि उन्होंने शिक्षा के बजट में अधिक रुपया रख कर शिक्षा को बढ़ाने का प्रयत्न किया है। मैं यह कहूंगा कि जब तक किसी देश की शिक्षा में उन्नति नहीं होती तब तक वह देश तरक्की नहीं कर सकता। हमें देखना यह है कि दूसरे देशों के बाद जब से हमने यह तै किया है कि जिस तरह से वहां कम से कम समय में शिक्षा बढ़ाई गई उसी तरह से हम भी कम से कम समय में अपने यहां शिक्षा बढ़ाने में कहां तक सफल हुए हैं। कम से कम उतनी शिक्षा आम जनता को जल्द से जल्द दी जाय जितनी कि देना जरूरी है। प्रारम्भिक शिक्षा (प्राइमरी एजूकेशन) हमारी सरकार को प्रान्त भर में निःशुल्क देना चाहिये कश्मीर ने पहला कदम इस दिशा में उठाया है। वहां एजूकेशन के लिये फीस नहीं ली जाती। मैं समझता हूं कि हमारे प्रान्त की आर्थिक दशा इतनी अच्छी है कि यहां प्राइमरी एजूकेशन बिना फीस के दे दी जा सकती है। मैं यह देखता हूं कि जहां शिक्षा पर खर्च बढ़ रहा है उधर साथ ही साथ सरकार ने फीस भी बढ़ा दी है। इसका नतीजा यह होता है कि देहात के रहने वाले या गरीब जनता के ऊपर उसका भार पड़ता है और एक समय आता है कि उनके बच्चे पढ़ने से मजबूर हो जाते हैं। मैं आपके जरिये से यह अर्ज करना चाहता हूं कि सरकार को इस पर विचार करना चाहिये। इससे यह होगा कि लोग अधिक से अधिक संख्या में पढ़ने की चेष्टा करेंगे।

आपने इस साल जो कृषि की उन्नति के लिये ३२ सौ टीचरों को रखा है और स्कूलों के साथ कुछ जमीन लगाकर यानी मिडिल स्कूल के साथ १० एकड़ जमीन और प्राइमरी स्कूल के साथ ५ एकड़ जमीन लगाकर कृषि की उन्नति करेंगे यह मेरी समझ में नहीं आया। इस समय भूमि इतनी कम है कि स्कूल बनाने के लिये जमीन आपके पास है नहीं फिर यह १० एकड़ और ५ एकड़ कहां से आयेगी और वह भी हर स्कूल को मिलनी चाहिये। तो मेरी समझ में यह असम्भव बात है। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि जहां पर मिल जाय वहां ठीक है लेकिन जहां पर न मिले तो वहां कोई दूसरा प्रबन्ध करना चाहिये। एक जनरल आर्डर उस प्रकार से देना कुछ समझ में नहीं आया। मैं यह कहूंगा कि अगर इसको लेने के बजाय किसी पास के खेत वाले से इसका प्रबन्ध कर दिया जाय, या कोई बटाई वगैरा के हिसाब से प्रबन्ध कर दिया जाय तो अच्छा रहेगा और इसे अधिक लाभ होगा।

दूसरी बात यह कहना चाहता हूं कि आपने जहां पिछड़ी हुई जातियों कि लिये रुपया रखा है वहां पर थोड़ा बहुत रुपया फौज के नौजवानों के लिये भी होना चाहिये। फौज के नौजवान डिफेन्स में काम करते हैं। जो हमारे देश की दशा है उसको आप जानते हैं। उनके बच्चों के लिये फ्री एजुकेशन का प्रबन्ध होने चाहिये और प्रान्तों ने इस ओर कुछ कदम उठाया है तो हमारी सरकार को भी इस ओर ध्यान देना की जरूरत है। मैं यह अर्ज करूंगा कि यदि हमारे फौज के नौजवानों में उत्साह पैदा नहीं होता है तो वह किस तरह से आगे बढ़ सकते हैं। वह कैसे समझें कि यह हमारा देश है और इसकी हिफ़ाजत करनी है। तो उनके बच्चों के लिये फ्री एजुकेशन होना चाहिये।

मैं यह भी कहूंगा कि जैसा हमारे बहुत मित्रों ने बताया कि एजुकेशन जो है और जिस ढंग से यह दी जाती है वह तरीका ठीक नहीं है। जो आजकल पढ़ाया जाता है उसका नतीजा यह होता है कि बेकारी बढ़ती जाती है। सरकार को चाहिये कि एक न्यूनतम शिक्षा की सीमा निश्चित कर दे कि हर एक आदमी को कम से कम इतनी शिक्षा मिलनी चाहिये चाहे वह इन्टरमीडियेट और चाहे वह हाईस्कूल हो लेकिन वह निर्धारित कर दे। उसके बाद सिर्फ उन लड़कों को ही शिक्षा दी जाय जो वास्तव में आगे जाने के लिये पूर्ण योग्यता रखते हों और आगे बढ़ने के लिये तरक्की कर सकें। उन बच्चों को ही आगे बढायें। बाकी दूसरे लोगों को फ्री एजुकेशन देना चाहिये और वह एजुकेशन हर एक नागरिक को मिलना चाहिये। हम यह देखते हैं कि तमाम पाठशालाओं में इस प्रकार की शिक्षा लेकर बी० ए० और डाक्टर मारे मारे फिरते हैं। हरएक आदमी नौकरी की तलाश कर रहा है। आज हमारे प्रांत में बेकारी बढती जाती है। मैं यह राय दूंगा कि हमको एक चीज यह भी देखनी चाहिये कि हमारी जो भारतीय संस्कृति है उसको अवश्य हमारी शिक्षा में स्थान मिलना चाहिये। पश्चिमी तरीके का जो एजूकेशन दिया जाता है उससे अजीब भावना हमारे विद्यार्थियों में पैदा हो जाती है। जब वह पढ़ने के बाद घर जाते हैं तो वहां पर बिलकुल बेकार हो जाते हैं। देहात में काम करने के लिये उनके अन्दर भावना नहीं होती है। यहां शहरों में पढ़कर वह जाते हैं और पैंट पहनकर वहां पर रहते हैं, तो देहात में कोई काम वह नहीं कर पाते हैं। हमारी सरकार और अध्यापकों का यह विचार होना चाहिये कि वह ऐसी शिक्षा दें जिससे वह अपने घर जाकर अपना काम कर सकें और उनको घर पर काम करने में शर्म मालूम न हो। मैं यह अर्ज करूंगा कि जितने विश्वविद्यालय हैं उनमें अभी पिछले दिनों यह देखा जिससे यह मालूम हुआ कि वहां पर पार्टी पोलिटिक्स हैं और उस पार्टी पोलिटिक्स की वजह से हमारे विश्वविद्यालयों की जो शिक्षा है उसकी प्रगति में बाधा पड़ रही है। उस पर सरकार को ध्यान देना चाहिये कि किस तरह से पार्टीबन्दी को रोका जाय। सरकार को यह देखना चाहिये कि चाहे फिल्म्स जो सेंसर बोर्ड से भी पास हो जावें लेकिन जिनसे चरित्र पर बुरा असर हमारे नौजवान विद्यार्थियों पर पड़ता है वे न दिखाई जावें। यूनिवर्सिटी में जो वातावरण है उसका एक बड़ा भारी कारण है कि उनको ऐसी गन्दी फिल्में देखने को मिलती हैं चूंकि वे सिनेमा नजदीक होते हैं। पहले हमारे बुजुर्गों गुरुकुल शहरों से दूर बनाते थे ताकि गन्दे वातावरण से विद्यार्थी बच सकें। जितने भी आज विश्वविद्यालय बनते हैं वे या तो शहरों में या शहरों के नजदीक बनाये जाते हैं। मुझे याद पड़ता है कि एक दफा सरकार की ओर से ऐसा ध्यान हुआ था कि एक एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी बनाई जाय। मैं चाहता हूं कि ऐसी यूनिवर्सिटी देहात में बने। मेरे पास अब इतने अधिक साधन तो नहीं हैं लेकिन मैं यह कह सकता हूं कि मैंने माननीय गुप्ताजी को अपना मकान बतलाया जो २० लाख रुपये का बना हुआ है, अगर यह आपकी यूनिवर्सिटी के कार्य में आ जाय तो मैं इसे देने को तैयार हूं। लेकिन यह कार्य ठीक तरह से होना चाहिये और यह नहीं होना चाहिये कि उस मकान में टी० बी० का अस्पताल खोल दिया जाय और गांव के लोग उल्टे कहें कि बीमारी आ गई और घबड़ा जावें। दूसरी बात यह है कि जितने इंस्टीट्यूशन्स प्राइवेट लोगों ने अपने धन से बनवाये हैं, जैसे बनारस का उदयप्रताप कालेज है, उनकी बिल को न मिटाया जाय और हमारी सरकार उनके कार्य में बाधा न डाले।

श्री चन्द्रसिंह रावत--माननीय उपाध्यक्ष महोदय, ...

श्री रामभजन शर्मा (जिला खीरी)---माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक प्वाइण्ट आफ आर्डर रखना चाहता हूं। मैं इस बात पर आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं कि आपकी निष्पक्षता और न्यायप्रियता बिलकुल मानी हुई है लेकिन इसके साथ ही मैं यह भी बतलाना चाहता हूं कि महामहिम राज्यपाल के ऐड्रेस से लेकर आज तक बजट के ऊपर जितना भी कार्य हुआ है उसके लिये बारहा कोशिश करने के बावजूद मुझे और मेरे बहुत से साथियों को मौका नहीं मिला है।

श्री उपाध्यक्ष---यह कोई प्वाइण्ट आफ आर्डर नहीं है। आपने सूचना दे दी, ठीक है।

श्री चन्द्रसिंह रावत---माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैंने बड़े-बड़े विद्वानों के भाषण शिक्षा पर इस सदन में सुनें। हमने देखा कि आज प्रगतिशील संसार के अन्दर चारों ओर प्लानिंग का बोलबाला है। जो रुपया बजट में रखा गया है मैं उसी के अन्दर बात करना चाहता हूं। मैं सरकार की आर्थिक स्थिति को देखते हुये वह प्रपोजल रखना चाहता हूं जो सफलतापूर्वक हो सके। मैं चाहता हूं कि सबसे पहले शिक्षा के लिये प्लानिंग होनी चाहिये। जिस तरह से कालेज, स्कूल और यूनिवर्सिटी एटरेंडम खोले जा रहे हैं मैं समझता हूं कि यह हमारी बुद्धि का अच्छा परिचय नहीं देता है। मैं चाहता हूं कि सरकार हमको बताये वैसे तो हम जानकारी करने के अधिकारी भी हैं कि यह सरकार हमारे प्रांत के अन्दर कितने साल में शिक्षा को व्यापक कर देगी। हम इस बात को जानने के अधिकार हैं कि इस प्रांत के अन्दर प्राइमरी एजूकेशन कब तक कम्पलसरी और निःशुल्क हो जायगी। हमें आजकल जो शिक्षा दी जा रही है वह किसी माने में भी शिक्षा नहीं कही जा सकती यह तो भिक्षा से भी परे है। हमें वह शिक्षा दी जानी चाहिये जो अब अपने मां बाप के संपर्क से स्वतः ही मिल जाती है जिससे वह अपने देश का एक सुन्दर नागरिक बन सके। वह शिक्षा शिक्षा नहीं है जो इंसान को जीवन और जाग्रति न दे सके। हमारे देश की शिक्षा वह शिक्षा थी जिससे न केवल इस संसार में ही सफलता प्राप्त होती थी बल्कि संसार से परे मृत्यु के बाद भी मुक्ति की व्यवस्था हो जाती थी। हमें उस शिक्षा की जरूरत है जो जिन्दगी में जीवन और जाग्रति पैदा कर दे और मरने के बाद भी मुक्ति प्रदान करे। आज जिस प्रकार की शिक्षा दी जा रही है उसमें न किसी प्रकार का शिक्षण है और न कोई प्रकाश ही। इस प्रकार के शिक्षण को आगे बढाने से हमें कोई सफलता प्राप्त नहीं हो सकती। मैं यूनिवर्सिटीज और कालेजेज को खोले जाने के लिये आवाजें सुनता हूं लेकिन मेरा यह कहना है कि आप इन यूनिवर्सिटीज को बन्द कर दीजिये। अगर आप इंसानियत को, मानवता को फैलाना चाहते हैं और दानवता की प्रगति नहीं करना चाहते हैं तो आप नई यूनिवर्सिटीज को खोलने की बात अवश्य बन्द कर दीजिये।

मैं सरकार से पूंछना चाहता हूं कि आपने उन गरीबों के लिये क्या किया है, उन गरीबों के लिये जिनकी आहें इस सदन के अन्दर आपको सुनाई नहीं पड़ती हैं। चाहे १० या २० वर्ष वर्ष क्यों न लगे मैं चाहता हूं कि जब तक उन लोगों का बन्दोबस्त सरकार न कर दे, उसकी व्यवस्था इस बजट में न हो जाय तब तक सरकार को दूसरे कामों को इतना विस्तार नहीं देना चाहिये क्योंकि ये यूनिवर्सिटीज गरीबों की कोई भलाई नहीं कर सकती हैं। आपने धनियों के घरों को बिजली की चमक से जगमगा दिया है, लेकिन मैं आपसे पूंछना चाहता हूं कि आपने उन गरीबों के लिये क्या किया है जो रोटी के एक एक टुकड़े के लिये तरसते हैं। क्या कारण है कि आज उनकी आहों को इस दन में लोग व्यक्त नहीं कर पाते हैं? आज शिक्षा के अन्दर डिप्टी डायरेक्टर बनाये जा रहे हैं जब कि वहां पर डायरेक्टर हैं, एडीशनल डायरेक्टर हैं तो फिर मेरी समझ में नहीं आता कि डिप्टी डायरेक्टर के पद की क्या आवश्यकता पड़ गयी थी वह एक पोस्टआफिस का काम भी तो नहीं कर पाते हैं और जो काम रीजनल डायरेक्टरों के पास से आता है उसको भी चालू नहीं कर पाते हैं। मैं तो यह समझता हूं कि यह हमारी नादानी है और इस तरह से गरीबों के रुपये का अपव्यय हो रहा है। मैं समझता हूं कि जनता को अधिकार है और हमें इस सदन में यह पूछने का अधिकार है कि क्या सरकार उन्हें निपट गंवार बनाये रखना चाहती है।

आगे चलकर मैं यह बता देना चाहता हूं कि हमारे मित्र बालेन्दुशाह ने अब आवाज लगाई और कहा कि हमारे यहां फिजीकल कल्चर की शिक्षा का अवश्य प्रबन्ध होना चाहिये। मैं उसका हृदय से स्वागत करता हूं। मैं सरकार को बताना चाहता हूं कि वहां पर केवल खेल ही नहीं होता है बल्कि वहां पर वह नीव जमाई जाती है जिससे वाटर लू की लड़ाई का निर्णय उन्हीं खेल के मैदानों में हो गया था। "The Battle of Waterloo was won on the play grounds of Etar and Harrow"- वहां पर एक प्रकार का चरित्र निर्माण होता है। हमें तो उस शिक्षा को देना है जो जिन्दगी में काम आये। हमें उस शिक्षा की जरूरत नहीं है जो तोता

चश्म पैदा करे "My parrot can think a lot but can speak nothing and can do much less than nothing." कार्य करने की क्षमता पैदा करना व उसका विकाश करना तो दूर रहा, वह प्राकृतिक देन को भी खत्म कर देती है। इस तरह का स्टाफ यूनिवर्सिटी में मैनुफैक्चर करने से तो इस देश में अनएम्पलायमेंट ही बढ़ेगा। आप जो यह मिलिटरी की शिक्षा शहरों के अन्दर दे रहे हैं यह बात मेरी समझ में नहीं आयी कि जहां चरित्र का कोई मूल्य नहीं है, जहां मानवता की आवाज भी नहीं सुनाई देती उन शहरों के अन्दर से आप मिलिटरी के आफिसर पैदा करना चाहते हैं। इस देश का बड़ा ही दुर्भाग्य होगा जिस रोज हमारे शहरों के ४२० भाई मिलिटरी के अन्दर दाखिल होकर राष्ट्र का रक्षाभार ग्रहण करेंगे। अगर आप इस देश को सुरक्षित रखना चाहते हैं, अगर इस देश का कमान्ड काबिल और अच्छे हाथों में देना चाहते हैं तो इस भावना से फैसला करें कि इन कालेजों को, इन स्कूलों को जिनमें कि आप मिलिटरी शिक्षा देना चाहते हैं, देहातों के अन्दर ले जाइए। शहर के अन्दर रहने वाले कमर बल खाते हुये बच्चों से यह काम होने वाला नहीं है। वे तो अपनी सूरत बनाने में ही लगे रहते हैं। मुझे तो उनके अन्दर मिलिटरी ट्रेनिंग की कोई भी बात नहीं दिखलाई देती। इसलिये मैं माननीय शिक्षा मंत्री का ध्यान इस ओर खासतौर से आकर्षित करना चाहता हूं।

इसके अतिरिक्त इस सदन में कहा गया है कि मास्टरों की तनख्वाहें दे दी गयी हैं, जिला बोर्डों की हालत सुधर गयी है। मैं पूंछना चाहता हूं कि जो कि जेंटिलमेंस एग्रीमेन्ट जिला बोर्ड और इस सरकार के दरमियान हुआ था वह क्या था वह यह था कि जब गवनमेंट प्राइमरी विद्यालयों को जिला बोर्डों को ट्रांस्फर करती है तो जो ग्रांट उनको पहले दी जाती थी उसमें गवर्नमेंट कोई इंटरफियर नहीं करेगी और यह बोर्ड के ऊपर छोड़ दिया जाय कि वे जिस तरह से चाहें खर्च करें। लेकिन उस जेंटिलमैन्स एग्रीमेंट के खिलाफ गढ़वाल जिला बोर्ड तथा यू० पी० के और बोर्ड्स की ग्रांट में लाखों रुपये की कमी कर दी गई। यह कौन सा जेंटिलमेंस एग्रीमेंट था? मैं पूछना चाहता हूं कि आप लोग जो पढ़े लिखे हैं और इस सदन में बैठे हैं, हमारी सरकार ने बहुत बड़ी जिम्मेदारी ली है, क्या इसी को जेंटिलमैन्स ऐग्रीमेंट कहते हैं? क्या इस जेंटिलमैन एग्रीमेंट का यही जस्टिफिकेशन है कि गढ़वाल बोर्ड का साढे चार लाख रुपया कम कर दिया गया? आखिर उस एग्रीमेंट को क्यों नहीं फुलफिल किया? इसके अलावा और भी कहा गया कि बोर्ड के मास्टरों की तनख्वाह बढाई गयी है। हमारे गढ़वाल में टीचरों की तनख्वाह २५ रु० है और मैं जानता हूं कि उनको ५० से लेकर ८० और सौ सौ मील पर एप्वायंटमेंट मिलता है। और एक टीचर को अपने साथ दो मन सामान वहां ले जाने के लिये ४५ से ६० रुपया तक भाड़ा देना पड़ता है। फिर आप सोच सकते हैं कि वह मास्टर उस स्कूल में अच्छी तरह से काम कर सकता है? मैं समझता हूं कि यह सरकार बुजदिल लोगों की है। फिर किस तरह से शिक्षा को आगे बढा सकेंगे? हम चाहते हैं कि आइन्दा इस तरह से नये डिग्री कालेज खोलने की आवाज इस सदन में तब तक न लगाई जाय जब तक गरीबों के लिये निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा का पूरा २ प्रबन्ध नहीं किया जाता।

श्री श्रीनाथ राम (जिला आजमगढ़)—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सर्वप्रथम तो मैं आपको इसके लिये धन्यवाद देना चाहता हूं कि आज लगभग दो वर्ष के बाद मुझे बोलने का अवसर मिला है और उसके पश्चात् मैं माननीय शिक्षा मंत्री को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने ९ करोड़ ४७ लाख ५१ हजार रुपये का ऐसा बजट पेश किया है जो प्रगति का द्योतक है। अगर हम शिक्षा के पिछले तीन वर्षों के बजट को देखें तो मालूम होगा कि सन् १९५२–५३ में ७,८४ लाख रुपया इस मद में रखा गया था और ५३–५४ में ५६ लाख की वृद्धि करके ८ करोड़ ४० लाख रुपये का बजट रखा गया और इस चालू वर्ष में यह १ करोड़ ७ लाख रुपये और बढाकर ९ करोड़ ४७ लाख ५१ हजार का बजट शिक्षा पर है। इस प्रकार लगातर तीन वर्षों के बजट को देखने से पता चलता है कि हम शिक्षा में प्रगति करते आ रहे हैं। इसमें संदेह नहीं है कि प्रारम्भिक शिक्षा की संस्थाओं की संख्या और उसी प्रकार जूनियर हाई स्कूलों और कालेजों

[श्री श्रीनाथ राम]

की संख्या भी बढ़ती जा रही है। इसके अतिरिक्त प्रान्त में एक विश्वविद्यालय भी खोलने की चर्चा की गई है। तो इससे मालूम पड़ता है कि हम शिक्षा में दिन प्रति दिन प्रगति करते जा रहे हैं। इसके अतिरिक्त ३२ सौ नये अध्यापकों को रखकर जो प्रारम्भिक शिक्षा में नयी प्रगति लाने के लिये चेष्टा की गयी है उसके लिये मैं माननीय मन्त्री जी को हृदय से धन्यवाद देता हूं। इस नयी योजना को हमने देखा है। उसमें यह तो है ही कि हम अपनी शिक्षा पद्धति को बदलना चाहते हैं। लेकिन उसके साथ ही ३२ सौ अध्यापकों की नियुक्ति बेकारी की समस्या को हल करने में बहुत सहायक होगी। यह चीज हमारे लिये बड़े गर्व की हो रही है। किन्तु एक बात मैं कहना चाहता हूं कि जो १० एकड़ भूमि प्रत्येक पाठशाला के लिये रखी गयी है, ली जायगी तो उसकी उपयोगिता उस शिक्षा संस्था में क्या होगी? उसकी उपयोगिता के बारे में मैं बतलाना चाहता हूं कि वे विद्यार्थी जो प्रारम्भिक स्कूलों में पढ़ते हैं कक्षा एक से आठ तक उनकी अवस्था १२ या १४ वर्ष से अधिक न होगी। उनके लिये १० एकड़ या ५ एकड़ भूमि की व्यवस्था होगी तो उस भूमि की उपयोगिता क्या हो सकती है? अगर वह भूमि किसी किसान के पास रहती तो उससे ज्यादा अन्न उपजा सकता है और जो राष्ट्रीय क्षति होने जा रही है उसके पास रहने से बचायी जा सकती है। लेकिन अगर उन शिक्षा संस्थाओं को १० एकड़ और ५ एकड़ भूमि दी जाती है तो उनके १२ और १४ वर्ष के विद्यार्थी उसको किस उपयोग में लावेंगे और वह क्या फायदा उठा सकेंगे। अच्छा तो यह होता कि इसकी व्यवस्था हायर सेकेन्डरी स्कूलों में की जाती।

इसके बाद मैं प्राइवेट स्कूलों के बारे में भी कुछ शब्द कहना चाहता हूं। आज प्राइवेट स्कूलों को व्यापार के ढंग में उपयोग किया जाता है और इस प्रकार की शिक्षा संस्थाओं को पददलित किया जा रहा है। इन प्राइवेट स्कूलों का जो मैनेजमेंट है अध्यापकों के साथ उनके व्यवहार दिन प्रति खराब होते जा रहे हैं। कोई भी मैनेजमेंट कमेटी आज किसी संस्था को ठीक ढंग से नहीं चला रही है। यही कारण है कि प्रतिदिन झगड़े होते हैं। अध्यापकों को कम वेतन दिया जाता है और उनके अध्यापन का समय भी निश्चित नहीं हो पाता। अगर किसी अध्यापक का उसके स्कूल के मैनेजिंग कमेटी के किसी मेम्बर से कोई अनबन हो जाती है तो वह हमेशा उसको निकालने की धमकी देता है। हम यह भी देखते हैं कि जो अध्यापक किसी संस्था में अध्यापन कार्य कर रहे हैं उनके वेतन के बारे में हमेशा यह शिकायत रहती है कि उनको उचित वेतन समय पर नहीं दिया जाता है। यह भी होता है कि जो अध्यापक अपनी बी० ए० और एम० ए० की परीक्षा पास करने के बाद और ट्रेनिंग लेने बाद स्कूलों में अध्यापन के लिये जाते हैं विवश हो कर बहुत कम वेतन पर काम करते हैं। इसकी ओर मैं माननीय मन्त्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि इस प्रकार मैनेजमेंट कमेटियाँ जो अध्यापकों के साथ दुर्व्यवहार किया करती हैं इसे वे रोकने का प्रयत्न करें।

मैं एक चीज और बतला देना चाहता हूं कि आजमगढ़ जिले में दो कालेज हैं। एक आजमगढ़ में एस० के० पी० और दूसरा मऊ में जीवन राम हायर सेकेन्डरी स्कूल है। इनमें कृषि की शिक्षा दशवें दर्जे तक दी जाती है। वहाँ जो अध्यापन होता है वह, जैसा कि माननीय मन्त्री जी ने कहा है कि उन्होंने कृषि शिक्षा की व्यवस्था प्रारम्भिक स्कूलों में की है, मैं समझता हूं कि अब आगे चल कर हमारे लिये बहुत लाभदायक सिद्ध होगा। उसके साथ ही साथ आजमगढ़ जिले में जो वे दो कालेज हैं उनमें अभी तक दसवीं कक्षा तक ही कृषि का अध्यापन होता है। अगर उनमें इन्टरमीडीएट कक्षा तक कृषि शिक्षा दी जाय तो हम समझते हैं कि उससे इस कृषि योजना की काफी प्रगति हो जायगी। किन्तु यदि हम यह चाहें कि वहाँ के वह प्राइवेट कांस्टीट्यूशन्स कृषि शिक्षा की व्यवस्था कर ले तो मैं समझता हूं कि यह उनके लिये बहुत ही मुश्किल हो जायगा। इसका कारण यह है कि इसकी जो प्रणाली है और

कृषि कालेज की जो शर्तें हैं वह इतनी कड़ी हैं कि उन्हें प्राइवेट इंस्टीट्यूशन्स पूरा नहीं कर सकते। मैं यह जानता हूं कि कृषि कालेज में इन्टरमीडियेट के दर्जे तक शिक्षा खोलने के लिये एक लाख रुपया सेक्योरिटी के लिये देना पड़ता है और तब कहीं वह इन्टरमिडीयेट कक्षा तक कृषि की शिक्षा दे सकते हैं। मैं माननीय मन्त्री जी से निवेदन करूंगा कि आजमगढ़ और मऊ में इन्टरमीडियेट तक कृषि की शिक्षा की व्यवस्था की जाय।

दूसरी चीज यह है कि आजमगढ़ जिले में कुछ ऐसे भी इंस्टीट्यूट हैं जिनको को बहुत जल्दी ही मान्यता मिली और उन्होंने सदस्य संख्या भी प्राप्त कर ली। पर मुहम्मदाबाद हायर सेकेन्डरी स्कूल जो कि सन् १९४८ ई० से चल रहा है जिसका कि आजमगढ़ जिले में परीक्षा-फल बहुत अच्छा होता है, उसमे विद्यार्थियों की स्ट्रेन्थ भी ४०० या ५०० के करीब है, उसको मान्यता तो प्राप्त हो गई लेकिन अभी तक अनुदान नहीं दिया गया है।

यहाँ पर इस बात की भी चर्चा की गई कि विद्यार्थियों को राजनीति में हिस्सा लेना चाहिये या नहीं। यह भी चर्चा की जाती है कि सन् १९४२ के स्वतंत्रता आन्दोलन में फिर विद्यार्थियों ने राजनीति में क्यों हिस्सा लिया। मैं यह कह देना चाहता हूं कि कि आज हमारा देश गुलाम नहीं है। उस वक्त अपने देश की आजादी की लड़ाई में कोई भी साधन इस्तेमाल किया जा सकता था। लेकिन आज हम आजाद हैं और हमारे कर्तव्य भी बहुत ज्यादा बढ़ गये हैं। इस लिये आज यह आवश्यक नहीं कि वह राजनीति में हिस्सा लें। इस लिये मैं यह निवेदन करूंगा कि जहाँ कहीं भी इस प्रकार की अनुशासनहीनता हो जो विद्यार्थियों को राजनीति में चौपट कर रही हो उसको रोकने का प्रयत्न किया जाय।

मैं एक दूसरी आवश्यक बात की ओर माननीय मन्त्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं और वह महिलाओं और छात्राओं की शिक्षा के संबंध में है। एक ओर तो यह है कि को-एजूकेशन छात्र और छात्राएं जिस प्रकार भी चाहें स्वतंत्रतापूर्वक अध्ययन करें और दूसरी ओर महिला शिक्षण केन्द्रों में इतना कड़ा प्रतिबन्ध है कि वहाँ छात्रायें अपने पिता से भी नहीं मिल सकती हैं। एक ओर तो प्राचीन संस्कृति का अवलम्बन किया जाता है और दूसरी ओर पाश्चात्य सभ्यता अपनाई जाती है। इस तरह से तो हम किसी भी पद्धति का अनुसरण नहीं कर रहे हैं। इसमें हमारे देश को बड़ा नुकसान हो रहा है। अंत में मैं माननीय मन्त्री जी का ध्यान इस ओर आकर्षित करूंगा और यह चाहूंगा कि वे शिक्षा की प्रगति की ओर विशेष ध्यान दें और इस प्रकार की जो कुव्यवस्थायें हैं उनको दूर करें।

श्री मलखान सिंह (जिला अलीगढ़)—माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं सब से पहले माननीय मंत्री महोदय का ध्यान इस ओर आकर्षित करूंगा कि संस्कृत कालेज, बनारस, के प्रिंसिपल साहब को जो आज हमारे माननीय सदस्य श्री दीनदयालु शास्त्री जी ने सार्टिफिकेट दिया है, उस पर वे ध्यान दें। यह हो सकता है कि वह हमारे नेता राजनारायण जी के सार्टिफिकेट को ठुकरा दें क्योंकि वे संस्कृत के इतने विद्वान नहीं हैं। लेकिन माननीय दीनदयाल जी शास्त्री जो संस्कृत के एक बहुत बड़े विद्वान हैं जिन्होंने गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय में शिक्षा पायी है और वहां के ग्रेजुएट हैं और जो संस्कृत कालेज, बनारस, की ऐडवाइजरी कमेटी के सदस्य भी हैं, मैं समझूंगा कि उन्होंने जो सार्टिफिकेट आज दिया उसके ऊपर वे अच्छी तरह से विचार करेंगे।

दूसरी बात विचार की यह है कि जैसा कि और सदस्यों ने कहा है कि हमारी सरकार को सबसे पहले इस बात की ओर ध्यान देना चाहिये कि हमारे सूबे से निरक्षरता दूर हो जाय। मुझे मालूम है कि सन् १९४७ में जब मिनिस्ट्री बनी थी तब एक घोषणा की गयी थी कि अगले दस वर्ष में निरक्षरता दूर कर दी जायगी और शिक्षा का बड़ा प्रसार होगा। स्कूल खोले गये, नाइट स्कूल खोले गये, लेकिन वह स्कीम थोड़े दिन चल कर ठप हो गयी। मैं यह चाहता हूं कि इस तरह की स्कीमें सरकार न बनाये जो दो दिन चलें और तीसरे दिन ठप हो जायं। मैं पहले भी कह चुका हूं और आज भी इस बात पर जोर देना चाहता हूं कि

[श्री मलखान सिंह]

जब तक आप सूबे के हर एक बालिग स्त्री और पुरुष को साक्षर नहीं बना देंगे तब तक आप किसी भी तरह से उन्नति की तरफ कदम नहीं बढ़ा सकते। मैं इस बजट में इस तरह की कोई चीज नहीं पाता।

आगे चलकर मैं आप को बताऊंगा कि आज जो सरकारी अंग्रेजी स्कूल हैं उनमें एक पूरा घंटा ६० मिनट का रचनात्मक कार्यक्रम के लिये रखा गया है। मैं अपने निजी अनुभव से और सरकारी स्कूलों को देखने के बाद आपसे यह कह देना चाहता हूं कि यह एक घंटा जो उनसे लिया जाता है यह पढ़ाई के घंटों से निकाल करके लिया जाता है, शिक्षा का आइटम कम कर दिया जाता है, इससे बराबर हानि हो रही है और विद्यार्थियों के अन्दर उच्छृंखलता फैलती है, अनुशासनहीनता फैलती है और वहां पर कांस्ट्रक्टिव वर्क कुछ भी नहीं हो पाता है। देहातों में तो गवर्नमेंट हाई स्कूल हैं नहीं। वहां पर तो आप रचनात्मक कार्य से कुछ फायदा उठा भी सकते हैं, लेकिन जितने भी गवर्नमेंट हाई स्कूल हैं वह सब शहरों के अन्दर हैं और वहां पर कोई भी फायदा रचनात्मक कार्य का नहीं होता है बल्कि अनुशासनहीनता फैलाई जाती है, पढ़ाई का टाइम कम किया जाता है।

मैं आपको यह भी आगे बतलाऊंगा कि जैसा अभी उधर के भाई ने कहा कि सैनिक शिक्षा यहां के १८ इंटरमीडियेट कालेजेज में दी जाती है, लेकिन वहाँ पर अगर आप जायं और देखें तो शायद फर्स्ट ईयर क्लास के ३० से लेकर ५० फीसदी विद्यार्थी हिस्सा लेते हों, और सेकेंड ईयर के ५ से लेकर १० फीसदी तक हिस्सा शायद लेते हों, और कई इंटरमीडियेट कालेज के सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स हिस्सा ही नहीं लेते हैं। कहा जाता है कि हजारों विद्यार्थियों को सैनिक शिक्षा दे रहे हैं लेकिन यह केवल कागज पर ही चीज होगी। मैं यह चाहता हूं कि सैनिक शिक्षा यहां हर एक नौजवान को देनी चाहिये। जहाँ सैनिक शिक्षा दी जा रही है वहां उनकी वर्दियां तीन, चार और पांच साल की पुरानी हैं, फटी हैं, चीथड़े हैं, लेकिन उन्हीं को पहनाकर उनको शिक्षा दी जाती है। मैं यह भी बतलाऊं कि इस ट्रेनिंग में जो शिक्षक लोग हिस्सा लेते हैं उनको वर्दी देने का कोई प्रबन्ध ही नहीं है। तो यह है क्या? इधर तो हम कहते हैं कि हम नयी यूनिवर्सिटियां खोलने जा रहे हैं और उधर जो पुराने स्कूल हैं उनको ठीक रूप से चलाना नहीं चाहते हैं जैसा कि अभी मेरे भाई ने कहा कि हम नयी नयी इमारतें बनाने जा रहे हैं और जो पुरानी इमारतें हैं वे बर्बाद होती जा रही हैं। हमारी एक निश्चित नीति होनी चाहिये कि जो चीज हमें रखनी है वह दृढ़तापूर्वक चलानी है बजाय इसके कि और रुपया हम नयी चीजों में खर्च करें। तो जैसा कि माननीय दीनदयालु शास्त्री ने कहा, मैं इसके खिलाफ नहीं हूं कि बनारस में संस्कृत यूनिवर्सिटी न हो, लेकिन साथ ही मैं चाहूंगा कि ऋषिकुल, गुरुकुल कांगड़ी, ज्वालापुर महाविद्यालय हैं उनकी ओर भी सरकार का ध्यान रहे और इधर भी गंगा किनारे एक संस्कृत यूनिवर्सिटी स्थापित की जाय। संस्कृत का प्रचार जब तक आपके देश में नहीं होगा मेरा ख्याल ऐसा है कि जो छोटे-छोटे विद्यार्थी हैं, जो अपरिपक्व हैं उनमें सदाचार की शिक्षा आना उनमें अपने से बड़े लोगों के प्रति मान मर्यादा का होना नामुमकिन सा ही रहेगा।

मैं आगे चल कर आपका ध्यान इस ओर भी दिलाऊंगा कि जो गवर्नमेंट स्कूल्स में आपके यहां नियुक्तियां की जाती हैं वे दो ही प्रकार से की जाती हैं, एक तो पी० एस० सी० के जरिये से या आपकी एजुकेशन की सेलेक्ट कमेटी के जरिये से। लेकिन विभाग टेम्पोरेरी एप्वाइन्टमेंट थोड़े समय के लिये कर लेता है और फिर वे ही चलते रहते हैं और जो लोग पहले से ही शिक्षा का काम कर रहे हैं उनका कहीं पर ध्यान नहीं रखा जाता है। इस तरह से जो लोग योग्य व्यक्ति हैं वे रह जाते हैं और जो नये आये हैं और जिनकी योग्यता भी उतनी नहीं वे आगे बढ़ जाते हैं। तो यह भी चीज ठीक नहीं है। इसके साथ ही मैं यह भी बताऊंगा कि यह भी प्रथा चल पड़ी है कि हम रिएप्वाइंटमेंट करते हैं और एक्सटेंशन भी देते हैं। इससे नवयुवक

शिक्षक लोग जो हैं उनकी हिम्मत टूट जाती है। इसलिये मैं समझता हूं कि यह प्रथा भी खत्म होनी चाहिये।

मैं दो और बातें कहूंगा और वह यह कि माध्यमिक स्कूल और कालेजेज सरकारी या अर्द्ध-सरकारी जितने हैं उनमें शिक्षकों के वेतन का स्तर बराबर होना चाहिये। हम यह देखते हैं कि गवर्नमेंट स्कूलों में वेतन भी ज्यादा मिलता है और साल भर के बाद जब रेजल्ट देखते हैं तो प्राइवेट स्कूलों से नीचे ही रहता है। इसके अलावा लड़कियों की शिक्षा की बात भी हमारे सामने रखी गई कि देवरिया गर्ल्स स्कूल में एक शरणार्थी लड़की की फर्स्ट पोजीशन आई और एक दूसरी लड़की जो चौथे, पांचवें नम्बर पर थी उस शरणार्थी लड़की को तो स्कालरशिप दिया गया और उस पहली लड़की को नहीं दिया गया। तो स्कालरशिप भी प्रिंसिपल महोदया के चाटुकारों को ही मिलता है। मैं यह भी बताऊंगा कि हाई स्कूल वगैरह में जो अनुदान सरकार की तरफ से दिया जाता है, मुझे मालूम नहीं, अभी माननीय शास्त्री जी ने बताया कि हरिद्वार और ज्वालापुर में जहां हाई स्कूल को ६ हजार मिल रहे हैं वहां एक को मुझे पता है २,४०० रुपये ही मिल रहे हैं और मैं मैनपुरी में जसराना की बात बतलाता हूं कि वहां पर इंटरमीजियेट कालेज के होते हुये भी ३,६०० रुपये ही मिलते हैं। तो एजुकेशनल कोड की धारा २७७ में दो ही कायदे हैं जिनके मुताबिक ग्रांट मिलनी चाहिये। एक तो यह कि खर्च और आमदनी में अन्तर से अधिक न हो या दूसरे सालाना खर्चे के आधे से अधिक न हो मगर यहां इस नियम का कोई पालन नहीं होता है। मैं चाहता हूं कि जो नियम आपने बनाये हैं उनका पालन होना चाहिये।

श्री उपाध्यक्ष—माननीय शिक्षा मंत्री।

(शिक्षा मंत्री बोलने के लिए खड़े हुए।)

श्रीमती चन्द्रावती (जिला बिजनौर)— प्वाइंट आफ आर्डर। मुझे आपसे नम्र निवेदन करना है कि यह शिक्षा सम्बन्धी प्रश्न स्त्रियों के लिये उतने ही महत्व का है, लेकिन किसी सदस्या को बोलने का मौका नहीं दिया गया। तो हमें प्रार्थना करनी है कि हम लोगों को भी बोलने का मौका दिया जाय।

श्री उपाध्यक्ष—मैंने आपको खड़े होते हुए नहीं देखा।

श्रीमती चन्द्रावती—उपाध्यक्ष महोदय, मैं पहले भी खड़ी हुई और मैं इसकी गवाही भी दिला सकती हूं।

श्री उपाध्यक्ष—माननीय शिक्षा मंत्री।

***श्री हरगोविन्द सिंह**—उपाध्यक्ष महोदय, इस अनुदान के सम्बन्ध में यह बड़े ही संतोष की बात है कि शिक्षा के प्रायः सभी पहलुओं पर माननीय सदस्यों ने प्रकाश डालने का प्रयत्न किया है और इसलिये मेरा कार्य काफी कठिन भी होगया है। सभी माननीय सदस्य यदि यह समझें कि मेरे लिए यह संभव हो सकेगा कि हम एक-एक स्कूल, एक-एक जिले के बारे में यहां अपना पक्ष रखें तो शायद न आपके पास उतना समय होगा और न इस समय हमारे पास वह सब सूचना ही उपलब्ध है। तो इस कारण जो व्यक्तिगत बातें कही गयी हैं या खास-खास स्कूलों की या विद्यालयों के बारे में बातें कही गयी हैं उन पर मैं आपके द्वारा इस भवन के माननीय सदस्यों से क्षमा मांगूंगा यदि उस पर मैं प्रकाश न डाल सकूं। जहां तक ऐसे प्रश्नों का सम्बन्ध है जिनको आप सार्वजनिक प्रश्न कह सकते हैं उन्हीं का उत्तर आपके समक्ष रख सकता हूं।

एक बात और कह देना चाहता हूं। इस भवन में विभागीय अधिकारियों के बारे में भी कहा गया। मैं इसको स्वतः बड़ा अनुचित समझता हूं कि किसी हमारे अफसर की बात यहां कही जाय, या यह कहा जाय कि उनकी यह त्रुटियां हैं और इस कारण उसके ऊपर कोई

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री हरगोविन्द सिंह]

कार्यवाही होनी चाहिये । प्रत्येक माननीय सदस्य को यह अधिकार है कि यदि वह किसी विभागीय अफसर के निस्बत कुछ शिकायत करना चाहता है तो वह कर सकता है । मैं उसका स्वागत करूंगा और इस बात का प्रयत्न करूंगा कि जो उचित कार्यवाही उस में हो वह अवश्य उसके खिलाफ की जाय । लेकिन इस भवन में खड़े हो कर एक अफसर के प्रति कुछ कह दिया जाय और उस बेचारे को इस बात का अवसर नहीं कि वह अपने पक्ष को आपके सामने रख सके, मैं समझता हूं कि यह उसके साथ बड़ा भारी अन्याय है और यह कदापि नहीं होना चाहिये । तो ऐसी सूरत में मैं प्रश्नों को भी भवन के सामने नहीं लूंगा जो इस श्रेणी में आते हैं ।

मैं यूनिवर्सिटीज से ही आरम्भ करता हूं । यूनिवर्सिटीज के बारे में एक ओर तो यह कहा गया कि इन से हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं होती, इनको बन्द कर देना चाहिये हो सकता है । दूसरी ओर से यह भी कहा गया कि इन को जितनी सहायता मिलती है वह पर्याप्त नहीं है । इससे अधिक सहायता उनको मिलनी चाहिए। मैं इस पक्ष का तो नहीं हूं कि इन विश्वविद्यालयों को बन्द कर देना चाहिए। चाहे कोई कितने ही जोर से क्यों न बोले लेकिन विश्वविद्यालयों को बन्द करना अपने देश के विकास के बन्द करना और अपनी आने वाली सन्तान के विकास को बन्द करना होगा और मैं यह भी कहूंगा कि वह देश कभी भी उन्नतिशील नहीं कहा जा सकता जहां कि विश्वविद्यालय न हों। आज की दुनिया की दौड़ में मैं समझता हूँ वही देश जीवित रह सकता है जो अपने नवयुवकों को ऐसी शिक्षा देता है कि वह आज जो उसके चारों ओर दुनिया में संघर्ष चल रहा है उसमें अपने देश को एक अच्छा स्थान दिला सके। यह तभी हो सकता है जब हमारे ये विश्वविद्यालय अच्छे प्रकार से चलते रहें। हो सकता है कि आज कल यह एक परिपाटी सी चल पड़ी है कि हर एक आदमी अपना सम्मान समझता है कि खड़े होकर शिक्षा पद्धति के खिलाफ बहुत कुछ कहने में। आखिर किसी देश की शिक्षा पद्धति निर्धारित होती है उस देश की आवश्यकताओं से। आज जो वर्तमान शिक्षा पद्धति है उसके खिलाफ यह तो अवश्य कहा जा सकता है कि शायद हमारी कुल आवश्यकताओं की पूर्ति आज उससे नहीं हो रही है । लेकिन यह कहना कि जिस वक्त यह शिक्षा पद्धति यहां आरम्भ की गई थी उस समय देश की या हमारे शासकों की जो आवश्यकतायें थीं उन्हीं की पूर्ति के लिए उन्होंने इसे आरम्भ किया था। यह बदलाव जो हो गया, अवस्था में, परिवर्तन जो हो गया, गुलामी से छूटकर हम स्वतन्त्र हो गये । तो हमें शिक्षा पद्धति में परिवर्तन करना चाहिए, लेकिन उसका बेकारी से कोई सम्बन्ध नहीं होता। यह तो एक दोष आ गया है । हमारे भाव ऐसे बन गये हैं कि हम शिक्षा का सम्बन्ध जोड़ लेते हैं नौकरियों से। यदि शिक्षा का सम्बन्ध नौकरियों से न रहे तो किसी को शिक्षा देना जिसमें कि वह ज्ञान प्राप्त कर सके, वह अनुसन्धान कर सके, वह खोज कर सके, इसमें क्या हानि है। हम प्रकृति के सीक्रेट्स को बहुत कम जानते हैं या यह कहा जाय कि करीब नहीं के बराबर जानते हैं, तो अगर हम उसका अनुसन्धान करें, उसकी जो गुप्त चीजें हैं, उनको खोजें, उनको निकालें तो उसी से देश का और समस्त मानव समाज का विकास हो सकता है, और यह तभी हो सकता है जब हम इन शिक्षा संस्थाओं को ऊंचे स्तर पर ले जायं, अपने विश्वविद्यालयों को ऊंचे स्तर पर ले जाएं। धन की कमी है लेकिन ज्यों-ज्यों देश आगे बढ़ता जायगा, धन भी मिलता जायगा और इससे किसी समय यह सम्भव हो सकेगा कि हमारे ये विश्वविद्यालय दुनियां के किसी विश्वविद्यालय से पीछे न रहें। यही हमारी इच्छा है और यही हमारी आकांक्षा है और यही प्रयास भी है। हम चाहते हैं कि हमारे ये विश्वविद्यालय इतने ऊंचे शिखर पर हों कि दुनिया के और स्नातक हमारे इन विश्वविद्यालयों में शिक्षा प्राप्त करने के लिये आवें। काटजू साहब यहां इस समय नहीं हैं, अगर वह होते तो मैं उनकी मूथम कमेटी से उद्धरण पढ़ कर सुनाता जिसमें कि मूथम कमेटी ने यह कहा है कि जो इस समय १५ लाख रुपये का कर्ज है उसमें से

१४ लाख रुपया कर्जा केवल इस कारण से है कि वहां उन्होंने कानून की अवहेलना करके, सरकार की आज्ञाओं की अवहेलना करके अपनी तनख्वाहें बढ़ा लीं। तो चाहे जो भी अवस्था हो, यह कहना ठीक है कि विद्यार्थियों की संख्या बहुत बढ़ गई लेकिन यही भी कहना ठीक है कि विद्यार्थियों की संख्या में वृद्धि के कारण उनको यह अधिकार कदापि नहीं था कि वह बिना जहां से उनको रुपया मिलने वाला है उससे पूछे अपने ऊपर कर्ज का बोझ लाद लें। यह उनके लिए शोभा की बात नहीं है। और केवल इस कारण ही अपने ऊपर कर्ज ले लेना कि कोई सरकार यूनिवर्सिटी को बन्द नहीं करेगी और वह कर्ज देने के लिए मजबूर होगी। हो सकता है कि उनके दिमाग में यह रहा हो कि वह प्रथम स्थान अपनी सूची में अपनी यूनिवर्सिटी को देते हैं। लेकिन लेजिस्लेचर जिसको रुपया देना पड़ता है उसके सामने और ऐसी चीजें हो सकती हैं जिनको वह प्रथम स्थान देना चाहता है और सम्भव है कि उसमें यूनिवर्सिटी को प्रथम स्थान न दे। इस प्रकार से ऐसी संस्थाएं जिनके द्वारा हम प्रकाश की इच्छा रखते हैं, जहां से हम चाहते हैं कि हमारे देश में प्रकाश फैले, उन संस्थाओं की ओर से इस प्रकार से अवहेलना हो इस प्रकार से नियम तोड़ा जाय और फिर भी उनके बारे में उनकी तारीफ की जाय और यह कहा जाय कि उनको रुपया कम दिया जा रहा है वह रुपया और अधिक हो जाना चाहिए और उनको इस बात का भी अधिकार हो कि वह जितना चाहें उतना कर्ज लादते जायं, मैं समझता हूं कि यह ठीक नहीं है। अगर हमारे पास अधिक रुपया नहीं है तो हम यूनिवर्सिटीज को नहीं दे सकते, तो मुझे यह कहने में तनिक भी संकोच नहीं हो सकता कि हम इतने रुपये में केवल इतने विद्यार्थियों को शिक्षा दे सकते हैं। और विद्यार्थियों को शिक्षा नहीं दे सकते हैं। अगर देश गरीब है तो भूखे रहकर शिक्षा नहीं दे सकते। उसके सम्बन्ध में मुझे केवल इतना ही कहना है।

(इस समय ४ बजकर ५१ मिनट पर श्री उपाध्यक्ष के चले जाने पर श्री अध्यक्ष पुनः पीठासीन हुए।)

माध्यमिक शिक्षा के सम्बन्ध में शास्त्री जी ने और श्री मलखान सिंह जी ने यह कहा कि बहुत से स्कूलों को ग्रांट बहुत मिलती है और बहुत को कम मिलती है। जो नियम है उसके अनुसार नहीं मिलती है। ऐसा तो शायद नहीं है।

मैंने कल ही अपने शिक्षा संचालक से पूछा कि क्या कोई स्कूल ऐसा भी है जिसको इस नियम के अनुकूल सरकारी अनुदान नहीं मिलता। तो उन्होंने मुझ को बताया कि कोई भी ऐसा स्कूल नहीं है। हां, यह हो सकता है कि कुछ अन्तर हो। वह अन्तर होता क्यों है? उसका कारण यह है कि बहुत सी जगहों के लिए शिक्षकों की योग्यता निर्धारित होती है। अगर कोई स्कूल निर्धारित योग्यता के अनुकूल शिक्षकों की नियुक्ति नहीं कर सकता तो उसको डिपार्टमेंट ऐप्रूव नहीं करता और उसकी तनख्वाह मैनेजर्स रिटर्न में डिपार्टमेंट नहीं जोड़ता है। जो मौजूदा नियम है मैं मानता हूं कि वह संतोषजनक नहीं है। उस नियम में बड़ी भारी त्रुटि यह है--वह नियम यह है कि ऐप्रूव्ड इनकम, और ऐप्रूव्ड एक्स्पेंडीचर दोनों का अन्तर एक तरफ रखा जाय। और ऐप्रूव्ड एक्सपेंडीचर का आधा दूसरी तरफ रखा जाय। दोनों में जो कम हो उसी से अनुदान निर्धारित होता है। इस नियम में सब से बड़ी त्रुटि यह है कि यदि कोई विद्यालय या कोई महानुभाव जो उस विद्यालय की सेवा करते हैं बाहर से अगर रुपया लाएं तो ऐप्रूव्ड इनकम होने की वजह से जब वह एप्रूव्ड एक्सपेंडीचर से घटाया जाता है तो वह संख्या कम होती है उसी का आधा उसको मिलता है। नतीजा यह होता है कि जो स्कूल बाहर से प्रबन्ध करके कुछ नहीं लाते हैं उनको अनुदान अधिक मिलता है। और जो प्रयत्न करके बाहर से रुपया चन्दा इकट्ठा करके ले आये उनको अनुदान कम मिलता है, यह

[श्री हरगोविंद सिंह]

इसमें त्रुटि है। उसमें किसी को प्रोत्साहन नहीं मिलता लेकिन मैं इतना कहता हूं कि शायद एक स्कूल भी इस प्रान्त में ऐसा न होगा जिसको उस नियम के अनुकूल सरकारी सहायता न दी जाती हो। वह नियम जैसा मैंने कहा दोषपूर्ण है और इस कारण बहुत संभव है, मैं वायदा तो नहीं करता, कि दूसरे आने वाले वर्ष के लिये अब अनुदान पेश हों तो शायद हम इस अवस्था में होंगे कि आपसे कहें कि अब इस नियम के अनुकूल अनुदान नहीं दिए जायंगे बल्कि ब्लाक सिस्टम के अनुसार एक निश्चित रकम स्कूलों को दी जायगी जिससे वे अपनी विकास की योजनाओं को बना सकें।

एक बात इस सम्बन्ध में और कही गई थी कि सरकारी स्कूल और प्राइवेट स्कूलों के अध्यापकों के वेतन में अन्तर है। अन्तर है इसमें कोई शक नहीं लेकिन उसका कारण भी है। उस कारण को अगर आप दृष्टि में रखें तो शायद आप में से बहुत सज्जन ऐसे होंगे जो शायद यह मानें कि हां, यह अन्तर होना चाहिये क्योंकि जो सरकारी स्कूलों में नियुक्तियां होती हैं वे सरकार द्वारा नहीं होतीं, वे पब्लिक सर्विस कमीशन द्वारा होती हैं और उसमें वही लोग सफल हो पाते हैं जिनकी योग्यता ऊंची होती है। यह सोचा जाता है कि पब्लिक सर्विस कमीशन द्वारा जो नियुक्तियां होती हैं वे इसी आधार पर होती हैं। कभी-कभी पब्लिक सर्विस कमीशन से भी गलती होती है जैसा कि अभी रामनारायण जी ने पेडागागिकल इंस्टीटयूट के बारे में कहा। मैं उसका जिक्र बाद में करूंगा। लेकिन जो नियुक्तियां योग्यता के आधार पर होंगी उनके वेतनक्रम में अन्तर जरूर होना चाहिये। वर्ना उनको प्रोत्साहन नहीं मिलता। दूसरे यह कि आप स्वयं जानते हैं और इसका मुझे खेद भी बड़ा है और भवन के सदस्यों ने भी उस ओर हमारा ध्यान आकर्षित किया है। मैं उनसे बतलाना चाहता हूं कि वह चीज हमारी आंख से ओझल नहीं है। जिस प्रकार से हमारे प्राइवेट स्कूलों में अध्यापकों के साथ व्यवहार किया जाता है वह शिक्षा के लिये बहुत श्रेयस्कर नहीं समझा जा सकता। हम जो बिल आपके सामने ले आने वाले हैं उसमें आप देखेंगे कि उनमें इस बात का प्रयत्न किया गया है कि उनके साथ अच्छा व्यवहार हो। हम यह चाहते हैं कि जहां तक उनकी नौकरियों का सम्बन्ध है वे सुरक्षित हों। मैं यह चाहता हूं कि उनको काफी स्वतंत्रता हो। मैं चाहता हूं कि ये ऐसी संस्थायें हों जो सदा विकास करती रहें। जब तक आप उनको विकास का अवसर न देंगे आप उनसे यह आशा नहीं कर सकते कि वे अच्छे नागरिक पैदा कर के आपको दे सकें। तो इस कारण उनको यह स्वतंत्रता होनी चाहिये कि वे पठन-पाठन का कार्य कर सकें और जो वेतन-क्रम उनको दिया जाता है वह उनको मिल सके। लेकिन जैसा मैंने कहा यह बड़ी भारी समस्या है। इसके कई पहलू हैं। जब मैं वह बिल आपके समक्ष लाऊंगा तब हम इस बात का प्रयत्न करेंगे कि हम उन समस्याओं को आपके सम्मुख रखें।

पेडागागिकल इंस्टीटयूट की बात कही गई। मैं स्वयं यह चाहता था कि वह बात न कही गई होती तो अच्छा ही होता। पब्लिक सर्विस कमीशन की जो रिपोर्ट थी उस रिपोर्ट में यह कहा गया था कि पब्लिक सर्विस कमीशन ने जिस आदमी को नामजद किया सरकार ने उसको नहीं रखा और वास्तव में यह बात ठीक भी है। उसका उत्तर माननीय सदस्य को ज्ञात होगा कि एक पुस्तक जो दी गयी है उसमें मेरा अपना ख्याल यह है कि उसकी ओर प्रकाश डाला गया है लेकिन फिर भी मैं उसको दोहराना चाहता हूं। पब्लिक सर्विस कमीशन को यहां से एक विज्ञापन बना कर भेजा गया कि हम एक ऐसे व्यक्ति को चाहते हैं पैडागोगिकल इन्सटीटयूट के लिये जिसको रिसर्च का भी अनुभव प्राप्त हो। वह एम० ए० हो प्रथम श्रेणी और दूसरी श्रेणी का यह तो था ही लेकिन यह था कि पैडागागिकल में शिक्षा किस प्रकार देते हैं उसको रिचर्च का अनुभव होना चाहिये। पब्लिक सर्विस कमीशन से यहीं एक हमारे विभाग के अफसर हैं उनका नाम आया और उस दूसरे का जिसको गवर्नमेंट

ने बाद में नियुक्त किया उसका नाम नहीं आया। यह आदमी और तरह से ठीक उसके बराबर था लेकिन इसके अतिरिक्त उसने अमेरिका में जाकर पैडोगोगी में वहां ट्रेनिंग ली और जो प्रमाण-पत्र उसके प्रोफेसर ने उसको दिया उसने उसमें यह लिखा कि यह बड़ा प्रतिभाशाली कैंडीडेट रहा है भारत का। तो उसको सरकार ने वहां के प्रोफेसर के कहने पर, यहां से सरकार ने उसको रुपया देकर नहीं भेजा था वह अपने खर्चे से गया था। लेकिन वहां के प्रोफेसर के कहने पर यहां से उसको कुछ रुपया भी दिया गया जिससे वह अपनी ट्रेनिंग को वहां पर पूरा कर ले। तो पब्लिक सर्विस कमीशन से यह पूछा गया कि आखिर क्या बात है, क्यों इस कंडीडेट को नहीं चुना गया क्योंकि पब्लिक सर्विस कमीशन भी एक सलाह देने वाली चीज है। यह दूसरी बात है कि हम उसकी प्रायः सभी सलाहों को मानते हैं लेकिन हम किसी उस सलाह को मानने के लिये बाध्य नहीं हैं जो कि उल्टी हो। अगर पब्लिक सर्विस कमीशन ए को लेता है और बी को नहीं लेता है और अगर उनमें १९, २० का अन्तर है तो हम पब्लिक सर्विस कमीशन की सलाह को मानते हैं और उसकी नियुक्ति करते हैं, लेकिन जो हम विज्ञापन में योग्यता निर्धारित करते हैं वह योग्यता उसमें न हो और पब्लिक सर्विस कमीशन यह कहे कि आप इसको नियुक्त कीजिये तो हमको अधिकार है कि हम अपने मंत्रिमंडल से कहें कि इन कारणों से हम इस नामजदगी या नियुक्ति के खिलाफ हैं। इसमें ठीक यही हुआ। हमने देखा कि जिस व्यक्ति का नाम उन्होंने भेजा है वह रिसर्च से कोसों दूर रहा है और पास तक नहीं गया और जो व्यक्ति अमेरिका में रिसर्चेज ही करता रहा हो वर्षों तक और जिसके पास अच्छा प्रमाण-पत्र भी हो तो उसके लिये मैं बाध्य हुआ कि इस बात के लिये मंत्रिमंडल से कहूं कि यह पब्लिक सर्विस कमीशन की सिफारिश मानने के योग्य नहीं है और यह हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं करता है। पैडागोगिकल इन्स्टीटयूट में इस बात की रिसर्च करना है कि किस प्रकार से लड़कों को शिक्षा दी जाय उसके लिये ऐसे ही व्यक्ति की हमको जरूरत थी जिसने उसकी शिक्षा पायी हो और जिसने रिसर्च भी की हो। इस कारण मैंने स्वयं मंत्रिमंडल के सामने दूसरे व्यक्ति का नाम रखा और मंत्रिमंडल ने उसको स्वीकार किया। मैंने स्वयं मंत्रिमंडल के सामने इसको रक्खा और इसका जिक्र किया। उन्होंने भी यही कहा कि इसमें और उसमें अन्तर ही नहीं है। परन्तु पी० एस० सी० का भेजा हुआ व्यक्ति उस कार्य के लिये अनुपयुक्त है। श्रीमन्, अब यह देखिये कि किस कारण से पी० एस० सी० की सिफारिश नहीं मानी गयी। हम उनको ऐसा व्यक्ति नहीं देना चाहते थे जो कि उनके कार्य में भी सहायक नहीं हो सकता था और हमारे उद्देश्यों की पूर्ति भी वह नहीं कर सकता था। इसी के सिलसिले में बड़े गांव इंस्टीटयूशन का भी जिक्र किया गया। जब इसके पहले जिक्र आया था तो मैं विश्वास दिलाता हूं कि मुझे तनिक भी इस बात का भान नहीं था कि उसमें किसी राजनीति का भी समावेश हो सकता है, कहीं उसकी भी झलक है। आज उनकी बातों से मालूम हुआ कि वहां के प्रिंसिपल साहब कांग्रेस के नहीं थे, समाजवादी थे। इसलिये उनके ऊपर यह ऐक्शन लिया गया। मुझे आज तक उनके कागजात देखने का मौका नहीं मिला। केवल हमारे मित्रों ने कहा कि उनके साथ मैनेजमेंट की ओर से ज्यादती हुई है।

मैंने पहले भी माननीय सदस्यों को यह दावत दी थी कि यदि किसी माननीय सदस्य के समक्ष ऐसा कोई मामला आये जिसमें उन्हें यह मालूम हो कि किसी के साथ ज्यादती हुई है, तो वे मुझसे कह सकते हैं और मैंने वादा किया था कि मैं उनसे कोई चीज नहीं छिपाऊंगा और सब चीजों को रख कर यह जानने की कोशिश करूंगा कि जो चीज हुई है वह ठीक है या नहीं। तो इस सम्बन्ध में शिक्षा संचालक महोदय से बातें करने पर मालूम हुआ कि मैनेजमेंट ने उन्हें अनुशासन-हीनता के ग्राउंड पर निकाला है। ऐजूकेशन कोड में यह है कि जो शख्स अनुशासन-हीनता के बारे में निकाला जाय उसके लिये अधिकारियों की स्वीकृति लेने की आवश्यता नहीं है। यह कोड का नियम है। यह दूसरी बात है कि वे दोषी हों या न हों। ''क्योंकि

[श्री हरगोविन्द सिंह]

कानून में विवाद की कोई गुंजायश नहीं है। हमारे पास ऐसे भी बहुत से केसेज आये जो आर्बीटेशन से फैसले हो गये कि उनको ग़लत तरीके से निकाला गया है और इंस्टीट्यूशन ने कह दिया कि हम इनको नियुक्त नहीं कर सकते। ४-४, ५-८ बरस हो गये उन्होंने उस आर्बीट्रेशन के फैसले को नहीं माना और आज तक ग्रांट नहीं ली। अगर किसी को यह शिकायत है कि उनके साथ ज्यादती हुई है तो उनके लिये आर्बीट्रेशन का द्वार खुला हुआ है। कोई आदमी कत्ल कर देता है तो उसको भी इस बात का मौका दिया जाता है कि वह जवाब दे। मैनेजमेंट ने अगर उनके साथ यह ज्यादती की तो उनको मौक़ा मिलना चाहिये लेकिन उसके बारे में जो बात रामनारायण जी ने कही उससे तो मालूम पड़ता था, और मैं समझता हूं कि माननीय सदस्यों के ऊपर भी यह असर हुआ होगा, कि सरकार ने मैनेजमेंट से कहा कि तुम इनको निकालो। जैसा मैंने कहा, सरकार के पास केवल एक अस्त्र है कि हम ग्रांट बन्द कर दें लेकिन इससे मैनेजमेंट को कोई बड़ा भारी धक्का नहीं लगता है। ग्रांट बन्द होने से पढ़ने वाले लड़कों का नुक़सान हो सकता है और सभी इससे प्रभावित होते हैं क्योंकि सभी के बच्चे वहां पढ़ते हैं। लेकिन अगर मैं इसके सुधार के लिये कोई धारायें उस विधेयक में रखता हूं तो फिर रामनारायण जी यह न कहें कि मैनेमेंट की स्वतंत्रता का या शिक्षा संस्था की स्वतंत्रता का हनन हो रहा है मैं वह धारायें रखने जा रहा हूं। यूनिवर्सिटी के सम्बन्ध में जो विरोधी दल की ओर से भाषण हुये उसे सुनकर मुझे यह बड़ी भारी तकलीफ हुई कि मैं बड़ा भारी मुजरिम हूं जो एक बड़ी संस्था की स्वतंत्रता का अन्त कर रहा हूं और मैं समझता हूं कि आज तो उन्होंने यह कहा और जब इस विधेयक में ऐसा नियम रखेंगे तो वह यही कहेंगे कि स्वतंत्रता का हनन हो रहा है। लेकिन मैं उनको विश्वास दिलाता हूं कि राजनीति का इससे कोई सम्बन्ध नहीं है। हां, यह बात जरूर है, और मैं उसे छिपाना नहीं चाहता, कि मैं बलिया गया हुआ था। मेरे पास वहां के प्रिंसिपल और चेयरमैन डिस्ट्रिक्ट बोर्ड भी बैठे थे। उस समय टीचर्स का स्ट्राइक चल रहा था। उन्होंने यह शिकायत की कि यह टीचर्स के स्ट्राइक में उनको प्रोत्साहन देते हैं और लोगों को लखनऊ स्ट्राइक के करने को भेजते हैं। उस समय मैंने यही कहा कि यह बड़ा अनुचित कार्य है कि कोई आदमी किसी शिक्षा संस्था में प्रिंसिपल का पद ग्रहण करे और टीचरों को स्ट्राइक के लिये लखनऊ भेजे जिन टीचरों से उनका कोई सम्बन्ध नहीं है। वह एक उच्चतर माध्यमिक पाठशाला के प्रिंसिपल हों और प्राइमरी स्कूलों के टीचरों को इस प्रकार लखनऊ भेजें, यह बड़ी अनुचित बात है। न मैं उस मैनेजमेंट को जानता हूं और अगर उन्होंने उस प्रिंसिपल को निकाल दिया तो उसमें कोई राजनीति की बात नहीं थी। आज मैं विरोधी दल के माननीय सदस्यों से यह अनुरोध करूंगा कि जब उनको ऐसी कोई इत्तिला मिला करे तो वह पहले उसके बारे में मेरे पास आकर बात कर लिया करें इसके पहले कि वह सदन में उठ कर कुछ बयान दे देते हैं और एक आक्षेप कर देते हैं। मैं यह समझता हूं कि उनके लिये शोभा की बात नहीं है और भवन के लिये भी शोभा की बात नहीं है। अगर उनके साथ ज्यादती हुई है तो जो विभाग उस मामले में कर सकता है अवश्य करेगा। वह शिक्षा के कार्य में लगे लोगों की रक्षा करने के लिये है। मैं स्वयं यह चाहता हूं और मैं समझता हूं कि यह हमारे देश के लिये बड़े गौरव की बात होगी कि अगर राजनीतिक दल आपस में यह तय कर लें कि शिक्षा संस्थाओं में हमें प्रवेश नहीं करना चाहिये। मैं स्वयं इसका बड़ा पक्षपाती हूं लेकिन मैं जानता हूं कि कुछ राजनैतिक दल तो ऐसे हैं कि जो वह कहेंगे ठीक उसका उल्टा करेंगे। वे आज अगर प्रजातन्त्र के हामी हैं तो इसलिये नहीं कि वे प्रजातंत्र के रक्षक हैं बल्कि प्रजातंत्र की पीठ में छुरा भोंकने के लिये वे उसके हामी हैं। कुछ लोग तो ऐसे हैं और कुछ लोग ऐसे हैं जो अपना कर्तव्य समझते हैं कि नहीं, हमें उसमें जाना चाहिये, प्रजातन्त्र के हामी होते हुए भी।

श्री राजनारायण (जिला बनारस)---आप किस दल के हैं?

श्री हरगोविन्द सिंह—मैं आपके विरोधी दल का हूं। तो मैं यह चाहता हूं कि हमारी शिक्षा संस्थाओं में राजनीति का प्रवेश न हो और इस गन्दी राजनीति का प्रवेश तो कदापि न हो। लेकिन उसके लिये क्या उपाय करूं यह अभी तक कम से कम मेरी समझ में नहीं आया। अभी हमारे एक माननीय सदस्य ने कहा कि जनसंघ की शिक्षा दी जाती है, शोषित संघ की शिक्षा दी जाती है। जो भाई पहले जाति-पांति की निन्दा किये थे वे स्वयं उसके बड़े भारी प्रतीक हैं। वे हमारे प्रान्त में एक संघ है शोषित संघ है उसके बड़े भारी पदाधिकारी हैं। अगर मेरा अनुमान गलत न हो तो वह सब हमारी शिक्षा संस्थाओं में प्रवेश हो रहा है। यह मैं जानता हूं और उसमें मैं चाहूंगा कि इस भवन का प्रत्येक सदस्य इस बात को गम्भीरता से सोचे कि हो सकता है किसी का क्षणिक लाभ हो जाय, कुछ थोड़े से विद्यार्थी उसके साथ हो जायं, हो सकता है कि चुनाव में वे उसके मददगार भी हो जायं लेकिन चुनाव जीत लेना ही किसी राजनीति का उद्देश्य हो, देश को पीछे ढकेल कर, देश को आगे आने वाली सन्तानों के भविष्य का ख्याल न करके, तो मैं समझता हूं कि उस दल को अगर कोई संज्ञा दी जा सकती है तो वह देशद्रोही की संज्ञा ही दी जा सकती है। इसलिये मैं चाहता तो अवश्य हूं और उसके लिये प्रयत्न भी जितना हो सकता है मैं करूंगा कि हमारी शिक्षा संस्थायें इस गन्दी राजनीति से अलग रहें। लेकिन उसमें कितना सहयोग मुझे मिलेगा इस बारे में स्वयं मुझे बड़ा सन्देह है। लेकिन अगर आज की माननीय सदस्यों को उस दिन याद रहेगी तो उस समय मुझे आशा है कि आपका सहयोग मुझे मिलेगा।

हां, श्री रामनारायण त्रिपाठी जी ने कुछ कहा कि बजट में काफी धनराशि कम की गयी है। साइंटिफिक रिसर्च की बात उन्होंने कही थी। साइंटिफिक रिसर्च के लिये हमारे बजट में दो धनराशि हैं। एक तो १ लाख ४८ हजार का बहुत दिनों से चला आ रहा है और दूसरी ५० हजार की धनराशि है। जितना उन्होंने पिछले साल खर्च किया था उतना ही इस साल रखा गया है। तो इसमें कोई कमी नहीं की गयी है। इसी तरह से सोशल सर्विस के बारे में उन्होंने कहा कि इसमें २ लाख ३९ हजार रुपये की कमी की गयी है। शायद उन्होंने हमारा प्रारम्भिक भाषण नहीं सुना। मैंने कहा था कि सोशल सर्विस और मिलिटरी साइंस दोनों को एक साथ अमेलगमेट कर दिया गया है और वह मिलिटरी साइंस के बजट में ही शामिल है लिहाजा उसमें कोई कमी नहीं की गयी है। उसी सम्बन्ध में गाँवों और शहरों की बात भी चलायी गयी। मेरा यह कभी अभिप्राय नहीं था कि गांव के शिक्षालयों में मिलिटरी साइंस को न रखें। मैंने केवल यही कहा था कि अभी जहां हमारे प्रान्त के १७ जिलों में मिलिटरी साइंस है और उन १७ जिलों में भी कुल गांवों के स्कूल नहीं हैं। तो हम एक कदम आगे बढ़ा कर यह करने जा रहे हैं कि हम शहरों और कस्बों के कुल स्कूलों को ले रहे हैं और यह एक बड़ा कदम है। लेकिन उस पर भी बड़े जोरों से यहां कहा गया, अगर बेचारे लाउड स्पीकर में जान होती तो वह भग जाता इस भवन से। यह कहा गया है कि हमने शहरों को ही रखा, देहातों को नहीं रखा। तो मेरा यह कहना है कि शहरों और देहातों की बात इसमें रखना गलत है। चूंकि गवर्नमेंट अभी इतनी ही धनराशि उपलब्ध कर सकती है कि दो अफसरों के अन्दर तीन-तीन जिले रखे जायं, इसमें जो भी विस्तार किया जाता है वह इसी सीमा के अन्दर किया जाता है। और उसके बाद जब हमारे पास और धनराशि होगी तो इसके आगे और भी विस्तार करेंगे।

मुझे दुःख है कि सब बातों का जवाब नहीं दे सका। प्रारम्भिक भाषण में भी मुझे ४५ मिनट मिले थे लेकिन बहुत सी बातें रह गयी थीं और इसके ऊपर भी आक्षेप किया गया कि शायद बौछार से डरकर अपने को सम्हाल लिया। ऐसी बात नहीं है। यहां शिक्षक और शिक्षित हैं और शिक्षा सम्बन्धी बौछार जो होगी वह तो ऐसी होगी जिस पर हमें मनन करना चाहिये और सोचना चाहिये और अगर सम्भव हो तो उसको कार्यान्वित करना चाहिये। वह बौछार ऐसी तो हो नहीं सकती जिससे मैं भागने का

[श्री हरगोविंद सिंह]

प्रयत्न करूंगा और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि टैम्परामेंटली भी मैं भागने वाला आदमी नहीं हूं। मुझे समय न मिला इसलिये और बातों का उत्तर न दे सका। मैं आप सबका बड़ा आभारी हूं और जिन चीजों का उत्तर मैं न दे सका उसके लिये मैं आप सबसे अनुरोध करूंगा कि अगर आप चाहें तो मेरे पास आकर उसका समुचित उत्तर मुझसे ले सकते हैं।

*श्री रामनारायण त्रिपाठी—माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे दुख है कि समयाभाव के कारण माननीय मंत्री जी को मेरी तमाम बातों का उत्तर देने का मौका न मिला। कुछ बुनियादी सवाल अवश्य माननीय मंत्री जी ने उठाये। एक बात उन्होंने यह कही कि शिक्षा का सम्बन्ध नौकरियों से नहीं है। मैं भी मानता हूं कि विदेशी शासन में आमतौर पर जो लोग शिक्षा ग्रहण करते थे उनका यही ध्येय होता था कि किसी न किसी प्रकार किसी नौकरी की तलाश की जाय और उसे प्राप्त किया जाय। लेकिन केवल इतना कह देने से ही समस्या का हल नहीं हो जाता। ऐसे लोगों के लिये तो शिक्षा का सम्बन्ध नौकरियों से नहीं हो सकता जिनके पास खुद अपना जरिया माश मौजूद है लेकिन जिनके पास कोई साधन नहीं है अगर वह शिक्षा संस्थाओं में आते हैं और अपनी प्रतिभा से समाज को लाभान्वित करते हैं तो यह सरकार की पूरी जिम्मेदारी है कि उनकी रोजी की व्यवस्था की जाय। और इस विषय में सरकार बहुत उपेक्षित ढंग से कार्य करती रही है।

जैसा मैंने अपने प्रारम्भिक भाषण में कहा पब्लिक सर्विस कमीशन की बात, वह माननीय मंत्री जी को बहुत बुरी लगी। इस सरकार और पब्लिक सर्विस कमीशन की खींचातानी का एक बड़ा लम्बा इतिहास रहा है। यही नहीं कि गैरकांग्रेसी चेयरमैन लोग रहे हैं उनके जमाने में यह हुआ है बल्कि स्वर्गीय गोपीनाथ श्रीवास्तव के जमाने से ही लगातार पब्लिक सर्विस कमीशन की शिकायत रही है कि सरकार ने बेजा दखल दिया है उसके कार्यों में परन्तु माननीय मंत्री जी ने सिर्फ ऐडवर्टाइजमेंट की बात कर दी। लेकिन मेरी तो यहां तक सूचना है कि सरकार जिन जिम्मेदारों को लेना चाहती है उनके अनुकूल पहले से ही ऐडवर्टाइज बनाती है और अध्यक्ष महोदय आप को यह सुन कर ताज्जुब होगा कि तीन-तीन साल और दो-दो साल पहले से लोग नौकरियों पर रख दिये जाते हैं और बाद में पब्लिक सर्विस कमीशन से उनके लिये रस्साकशी होती है और अन्त में कमीशन को हार माननी पड़ती है। माननीय मन्त्री जी ने कहा और एक बार माननीय मुख्य मंत्री जी ने भी कहा था कि हम उनको सलाह दें लेकिन अगर इस तरह से रवैया चलता रहा तो वह कमीशन इम्पार्शली और परफैक्टली फंक्शन नहीं करेंगे। यह एक उसूल का प्रश्न है।

जहां तक पेडगागिकल इंस्टीट्यूट के प्रिंसिपल का सवाल है मैं माननीय मन्त्री जी से जानना चाहता हूं कि उसके पीछे क्या-क्या कार्यवाहियां हुई हैं—इसमें बड़े-बड़े बुजुर्गों के हाथ हैं और माननीय मंत्री जी इससे मुकाबिला नहीं कर सके इसका हमें दुख है। मैं उन व्यक्तिगत बातों में तो नहीं जाना चाहता लेकिन जो चित्र माननीय मंत्री जी ने पेन्ट किया है वह बात नहीं है।

जूनियर हाई स्कूल में खेती शिक्षकों की बात कही गयी। अभी २३ नार्मल स्कूलों में २३ कृषि के ग्रैजुयेट्स थे। उनको एप्वाइंट किया गया और ६ महीने के अन्दर पब्लिक सर्विस कमीशन के पास उनकी सूचना भेजी जानी चाहिये। लेकिन लगातार तीन साल तक तो उनसे काम लिया गया और अब जब नयी शिक्षा प्रणाली चलने वाली थी तो उनसे कहा गया कि इस्तीफा दे दो और नये सिरे से हायर सेकन्डरी स्कूल में शिक्षा प्राप्त करो। अध्यक्ष महोदय, इस तरह से शिक्षा की व्यवस्था कब हो सकती है? मुझे बहुत अधिकारपूर्ण सूत्रों से मालूम हुआ

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

है और बड़े जिम्मेदार आदमियों ने कहा है कि आप इस्तीफा दे कर नये सिरे से सर्विस शुरू करें। यह चीज चाहे मिनिस्टर साहब जस्टीफाइ करते हों।

श्री हरगोविंद सिंह—इस वजह से जस्टीफाइड नहीं किया गया क्योंकि उस वक्त ग्रेजुएट एल० टी० नहीं मिलते थे और अब मिलते हैं।

श्री रामनारायण त्रिपाठी—माननीय मन्त्री जी ने कुछ जवाब देने का प्रयत्न किया लेकिन हमने बहुत सतर्कतापूर्वक इस केस को देखा है और मैं यह जानता हूं कि उनके सरकारी अफसरों की डायरियां और इंस्पेक्टरों की रिपोर्टों से साबित है कि उचित कार्यवाही नहीं की गयी है और अगर माननीय मंत्री जी चाहते हों तो उनसे मैं बाद में निवेदन करूंगा और मुझे आशा है कि मैं उन्हें कनविंस करूंगा कि उनके साथ ज्यादती की गयी है और उसमें राजनीति का हाथ अवश्य था। माननीय मंत्री जी ने उसमें कोई कार्यवाही नहीं की लेकिन कुछ कार्य ऐसे अवश्य हैं जो सरकार के ऊपर आक्षेप ला सकते हैं।

अध्यक्ष महोदय, माननीय शिक्षा मंत्री जी ने देशद्रोह की बात कही। शोषित संघ की समस्या, हरिजनों की बराबर अपने मांग करने की समस्या एक सामाजिक समस्या है। अध्यक्ष महोदय, उसका बढ़ाव होगा और उसके बाद वह समस्या हल होगी। जैसे कि होमियोपैथिक में किसी रोग का बढ़ाव होता है। लेकिन अगर शोषित संघ का अधिकारी माननीय मंत्री जी को कोई बात सुनाता है तो माननीय मंत्री जी उसका जवाब देते हैं—देशद्रोह। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आज भी कांग्रेस पार्टी में ऐसे लोग हैं जो कि शोषित संघ में काम करते हैं और बड़े-बड़े अच्छे-अच्छे लोगों को ऊंचे-ऊंचे पदों पर रक्खा गया है और उनको माननीय मंत्री जी अच्छी तरह जानते हैं।

श्री हरगोविंद सिंह—प्वाइन्ट आफ एक्सप्लेनेशन सर।

श्री अध्यक्ष—वह बैठना नहीं चाहते हैं।

श्री हरगोविंद सिंह—आप उनको रोकिये।

श्री अध्यक्ष—प्वाइंट आफ आर्डर हो तभी उन्हें मैं बैठने को कहूंगा।

श्री रामनारायण त्रिपाठी—आज माननीय मंत्री जी ने डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के टीचर्स की बात कही। आप को भी अच्छी तरह से याद होगा कि जिस समय वह आन्दोलन चल रहा था तब भी यही जवाब दिया गया था कि डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के टीचर्स की तनख्वाह ४-५ डिस्ट्रिक्ट बोर्ड में बकाया है लेकिन जब ४५ लाख रुपया अनुदान दिया गया है फिर भी वह बकाया पूरा नहीं हुआ है। इस प्रादेशिक सरकार के शिक्षा मन्त्री इस सदन को इस प्रकार से ग़लत सूचना दें यह अत्यन्त अनुचित बात है। और उनके वेतन वृद्धि की बात को तो कोल्ड स्टोरेज में डाल दिया गया है जब कि कांग्रेस पार्टी के उच्चाधिकारियों ने व्यवस्था की लेकिन कोई सुझाव नहीं दिया गया है। मैं यह कहूंगा कि माननीय शिक्षा मंत्री जी सही रास्ते पर बढ़े हैं और अब भी वक्त है और सरकार की जिम्मेदारी है कि कम्पलसरी एजूकेशन और फ़्री एजूकेशन के ज़रिये से कोई योजना बना कर कुछ दिनों में इस समस्या को हल करें ताकि सारे प्रदेश के लोग सेन्ट परसेन्ट शिक्षित हो जायं।

श्री हरगोविन्द सिंह—हां, मैं यह कहना चाहता था कि मैंने यह कहा कि शिक्षा संस्थाओं में राजनीति ले जाना एक देशद्रोह का कार्य है।

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि सम्पूर्ण अनुदान के अधीन एक रुपये की कमी की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष---प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या १८--लेखा शीर्षक ३९--वैज्ञानिक विभाग और ३७- शिक्षा के अन्तर्गत ९,४७,५१,००० रुपये की मांग स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या ३९--लेखा शीर्षक ५७--अनुसूचित और पिछड़ी हुई जातियों का सुधार और उत्थान--विविध व्यय

†श्री हरगोविंद सिंह---माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं गवर्नर महोदय की सिफारिश से अनुदान संख्या ३९--लेखा शीर्षक ५७- अनुसूचित और पिछड़ी हुई जातियों का सुधार और उत्थान के अन्तर्गत ७०,००,००० की मांग स्वीकार की जाय।

श्रीमन्, इस अनुदान को भवन के सामने प्रस्तुत करते समय मैं आप को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि मुझे अधिक खुशी है बनिस्बत उसके जब मैंने शिक्षा का अनुदान भवन के सामने प्रस्तुत किया था। इस कारण हमारी खुशी और अधिक है कि हमें इस प्रकार की सफलता हुई कि इस अनुदान के अन्तर्गत ५४ लाख से ७० लाख यानी क़रीब-क़रीब १५-१६ लाख की वृद्धि हम करा पाये हैं। प्रसन्नता तो इस बात की अवश्य है लेकिन फिर भी मुझे संतोष नहीं है कि यह धनराशि पर्याप्त है। अगर और भी धनराशि इस अनुदान के अन्तर्गत खर्च करने को मिले तो मैं समझता हूं कि यह न्याय त. है ही, उचित और प्रसन्नता की बात होगी। इसमें यह वृद्धि अधिकतर शिक्षा की मद में हुई है। भवन के माननीय सदस्यों को ज्ञात होगा कि अनुसूचित जातियों के जितने भी विद्यार्थी होते हैं, चाहे वे किसी भी कक्षा में क्यों न पढ़ते हों, उनकी फीस सरकार स्वयं देती है। उस फीस के अलावा छात्रवृत्तियां भी उनको दी जाती हैं। पहले तो मालूम नहीं हो पाता है कि कितने विद्यार्थी होंगे और इसी कारण अनुपूरक बजट में भी कुछ धनराशि इसके अन्तर्गत मांगी गयी थी और उसी आधार पर इसमें धन अधिक बढ़ाया गया है और अगर आवश्यकता पड़ी तो अनुपूरक मांग भी उपस्थित हो सकती है।

इसके अतिरिक्त बख्शी के तालाब में जो हमारा ट्रेनिंग सेंटर है, उसमें अब विद्यार्थियों की संख्या दो सौ की है और उस ट्रेनिंग सेंटर से जो सफलता मिल रही है उससे हम यह समझते हैं कि हम इस प्रयत्न में सफल हो सकेंगे कि वहां से निकले हुये विद्यार्थियों को हम किसी उद्योग-धंधे में लगा सकें। उस सफलता के कारण हम उसी प्रकार के दो और ट्रेनिंग सेंटर खोलना चाहते हैं। उसके लिये भी इसमें एक धनराशि रखी गयी है।

और आप जानते ही हैं कि हमारे प्रान्त में कुछ ऐसे लोग हैं जो क्रिमिनल ट्राइब्स कहे जाते हैं। मैं समझता हूं कि यह अपमानजनक है यदि मैं उसका उच्चारण करता हूं परन्तु इस कारण नहीं बल्कि कारण यह है कि इसी संज्ञा से वे अभी तक बेचारे संबोधित होते थे। उनके उत्थान के लिये और उनके बसाने के लिये भी इसमें एक धनराशि रखी गयी है। किस प्रकार से उनका उत्थान किया जाय, किस प्रकार से उनको उद्योग-धंधों में लगाया जाय, उनकी फैमिलिज को बसाया जाय, इसके लिये एक एडवाइजरी कमेटी भी हमने नियुक्त की है और उसकी सलाह से और जो लोग इस क्षेत्र में काम करते हैं उनकी सलाह से यह कार्य भी होगा। तो मैं इस अनुदान को उपस्थित करते समय भवन का अधिक समय नहीं लेना चाहता। मैं आशा करता हूं कि हमारे हरिजन सदस्य जो होंगे और उनके अतिरिक्त और भी जो सदस्य हों वह यहां उस वक्त तक रहेंगे जब तक कि इस पर बहस खत्म नहीं हो जाती है। हमारे भाइयों को अपने विचार व्यक्त करने के लिये अधिक समय मिले, मैं इन थोड़े से ही शब्दों के साथ यह आशा करूंगा कि भवन इस अनुदान को स्वीकार करेगा।

सदन का समय बढ़ाने के लिये प्रस्ताव

श्री महीलाल (जिला मुरादाबाद)---माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं यह प्रस्ताव करता हूं कि इस अनुदान के लिये एक घंटा सदन का समय और बढ़ा दिया जाय, ७ के बजाय ८ कर दिया जाय।

---

† वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री अध्यक्ष---यह समय यों नहीं बढ़ाया जा सकता। जब तक कि नेता सदन और विरोधी दल के नेता समय के लिये राजी न हों, तब तक समय नहीं बढ़ाया जा सकता।

श्री महीलाल ---वे तो.....

श्री अध्यक्ष---अगर उनकी तरफ से आ जायगा तो मैं किसी वक्त ले लूंगा। वे बातचीत कर लें और मुझे बता दें। आपने अपनी इच्छा प्रकट कर दी।

१९५४-५५ के आय-व्ययक में अनुदानों के लिये मांगों पर मतदान---अनुदान संख्या ३९-लेखा शीर्षक ५७-अनुसूचित और पिछड़ी हुई जातियों का सुधार और उत्थान-विविध व्यय (क्रमागत)

†श्री कमला सिंह (जिला गाजीपुर)---अध्यक्ष महोदय, मैं इस सम्पूर्ण अनुदान में १ रुपये की कटौती का प्रस्ताव प्रस्तुत करता हूं।

माननीय मंत्री जी ने इस सदन में जो अभी तक भाषण दिया उसमें सिर्फ हरिजनों के लिये ही हम लोगों ने कुछ बातें सुनीं। कुछ ऐसी भी जातियां हैं जो हरिजनों में बहुत ही गिरी हुई हैं जिनके लिये रहने का भी स्थान नहीं है उनको बसाने की भी बात उन्होंने कही। लेकिन इस अनुदान के मुताल्लिक़ दो तरह की जातियां हमारे प्रदेश में निर्धारित की गयी हैं, एक अनुसूचित और दूसरी बैकवर्ड, जिनका इस अनुदान में जिक्र किया गया है और जिनके लिये यह रुपया इस अनुदान में रखा गया है। अगर इस प्रदेश की लिस्ट हम देखें तो जहां तक पिछड़ी कौमों का सवाल है वहां ३५ जातियां हिन्दू जाति में रखी गयी हैं और २० जातियां मुसलमानों में रखी गयी हैं। हमें अफसोस है कि हमारे माननीय मंत्री जी ने इन पिछड़ी हुई जातियों के मुताल्लिक़ जो कि ५५ हैं, कोई भी चर्चा नहीं की। हम तो माननीय मंत्री जी से यह सुनना चाहते थे कि उन्होंने इन कौमों के उत्थान के लिये आज तक क्या कार्यवाही की। हालांकि वह राग अलापते हैं कि हमने हरिजनों के लिये किया, मैं मानता हूं कि हरिजनों के लिये उन्होंने काफ़ी किया, हालां कि वह भी संतोषजनक नहीं है, मगर फिर भी मैं पूछना चाहता हूं कि ३ करोड़ की आबादी जो पिछड़े हुये लोगों की है उसके लिये उन्होंने क्या किया ? उनके लिये हम थोड़े से स्कालरशिप्स ही देखते हैं कि इतने स्कालरशिप्स हमने बढ़ा दिये जिन पर ३ करोड़ की संख्या की जो जातियां हैं वे अभी तक निर्भर करती हैं। मुझे अफसोस होता है इन चीजों पर। पिछड़ी जातियों में भी बहुत सी ऐसी कौमें हैं जिनके रहने का स्थान नहीं है, जिनकी हालत इतनी ख़राब है कि कहा नहीं जा सकता। मैंने तो यह भी देखा कि पिछड़ी जातियों में बहुत से लोग जाड़े की ठंडी रातों में नंगे बदन, पैर सिकोड़ कर, अपनी जिन्दगी व्यतीत करते हैं। मैं तो कहता हूं कि जहां तक हमारे कांस्टीट्यूशन का सवाल है उसमें इक्वालिटी बिफ़ोर दि ला और इक्वालिटी फ़ार अपार्चुनिटी, ये सब चीजें दी हुई हैं। जिस वक्त हम लोग इस सदन के अन्दर आये उसी रोज हमने संविधान की शपथ ली लेकिन मैं देखता हूं कि उसके बिल्कुल ख़िलाफ़ हम लोग जा रहे हैं। मैं माननीय मंत्री जी को सिर्फ इतना सुनाना चाहता हूं कि इसमें लिखा है कि पिछड़ी हुई जातियों और मोमिन अन्सार छात्रों के सम्बन्ध में जो स्थिति और भी कठिन और गम्भीर हो गई है तथा इन जातियों के छात्रों को छात्रवृत्ति देने के लिये की गई व्यवस्था में पिछले तीन वर्षों में वृद्धि नहीं की गयी है, यह हालत है। सरकार जानती है इस चीज को लेकिन फिर भी मुझे अफसोस है कि सरकार कोई विशेष ध्यान नहीं दे रही है इसी के लिये यह भी दिया गया है कि उन्हीं छात्रों को छात्रवृत्ति दी जाती है जिनके माता-पिता या अभिभावक शिक्षा संबंधी व्यय को उठाने में असमर्थ हैं। मैं समझता हूं कि यह छात्रवृत्ति एक भी आदमी के लिये काफ़ी नहीं है।

---

†वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री कमला सिंह]

इतना ही नहीं यदि ५४-५५ के बजट में आप देखें तो उसमें लिखा है, विविध व्यय---अनुसूचित और पिछड़ी हुई जातियों का सुधार और उत्थान। इसके लिये २,६०,१०० रुपया रखा गया है। लेकिन मैं माननीय मंत्री जी से पूछूंगा कि पिछड़ी हुई जातियों के सुधार और उत्थान के लिये कितना पैसा उन्होंने खर्च किया है। इतना ही नहीं, अध्यक्ष महोदय, मैं तो यह भी देखता हूं कि जब कि पिछड़ी कौमों और हरिजन, दोनों के लिये हमारे यहां एक हरिजन विभाग रखा गया है तो मुझे अफसोस है कि इस विभाग में या और जो जिलों में कमेटियां होती हैं उनमें बैकवर्ड क्लास का कोई भी रेप्रेजेंटेटिव नहीं है। जरा सोचिये इस चीज को कि जिसके लिये इतना रुपया दिया गया है उसमें उनका कोई रेप्रेजेंटेटिव भी न हो तो कैसे हम कह सकते हैं कि उनकी बातें कोई सुनेगा। इस तरह की परेशानियां हमारे सामने हैं।

अध्यक्ष महोदय, जहां तक सर्विसेज का सवाल है, मैं इस बात को मानता हूं कि हरिजनों के लिये सरकार ने काफी मेहरबानी की है कि १० परसेंट से लेकर उनकी सीट १८ परसेंट कर दी गई है। पहले तो इन लोगों ने यह कहा कि प्रोत्साहन हरिजनों को दिया जाय, उससे कुछ प्रोत्साहन मिला, लेकिन जिस रूप से सरकार चाहती थी कि हरिजनों को आगे बढ़ाया जाय उस रूप से नहीं हो सका। नतीजा यह हुआ कि सरकार को कटिबद्ध हो कर उनकी सीटों का रिजर्वेशन करना पड़ा और १० परसेंट सीट का जो रिजर्वेशन करना पड़ा था वह भी पूरा नहीं हुआ, इसलिये यह १८ परसेंट का करना पड़ा जिससे उनकी संख्या पूरी किसी हद तक हो जाय। मुझे मालूम है कि २२ सितम्बर, १९५३ को एक सरकारी आर्डर हर जिले में भेज दिया गया है। मैं कह नहीं सकता कि वह हर जिले में पहुंचा या नहीं, लेकिन उसके अन्दर यह है कि जितनी पिछड़ी कौमें हैं उनके लिये सर्विसेज में खयाल किया जाय। मैं तो नहीं समझता कि इस खयाल का क्या असर होगा। हमारे जिले में जो स्पष्ट प्रमाण है वह मैं बतलाना चाहता हूं कि कलेक्टरी में चुनाव हुआ ६३ आदमियों को लेने का। लिया क्या पहले २४ की लिस्ट निकाली। फिर यह कहा कि पिछड़ी कौमें और हरिजनों के लिये एक बड़ी लिस्ट प्रकाशित की जायगी। मैंने यह देखा कि उसमें कुल ७ बैकवर्ड क्लास और ४ या ५ हरिजन लिये गये। ६३ आदमियों को लेने पर यह मौक़ा पिछड़ी कौमों को दिया गया और यह भी उनको दिया गया जो उनके सहायक थे या जिनकी वहां पहुंच थी। इस तरह की दिक्क़तें हमारे सामने हैं।

पब्लिक सर्विस कमीशन के मुताल्लिक़ तो मैं कहना नहीं चाहता, क्योंकि हमारे माननीय मंत्री जी ने काफी कहा। उसके बारे में मुझे नहीं कहना चाहिये। जब कि पब्लिक सर्विस कमीशन, जिससे कि हम यह उम्मीद करते हैं कि वह हमारे साथ न्याय करेगा, कम से कम माननीय मंत्री जी खुद उसकी चर्चा इस सदन में कर चुके हैं तो मैं यह उम्मीद करता हूं कि जब तक कि सरकार कोई खास प्रबंध पिछड़ी हुई कौमों के लिये नहीं करेगी तो पिछड़ी हुई कौमों का कोई भी आदमी किसी सर्विस में नहीं लिया जा सकता। आज अगर सर्विसेज की तरफ देखें तो मुश्किल से एक परसेंट, आधा परसेंट भी पिछड़ी कौमों का आदमी नहीं होगा। इतनी तादाद कम है और मैं समझता हूं कि अगर हम में से कोई भी हरिजन या पिछड़ी कौम का आदमी कोशिश करे सर्विस में जाने के लिये तो इतनी दिक्क़त उनके सामने है कि बड़ी मुश्किल से वह पहुंच सकेगा। इतना ही नहीं, मैंने तो यह देखा कि हमारे फर्स्ट डिवीजनर्स, जो अच्छे अच्छे विद्वान् हैं, वह भी नहीं आ सकते हैं तो और हम क्या कर सकते हैं। जहां तक हरिजनों का सवाल है देखा गया कि बख्शी के तालाब पर उन लोगों को ट्रेनिंग दी जाती है लेकिन जितने लोग वहां से निकलते हैं, मैं जानना चाहता हूं कि कितने आदमी ऐसे निकले जो कि स्वयं उस काम को कर के आज दिखा रहे हैं कि हम उद्योग में अच्छे निकल रहे हैं।

अभी माननीय पांडेय जी ने बतलाया कि उनके जिले में दोहरी घाट चर्म विद्यालय चल रहा है जिसके चलाने वाले एक ठाकुर साहब हैं। मैं जाति के मुताल्लिक़ कोई कटाक्ष नहीं करता, लेकिन मैं बता रहा हूं कि उन्होंने यह कहा कि हरिजन जो वहां से निकले हैं बख्शी के तालाब से

कुछ सीख कर, अगर उनको उद्योग में ज्यादा प्रोत्साहन दिया गया होता तो अपनी शिक्षा को जो उन्होंने सीखी है कार्य रूप में परिणत कर सकते। लेकिन उनको मौका नहीं दिया गया। आज डिस्ट्रिक्ट बोर्ड और म्युनिसिपैलिटी में भी जो लोग चर्म वगैरा का काम करते हैं उन पर टैक्सेज इतने पड़ जाते हैं कि वह परेशान हो कर उन चीजों को छोड़ देते हैं। मैं तो इतना ही कहना चाहता हूं कि जो बैकवर्ड कौमें हैं उनके सुधार और उत्थान के लिये भी काफी कार्य होना चाहिये। मैं यह नहीं कहता कि बड़े आदमियों की ही सहायता करें, बल्कि जो-जो ग़रीब हैं, निस्सहाय हैं, जिनके खाने-पीने का कोई ठिकाना नहीं है, घर नहीं है उनकी भी सहायता भूमि से होनी चाहिये, उनके मकान बनाने चाहिये। मुझे तो यह अफसोस होता है, जब इस सदन के अन्दर हम सुनते हैं कि एक मध्यम श्रेणी भी पैदा हो गयी। अब तक तो केवल पिछड़ी कौमें और हरिजन ही सुन रहे थे, लेकिन एक श्रेणी और बनी, मध्यम श्रेणी। मैं तो समझता हूं कि अगर हरिजन और पिछड़ी कौम जो सरकार ने निर्धारित की है अगर उनके लिये काफी कार्य कर दिया गया तो कोई भी परेशानी नहीं होगी और किसी मध्यम श्रेणी की हमारे देश में जरूरत नहीं है। मैं तो यह भी चाहता हूं कि जल्द से जल्द हरिजन और पिछड़ी कौम के शब्द भी हमको इस सदन के अन्दर सुनने को न मिलें और कोई भी आवाज ऐसी न आवे कि हम हरिजन या बैकवर्ड हैं। अभी हमारे संविधान के अन्दर यह धारा ४५ में दिया गया है कि हम १० वर्ष के अन्दर हर एक को शिक्षित करना चाहते हैं किन्तु आज मुझे अफसोस होता है माननीय शिक्षा मंत्री जी की हालत देख कर कि कोई भी कदम ऐसा नहीं उठाया गया कि जिससे हम यह जान सकें कि कितने दिनों के अन्दर प्रारम्भिक या प्राइमरी जो शिक्षा है वह कम्पलसरी और फ्री होगी। मैं समझता हूं जैसे उन्होंने हरिजनों के साथ फ्री एजुकेशन की कोशिश की है अगर वैसी ही बैकवर्ड क्लास के लिये भी कोशिश करते तो बहुत काफी भला होता और ज्यादा से ज्यादा तादाद में लोग शिक्षित हो जाते। अमेरिका जो इतना बड़ा देश कहा जाता है वहाँ नीग्रो जाति के साथ जो उसका बर्ताव हो रहा है, वह बहुत ही बुरा है और वह अमेरिका के लिये एक कलंक है। वैसे ही मैं यह समझता हूं कि पिछड़ी जातियाँ भी यदि हमारे देश में और कुचली गई हरिजनों की तरह तो वह भी हमारे स्वतंत्र भारत के लिये एक कलंक रहेगा जैसे कि आज अमेरिका के लिये है नीग्रो जाति है।

श्री वीरेन्द्रपति यादव (जिला मैनपुरी)—अध्यक्ष महोदय, सरकार अपने कर्मचारियों द्वारा जो आँकड़े पिछड़ी हुई जातियों के सम्बन्ध में या हरिजनों के सम्बन्ध में एकत्र करती है वह बिलकुल गलत होते हैं। "उत्तर प्रदेश में हरिजन कल्याण" नाम की पत्रिका का जो २ अक्तूबर, १९५३ का अंक निकला है उसके पृष्ठ ३२ पर हम यह देखते हैं कि बैकवर्ड क्लासेज की जो जातियां हैं वह २५ हिन्दुओं की और २५ मुसलमानों की दी हुई हैं जिनका योग ५५ आता है। इसके बाद हम ३७ पृष्ठ पर यह देखते हैं कि बैकवर्ड क्लास की जो संख्या जातियों की है वह संख्या नौ दी हुई है। इसके अलावा एक तीसरी सूची और हमारे पास है जिसमें बैकवर्ड क्लासेज की जो जातियों की संख्या है वह उसमें १५ दी हुई है। मैं यह नहीं समझता कि हमारी इस उत्तरप्रदेश की सरकार में इस बैकवर्ड क्लास की जातियों को डिटरमिन करने का पता लगाने का आधार क्या है? कहीं तो आप बैकवर्ड जातियाँ ५५ देते हैं, कहीं आप १५ देते हैं और कहीं ९ देते हैं। सब से अच्छा जो आधार है केंद्रीय सरकार का है। उनकी एक एथराइज्ड सूची है, दो या तीन सूचियां नहीं हैं। तो सब से पहले तो मैं सरकार से यह कहना चाहता हूं कि जो केंद्रीय सरकार की सूची बनी हुई है, वह बिलकुल एक एथारिटेटिव सूची है। उसी सूची को हमारे उत्तर प्रदेश की सरकार को मानना चाहिये। दूसरे जब हम १९३१ की सेन्सस की रिपोर्ट देखते हैं तो हम पाते हैं कि १९३१ में बैकवर्ड क्लास के लोगों की संख्या पौने तीन करोड़ दी हुई है। लेकिन आज हम जब गांधी जयन्ती अंक देखते हैं तो उसमें बैकवर्ड क्लास के लोगों की संख्या ४१ लाख ९६ हजार ५५३ दी हुई है। यह कुछ समझ में नहीं आता। हमारे देश की आबादी बड़ी तेजी से बढ़ रही है और इतनी तेजी से बढ़ रही है कि खाने-पीने की भी समस्या हमारी जनता के सामने आ रही है लेकिन ऐसा कुछ जादू सा हो जाता है कि २० साल बाद आज १९५३-५४ में जो बैकवर्ड क्लास की संख्या है वह करीब

[श्री वीरेन्द्रपति यादव]

४१ लाख हो गई है। अब यह क्यों है। उसका एक स्पष्टीकरण सरकार की तररफ से हो सकता है कि सरकार ने १९३१ में जो ५५ जातियां दी हुई हैं, उनमें से ९ जातियां निकाल दीं और उनकी संख्या ४१ लाख के करीब दे दी। अब यह भी सरकार ने १९३१ के जो आंकड़ इस अंक में प्रकाशित किये हैं उसमें बैकवर्ड क्लास का प्रतिशत दिया हुआ है, वह है ८.५ प्रतिशत। लेकिन १९५१ में जो प्रतिशत निकलता है वह ६.५ हो गया है। मैं नहीं समझता कि १९३१ में इस अंक के अनुसार जो प्रतिशत ८.५ है वह आज २० वर्ष के बाद कैसे ६.५ रह गया। लेकिन वास्तव में बैकवर्ड क्लासेज का प्रतिशत क्या है इसके लिए पहले हम १९५१ की सैंसस रिपोर्ट देखें। उसमें उनका प्रतिशत ५१ आता है। १९४१ में १४ प्रतिशत आबादी बढ़ी थी और १९५१ में १२ प्रतिशत आबादी बढ़ी तो अगर हम सरकार के आंकड़ों को ठीक समझते हैं तो १९५१ में जो प्रतिशत बताया गया है वह कम से कम ५८ प्रतिशत हो जाता है। यह आंकड़े बड़ी जादूगरी के आंकड़े हैं। मैं समझता हूं कि एक छोटे से छोटा आदमी, कितना भी निरक्षर होगा वह समझ सकता है कि जो सरकार ने आंकड़े दिये हैं वह बिलकुल ग़लत हैं। सरकार की नीयत अच्छी है। लेकिन हमारे जो कर्मचारी रखे जाते हैं आंकड़ इकट्ठा करने के लिये मैं समझता हूं या तो उनमें शिक्षा नहीं है या अरिथमेटिक नहीं जानते हैं। तो मैं सरकार से यही प्रार्थना करना चाहता हूं कि अगर वह बैकवर्ड क्लासेज का उत्थान करना चाहती है तो उन को अपने उन आंकड़ों को ठीक करना पड़ेगा। मैं देखता हूं कि बैकवर्ड क्लासेज की जो संख्या सेंट्रल गवर्नमेंट के पास भेजी जा रही है, वह ६·६ है जो बिलकुल ग़लत है। इसका फल यह होता है कि आज बैकवर्ड क्लासेज को १,५०० (पंद्रह सौ) के करीब सेंट्रल गवर्नमेंट से वजीफा मिलना चाहिये वह केवल १२५ मिल रहा है। इसकी जिम्मेदारी सरकार पर है। जब आंकड़े इतने ग़लत हैं तो बैकवर्ड क्लासेज का उत्थान करने के बजाय उनको यह गड्ढे में ले जाने की बात है। दूसरी चीज मैं यह कहना चाहता हूं कि हमारे माननीय मुख्य मंत्री महोदय ने गत सेशन में एक प्रश्न के उत्तर में यह बतलाया था कि जो हमारे शिक्षा विभाग में बैकवर्ड क्लासेज की सूची है वही सूची नियुक्ति विभाग में और दूसरे विभागों में भेज दी गयी है। लेकिन मेरी जानकारी में अभी तक यह नहीं है कि किन-किन डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट्स के पास और दूसरे विभागों में यह लिस्ट भेजी गयी है।

श्री वीरसेन (जिला मेरठ)—प्वाइंट आफ एक्सप्लेनेशन, सर। मैं जानना चाहता हूं कि आपने समय बढ़ाने के लिए जो कहा है कि लीडर आफ दि हाउस और लीडर आफ अपोजीशन की सलाह से तय हो सकता है वह किस नियम के अधीन आप ने कहा है?

श्री अध्यक्ष—नियम १५३ आप पढ़ लें।

"The demands for grants shall be presented in such order and then discussion shall continue for such time within the period allotted under sub-rule (1) as the Leader of the House, in consultation with the Leader of the Opposition, may determine."

[अनुदानों के लिए मांगे ऐसे क्रम से उपस्थित की जायंगी तथा वाद-विवाद उपनियम (१) के अन्तर्गत बंटित काल के भीतर उतने समय तक जारी रहेगा जैसा कि सदन का नेता विरोधी दल के नेता से परामर्श करके निश्चित करे।]

१५३ (२) आप देखिये। पहले इस सदन ने तय कर दिया था कि सात बजे तक बैठेंगे। अब अगर फिर समय बढ़ाना है तो उनकी सलाह ले लें।

श्री वीरसेन—माननीय अध्यक्ष महोदय, पिछले साल इसी ग्रांट के ऊपर दो बार वक्त बढ़ाया गया था। लेकिन इस तरह की परिपाटी पिछले साल नहीं बरती गयी। मेरा खयाल है कि यह नयी परिपाटी है, जो कि मैं समझता हूं, नहीं होनी चाहिए।

श्री अध्यक्ष--सावधान। कृपा करके आप अपने ये शब्द वापस लें कि नयी "परिपाटी है" इसलिए कि आप इसमें मोटिव एस्क्राइब कर रहे हैं। मैं समझता हूं कि जिस समय सदन तय कर लेगा सर्वसम्मति से तो वह बात हो जायगी। कृपा करके आप अपने वह शब्द वापस लें।

श्री वीरसेन--वह शब्द मैं वापस लेता हूं।

श्री कृष्णचन्द्र शर्मा (जिला झांसी)--माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं इस अनुदान के लिए माननीय मंत्री जी को बधाई देता हूं। यह स्वाभाविक है कि आज हम हरिजनों और पिछड़ी जातियों की उन्नति के लिए प्रयत्न कर रहे हैं और प्रयास कर रहे हैं क्योंकि हमारे देश में अगर कोई सबसे पिछड़ा अंग था तो ये दोनों जातियां थीं और इसलिए यह आवश्यक है कि यदि हमारे समाज को उठना है तो यह नहीं हो सकता कि यह दोनों जातियां पीछे रहें और बाकी का समाज आगे निकल जाय। इसलिए हमें तो खुशी है जब हम देखते हैं कि हमारे हरिजन भाई उन्नति कर रहे हैं, उनको सुविधायें मिल रही हैं, वे जीवन में अग्रसर हो रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं और तरक्की कर रहे हैं। लेकिन श्रीमान् अध्यक्ष महोदय, मुझे इस बात से थोड़ा सा क्लेश भी होता है कि जितना ध्यान हरिजन उन्नति के लिये दिया जा रहा है उतना ध्यान पिछड़ी जातियों की उन्नति के लिये नहीं दिया जा रहा है। मैं नहीं समझता कि उसका कारण क्या है लेकिन मैं आपके द्वारा सरकार को बतला देना चाहता हूं कि पिछड़ी जातियों की हालत भी उतनी ही खराब है जितनी कि हरिजनों की है। अगर बहुत बारीकी से इसको देखा जाय तो इस प्रदेश में बहुत से ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर पिछड़ी जातियों की हालत हरिजनों से भी ज्यादा खराब है। उनमें बुन्देलखंड एक ऐसा क्षेत्र है। बुन्देलखंड में झांसी का ऐसा क्षेत्र है जिसमें पिछड़ी जातियों की हालत बहुत खराब है। मैं सरकार से प्रार्थना करूंगा कि उन जातियों की उन्नति करना भी सरकार का कर्तव्य है। झांसी जिले में एक जाति है जिसको सहरिया कहते हैं उनके पास अपना कोई मकान नहीं है, उनके पास अपनी कोई जमीन नहीं है, उनके पास रोजगार के कोई साधन नहीं हैं। वे फसलों के वक्त सौ, सौ, डेढ़-डेढ़ सौ मील जाते हैं और वहां पर फसल काटते हैं और वहां से जो अनाज लाते हैं उससे वह सारे वर्ष भर अपना और अपने कुटुम्ब का काम चलाते हैं। इस प्रकार की वह जाति है और वह जाति कोई दो चार हजार की संख्या में नहीं है।

श्री हरगोविन्द सिंह--शेड्यूल्ड कास्ट में ही वह है।

श्री कृष्णचन्द्र शर्मा--तो मुझे क्षमा कीजिये और मुझे प्रसन्नता है कि वह हरिजनों में है। लेकिन इसके साथ ही साथ माननीय मंत्री जी से मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि पिछले ६-७ वर्षों में उस क्षेत्र में ऐसा कोई भी कार्य नहीं किया गया जिससे कि उनकी उन्नति हो। अगर उन लोगों की शिक्षा के सम्बन्ध में आप जानना चाहें तो मैं यह कह सकता हूं कि वह शून्य है। वहां पर २०, २५ हजार आदमियों में शायद २०, २५ आदमी ऐसे हों जो कि पढ़े हों। उन २०-२५ हजार आदमियों में १००-२०० ही शायद ऐसे हों जिनके अपने मकान हों जिनको कि झोपड़ी भी कहा जा सके, जिनका अपना कोई रोजगार हो, जिनके अपने कोई धन्धे हों। इसलिये मैं आपके द्वारा श्रीमन्, सरकार से यह अनुरोध करना चाहता हूं कि वह इस दिशा में प्रयत्न करे और यह आवश्यक है कि सबसे पहले उन सहरियों के लिये जमीन का इन्तजाम किया जाय और इसके बाद कुछ मकानों का उनके लिये इन्तजाम किया जाय, कुछ रोजगार का प्रबन्ध किया जाय, तथा शिक्षा का प्रबन्ध किया जाय।

दूसरे जिलों में हरिजनों के लिये बहुत से काम किये जा रहे हैं और मेरे जिले में भी बहुत से काम किये जा रहे हैं और उनकी तरक्की हो रही है इसके लिये मुझे प्रसन्नता है और हमें

[श्री कृष्णचन्द्र शर्मा]

संतोष है लेकिन एक अंग अगर इस तरह से कमजोर रह जायगा तो सारी की सारी तरक्की रुक जायगी ऐसा हमको खतरा लगता है।

इसलिये अन्त में मैं केवल आपसे इतना और निवेदन करूंगा कि आप वहां पर कुछ ऐसी कार्यवाही करें सरकारी लेविल पर जिससे कुछ उन लोगों का लाभ हो सके। नान आफिशियल लेविल पर तो हम कोशिश कर ही रहे हैं किन्तु सरकारी लेविल पर अगर प्रयत्न किया जाय तो उससे काम पूरा हो सकता है। बिना सरकारी सहायता के वहां काम नहीं हो सकता। इसलिये मैं आपसे निवेदन करूंगा कि जितनी भी ज्यादा से ज्यादा सहायता हो उसको देने की आप कृपा करें।

सदन का समय बढ़ाने के लिए प्रस्ताव

श्री महीलाल (जिला मुरादाबाद)---मैंने दोनों पार्टी के नेताओं से पूछ लिया है और वह इसके लिये तैयार हैं।

श्री अध्यक्ष---प्रश्न यह है कि सदन का समय एक घंटा .....

शिक्षा मंत्री (श्री हरगोविन्द सिंह)---मैंने तो केवल आध घंटे के लिये ही कहा था।

श्री जोरावर वर्मा (जिला हमीरपुर)---मैं शिक्षा मंत्री से इतना निवेदन करता हूं कि जहां वह हरिजनों के लिये और रिआयत देते हैं इतने समय की भी और रिआयत देने की कृपा करें।

श्री अध्यक्ष---प्रश्न यह है कि सदन का समय आधा घंटा अर्थात् ७॥ बजे तक और बढ़ा दिया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

१९५४--५५ के आय व्ययक में अनुदानों के लिए मांगों पर मतदान--अनुदान संख्या ३९--लेखा शीर्षक ५७--अनुसूचित और पिछड़ी हुई जातियों का सुधार और उत्थान--विविध व्यय (क्रमागत)

श्री महीलाल (जिला मुरादाबाद)---जो अनुदान इस समय सदन के सामने प्रस्तुत है वह इस प्रान्त की १/५ हरिजन जनता से सम्बन्धित है। यदि उस पिछड़ी जाति और अन्सार भाइयों को इसमें और मिला दिया जाय तो यह संख्या बहुत ज्यादा हो जाती है। जहां तक इस अनुदान की महत्ता का सम्बन्ध है मैं समझता हूं कि सदन के जो सदस्य प्रगतिशील विचारों के हैं वह सभी इस अनुदान की महान महत्ता से पूरी परह सहमत होंगे। इस अनुदान का समय कम है इसलिये ज्यादा विस्तार में न जाकर इससे सम्बन्धित मोटी-मोटी बातें माननीय शिक्षा मंत्री की सेवा में आपके द्वारा रखना अवश्यक समझता हूं।

जहां तक हरिजनों की शिक्षा का सम्बन्ध है मैं यह मानता हूं कि हमारी कांग्रेस सरकार शिक्षा प्रसार का जो प्रयत्न कर रही है उसके लिये वह बधाई की पात्र है। साथ ही साथ इस सम्बन्ध में मैं इतना अवश्य कह दूं कि जो धनराशि इन्टरमिडियेट तक हरिजन छात्रों को छात्र-वृत्ति में दी जाती है वह बहुत कम है। उसमें पर्याप्त मात्रा में वृद्धि की आवश्यकता है और उसका कारण यह है जिसको माननीय मंत्री महोदय भी भली प्रकार जानते हैं, कि हरिजन छात्रों की संख्या दिन ब दिन बढ़ती चली जाती है और आज एक एक जिले में इन्टरमिडियट के लिये ४-४

छात्रवृत्ति का होना कोई अर्थ नहीं रखता है । मुझे यह इसलिये कहना पड़ता है कि मेरे ही जिले में इस तरह के एक नहीं अनेक छात्र इन्टरमिडियेट की छात्रवृत्ति नहीं पा सके कि जिनके पैर में जूता नहीं है, जिनके सिर पर टोपी नहीं है और जिनके तन पर पहनने के लिए कपड़ा नहीं है और जिनके घर की हालत ऐसी है कि कुछ करने के लिये काम भी नहीं है फिर भी वे लड़के छुट्टी में मजदूरी करते हैं और किसी न किसी तरह से अपनी शिक्षा को जारी रखते हैं इस लालच से कि बी० ए० में जाकर उनको छात्रवृत्ति मिल ही जायगी। हमारे माननीय मुख्य मंत्री जी जो विशेष रूप से अपना प्रेमभाव हरिजनों के प्रति कई बार इस सदन में जाहिर कर चुके हैं विशेष रूप से बधाई के पात्र हैं। शिक्षा के सम्बन्ध में मैं इतना कह देना और भी आवश्यक समझता हूं कि आज जो हरिजन सहायक डिपार्टमेंट है वह जितनी जरूरत है और जहां पर सहायता की आवश्यकता होती है उसको देने में असमर्थ पाया जाता है । उदाहरण के तौर पर मैं यह जानकारी करा दूं कि के. के. जी. कालेज के विद्यार्थियों को इस समय तक छात्रवृत्ति नहीं मिल पाई है। मैंने प्रान्त के हरिजन सहायक आफ़िसर साहेब से भी लिखाया और स्वयं भी मैनेजर को चिट्ठी लिखी लेकिन अब तक इस वर्ष में प्रति मास छात्रवृत्ति नहीं मिल पाई है । मैं तो इस राय का हूं कि हरिजन समस्या एक आर्थिक समस्या है और यह सब रुपया जो आज मांगा जा रहा है उनकी शिक्षा पर व्यय किया जाय और इस विभाग को शिक्षा विभाग से मिला दिया जाय । साथ ही साथ यदि सरकार इस हरिजन कल्याण विभाग को रखना ही चाहती है तो फिर इस सुन्दर नाम व काम के लिये सरकार को बधाई । इस शब्द व काम को सुनकर हमारे पूज्य बापू की आत्मा भी सन्तुष्ट होगी कि मेरे मुख्य कार्य की पूर्ति हो रही है । तो इसके अधिकारियों और कर्मचारियों को कुछ शक्ति देनी होगी । हमारे विभाग के अधिकारी नहीं जानते कि उनके क्या अधिकार हैं और क्या कर्तव्य हैं सिवाय इसके कि वे दफ्तर में बैठे-बैठे क्लर्क की तरह काम करते रहते हैं । इसके आगे उनसे कोई सहायता हरिजन समाज को नहीं मिल पाती है ।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे प्रार्थना करूंगा कि मुझे ५ मिनट ज्यादा प्रदान कर दें क्योंकि मैं अपने विचार प्रकट नहीं कर सका हूं, तो कृपा होगी ।

श्री अध्यक्ष-- आप ही ने तो प्रस्ताव रखा है कि आधा घंटा समय बढ़ा दिया जाय ताकि औरों को बोलने का मौका मिले ।

श्री महीलाल--इस विभाग द्वारा नियुक्त जो सोशल वरकर्स और सुपरवाइजर्स हैं मैं चाहता हूं कि माननीय मंत्री जी उनको ट्रेनिंग देकर कोआपरेटिव सोसाइटियां बनवाने की व्यवस्था करें जिससे हरिजनों की आर्थिक स्थिति ठीक हो । सभी विभागों के अधिकारियों से कहें कि जिलों में जो कमेटियां इस कार्य के लिये बनी हैं उनकी मीटिंगों को जिले के अफसर एटेंड किया करें ।

अस्पृश्यता धीरे-धीरे दूर हो रही है । लेकिन मैं प्रार्थना करूंगा कि जो संस्थायें जातीयता में विश्वास नहीं रखती हैं, जैसे आर्यसमाज है, उन्हें सरकार आर्थिक सहायता दे, तो इस कार्य में अधिक सफलता मिलेगी ।

श्री रामकृष्ण जैसवार (जिला मिर्जापुर)--माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने जो गत वर्ष इस अनुसूचित और पिछड़ी हुई जातियों के अनुदान पर मुझे बोलने का अवसर दिया था उसके बहुत कोशिश करने पर भी प्रथम बार मुझे आज मौका दिया है उसके लिये मैं आपको धन्यवाद देता हूं ।

[श्री रामकृष्ण जैसवार]

मैं माननीय शिक्षा मंत्री जी को बधाई देता हूं कि उन्होंने पिछले साल जहां इस विभाग के लिये ५४,५५,२०० रुपये रखे थे वहां आज इस साल के लिये ७० लाख रुपया रखा है। उन्होंने १५,४४,८०० रुपये की बढ़ोत्तरी जो की है उसके लिये मैं उनको बधाई देता हूं। लेकिन इसके साथ-साथ मैं माननीय मंत्री जी का और माननीय सदस्यों का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि वास्तविक बात यह है कि इस साल जो यह पिछड़ी हुई जातियों का अनुदान रखा गया है वह मेरे खयाल से १,०५,२०० रुपया कम है।

माननीय मंत्री जी को मालूम है कि जो पार साल बजट रखा गया था वह ५४ लाख ५५ हजार २०० रुपये का था और सप्लीमेंटरी बजट १६ लाख ५० हजार का था। इस प्रकार से कुल मिलाकर ७१ लाख ५,२०० रुपये का कुल बजट था। लेकिन इस साल ५४–५५ का ७० लाख रक्खा गया है। इस प्रकार से इस साल १ लाख ५,२०० रुपया कम रखा गया है। एजूकेशन के बारे में माननीय वित्त मंत्री जी ने बताया था कि हरिजनों के लिये स्कालरशिप के लिये २ लाख ५५ हजार रुपया पार साल रक्खा गया था जो अब बढ़ाकर ५ लाख कर दिया गया है। लेकिन उनकी बढ़ोतरी जो शिक्षा में हुई है उसको देखते हुए यह बहुत ही कम है। एक एक क्लास में केवल ५–५ स्कालरशिप रक्खे जाते हैं जब कि विद्यार्थी बहुत ज्यादा होते हैं। उसके लिये ऐप्लीकेशन मांगी जाती हैं और बहुत से विद्यार्थी रह जाते हैं। इस प्रकार से यह धन बहुत ही कम है। मेरा सुझाव है कि और भी ज्यादा छात्रवृत्तियां बढ़ाई जायं। एजूकेशन के लिये ४१,४७,३०० रुपया रक्खा गया है। और उस ७ लाख ६६ हजार में से स्कालरशिप के लिये केवल ६६ हजार बचता है। इसलिये मेरी प्रार्थना है कि हरिजनों की संख्या को देखते हुए यह रुपया बहुत ही कम है और इसको और भी ज्यादा बढ़ाया जाना चाहिये।

इसके अतिरिक्त ऐडमीशन में हरिजनों को बहुत ही दिक्कतें होती हैं। मेरा अनुरोध है कि जो विद्यार्थी, हरिजन हों या डिप्रेस्ड क्लास के हों उनको ज्यादा से ज्यादा तादाद में लिया जाना चाहिये और जो दिक्कतें आज होती हैं वे न होनी चाहिये।

इसके अतिरिक्त लोकल अथारिटीज के द्वारा जो रुपया किताबों या स्कालरशिप्स के रूप में दिया जाता है वह टाइम पर नहीं मिल पाता। और कहीं जाकर मार्च और अप्रैल में मिल पाता है। ग़रीब लड़के जिनके पास कुछ नहीं होता वे अपनी पढ़ाई जारी नहीं रख सकते। और अगर वे बीच में से छोड़ कर चले जाते हैं तो न तो वसस्कालरशिप उन्हीं को मिल पाता है और न बोर्ड को ही वापिस होता है बल्कि वहां के टीचर्स उस को खा जाते हैं।

श्री अध्यक्ष—मैं माननीय सदस्य को बधाई दूंगा कि वे ७ मिनट में २० मिनट का काम कर रहे हैं।

श्री रामकृष्ण जैसवार—हम लोगों की प्रार्थना यह है कि जो जिले में हरिजन कमेटी रखी गयी है उसमें एक हरिजन सहायक आफिसर होता है और उसका चेयरमैन डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट होता है। मेरा सुझाव यह है कि उससे हमारा कोई लाभ नहीं हो पाता है इसलिये उनकी जगह नान आफिशियल चेयरमैन रखा जाय चाहे वह बैकवर्ड क्लास का हो या सिड्यूल कास्ट का हो। क्योंकि डी० एम० को खुद अपने सरकारी काम से फुरसत नहीं मिलती और वे मीटिंग्स में नहीं आ पाते हैं। इसलिये मेरा अनुरोध है डी० एम० की जगह एक नान आफिशियल चेयरमैन रखा जाय।

इसके बाद मैं प्लानिंग आफीसर के बारे में कहना चाहता हूं। मेरा खयाल है उनको ५ रुपया मासिक भत्ता हरिजन काम के लिये मिलता है जिससे कि वे हरिजनों का काम करते हैं। मेरा सुझाव है कि एक हरिजन सब कमेटी अलग हो जो स्वतंत्रतापूर्वक काम कर सके और इस कमेटी का प्लानिंग आफीसर से कोई ताल्लुक न हो।

हरिजन सुपरवाइजर्स भी बढ़ा दिये जांय और उनको एक प्रोग्राम बना कर दे दिया जाय कि इतना इतना काम करना होगा हरिजन अपलिफ्ट के लिये। सोशल वरकर्स रक्खे जाते हैं लेकिन वे केवल देखने के लिये ही रक्खे जाते हैं। अब भी रक्खे जाने वाले होंगे लेकिन शायद एक महीने बाद ही हटा दिये जायंगे। मेरी प्रार्थना है कि उनको साल भर के लिये रक्खा जाय।

प्रांतीय हरिजन सहायक बोर्ड सरकार ने बनाया है लेकिन उसके जो सुझाव आते हैं उनको सरकार नहीं मानती है। मेरा अनुरोध है कि उसकी ओर से जो सुझाव आयें उनको सरकार की ओर से स्वीकार किया जाना चाहिये।

औद्योगिक शिक्षणकेन्द्रों के बारे मेरा यह कहना है कि वे प्रत्येक जिले में खोले जाने चाहिये। बहुत से हरिजन छात्र इसमें दिलचस्पी रखते हैं उनको रक्खा जाना चाहिये।

पंचवर्षीय योजना के बारे में पता चला है कि गवर्नमेंट आफ इंडिया से हरिजन वेलफेयर के लिये २ करोड़ २६ लाख रुपया मिला है.....

श्री अध्यक्ष—क्या माननीय मन्त्री जी चाहते हैं कि यह भाषण दोहराया जाय? (हंसी)

श्री रामकृष्ण जैसवार—इसके लिए ४७ लाख २० हजार रुपया प्रति वर्ष होता था, लेकिन इस साल १४ लाख ५४ हजार रुपया ही रखा गया है। मुझे आशा थी कि स्टेट गवर्नमेंट ७१ लाख से ज्यादा रुपया रखेगी, लेकिन मुझे दुःख है कि ७१ लाख के बजाय ७० लाख रुपया ही रखा गया है जिसमें गवर्नमेंट आफ इन्डिया की सहायता भी शामिल है। इसलिए माननीय मन्त्री जी से मेरा अनुरोध है कि सप्लीमेंटरी बजट के अवसर पर वे इस बात का ध्यान अवश्य रखेंगे।

इसके बाद एक बात मैं और कहना चाहता हूं कि जब हरिजनों की कोई समस्या आती है तो बहुत से लोग उसका मखौल उड़ाते हैं, बहुत से हंसी उड़ाते हैं, किन्तु इसकी मुझे कोई लज्जा नहीं है। इस मौके पर मुझे हनुमान जी की बात याद आती है। "करन चहत निज प्रभु कर काजा, मोहि न कुछ बांधि कर लाजा।" लेकिन मैं आपको बतला देना चाहता हूं कि हरिजनों की समस्या कोई मामूली समस्या नहीं है, वह श्रमिक समस्या है, यह मजदूरों की समस्या है। यह कोई एक समुदाय या सम्प्रदाय की समस्या नहीं है, बल्कि हमारे राष्ट्र की समस्या है। जब मैं एक लाख जनता के बीच से चुन कर यहां आया हूं और मैं उस वर्ग से आया हूं जो दलित हैं, शोषित हैं, गरीब हैं, पिछड़े हुए लोग हैं, तो मैं एक बीड़ा उठा कर आया हूं कि हम उनकी समस्या को हल करेंगे। अगर इस तरह से मखौल उड़ाया गया तो एक प्रकार का असन्तोष पैदा हो सकता है, एक क्रान्ति हो सकती है, एक विस्फोट उससे हो सकता है। हमारे समुदाय के ८४, ८५ एम० एल० एज० हैं, जो हरिजनों की समस्या को हल करने के लिए कटिबद्ध होकर आये हैं इसलिए मैं चाहता हूं कि गवर्नमेंट हमारी बातों पर अच्छी तरह से सोच विचार करे।

श्री कन्हैयालाल वाल्मीकि (जिला हरदोई)—माननीय अध्यक्ष महोदय, इस समय जो अनुदान इस सदन के समक्ष है, उस पर मैं कुछ अपने विचार प्रकट करना चाहता हूं। मुझसे पहले के माननीय सदस्य ने अपने भाषण में कहा था कि हम ८३, ८४ हरिजन सदस्य जो यहां चुन कर आये हैं, वे एक बीड़ा उठाकर आये हैं कि हम हरिजनों और पिछड़ी हुई जातियों की समस्या को हल करेंगे। किन्तु मैं उस समय की प्रतीक्षा में हूं और यह देखना चाहता हूं कि कब हमारे सामने से यह समस्या खतम हो। बार-बार हरिजनों की समस्या पर हम हरिजन ही बोलें यह एक बड़ी लज्जा की बात है। इस स्वतंत्र देश में आज जब कि हमारी सरकार को देश का भार सम्भाले हुए लगभग ७ वर्ष हो रहे हैं, आज भी यह प्रश्न शेष रहा है, इसके लिए

[श्री कन्हैयालाल वाल्मीकि]

हमें और हमारे साथियों को इस पर विचार करना चाहिए और मैं तो कहता हूं कि उन सदस्यों को जो नान-हरिजन हैं उनको विशेष कर हरिजनों की समस्या को अपने हाथ में लेकर इस प्रश्न को सदन में उपस्थित करना चाहिए। मुझे अफसोस है कि शिक्षा का अनुदान जो इससे पूर्व पास किया गया उस पर बोलने के लिए मैं १७ बार खड़ा हुआ लेकिन मैं नहीं बोल पाया। मैं चाहता हूं कि हरिजनों की समस्या और उसमें भी मेहतर हरिजनों की समस्या पर गो कि मैं चाहता तो नहीं था कि जो आदमी जिस वर्ग या जाति का हो, वही उसके बारे में बोले, क्योंकि इस तरह से अगर सभी अपने अपने वर्ग के लिए बोलने लगें, तो फिर जातीयता की बात हो जायगी और इस सदन के सभी माननीय सदस्य अपनी बातें नहीं कह पायंगे, हमें तो सब बातें विशाल दृष्टि से देखना चाहिए। मुझे दुख के साथ कहना पड़ता है कि बदकिस्मती से मैं थोड़ा-थोड़ा ढकलते-ढकलते यहां अन्तिम समय पर आ गया हूं। इस वक्त जो आधा घंटा सदन का समय बढ़ा है, उससे मैं विवश हो गया हूं कि इस समस्या पर बोलूं। एक दो बार इस सदन में मुझे बोलने का अवसर मिला था तो उस समय भी मैंने यही कहा था और आज भी यही कहता हूं कि मैं नहीं चाहता था कि मेहतर वर्ग की समस्या पर प्रकाश डालूं। लेकिन विवश होकर मुझे उस प्रश्न पर कुछ कहना ही पड़ता है। यद्यपि मुझे कुछ संकोच हो रहा है, लेकिन मुझे कहना पड़ता है। माननीय मन्त्री जी ने शायद कहा था कि झांसी में हमारे कुछ हरिजन साथी हैं जो कि हरिजनों की लिस्ट में नहीं हैं।

श्री हरगोविन्द सिंह—लिस्ट में हैं।

श्री कन्हैयालाल वाल्मीकि—तो मैं गलती कर रहा था। हां, तो उनको अधिक पिछड़ा हुआ बताया गया है। किन्तु हरिजनों की दशा पर वास्तविक दृष्टि डाली जाय तो जो हरिजनों में सबसे पिछड़ा हुआ वर्ग है, वह मेहतर वर्ग है। आज भी हमारे देश में और हमारे प्रदेश में भी उसकी परछाईं से लोग भागते हैं। मेरे सामने एक शिकायत आयी थी कि जिला फर्रुखाबाद में एक मेहतर एक दरजी के पास कुरता नपवाने के लिए गया तो दर्जी ने कहा कि हम तुम्हारा नाप कैसे ले सकते हैं। अगर हम तुम्हारा नाप लेंगे, तो तुम्हारे शरीर का स्पर्श करना पड़ेगा और अगर हम शरीर को छूयेंगे, तो हमारा धर्म भ्रष्ट हो जायगा। मुझे वहां के एम० एल० ए० और डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट की शरण लेनी पड़ी, तब जाकर मैं उस मेहतर का और दरजी का समझौता करा पाया। तो मैं अर्ज करूंगा कि जो वर्ग इतना पिछड़ा हुआ है, जिसका कपड़ा दर्जी सीता नहीं, जिसका कपड़ा धोबी धोता नहीं, जिसका बाल बनाने के लिए नाई तैयार नहीं, उसकी सहायता की कितनी बड़ी आवश्यकता है। उसी फर्रुखाबाद जिले में एक कस्बा कन्नौज है और एक तहसील अलीगंज, शायद जिला एटा में है, वहां हरिजन (मेहतर) विद्यार्थियों की यह दशा है कि जहां पर अन्य विद्यार्थी बैठते हैं, उनसे उन विद्यार्थियों को चार-चार और छ-छ गज दूर पर बैठाला जाता है और मास्टर उनको दूर से छड़ी फेंक कर मारता है। जिला बिजनौर के एक कस्बे में मैंने स्वयं जाकर देखा। इस समय मुझे याद नहीं है, लेकिन अगर शिक्षा मन्त्री जी चाहेंगे, तो मैं विस्तारपूर्वक उनको बता सकता हूं। जब वहां से शिकायत आयी, तो मैंने कहा कि मैं स्वयं जाकर देखूंगा कि यह बात कहां तक सच है। मैंने जाकर देखा कि सारे विद्यार्थी जब कमरे के अन्दर पढ़ते थे, तो मेहतरों के जो दो लड़के थे एक १२ और एक १४ वर्ष के उनको बरामदे में उनके घर से मंगवाया हुआ एक टाट रखा हुआ था और उस पर उनको बैठाया जाता था। इसी प्रकार मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि कुओं के लिए जो सहायता मिलती है हरिजनों के लिए, उनमें भी आज मेहतर वर्ग की उपेक्षा की जाती है। आज भी मेहतर वर्ग तालाबों और गंदी नालियों का पानी पीते हैं। मेरे पास कानपुर से एक शिकायत आयी कि वहां से कुटीर उद्योगों के लिए जो सहायता दी जाती है, उनमें वहां के ४२ आदमियों के प्रार्थना-पत्र गत माह आये थे। किन्तु उसमें किसी मेहतर का नाम नहीं था। इस सिलसिले में मैं दो एक बार माननीय शिक्षा मन्त्री से निवेदन कर चुका हूं कि सारे प्रान्त

में इस तरह की जितनी सहायता हरिजनों के नाम पर दी जाती है, उसमें मेहतर वर्ग को क्यों छोड़ दिया जाता है, मैं आपके द्वारा यह बतला दूं।

श्री वीरेन्द्रपति यादव (जिला मैनपुरी)--यह बात गलत है।

श्री कन्हैयालाल वाल्मीकि--यह गलत बात नहीं है। मैं पूरे सूबे की रिपोर्ट देने के लिए तैयार हूं। मैं लखनऊ की ही बात बता दूं। यहाँ जो दो वर्षों में सहायता दी गयी हरिजनों को कुटीर उद्योगों के लिए या चमड़े के काम के लिए या दर्जीगीरी के लिए या मुर्गी पालने के लिए या सुअर पालनें के लिए उसमें आज तक केवल दो ही मेहतरों को मिला, और उस समय मिला जब मैंने कई मरतबा माननीय शिक्षा मन्त्री जी से और माननीय डाक्टर सीताराम जी से, और वेलफेयर डाइरेक्टर श्री ए० एन० दास साहब से शिकायत की। मैं कहता हूं कि शायद हमारे सदन के माननीय सदस्य इस बात को न भूले होंगे कि गत वर्ष जनवरी २६ से मेहतरों की जो प्रान्त व्यापी हड़ताल हुई थी। इससे यह साफ जाहिर है कि कितना व्यापक असन्तोष मेहतरों के अन्दर बढ़ रहा है और यदि आज भी इस बढ़ते हुए असन्तोष के दरिया को यों ही छोड़ दिया गया तो मैं मालूम करना चाहता हूं कि यह कहाँ तक उचित बात होगी और उसका क्या परिणाम होगा। इसलिए मैं निवेदन करता हूं कि इस पर विशेष ध्यान देने की कृपा की जाय.....

श्री रामप्रसाद देशमुख (जिला अलीगढ़)--मैं माननीय शिक्षा मन्त्री जी को धन्यवाद देता हूं कि इसमें ५४ लाख से ७० लाख अनुदान स्वीकार कर लिया गया है। मैं कई दिन से देख रहा हूं कि जहाँ अछूतों का सवाल आता है, हाउस के अन्दर कोई न कोई ऐसी बात पैदा हो जाती है और लोग यह देखते हैं कि यहाँ अछूतों के लिए सब कुछ किया जाता है, लेकिन मुझे दुख के साथ कहना पड़ता है कि वाकई अगर जिलों में जाकर कोई अछूतों की हालत मालूम करे तो उनकी वाकई ऐसी स्थिति है कि जिसके लिए इसकी आवश्यकता है.....।

श्री ब्रजविहारी मिश्र (जिला आजमगढ़)--प्वाइन्ट आफ आर्डर सर। क्या इस सदन में अछूत शब्द प्रयोग किया जा सकता है?...

श्री अध्यक्ष--किया जा सकता है, लेकिन अगर दूसरे शब्द जैसे परिगणित जाति या पिछड़ी हुई जातियां कहें, तो ज्यादा अच्छा है।

श्री रामप्रसाद देशमुख--नहीं मालूम क्यों अछूतों की बात इस हाउस में चुभती है, यह देखकर कि यह लोग आगे बढ़ रहे हैं। उनकी समस्या हाउस में रखने से लोगों को यह महसूस होने लगता है कि हमारे ऊपर कुठाराघात किया जा रहा है। आज अछूतों की समस्या संसार भर में एक जटिल समस्या हो गयी है। इसलिए हमारा कर्त्तव्य है कि हम उस समस्या को हल करें। महात्मा गांधी जी ने हरिजनों को स्वर्ण के बराबर माना था और वह कहते थे कि हरिजन वह है, जो हरि का भक्त है। ऐसी हालत में अगर कोई ओछी चीज देखी जाय तो उसे बन्द होना चाहिए और उस दृष्टिकोण से हम लोगों को आगे जाने की कोशिश करनी चाहिए। हम एक समाज के भक्त हैं और हम उस समाज की सेवा करते हैं जोकि अपने को बहुत ऊंचा समझता है। जब महात्मा गाँधी जी ने हमको ईश्वर का भक्त कहा है, तो हमें उसी तरह से देखा जाय। आज जो समाज की सेवा करता है, उसे मंदिरों में न जाने दिया जाय और उसे नीचा माना जाय, यह कहाँ तक उचित है। ऐसी हालत में इस समाज को आगे बढ़ने के लिए जितना कदम आपने उठाया है, उससे और ज्यादा कदम आप उठायें।

[श्री राम प्रसाद देशमुख]

कुटीर उद्योग के बारे में भी कहा गया कि शायद हरिजन कहते हैं कि आज उनको कुछ नहीं दिया गया है। अछूतों को जो कुटीर उद्योग के लिए दिया जा रहा है, वह बहुत ही कम है। हम चाहते हैं कि जिलेवार उसको डिस्ट्रिब्यूट किया जाय। आज हम देखते हैं कि उस कमेटी में कहीं कहीं जिलेवार नहीं दिया जाता है। कहीं के जिले रह जाते हैं और कहीं ज्यादा हो जाता है। ऐसी हालत में हम लोगों को जिले वाइज दिया जाना चाहिए। मैं यह प्रार्थना करूंगा कि जो रुपया हरिजनों को उद्योग-धंधे के लिए दिया जाता है, जिलेवार डिस्ट्रिब्यूट कर दिया जाय, क्योंकि जिलों में जो सब कमेटियां बनी हुई हैं, वहाँ प्लानिंग आफिसर द्वारा वह दिया जा सकता है, और इस तरह से वह गरीब लोगों को मिल सकता है। यों तो यह देखने में आता है कि वह ज्यादातर उन लोगों को मिलता है, जो गरीब नहीं हैं और वह गरीब जिनके पास मकान नहीं हैं और जिनके पास किसी तरह से खाने का प्रबन्ध नहीं है वह वंचित रह जाते हैं, बल्कि किसी न किसी रूप में दूसरे लोग आ करके यहाँ अपना उल्लू सीधा करते हैं। इसलिए मेरी प्रार्थना है कि जिले में एक मैजिस्ट्रेट इसका प्रेसीडेंट है और प्लानिंग आफिसर इसका सेक्रेटरी है, उसके द्वारा वह बांटा जाय।

जहाँ तक सोशल डिसेबिलिटीज ऐक्ट का सवाल है यह कानून कांग्निजेबिल आफेंस बनने जा रहा है और इसलिए इस पर मुझे ज्यादा नहीं कहना है। मुझे शिक्षा के सम्बन्ध में यह कहना है कि स्कूलों में कहीं कहीं ऐसा देखने में आता है कि अछूत बच्चों के लिए बड़ी कठिन समस्या है। उनको यहाँ से फीस माफ हो जाती है, लेकिन वहाँ फीस माफ नहीं की जाती है। जो स्कालरशिप दिया जाता है, वह भी पूरी तरह से नहीं मिल पाता है और काफी शिकायतें हैं। हम चाहते हैं कि यहाँ से जो स्टेटमेंट माँगा जाता है फीस की बाबत, वह उस कमेटी द्वारा माँगा जाय ताकि यह मालूम पड़े कि कौन से स्कूल फीस पा रहे हैं और कौन से नहीं पा रहे हैं। ऐसी हालत में मैं यह निवेदन करूंगा कि इस पर ज्यादा ध्यान दिया जाय।

आज मकानों और कुओं की जो समस्या है, उसके लिए मैं यह कहूंगा कि हमारा समाज पहले से शरणार्थी रहा है। जो आज शरणार्थी आ गये हैं उनके लिए क्वार्टर्स बनाये जा रहे हैं, उनके उद्योग-धन्धे के लिए काफी रुपया दिया जा रहा है और लोन भी दिया जा रहा है। लेकिन आज अछूतों के लिए क्वार्टर्स नहीं बनाये जा रहे हैं। मैं जानता हूं कि कुछ क्वार्टर्स सेन्ट्रल गवर्नमेंट की तरफ से कानपुर में बनाये जा रहे हैं, लेकिन जिस तरह से आपने शरणार्थियों की समस्याओं को हल किया है, उसी तरह से अछूतों की भी समस्याएं हल करें। इनके लिए भी उद्योग धन्धों में रुपया लगाया जाय और उनको लोन्स दिये जायं। मैं समझता हूं कि यह हमारा कर्त्तव्य है कि जो हमेशा से शरणार्थी रहे हैं, उनके लिए हर प्रकार की सुविधा का प्रबन्ध किया जाय। जब ऐसा किया जायगा तभी यह समाज आगे बढ़ेगा। यह ७० लाख रुपया जो दिया गया है इसके यूटिलाइजेशन का तरीका अगर देखा जाय तो मालूम होगा कि काफी रुपया अधिकारियों के पास चला जाता है। अगर सब रुपया जिले वाइज डिस्ट्रीब्यूट किया जाय, तो मैं समझता हूं कि करीब ५० हजार रुपया हर जिले को मिल जायगा और जो दो लाख रुपया बच जायगा वह अधिकारियों पर खर्च किया जा सकता है। अगर ५० हजार रुपया हर जिले में हर साल खर्च कर दिया जाय, तो मैं समझता हूं कि हर जिला स्वर्ग बन सकता है। आप हरिजन लड़कों को वजीफे तो देते हैं, लेकिन जब उनकी सर्विसेज का सवाल आता है, तब मैं यह समझता हूं कि वह रुपया व्यर्थ चला जाता है। आप उनके ऊपर रुपया खर्च करते हैं, फीस माफ करते हैं, लेकिन उनको पढ़ा करके बेकार कर देते हैं। अगर उनको वह रुपया वैसे दिया जाय तो वह किसी न किसी कारोबार में लग सकता है।

श्री बलवीर सिंह (जिला मेरठ)—माननीय अध्यक्ष महोदय, यह बड़ा महत्वपूर्ण अनुदान है, लेकिन दिक्कत यह है कि यह बिलकुल पिछले समय में लिया गया है। इसको शुरू के समय में लिया जाता तो ज्यादा अच्छा होता। इस वक्त मैं देखता हूं कि सदन के अन्दर

काफी सदस्य इस पर बोलने के लिए इच्छुक हैं। खैर जो कुछ भी है, मैं इस बात के लिए धन्यवाद देता हूं कि मुझे बोलने का समय मिल गया।

मैं इसमें दो एक बातें कहना चाहता हूं। पहली बात यह है कि माननीय कमला सिंह जी ने जो कटौती का प्रस्ताव पेश किया उसमें जहां तक मैं समझता हूं उन्होंने खाली पिछड़ी हुई जातियों के ऊपर जोर दिया और हरिजनों का जगह बजगह हवाला दिया, लेकिन उन्होंने कोई ऐसा जोर नहीं दिया जिससे उनका कटौती का प्रस्ताव कोई महत्व का समझा जाता। अब यहां पिछड़ी हुई जातियों और हरिजनों के लिए अगर एक दूसरे के विरुद्ध यह कहा जाय कि पिछड़ी हुई जातियों को ज्यादा दिया गया और हरिजनों को कम दिया गया, तो इसके लिए मैं सरकार से वह अनुरोध करूंगा कि आइन्दा के बजट में यह रखा जाय कि दोनों के लिए अलग-अलग ग्रान्ट हो, तो यह ज्यादा अच्छा होगा।

एक सदस्य—अलग-अलग है।

श्री बलवीर सिंह—मैं आपको धन्यवाद देता हूं। मुझे यह मालूम नहीं था कि वह अलग-अलग है। अगर अलग-अलग है तो ठीक है।

दूसरी बात जो मुझे कहनी है, वह यह कहनी है कि जो कन्हैया लाल जी ने कहा वह बिल्कुल ठीक कहा कि मेहतर इत्यादि अनुसूचित जातियों में ऐसी जाति है जिसकी तरफ ध्यान देने की जरूरत है। मैं इस सदन से यही प्रार्थना करूंगा कि हरिजन और पिछड़ी हुई जातियों के लिए जितना रुपया और समय आप दे सकें, वह बहुत ही जरूरी है। लेकिन हरिजन के माने अगर जाटव के समझे जायं, तो वह गलत होगा। बहुत सी आज भी ऐसी जातियां हैं, जिन की ओर सरकार का ध्यान नहीं है। मैं समझता हूं उनकी ओर भी ध्यान देना चाहिए।

दूसरी बात यह है कि जो स्कालरशिप, वजीफे और फ्रीशिप हरिजन विद्यार्थियों को दिये जाते हैं, वे उनको मिल जाते हैं जिन लोगों की माली हालत अच्छी होती है, जिनके साधन अच्छे हैं। वे उस सहायता को ले बैठते हैं और जिनके साधन नहीं हैं, वे इससे महरूम रह जाते हैं। इस लिए सरकार को यह भी ध्यान देना चाहिए कि हरिजन लोगों और पिछड़ी हुई जातियों में खास कर उन्हीं व्यक्तियों को सहायता मिलनी चाहिए कि जो इसका ज्यादा फायदा नहीं उठा सकते और इससे महरूम रह जाते हैं। इसके अलावा मुझे इस बात का दुख है और मुझ से पहले एक भाई ने कहा भी कि यह समस्या हरिजन लोग ही सदन के सामने रखते हैं और दूसरे सदस्य हैं, वे नहीं रखते। इसके मानी यह नहीं हैं कि उनकी सहानुभूति हरिजनों से नहीं है। दूसरे लोगों को हरिजन भाइयों से पूरी हमदर्दी है। वे चाहते हैं कि हरिजन भाइयों और पिछड़े हुए लोगों को ऊपर उठाने के लिए पूरी कोशिश की जाय। मैंने हरिजन सहायक स्टैन्डिंग कमेटी में और सदन में भी देखा कि हमारे जो हरिजन सदस्य हैं, वे ही ज्यादा जोश में आकर उस समस्या को सदन के सामने रखते हैं और दूसरी बातों को भूल जाते हैं और इतने जोश में आ जाते हैं कि दूसरे जो नान हरिजन या नान पिछड़ी हुई जाति के हैं, उनके लिए समय ही नहीं रह जाता। इसलिए मैं सदन के माननीय सदस्यों से यह कहूंगा कि विशेषकर हरिजन सदस्यों से कि वे दूसरे लोगों को भी मौका दें। इससे प्रगट हो सकेगा कि नान हरिजनों को उनसे कितनी सहानुभूति है। यह चीज इसी बात से साबित हो सकेगी कि वह इस समस्या को कम प्रेस (Press) करें और दूसरे लोग ज्यादा प्रेस करें।

(श्री अध्यक्ष ने श्री. श्यामलाल को बोलने के लिए कहा—)

श्री रामनरेश शुक्ल (जिला प्रतापगढ़)—मैं एक प्रस्ताव करना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष—उनके भाषण के बाद आप पेश कर सकते हैं।

†श्री श्याम लाल (जिला गोंडा)—माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं कुछ गलतफहमी को साफ कर देना चाहता हूं। गलतफहमी यह है कि अनुदान देने के वक्त हमारे बहुत से लोग, खास कर पूंजीपति यह कहते हैं कि कहाँ की समस्या हमारे गले पर आ गयी और इनको हमें विशेष तरीके से अनुदान देना होता है। मैं उनको यह बतला देना चाहता हूं कि पूंजीपति और जनता गवर्नमेंट को टैक्स देती है और आमदनी पर देती है, और उस आमदनी का निफाज भी ज्यादातर उन्हीं पर होता है। लेकिन हम कुछ टैक्स ऐसा देते हैं, जिस से हमारी कुछ आमदनी नहीं होती, बर अक्स उसके हमारे शरीर पर और हमारे बच्चों पर उसका असर पड़ता है और हम भूखे रहते हैं और मुर्गों के दरबों की तरह के मकानों में पड़े रहते हैं। लेकिन गवर्नमेंट को खुशी खुशी टैक्स देते हैं। वह टैक्स यह है—आबकारी का टैक्स। आबकारी में सरकार को अच्छी आमदनी होती है। उसमें ८० फीसदी हम ही लोग देते हैं। खुशी-खुशी पीते हैं और मरते रहते हैं। अगर ५ करोड़ की आमदनी हमारे हिस्से की मान ली जाय और उसमें गवर्नमेंट का १ करोड़ रुपया खर्च में मान लिया जाय तो ४ करोड़ बचता है और ४ करोड़ में ४० लाख रुपया हमारे ऊपर खर्च भी कर दिया जाता है, तो उस पर यह अहसान लादा जाता है। यहाँ आकर कहा जाता है। अगर गवर्नमेंट वह पूरा रुपया जो हमारे पसीने का है, अगर उसी रुपये को हमारे ऊपर खर्च कर दे तो हमारी तरक्की जल्द हो सकती है। मैं यह बात इसलिए कहना चाहता था कि माननीय बालेन्दुशाह जी ने जनरल स्पीच में बड़ी मुख़ालिफत की थी। कहाँ से यह ५०, ६० हजार रुपया हरिजनों की उन्नति के लिए दिया जाता है। अरे भाई, तुम्हारे ऊपर जो खर्च होता है वह तो लाखों करोड़ों रुपया पुलिस के ऊपर तुम अमीरों के लिये खर्च होता है। तुम्हारे यहां डाकू जाय, तुम्हारे यहां चोर जाय, तुम्हारे ही लिये पुलिस रखी जाय और हम निमंत्रण भी दें डाकू-चोर को तो हमारे यहां न आवें? तो ऐसी बात कहना सभा के अन्दर शोभा नहीं देता ऐसे लोगों को जो कि जानते नहीं कि समस्या क्या चीज है?

मैं कहता हूं कि गवर्नमेंट की ईमानदारी है और गवर्नमेंट ईमानदारी से काम कर रही है, लेकिन जरा डरती है इन लोगों से, इसलिये रुपया ज्यादा नहीं खर्च करती है। तो मैं गवर्नमेंट से कहूंगा कि इन लोगों के बहकावे में न आवे, दिल खोल कर जो उनकी तरक्की करना चाहते हैं वह करें।

हम अपनी मजदूरी से अपना पेट पालते हैं किसी का पैसा नहीं मांगते। जिस रोज मैं जान लूंगा कि दूसरे का पैसा या टैक्स का पैसा हमारे ऊपर लगता है तो मैं फौरन कहूंगा कि आप फौरन बन्द कर दीजिये। मैं आपसे भीख नहीं मांगता, न भीख मांगने की हमको आदत है। पैसा मजदूरी करके पैदा कर सकते हैं भीख नहीं मांग सकते।

मैं एक आध बात और आपसे यह कहना चाहता हूं, गवर्नमेंट से कि जैसे कि गवर्नमेंट ने बख्शी के तालाब में सेंटर खोला है वैसे ही कुछ जहग पर और खोलें। उससे हमें काफी फायदा हो रहा है। इलाहाबाद में हमारे यहां हरिजन आश्रम है, उसके पास काफी जमीन है, उसके एमाल्यु-मेंट्स में गड़बड़ी है। गवर्नमेंट उसके लिये ५० हजार रुपया देती है। अगर लाख डेढ़ लाख रुपया हमारी गवर्नमेंट उस पर लगा कर चाहे तो स्कूल वगैरह चला सकती है। वहां जमीन भी और मकान भी है।

इसके अलावा मुझे यह कहना है कि यह तरक्की जो हमारी है वह आप लोगों के ऊपर निर्भर है, खास कर गवर्नमेंट के ऊपर। इसलिये मैं चाहता हूं कि स्कालरशिप के सम्बन्ध में मुझे खुशी है कि गवर्नमेंट ने ऊपर के दर्जों में पूरी फीस माफ कर दी है और पूरा लड़कों को स्कालर-शिप मिलता है। लेकिन दर्जा ६ और १२ में बहुत कम दिया जाता है। इलाहाबाद जिले के अन्दर मेरा खयाल है कि और जिलों में भी ऐसा होगा, १,२०० के ऊपर दरख्वास्तें थीं और

† वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

दो सौ के करीब वजीफे थे। बांटने वालों के ऊपर बड़ी बदनामी होती है, क्योंकि वह यह कहते हैं कि थोड़े से लड़कों को मिला। मैंने कई सजेशन दिये थे माननीय मन्त्री जी को हरिजन सहायक बोर्ड में। मैं चाहता था कि वह जो दर्जा २ से या १ से स्कालरशिप गवर्नमेंट देती है ६-६ रुपया हमारे लड़कों के लिये सालाना, वह अच्छी तरह से नहीं मिल सकता और दर्जा एक दो में जरूरत भी नहीं। अगर उस रुपये को काट करके दर्जा ६ से लेकर दर्जा १० तक बढ़ा दिया जाय वजीफे में तो मैं समझता हूं कि लड़के ऊपर जा सकेंगे। ऐसा मेरा खयाल है स्कालरशिप के सम्बन्ध में।

दूसरी बात आपके सामने और गवर्नमेंट के सामने यह कहना चाहता हूं कि आपका जो ५ वर्ष का प्लान है उसमें हमारे जो खेतिहर मजदूर या देहात में हरिजन रहते हैं उनको कोई फायदा नहीं पहुंचता। नहर उनके लिये काम की नहीं है, क्योंकि उनके पास जमीन नहीं। कुआं उनके काम का नहीं है और जो बहुत सी चीजें आप गांवों के लिये देते हैं उनको उतना फायदा उनसे नहीं होता। मैं चाहता हूं कि गांवों के अन्दर जैसा कि मैंने पहले कहा, छोटी छोटी झोपड़ियों में जो पैर फैलाकर सो भी नहीं सकते और सुबह उठते हैं तो पहले पैरों को मलते हैं, तब खड़े हो सकते हैं, ऐसे गांवों में जिनके घर बने हुये हैं उनके मकान बनाने के लिये गवर्नमेंट कोशिश करे।

उनकी मजदूरी के सम्बन्ध में बड़ी गलतफहमी है। कहीं ६ आना, कहीं १२ आना। एक तरह से गवर्नमेंट के ऊपर यह भी भार है क्योंकि यह अपनी गवर्नमेंट का खास काम है, इसलिए कि वह मजदूरी की शरह बनाती है जैसा कि मिलों में और और संस्थाओं में है। लेकिन गांवों में कोई उनके लिये कहने-सुनने वाला नहीं है। मिलों की तरफ से तो हमारे हर पार्टी के लोग रहते हैं और यूनियन बना बना कर चिल्लाया करते हैं और यहां तक होता है कि उपवास तक करते हैं और मरन उपवास तक करते हैं। लेकिन आज तक इन संस्थाओं के किसी लीडर को या किसी संस्था को भी मैंने नहीं देखा कि जो खेतिहर मजदूरों के लिये, उनकी मजदूरी बढ़ाने के लिए कहीं पर भूख हड़ताल करती या जेल जाती। अगर कहीं पर ऐसा होता तो मुझे बड़ी खुशी होती लेकिन कोई ऐसा नहीं करता। हम लोग अपाहिज हैं, गरीब हैं, हमारी कोई आवाज भी नहीं है, हमारे पास कोई पेपर भी नहीं है। और न हमारे पास धन ही है। हम तो सिर्फ गवर्नमेंट से और सदन से यह प्रार्थना करेंगे कि हमारी समस्यायें जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी हल करें।

सदन का समय बढ़ाने के लिये प्रस्ताव

श्री रामनरेश शुक्ल (जिला प्रतापगढ़)—मैं प्रस्ताव करता हूं कि चूंकि बहुत से साथी बोलना चाहते हैं इसलिए सदन का समय आधा घंटा और बढ़ा दिया जाय।

श्री अध्यक्ष—माननीय नेता विरोधी दल क्या कुछ कहना चाहते हैं ?

श्री राजनारायण (जिला बनारास)—जी हां, हम तो पहले ही एक घंटा कहते थे जरूर बढ़ा दिया जाय, लेकिन उसमें हम लोगों को भी बोलने का मौका दिया जाय। बल्कि मैं तो कहूंगा कि १ घंटा और बढ़ा दिया जाय।

श्री रामनरेश शुक्ल—आधा घंटा बढ़ा दिया जाय और कुछ समय भी प्रत्येक व्यक्ति का कम कर दिया जाय अगर सब की राय हो।

(कई आवाजें—जी नहीं।)

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि आधा घंटा और समय बढ़ा दिया जाय यानी ८ बजे तक यह सदन बैठे।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

१९५४-५५ के आय-व्ययक में अनुदानों के लिये मांगों पर मतदान—अनुदान संख्या ३९—लेखा शीर्षक ५७—अनुसूचित और पिछड़ी हुई जातियों का उत्थान—विविध व्यय (क्रमागत)

श्री बंशीदास धनगर (जिला मैनपुरी)—माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं यह जो प्रस्ताव है उसके समर्थन में बोलने के लिये खड़ा हुआ हूं। जहां तक बैकवर्ड जातियों का सम्बन्ध है इसमें यू० पी० सरकार ही नहीं बल्कि मैं तो यह कहूंगा कि केन्द्रीय सरकार की तरफ से भी यह बहुत दिनों से गलतफहमी चलायी जा रही है कि जब यह पिछड़ी जातियों का प्रश्न आता है तो पूरे हिन्दुस्तान को यह कह के कि सभी इसमें बैकवर्ड हैं, इस प्रश्न को टाला जाता है। मैं पिछले १९३१ की मर्दुमशुमारी की तरफ इस सदन का ध्यान दिलाना चाहता हूं। उस समय की कुल हिन्दुस्तान की आबादी ४० करोड़ थी जिसमें कि पिछड़ी जातियों की आबादी १८ करोड़ थी और अछूत जातियों की भी ८ करोड़ थी। हिन्दुओं की जो तादाद थी, उसमें से ऊंची जाति के हिन्दुओं की तादाद सिर्फ ५ करोड़ थी और मुसलमानों की तादाद नौ या साढ़े नौ करोड़ के करीब थी। इस तरह से कुल हिन्दुस्तान की ४० करोड़ आबादी थी। हमारे सूबे में भी इस समय कुल ५१ प्रतिशत आबादी इन पिछड़ी जातियों की है और १८ फीसदी आबादी इन अछूत जातियों की है। बाकी जो हैं वह मुसलमान भाई हैं और ऊंची जाति के हिन्दू हैं। तो प्रश्न यहां पर यह है कि इस प्रश्न की तरफ जो उपेक्षा होती है उसका एक खास मौलिक कारण है जिसके लिये कि लोगों को बड़े कड़े लफ्ज इस्तेमाल करने पड़ते हैं कि शोषित संघ जैसी संस्था के संगठित करने वाले देश के द्रोही हैं। वही लोग जो कि शोषित संघ की जड़ जमाये हुये हैं, वही जब इस तरफ से उठते हैं तब तो वह देश द्रोही हैं और वही जब उधर की बेंचेज से बोलते हैं तब सरकारी बेंचेज वाले आदमी उनको पैट्रोनाइज कर लेते हैं। लेकिन जब वह समस्यायें इन बेंचेज से उठायी जाती हैं तो उनको देश द्रोही कहा जाता है। मेरे कहने का यह मतलब है कि अति का अन्धेर जागृति पैदा करेगा। इसमें देश द्रोही होने का सवाल नहीं है। इसमें प्रश्न इस बात का है कि हर एक जनतन्त्रवाद में यह होना चाहिये कि जनता की सही नुमाइंदगी होनी चाहिये लेकिन जब मैं अपनी यू० पी० की सरकार की तरफ देखता हूं और इसकी नौकर शाही की तरफ देखता हूं तो मैं कहता हूं कि जिनकी तादाद सबसे थोड़ी है, नीचे से लेकर ऊपर तक सभी ओहदों पर, सरकारी नौकरियों में सारे के सारे वे ही हैं। एक भी मिनिस्टर पिछड़ी जाति का नहीं है और न कोई डिप्टी मिनिस्टर है। हरिजनों के लिए जरूर यह कहा जा सकता है कि एक मिनिस्टर उनमें से ले लिया है। लेकिन वह भी सरकारी पार्टी की डिसिपलिन के अन्दर इतने दबे हुए हैं कि कभी हिम्मत नहीं कर सकते कि अछूतों की बात कहें। इसलिए मैं यह कहूंगा कि असल में यह समस्या सुलझती क्यों नहीं है। चाहे आप देशद्रोही कहिए या इससे भी कड़ा शब्द इस्तेमाल करिये, इसकी चिन्ता नहीं होनी चाहिए। यह कांग्रेस संस्था अंग्रेजों का विरोध इसलिए करती थी कि वह इस देश का शोषण करती थी। तो वही यहां पर इस देश की पिछड़ी और अछूत जातियां और पाकिस्तान बनने के बाद मैं कहूंगा इस देश की और इस प्रदेश की अगर कोई मौलिक समस्या है, तो यही है। जिस दिन इस समस्या का सुलझाव हो जायगा मैं समझता हूं कि उस दिन देश की जिन समस्याओं पर हम इन सदनों में विचार करते हैं, बड़ी सहूलियत के साथ सुलझ जायंगी। यहां पर प्रश्न यह है सरकार के सारे ओहदेदार जो हैं, उनमें एक भी फीसदी पिछड़ी जातियों और छोटे वर्ग के आदमी नहीं हैं। इसलिए उनके लिए इस समस्या का सुलझाना बड़ा मुश्किल है। जैसा कि मैंने अपनी पिछली स्पीच में कहा था कि भाई जिनके मुंह में खून लगा हुआ है, जिनके गले में हड्डी लगी हुई है, वह अपने गले की हड्डी किस तहर से निकाल देंगे? या तो देश में जनतंत्रवाद हो तो इस किस्म का हो, जिसमें पार्टीबाजी न हो। जो वर्ग चार हजार वर्ष से बल्कि

सही कहा जाय तो ७ हजार वर्ष से बढ़ता हुआ चला आ रहा है, वह अपनी समस्याएं समझता है। वहां पर संस्कृति की दुहाई—कृष्णचन्द्र शर्मा जैसे माननीय सदस्य जब यह कह सकते हैं . . . .

श्री अध्यक्ष—मैं माननीय सदस्य से कहूंगा कि पुराने किसी अनुदान के ऊपर कोई व्याख्या नहीं होनी चाहिए। उस पर टीका नहीं होनी चाहिए। इसी अनुदान पर आप टीका कायम रखें।

श्री वंशीदास धनगर—चूंकि पिछड़ी जातियों की समस्या मुसलमानों में भी है और मेरे हिसाब से पाकिस्तान बनने के बाद सारे मुसलमान पिछड़े समुदाय में हैं। इसलिये मैं कहूंगा कि जब उनके लिए ऐसी धमकियाँ दी जाती हैं या तो वह यहाँ की संस्कृति को दुहाई देते हुए रहें नहीं तो पाकिस्तान चले जांय तो मैं यह कहूंगा.....

श्री शिवनारायण (जिला बस्ती)—एक प्वाइंट आफ आर्डर है, अध्यक्ष महोदय, ऐसी बात न हमारी सरकार ने कही है न किसी कांग्रेस के सदस्य ने कही है।

श्री अध्यक्ष—मैंने कह दिया कि किसी पुरानी स्पीच पर जो कि किसी दूसरे अनुदान पर हुयी हो बहस न छेड़ें।

श्री वंशीदास धनगर—तो मैं यह कह रहा था कि इसलिये संस्कृति की दुहाई देना ज्यादा अच्छा नहीं है और यह देश के लिए भी मैं कहूंगा कि बहुत मुजिर है।

श्री अध्यक्ष—माननीय सदस्य से मैं कह चुका हूं कि आप पुरानी स्पीच का ज्यादा जिक्र न करें।

श्री वंशीदास धनगर—पिछड़ी जातियों के सम्बन्ध में सरकार को ऐसे संतुलित आँकड़े भी रखने चाहिये और व्यवहार में भी ऐसे संतुलित हों कि यह अपने घर का दुख उभर कर ऐसा न हो कि शायद देशद्रोही जिनको कहते हों कहीं वही समस्या उनको आ पड़े कि जैसे अंग्रेज को यहाँ से जाना पड़ा तो शायद उन लोगों का भी पता न हो जोकि इस तरह से दूसरों को अपनी आर्थिक व्यवस्था को सुलझाने के लिये और दूसरे की आर्थिक व्यवस्था उलझाने के लिए देशद्रोही कहें। साथ ही साथ में यह बात जरूरी है कि हम पिछड़ी जतियां ज्यादातर ऐसे पेशे करती हैं जैसे कुम्हारगीरी का पेशा, तेलियों का पेशा और इसी तरह के दूसरे पेशे उनमें भी जहाँ सरकार काटेज इंडस्ट्री या ऐसी चीजों को प्रोत्साहन देती है तो एक तरह से वे उद्योग धंधे जिनको कि हम सदियों से करते चले आये हैं उन पर डिस्ट्रिक्ट बोर्ड वगैरह की तरफ से टैक्स लग जाता है। तो इसके लिये भी एक सही प्रकार का संगठन और शासन होना चाहिये। जब तक ऐसी बात नहीं होगी तब तक मैं समझता हूं कि यह समस्या दिन पर दिन बहुत जटिल होती चली जायगी।

श्री राम वचन यादव (जिला आजमगढ़)—माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने इस अनुदान पर मुझे बोलने का अवसर दिया। इसके बाद मैं माननीय मंत्री जी को बधाई देता हूं कि इस अनुदान में हर साल बढ़ोत्तरी करते जा रहे हैं। किन्तु हमारे देश में जो पिछड़े वर्ग की समस्या है यह उस वर्ग की नहीं बल्कि राष्ट्र की समस्या है। देश का अगर एक अंग कमजोर है और दबा हुआ, पिछड़ा रहता है तो देश बलवान नहीं माना जाता है क्योंकि अगर यहाँ के ७५ फीसदी लोग पिछड़े और दबे हुये रहते हैं तो अगर बाहर से देश पर कोई आपत्ति पड़े तो ये ७५ फीसदी लोग जो डरे और दबे हुये रहते हैं ये देश की रक्षा के लिये कमजोर साबित होंगे और दूसरी तरफ के सेंट परसेंट लोग मजबूत आते हैं।

[श्री रामवचन यादव]

इसलिये देश को बलवान बनाने के लिये देश की रक्षा करने के लिये इस बात की बड़ी जरूरत है कि जो दबा हुआ वर्ग है वह सब लोगों के बराबर हो। इसलिये अगर इसी चाल से चला जाता है तो इसमें सदियों लगेंगी जब सब लोग बराबरी में आ पायेंगे। इसलिये मेरा अनुरोध है कि और तेजी से रफ्तार बढ़ायी जाय ताकि जल्द से जल्द वह वर्ग और लोगों के बराबर आ जाय। हमारे देश में तीन वर्ग हैं, एक खेतिहर मजदूर वर्ग ऐसा है जिसमें अधिकतर हरिजन भाई हैं और दूसरा बीच का तबका है जिसमें ज्यादातर खेती करने वाले और कारीगरी करने वाले लोग हैं। ये दोनों वर्ग मेहनतकश हैं। इन लोगों ने किसी की कमाई नहीं खायी है बल्कि इनकी कमाई को दूसरों ने खाया है। इस वर्ग ने किसी का अपमान नहीं किया है बल्कि और वर्गों ने इनका अपमान किया है। ये लोग किसी का अपमान नहीं करना चाहते हैं बल्कि राष्ट्र की दृष्टि से यह चाहते हैं कि सबको बराबरी का अधिकार दिया जाय। जो टैक्स सरकार को आता है वह चाहे किसी भी वर्ग से क्यों न आता हो लेकिन वह डाइरेक्ट और इनडाइरेक्ट किसानों और मजदूरों की कमाई से ही आता है। इसलिये उनका हक है कि वे इस टैक्स में से ज्यादा उपभोग करें।

मैं दो तीन सुझाव और देना चाहता हूं। सरकारी नौकरियों का जो प्रश्न है, यह प्रश्न भी पिछड़ापन दूर करने का प्रश्न है। जो लोग सरकारी जगहों पर होते हैं उनके लड़के शिक्षित होते हैं, वे ज्यादा तजुर्बेकार होते हैं और उनके लड़के जब कम्पिटीशन में आते हैं तो उनका उनको ज्यादा ध्यान रहता है। इसलिये जरूरत है कि आनुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर सरकारी नौकरियों में लोग लिये जायं। हरिजन भाइयों के साथ पिछड़ी जाति के लोग भी लिये जायं। अगर यह नहीं लिये जाते हैं तो गांव में और देहात में हम देखते हैं कि वहां पक्षपात होता है। सरकारी नौकरों के द्वारा अगर वह आनुपातिक प्रतिनिधित्व होगा तब ठीक रहेगा। जब भी थानेदार लोग आपस में बैठते हैं तो कहते हैं कि अमुक पिछड़ी जाति का है और यह हरिजन खड़ा होकर बोलता है और बराबर बैठता है। आपस में वह इस प्रकार से सलाह करते हैं कि इन छोटे लोगों को रगड़ दिया जाय। अगर इन लोगों के साथ उनका भी आनुपातिक प्रतिनिधित्व रहेगा तो जो आपस में वह इस प्रकार से बातें करते हैं वह एक प्रकार से नहीं होंगी। अगर कोई इस प्रकार का व्यवहार करेगा तो दूसरी जगह उन लोगों के साथ वैसा व्यवहार किया जायगा। इस कारण इसमें समानता होना आवश्यक है। पिछड़े वर्ग के लोग भी उसके साथ लिये जायं जिससे इन सब का प्रतिनिधित्व समानता के आधार पर रहे और सबके साथ समान व्यवहार हो। इसलिये इस बात की जरूरत है कि सरकारी नौकरियों में इन लोगों को लिया जाय।

एक बात और मैं आपकी सेवा में कहना चाहता हूं कि हरिजनों ने सबसे ज्यादा त्याग और सेवा की है। इसलिये उनको ज्यादा मिलना चाहिये। उनके साथ पिछड़ी जाति के लोग भी लिये जायं। अगर उनका साथ छोड़ दिया जायगा तो हरिजन भाई तो बढ़ जायेंगे और फिर बाद को यह एक और अनुसूचित वर्ग पैदा हो जायगा और वही प्रश्न सामने आ जायगा जो आज हमारे सामने है। मैं अपने जिले में देखता हूं कि हरिजन वर्ग की लड़कियां बी० ए० में पढ़ती हैं और इन्टरमीडिएट में पढ़ रही हैं, हाई स्कूल में पढ़ रही हैं। लेकिन पिछड़े वर्ग की स्त्री जाति कोई भी बी० ए० या इन्टर में नहीं पढ़ रही है। जहां पर कम से कम इस बात की कोशिश होती है कि सरकारी नौकरियों में १८ फीसदी कम से कम हरिजन आ जायं। मैंने अपने जिले में लेखपाल और अमीन के लिये प्रयत्न किया और कुछ लिये भी गये। मुझे खुशी है कि इस बात का प्रयत्न हो रहा है और दूसरी जाति के लोग, पिछड़ी जाति के लोग भी १,२ आ जाते हैं। इस हिसाब से हरिजन वर्ग तो १०,२० वर्ष में बहुत ऊपर आ जायगा लेकिन दूसरा वर्ग रह जायगा। इस कारण मेरा निवेदन है कि पिछड़ी जाति के लोग भी सरकारी नौकरियों में अवश्य लिये जायं। पिछड़ी जाति के लोग नौकरियों में रख लिये जाते हैं लेकिन थोड़े दिनों के बाद सरकारी अधिकारी उनको कह देते हैं कि तुम्हारा काम अच्छा नहीं है।

जैसे कि एक मिसाल है कि साग में हर्दी नहीं डाली। इस तरह का व्यवहार उनके साथ होता है। इस प्रकार का व्यवहार हुआ है और मुझे स्वयं इसका अनुभव है। इसलिये माननीय मंत्री जी इस प्रकार का आदेश जारी करें कि सरकारी अधिकारी इस प्रकार का व्यवहार न करें। जैसा सबके साथ व्यवहार किया जाता है वैसा ही व्यवहार करें।

शिक्षा के सम्बन्ध में मेरा सुझाव है कि हरिजनों की पढ़ाई के लिये तो शुरू से आखिर तक लाभ पहुंचा है लेकिन पिछड़ी जाति के लिये और विशेषकर स्त्री जाति के लिये विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। उनके लिये फ्री शिक्षा होनी चाहिये ताकि वह भी उन्नति कर सकें और अपने जीवन को ऊपर उठा सकें।

पिछड़ी जाति के सम्बन्ध में मेरा सुझाव यह है कि उनकी पूरी फीस माफ नहीं है। इन्टर और हाई स्कूल तक उनकी फीस माफ होनी चाहिये और हर एक आदमी के लिये जूनियर हाई स्कूल तक फीस माफ रहे ताकि सब लोग पढ़ें और सबको पढ़ने की जरूरत है और सब लोग पढ़े लिखे हो जायं। प्रारंभिक शिक्षा कम्पलसरी कर दी जाय क्योंकि इसकी जरूरत है। हमारे देश में जो ज्यादा मेहनत करते हैं और ज्यादा काम करते है वह सबसे खराब खाना खाते हैं, खराब कपड़ा पहनते हैं। जैसे कि एक किसान है जो रात भर नहीं सोता है और खलिहान में बैठा रहता है लेकिन वह चोर को पकड़ नहीं पाता है क्योंकि उसको रतौंधी आती है। जो मेहनत तो बहुत करते हैं लेकिन अशिक्षित हैं उनको किसान की तरह से रतौंधी आती है, दिखायी नहीं देता है, वह पकड़ नहीं पाता है। यदि वह शिक्षित हो जायं तो वह अपनी रक्षा कर सकते हैं।

श्री विष्णु दयाल वर्मा (जिला मैनपुरी)——माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय कमला सिंह जी ने जो कटौती का प्रस्ताव रखा है उसका समर्थन करते हुये मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान १९ फरवरी को जो माननीय पुत्तू लाल जी के संकल्प के सम्बन्ध में माननीय मुख्य मंत्री जी ने शब्द कहे थे उनकी ओर दिलाना चाहता हूं। उन्होंने कहा था कि हरिजन भाइयों को १८ फीसदी जो वाजिब है वह तो मिलना ही चाहिये लेकिन उन्हें अगर २५ फीसदी तक मिल जाय तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है। मैं इस भावना का आदर करता हूं। उन्होंने यह भी कहा था कि हमारे समाज की सर्वांगीण उन्नति होनी चाहिये। यदि हमारे समाज का कोई अंग पिछड़ा रहा या सड़ा-गला रहा तो हमारी उन्नति नहीं कही जा सकती। एक तरफ तो हम अफ्रीका के अपने भाइयों के साथ अच्छे बरताव की मांग करते हैं और दूसरी ओर अपने ही देश में अपने भाइयों के साथ ठीक व्यवहार नहीं करते हैं। उनके साथ अमानुषिक व्यवहार करते हैं। यह ऐसी बात है जिस पर सरकार को मुतवज्जह होना चाहिये। जैसा हमारे मित्र वीरेन्द्र पति जी ने बतलाया, हमारे यहां दो तरह की सूचियां बनाई गयी हैं। एक तो ऐसी है जो हरिजन सहायक विभाग में है और उसमें हिन्दुओं की ३५ और मुसलमानों की २० जातियां हैं। लेकिन उसी पत्रिका में दूसरी जगह पर जब जनसंख्या का हिसाब लगाया गया है तो सिर्फ ९ जातियों की ही जनसंख्या जोड़ी गयी है। वह करीब ४१ लाख के होती है। उसका औसत लगाकर जो पूरी आबादी का प्रति सैकड़ा निकलता है वह ६.६ फीसदी होती है। उसकी रिपोर्ट हमारे राज्य से सरकार के यहां, केंद्रीय सरकार के पास गयी है और उसके आधार पर हमको वजीफे दिये गये हैं। तो इस प्रकार से हमारे साथ न्याय नहीं होता है। इस अनुदान में कुल रुपया ७० लाख रखा गया है। इसमें अधिकांश खर्चा ऐसा है जो अधीक्षक इत्यादि पर और दूसरे संगठनों पर खर्च होता है। हरिजनों की शिक्षा पर ४१,४७,३०० रुपया है और पिछड़ी जातियों पर सिर्फ ७,१३,८०० रुपया है। मैं माननीय शिक्षा मंत्री जी को धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने जो रुपया इस साल रखा है वह पिछले साल से बढ़ा कर रखा है। यह उन्होंने बड़ी कृपा की है लेकिन इस पर संतोष कर लेना काफी नहीं है। क्योंकि हमारे यू० पी० का बजट

[श्री विष्णुदयाल वर्मा]

८१ करोड़ ७ लाख का है. और यह रुपया ऐसा है जो राजस्व से खर्चा किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त २० करोड़ २२ लाख रुपया ऐसा है जो कि पूंजी से व्यय किया जायगा। इस प्रकार से १ अरब १ करोड़ २९ लाख रुपया खर्च किया जायगा। इसमें जो रुपया पिछड़ी हुयी जातियों पर खर्च किया जा रहा है उसका औसत अगर हम मिलायें तो हमको मालूम होगा कि प्रति एक हजार-रुपया पर केवल ७ रुपया के करीब हमारी शोषित और पिछड़ी हुयी जातियों पर पड़ता है। इसलिये इस तरफ माननीय मंत्री जी को ध्यान रखना चाहिये।

दूसरे मैं मंत्री जी का ध्यान इस तरफ भी दिलाना चाहता हूं कि हमारी सरकारें अंडर हैंड पालिसी चलाती हैं जिससे हमारे भाइयों को धोखा हो जाता है। हरिजन सहायक विभाग में शिक्षा के लिये जो सूची रक्खी जाती है वह ५५ जातियों की है लेकिन बैकवर्ड क्लासेज की जो सूची सर्विसेज के लिये है उसमें केवल १६ जातियां ही रक्खी गयी हैं। इस चीज के बारे में मेरा एक अनुभव है। गत् पी० टी० सी० का जब चुनाव हुआ था तो उन विद्यार्थियों के लिये जिनकी उम्र ज्यादा थी मुझे वहाँ के अधिकारियों से मिलने का मौका मिला तो उन्होंने बताया कि अमुक जातियों के नाम एजूकेशन में होंगे, उनके पास तो केवल १६ जातियों के नाम हैं और वे इस प्रकार से हैं—

भराव, बंजारा, भर, बिन्द, भोटिया, छापी, झोझा, जुलहा, कोरी, कूंजड़ा, लोनिया, मनिहार, मुराव, नायक, धुनिया, और खटिक।

लेकिन हम लोग इस इम्प्रेशन में रहते हैं कि पिछड़ी हुई जातियाँ ५५ हैं और उसी तरह से सर्विसेज में भी उनको जगहें मिलेंगी लेकिन सरकार इस प्रकार धोखेबाजी से चाल चलती है।

श्री अध्यक्ष—आप धोखेबाजी शब्द इस्तेमाल नहीं कर सकते।

श्री विष्णुदयाल वर्मा—यदि ऐसी बात है तो मैं उसको वापस लेता हूं।

श्री पुत्तूलाल (जिला आगरा)—माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय शिक्षा मंत्री जी ने अपने छोटे से भाषण में यह बताया कि गत वर्ष हरिजनों के लिये ५४ लाख ५५ हजार रुपया रक्खा गया था और इस वर्ष उसको बढ़ाकर ७० लाख कर दिया गया है। जब मैंने उनके मुख से यह बात सुनी तो मुझे हर्ष हुआ लेकिन उसके साथ ही मैं अपने माननीय शिक्षा मंत्री जी से यह पूछना चाहूंगा कि क्या यह सच नहीं है कि मूल बजट में ५४,५५,२०० रुपया रक्खा गया था और क्या यह भी सच नहीं है कि सप्लीमेंट्री बजट में १६ लाख ५० हजार रुपया अनुदान में रक्खा गया था और क्या इन दोनों का टोटल ७१,०५,२०० रुपया नहीं होता है? इसके साथ ही साथ क्या यह सच नहीं है कि हमारी राज्य सरकार को केंद्रीय सरकार ने हरिजनों के उत्थान के लिये पंचवर्षीय योजना में २ करोड़ ३६ लाख रुपया रक्खा था जिसका पांचवां हिस्सा क्या ४७ लाख २० हजार रुपया नहीं होता है? इस तरीके से गत वर्ष जो खर्चा हुआ और जो पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत रखना चाहिये था उसको अगर जोड़ा जाय तो वास्तव में १,१८,२५,२०० रुपया होता है। मैं जब इस चीज पर ध्यान देता हूं तो मालूम नहीं होता कि किस तरीके से बढ़ोत्तरी की गयी है।

इतना कहने के बाद मैं इस तरफ आता हूं कि जहां तक इन्टरमीडिएट से ऊपर की शिक्षा का ताल्लुक है उनमें पढ़ने वाले परिगणित जातियों के छात्रों के लिये कम्पलसरी स्कालरशिप रखे गये हैं और इसके पहले कम्पलसरी स्कालरशिप नहीं थे लेकिन अब संख्या बहुत ज्यादा बढ़ गयी है। माननीय वित्त मंत्री जी ने अपने भाषण में बताया कि ५२–५३ में हरिजनों की संख्या २ लाख थी, अब वह बढ़ कर ५ लाख हो गयी है। हमारी सरकार जब कि यह जानती है कि दिन ब दिन परिगणित जाति के छात्रों की संख्या बढ़ती जाती है तो उसी रफ्तार से हमारी

सरकार को ज्यादा से ज्यादा रुपया भी बढ़ाना चाहिये। जहां तक हमारे जिले का ताल्लुक है, हम यह कह सकते हैं कि छठीं कक्षा से लेकर १०वीं कक्षा तक हर क्लास में २२ स्कालरशिप थे और हर कक्षा में अर्जियां २५० से कम नहीं थीं, तो क्या छात्रवृत्तियों को बढ़ाने की आवश्यकता नहीं है? इसी प्रकार से एफ० ए० में १२ स्कालरशिप्स थे और १५० एप्लीकेशंस थी। तो इन सब चीजों को देखते हुए मैं माननीय शिक्षा मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि स्कालरशिप की संख्या बढ़ा दी जाय। मेरा तो सुझाव यह है कि हर जिले में, हर क्लास में सौ सौ छात्रवृत्ति होनी चाहिये। इस प्रकार एफ० ए० से नीचे दर्जे में पढ़ने वाले विद्यार्थियों को अच्छी मात्रा में सहायता मिल सकेगी।

इसके अलावा कुछ और तकलीफें जो हमारे छात्रों को होती हैं वह यह हैं कि जुलाई, अगस्त के महीने में जब दाखिले का प्रश्न उठता है तो उस समय हमारे विद्यार्थियों को बड़ी कठिनाई उठानी पड़ती है। यहां तक कि हमने पिछली बार माननीय उप मंत्री जी के पास शिकायत भेजी कि आगरा में हमारे छात्रों को नहीं लिया जा रहा है तो उन्होंने कृपा करके यहां से कोई आदेश दिया और तब वे लिये गये। इसी प्रकार से जो फ़ीशिप मंजूर करने में शिक्षा संस्थाओं का लास होता है उसे गवर्नमेंट पूरा कर देती है तो फिर मेरी समझ में नहीं आता कि स्कूलों की अथारिटीज हमारे छात्रों की फीस माफ क्यों नहीं कर देती हैं? तो मैं माननीय शिक्षा मंत्री जी से यह कहूंगा कि इसके लिये भी उचित आर्डर और सख्त से सख्त आर्डर शिक्षा संस्थाओं के पास वे भेजने की कृपा करें।

इसके बाद मैं यह कहना चाहता हूं कि हमारे जो हरिजन सहायक विभाग के कर्मचारी हैं उनका सम्बन्ध अधिकतर प्लानिंग विभाग से रखा गया है जिसकी वजह से न तो वे हरिजन सहायक विभाग के कर्मचारी ही काम ठीक से कर पाते हैं और न प्लानिंग विभाग के ही कर पाते हैं इसलिये मैं यह चाहता हूं कि हमारे हरिजन सहायक विभाग के कर्मचारी बिलकुल स्वतंत्र रह कर अपने ही विभाग का काम करें। अगर पंचवर्षीय योजना की कोई बात हो, नियोजन अधिकारी को हमारे काम की रिपोर्ट की आवश्यकता हो तो वह उनके पास भेज दी जाय। इसके अलावा जो डिस्ट्रिक्ट में हरिजन सब कमेटीज होती हैं उनके बारे में मैं यह कहना चाहता हूं कि उसका प्रेसीडेंट नानआफिशियल होना चाहिये और सेक्रेटरी हमारा रीजनल हरिजन सहायक अफसर हो। कारण यह है कि वहां प्रेसीडेंट जिलाधीश होता है और सेक्रेटरी नियोजन अधिकारी होता है लेकिन उनके पास काम इतना बढ़ गया है कि वे जितना समय अन्य नये प्राब्लम को देते हैं उतना हरिजनों की समस्याओं को वह नहीं दे पाते। इसलिये माननीय शिक्षा मंत्री जी से मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि जिला सब-कमेटीज का पुनर्संगठन किया जाय और उसका चेयरमैन नान आफिशियल मेम्बर रखा जाय और सेक्रेटरी रीजनल हरिजन सहायक अफसर रखा जाय।

श्री सीताराम शुक्ल (जिला बस्ती)---माननीय अध्यक्ष महोदय, सबसे पहले मैं अपने माननीय शिक्षा मंत्री जी को धन्यवाद देता हूं। पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी साहब को इसलिये धन्यवाद नहीं देता हूं कि उनका नाम और मेरा नाम एक ही है तो कहीं यह न समझा जाय कि मैं अपनी ही तारीफ कर रहा हूं। यहां बैठ कर जिन दिक्कतों को मैंने सुना और जिसका मुझ पर असर पड़ा उस पर बहुत ही गम्भीरतापूर्वक और ऊंचे स्तर पर हमें विचार करना चाहिये। आज भी जब कि कानून ऐसा बन गया है कि यहां कोई अछूत नहीं है, जो हरिजनों के साथ अछूत का बर्ताव करेगा उसके विरुद्ध कानूनी कार्यवाही की जायगी, फिर भी वह है, इसको कैसे रोका जाय, इस पर गम्भीरता पूर्वक विचार किया जाना चाहिये। पढ़े लिखे लोग छूतछात माने और सत्याग्रह की नौबत आये तथा गिरफ्तार किये जायं, यह ऊंची जाति वालों के लिये, अफसोस की बात है।

[श्री सीताराम शुक्ल]

लेकिन इसके साथ ही मैं अर्ज करता हूं कि इसको दूर करने का तरीका जो सोचा जा रहा है वह भी गलत है। हर एक को इस विषय पर, पक्ष और विपक्ष दोनों पहलुओं पर ध्यान रख कर विचार करना चाहिये। लोग शिकायत करते हैं कि ऊंची जाति वालों ने हमें कुचला, सताया और दबाया, इस गलत प्रचार का परिणाम क्या होगा, क्रांति होगी और उसका यह फल होगा कि सबको कष्ट होगा। इसलिये हुजूरवाला कानून बनाने वाले को ही बुरा भला नहीं कहना चाहिये।

श्री अध्यक्ष---माइक्रोफोन सब गरम हो गये हैं इसलिये माननीय सदस्य जरा उससे दूर रहकर ही बोलें तो अच्छा है।

श्री सीताराम शुक्ल---इसी सदन में १९३९ में किसानों के लिये, उनके भले के लिये क़ानून बनाया गया था लेकिन उसके बाद इसी सदन ने यह निश्चय किया कि जमींदारी तोड़ दी जाय। तो न उस वक्त के लोग बेईमान थे और न आज के लोग बेईमान हैं। जैसी परिस्थिति होती है उसको देखकर ही क़ानून बनते हैं और बिगड़ते हैं। क़ानून समय के अनुसार बना करते हैं। जिस वक्त वर्णाश्रम टना था उस वक्त के लोगों ने यह उचित समझा था कि वर्णाश्रम बनना चाहिये जिससे काम सुचारु रूप से चले। आप उसको इस वक्त गलत समझते हैं तो आप बदलिये, दूसरा कानून समय के अनुसार बना लीजिये लेकिन बुजुर्ग को बुरा मत कहिये। दोनों हाथ हमारे हैं, एक से हम खाना खाते हैं और दूसरे से पाखाना धोते हैं। दाहिने हाथ से हम रोज खाना खाते हैं और बायें से हम रोज पाखाना धोते हैं तो क्या हम बायें हाथ के साथ जुल्म करते हैं, अन्याय करते हैं? हर्गिज नहीं, केवल अलग अलग काम बंटा हुआ है और उस काम के बंटने से हर काम आसानी से चलता है और इस बंटने से सिद्धहस्तता बढ़ती है, काम शीघ्र और अच्छा होता है।

श्री अध्यक्ष---माननीय सदस्य अपने मुख का उपयोग करें, हाथ का उपयोग न करें।

श्री सीताराम शुक्ल---हुजूरवाला, अंग्रेज मेरे हाथों के हिलने से घबड़ाते थे लेकिन मुझे आज मालूम हुआ कि हुजूर भी घबड़ाते हैं। खैर आपने सतर्क कर दिया है उसके लिये मैं आपको धन्यवाद देता हूं। मैं अर्ज करता हूं कि नौकरी की जगहों से यह समस्या हल होने वाली नहीं है। स्वर्गीय जिन्ना साहब ने साम्प्रदायिक एकता के लिये स्वदेश का बटवारा करवाया, वह हो गया और पाकिस्तान बन गया लेकिन "मर्ज बढ़ता गया ज्यों ज्यों दवा की"। मैं अर्ज करता हूं कि पाकिस्तान के अन्दर भी गत अप्रैल, १९५३ में कत्ले आम हुआ। मुसलमान ने मुसलमान पर जुल्म ढाया और कादियानी मुसलमान और गैरकादियानी के किस्से उत्पन्न हुये। इसलिये जात पांत का लिहाज करके सरकारी नौकरियों के पाने से तो समस्या का हल नहीं हो सकता है। लाल रोशनी हो गयी है, बहुत सी बातें कहनी थीं लेकिन अब मैं इशारा करके खत्म कर दूंगा। अभी एक साहब ने बैकवर्ड का सवाल पैदा किया है और उसके बाद महाहरिजन का सवाल पैदा हुआ और जाने कितनी जातियां बतायी गयी हैं, कितनी जातियों को कहां कहां से नौकरियां दी जायेंगी। हां, गरीबों को रोटी, खाना, कपड़ा, मकान जरूर मिलना चाहिये, स्कालरशिप जरूर मिलनी चाहिये लेकिन यह गलत बात है कि फलां के रिश्तेदार हैं इनको नौकरी मिलनी चाहिये या फलां जाति के हैं इनको नौकरी मिलना चाहिये, सरकारी नौकरी प्रसाद तो नहीं है जो हर एक को बंटना चाहिये, वह तो सार्वजनिक सेवा की जगह है, इसलिए जाति पांति को देखकर दी जाती है तो समस्या हल नहीं होगी। उसे तो केवल योग्यता को दृष्टि में रख कर मिलना चाहिये।

श्री शिवप्रसाद (जिला देवरिया)---माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी को धन्यवाद देता हूं जो आपने इस अनुदान को उपस्थित किया है। अध्यक्ष महोदय, किसी भी राज्य में दलित मानव समाज की यह जबर्दस्त पुकार तथा उसका यह तकाजा है कि उसके

आर्थिक, सामाजिक तथा हर एक पहलू पर हुकूमत गम्भीरता पूर्वक विचार करे। इस दिशा में जब हम उत्तर प्रदेश की तरफ देखते हैं तो यह बात छिपी हुई नहीं है और हमें इसमें अपने को जरा भी संकुचित दायरे में नहीं रखना चाहिये कि हरिजनों के उत्थान के लिये या पिछड़ी हुई जातियों के कल्याण के लिये सरकार ने अपने कदम को बहुत आगे तक बढ़ाया है। साथ ही साथ जब हम यह देखते हैं कि हरिजन उत्थान का भार केवल हरिजन भाई ही अपने ऊपर रखना चाहते हैं तो हम खतरे में पड़ जाते हैं। हरिजनों की समस्या आज देश में एक लम्बी समस्या है। इसलिये हरिजनों के उत्थान के लिये और हरिजनों के कल्याण के लिये देश के एक एक नौजवान, देश के एक एक बूढ़े और देश की एक एक माता का यह सबसे बड़ा कर्त्तव्य हो जाता है कि वह उस समस्या को सुलझावे। यह समस्या हम तभी सुलझा सकते हैं जबकि हम एक दूसरे से कंधे से कंधा मिला कर चलें। हमारा संकुचित दायरा और हमारी वह मनोवृत्ति हमें घातक हो जावेगी अगर हम साम्प्रदायिकता का नारा लगा कर, जातीयता का बीज बो करके किसी वर्ग के उत्थान के लिये आगे बढ़ेंगे। हमें तो अवश्य कुछ न कुछ दुख होता है जबकि हमारे देश की राजनैतिक पार्टियां चाहे वह विदेशी समाजवादी दायरे में हों, चाहे उनको कम्युनिस्ट कहें, चाहे उनको हिन्दू महासभाई या जनसंघी कहें, जब हरिजनों के उत्थान की बात होती है तो वह अपने को संकुचित दायरे में रखना चाहते हैं। लेकिन देहातों में पहुंच कर उनके सामने बड़ी लम्बी-लम्बी बातें कह कर उनको अपनी ओर आकर्षित करने की कोशिश की जाती है। इस तरह से संकुचित दायरा रख कर हम किसी भी राजनीतिक दल को जीवित नहीं रख सकते हैं। मेरा प्रहार किसी विशेष व्यक्ति या पार्टी के ऊपर नहीं है बल्कि मैं आपके द्वारा उन भाइयों से अनुरोध करूंगा कि उनका इस समस्या को सुलझाने के लिये और हरिजनों को आगे बढ़ाने के लिये कर्त्तव्य हो जाता है। जितना वे अपना कर्त्तव्य उन्हें अपने में लाने के लिये समझते हैं उतना ही उनका यह भी कर्त्तव्य हो जाता है कि वह उनकी तरफ ध्यान दें। हमारे देश के वर्तमान प्रधान मंत्री पं० जवाहर लाल नेहरू और उसके बाद जब हम प्रदेश में आते हैं तो हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्य मंत्री पं० गोविन्द वल्लभ पंत और इस सदन के हमारे माननीय शिक्षा मंत्री जी हरिजनों की समस्याओं को सुलझाने के लिये काफी सहानुभूति रखते हैं। यही नहीं, बल्कि हरिजनों के बच्चों को आगे बढ़ाने के लिये और उनके विकास के लिये जो कि छोटी छोटी दस्तकारियां जानते हैं उनके लिये इस बजट में रुपया दिया गया है। मैं जिस जिले से आया हूं उस जिले में कम से कम ३०–३५ आदमियों को इस तरह के अनुदान मिले हैं और उन्हें दो सौ रुपये से लेकर ४ सौ रुपये तक घरेलू उद्योग धंधों के लिये दिया गया है। यह ही नहीं बल्कि हरिजन विद्यार्थियों को होस्टलों में रहने के लिये स्थान है। जब हम ऐसी बात करते हैं तो हमारे बगल के सदस्य यह कहते हैं कि हम पक्षपात की बात करते हैं। हमको और आपको इस वक्त सही तरीके से सोचना होगा। मैं समझता हूं कि ऐसा न समझने में थोड़ी सी कमजोरी है। हमें सरकार जितना देती है उसे हमें लेना है और यह हमारा तकाजा है कि हम हरिजनों के लिये सरकार से और मांग करें। इसलिये यह आवश्यक हो जाता है कि हम हरिजनों को प्रोत्साहित करें और उनके दिल और दिमाग में इस तरह की भावना लावें कि वह अपने पैरों पर स्वयं खड़े हो सकें। जब तक कि वह स्वतः अपने पैरों पर खड़े नहीं हो सकेंगे तब तक मैं समझता हूं कि उनका सुधार नहीं हो सकता है। इस ७० लाख या ७५ लाख से उनका कल्याण होने वाला नहीं है। यह तो उनके लिये केवल प्रोत्साहन, उत्साह और सहयोग है। इस तरह से जब वे अपने इस देश में और राज्य में अपना नागरिक अधिकार समझते हुये हर तरह के पहलुओं पर विचार करते हुए आगे बढ़ेंगे तो मैं समझता हूं कि इसमें कोई संदेह नहीं है कि वह प्रबल न होंगे और फिर कोई रोड़ा नहीं होगा, कोई शक्ति नहीं होगी और कोई ताकत नहीं होगी जो कि उनको रोक सके।

श्री राजनारायण (जिला बनारस)—माननीय अध्यक्ष महोदय, पहले मैं उन सम्मानित सदस्यों को धन्यवाद देता हूं जिन्होंने इस सदन में हमारे दो साल के ऊपर के सतत्

[श्री राजनारायण]

प्रयत्न के प्रभाव में आकर आज अपने उद्गारों को यहां प्रकट किया। सचमुच मुझे बड़ी खुशी हुई शिक्षा अनुदान के विवाद को सुन कर और ट्रेजरी बेंच के कुछ सम्मानित सदस्यों ने जो उद्गार प्रकट किये जैसे रामकृष्ण जैसवार जी, श्याम लाल जी, आदि, उनके उद्गारों को सुनकर मैं यह समझता हूं कि इस सदन में समय समय पर जो जजबात प्रकट किये गये हैं, उनका उनके ऊपर प्रभाव जरूर पड़ा है। मगर मैं पहले उनसे यह निवेदन कर देना चाहता हूं, और आप से भी, क्योंकि बड़ा महत्वपूर्ण विषय है और समय भी सीमित है, थोड़ी उदारता रखियेगा कि अभी तक उनमें मात्रा भेद हुआ है, क्वान्टिटेटिव चेंज तो हो गया है, मगर वे अपने उद्देश्य की पूर्ति उसी समय कर पायेंगे, जब उनमें क्वालिटेटिव चेंज हो, गुणात्मक परिवर्तन हो। श्रीमन्, इस प्रान्त के विभिन्न जिलों में मुझे जाने का मौका मिलता रहता है और जो शोषित पीड़ित लोग हैं, जो अर्थाभाव से दरिद्र लोग हैं, उनके प्रतिनिधि भी मिला करते हैं। उनके अन्दर हमने यह देखा कि आज विदेशी हुकूमत की भावना पैदा हो रही है। वे बहुत शांतिपूर्ण तरीके से जब विवाद करते हैं तब भी यह कहते हैं कि फारेनर्स रूल (विदेशी हुकूमत) हमें अच्छा था, क्योंकि एक विदेशी के गुलाम आप भी थे और हम भी थे। उनका तर्क है कि हम जब अपने देश के अन्दर रहने वाले कुछ लोगों के गुलाम बनने के लिए बाध्य हुए तो क्यों न हम फारेनर्स रूल ऐक्सेप्ट (विदेशी हुकूमत कबूल) करें। जब इन भावों को उनमें हम पाते हैं, तो उस समय हम यही सोचते हैं कि हमारी प्रान्तीय सरकार की शिक्षा नीति पूर्णतया फेल (असफल) हो गयी। यह तीसरा बजट है। प्रथम बजट जब रखा गया, था तो इस सदन में हर मन्त्री जिसका विषय बदला उसने कहा कि मैं नया आया हुआ हूं, जरा हमारा भी तजुर्बा कीजिये। मुझे अफसोस है और मैं पूंछना चाहता हूं कि आज इस सदन में हमारे सम्मानित सदस्य श्री सीताराम शुक्ल ने जो अपने भाव प्रकट किये दायें हाथ और बायें हाथ का तथा पांचों उंगलियां क्या एक समान होती हैं, देखो एक छोटी है, एक बड़ी है, तो जब ऐसे विचार के लोग ट्रेजरी बेंचेज में भरे पड़े हैं, तो वहां से (हरिजन) वह क्या आशा कर सकते हैं? उनका मतलब उस दिन पूरा होगा जब वे उसको छोड़ कर दूसरा रास्ता और दूसरा संगठन अपनायेंगे। हमारे एक देवरिया के रईस अभी यहां बोल गये और अपने जिले के तीन सौ या ढाई सौ या कुछ हरिजन विद्यार्थियों के इमदाद की बात कही।

श्री शिवप्रसाद—माननीय अध्यक्ष महोदय.....

श्री अध्यक्ष—क्या आप का प्वाइण्ट आफ आर्डर है?

श्री शिवप्रसाद—जी हां। आपके द्वारा मैं यह बता देना चाहता हूं कि मैं रईस नहीं हूं, बल्कि एक बहुत ही निर्धन हरिजन हूं।

श्री अध्यक्ष—आपने प्वाइण्ट आफ आर्डर कह करके उचित नहीं किया।

श्री राजनारायण—श्रीमन्, हर प्वाइन्ट आफ आर्डर ऐसा ही हमेशा रहता है। तो मैं कहना चाहता हूं माननीय शिक्षा मन्त्री जी से कि यह हिस्टारिकल नेसेसिटी (ऐतिहासिक आवश्यकता) है कि पिछड़े लोग अपनी जातियों के आधार पर संगठित होंगे, इसको कोई रोक नहीं सकता और उस ऐतिहासिक आवश्यकता को माननीय शिक्षा मन्त्री जी महसूस करें। माननीय सीताराम जी से मैं पूछना चाहता हूं कि "समान प्रसव जातिः" कहां का श्लोक है, इसके क्या मानी हैं। समान ढंग से जो क्रिया हो, समान ढंग से जो पैदा हों वे एक जाति के हैं। मानव जाति में चाहे ब्राह्मण हों या हरिजन हों, एक की स्त्री हो या एक का मर्द हो तो उन दोनों से मनुष्य ही पैदा होगा। तो एक ढंग से पैदा होने की प्रणाली जो इस समाज में है, वह एक जाति की है। मानव समाज का बटवारा कहां हुआ? क्या इस मनोवैज्ञानिक परिस्थिति को माननीय शिक्षा मन्त्री जी ने इस मुल्क में और इस सूबे में पैदा किया?

क्या आज माननीय शिक्षा मन्त्री जी गर्व के साथ कह सकते हैं कि एक जातिविहीन समाज को बनाने की ओर वे बढ़ रहे हैं ? जब यहां पर ट्रेजरी बेंच के लोग खड़े होते हैं तब उनके ऊपर एक उफान पैदा हो जाता है। यह पिछड़ी जाति क्या ? मैं सचमुच बड़े दुखी भाव से कहना चाहता हूं, मैं नहीं चाहता हूं सुनना और वह दिन देखना चाहता हूं जब कि पिछड़ी जाति का शब्द मिट जाय और अब भी आप कोई ऐसा वैज्ञानिक शब्द क्यों नहीं रखते जैसे अर्थाभाव से पीड़ित लोग या हरिजन ? हरिजन शब्द, जब विवाद हो रहा था तो मैं सोच रहा था कि गांधी जी ने हरिजन शब्द क्यों रखा। तो यह बात अपने ही दिमाग से मैंने निकाली कि जो जितना गरीब है, गांधी जी ने सोचा, कि वह उतना ही हरि के नजदीक है। क्या इन भावों को शिक्षा मन्त्री तनिक भी प्रसारित कर पाये हैं ? आज ५ लाख, १० लाख की बात करके मंत्री जी धन्यवाद के पात्र हैं। पहले ७९ लाख का बजट था, अब की ८४ लाख का हो गया। इसमें क्या धन्यवाद की बात हो गयी ? एक ट्रेडीशन मेन्टेन करने के लिए तीन मिनट इसी में गवां दिया करते हैं। अगर सही रूप में हम देखें, तो हमें बड़ा दुःख होता है। हमारे श्यामलाल जी ने केवल शराब ही का रखा। मैं मानता हूं :—Value is the crystalization of labour power"। लाल बत्ती जल गयी, मगर मैं चाहता हूं कि शिक्षा की व्यवस्था इस तरह से हो कि जो लेजिस्लेचर्स यहां पर हैं, ये कम से कम अपने दिमाग से ऐसी बातें निकालें कि समाज में कोई भेद है। जात-पांत का भेद नहीं होना चाहिए चाहे हिन्दू हो या मुसलमान। आज जो पीड़ित हैं उनका संगठन होगा, कोई इसको रोक नहीं सकता है। मैं न्यौता देना चाहता हूं उनको जो आज समाज को सही रास्ते पर लाना चाहते हैं, जो जातिविहीन समाज बनाना चाहते हैं, वे उस कांग्रेस के टूटे फूटे संगठन में रह कर समाज की रचना नहीं कर सकते हैं, उनकी जिन्दगी बदल नहीं सकते हैं। अतः सरकार की शिक्षा की नीति का टोटल फेल्योर हो गया है। श्रीमन्, मैं कुछ आंकड़ों पर आना चाहता था, अगर आप दो मिनट मुझको और बढ़ा दें, तो उसी में मैं सब खत्म कर दूंगा।

श्री अध्यक्ष—मैं एक ही मिनट दे सकता हूं।

श्री राजनारायण—इसलिए मैं चाहता हूं कि हमारे सम्मानित सदस्यों ने जो कुछ कहा, माननीय मन्त्री जी हमारे साथ किसी जिले में चले चलें। आज पक्षपात की लड़ाई सब जिलों में हो रही है। आज जहां का दारोगा ठाकुर है, वह किसी मामले में ठाकुर का ही पक्ष लेता है। आज यह भावना आ रही है। यह मैं किसी भाव को उभाड़ने के लिए यहां नहीं कह रहा हूं, प्रत्यक्षदर्शी हूं। एक्जाम्पिल इज बेटर दैन प्रिसेप्ट (आदेश देने से उसका स्वतः उदाहरण बनता है)। यहां क्या, चल कर मैदान में देखिए। जात-पांत में बंटा हुआ यह जर्जर समाज जब तक पूर्ण रूप से इस विभेद को मिटाने की भावना के अन्तर्गत शिक्षित नहीं किया जाता तब तक कोई काम नहीं हो सकता।

श्री जोरावर वर्मा (जिला हमीरपुर)—अध्यक्ष महोदय, ८१ करोड़ ७ लाख के बजट में ७० लाख रुपये हरिजनों और पिछड़ी जातियों को दे दिये गये। मेरी समझ में नहीं आता कि इस रकम से कल्याणकारी राज्य की स्थापना कितने वर्षों में पूरी होगी। मैं देखता हूं कि यह अनुदान इस प्रकार से है कि जिस प्रकार कोई खाना खाता है और बच जाने पर कुत्ते को जूठन फेंक देता है। क्या इस थोड़े से बजट से हरिजनों का उद्धार हो सकता है ? नहीं, कभी नहीं। अध्यक्ष महोदय, मैं यह मानता हूं कि शिक्षा में मंत्री जी ने डिग्री क्लासेज में कम्पलसरी स्कालरशिप कर दिये हैं, लेकिन इसके साथ ही साथ जो आने वाली जेनेरेशन है, उसकी जड़ को काट रहे हैं। अर्थात् हाई स्कूल, इन्टरमीडियेट, क्लासेज की जो छात्रवृत्तियां हैं वे बिलकुल नाकाफी हैं।

[श्री जोरावर वर्मा]

अध्यक्ष महोदय, जो फ्रीशिप की बात है, मैं कई जगह गया, तो मैंने यह देखा कि हमीरपुर जिले में एक पिपरी गांव है। उसमें १६ हरिजन विद्यार्थी पढ़ते हैं। उनमें पांच विद्यार्थियों की फीस माफ है। ऐसे कई और स्कूल हैं, जहां हरिजन विद्यार्थियों की फीस बिलकुल माफ नहीं है और जब मैंने पूछा कि ऐसा क्यों है, तो उन्होंने कहा कि सरकारी आदेश है कि दो सम्मानित व्यक्तियों से, या तो वह गांव के प्रधान हों, सरपंच हों, मेम्बर डिस्ट्रिक्ट बोर्ड, एम० एल० ए० या एम० पी० हों, जब उनको सबूत मिल जायगा कि वह हरिजन हैं, तब उनकी फीस माफ करेंगे। और आप जानते हैं कि प्रधान और सरपंच कब चाहते हैं कि हरिजन विद्यार्थी शिक्षा पाकर बोलना सीखें, उठना सीखें, और तरक्की कर सकें। तो मैं यह कहूंगा कि इस से शिक्षा में जो उन्नति होनी चाहिए थी, वह नहीं हो रही है।

जहां तक नौकरियों का प्रश्न है, १० प्रतिशत दिया जाता था, अब १८ प्रतिशत कर दिया गया है। अध्यक्ष महोदय, अच्छा है यह घोषणा हमारे प्रोत्साहन के लिए अच्छी है, लेकिन क्या मैं पूछ सकता हूं कि इस प्रतिशत के किस विभाग में कहां भर्ती किये गये हैं। मैं कई बार पहले भी उदाहरण दे चुका हूं। अभी लेखपाल जो १५ हजार लिये गये हैं, उनमें से केवल ६०० हरिजन लिये गये हैं। कितने अमीन, कितने क्लार्क और कितने नायब तहसीलदार क्लकशन के सम्बन्ध में लिये गये हैं? मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं कि एक परसेंट भी उसमें हरिजन नहीं लिये गये हैं। अध्यक्ष महोदय, यह हो भी कैसे? जब १८ प्रतिशत हमको रिजर्वेशन देते हैं तो अधिकारी वर्ग से जिनसे मुझे मिलने का कई बार मौका मिला है, जब मैंने पूछा कि साहब ऐसा क्यों नहीं करते हैं, तो उन्होंने कहा कि हाथी के दांत खाने के और, दिखाने के और होते हैं। वहीं आप अपने मंत्रिमंडल में भी देखिए। १८ परसेंट के हिसाब से वहां दो मिनिस्टर होने चाहिए थे, एक डिप्टी मिनिस्टर होना चाहिए था, लेकिन नहीं है। जब वहीं दीपक तले अंधेरा है तो आप हमसे क्या आशा करते हैं? अध्यक्ष महोदय, हम लोग यहां असेम्बली के अन्दर ८३ सदस्य हैं और हमीं लोगों ने एलेक्शन किया है, २४ कौंसिल के मेम्बरों का। अगर हम लोग खुद ही चाहते, तो उसमें ४ आदमी अपने भेज सकते थे, लेकिन ७२ की कौंसिल में केवल एक हरिजन कौंसिलर है। इस बात से पता लगता है कि इन बातों को कहां तक प्रोत्साहन मिल रहा है।

अध्यक्ष महोदय, हरिजन शब्द जब आता है, तो मुझे बड़ी हंसी आती है कि हरिजन और हरि मंदिरों में उनका प्रवेश न हो, यह समस्या मेरी समझ में नहीं आती है। बनारस में जब हमारे बेचन राम जी एम० एल० ए० के नेतृत्व में हरिजन मंदिर के लिए गये, तो मंदिर में प्रवेश नहीं होने दिया गया। अध्यक्ष महोदय, आपको मालूम होगा कि मद्रास, बम्बई, बरार आदि की सरकारों ने टेम्पिल एन्ट्री के कानून बना दिये हैं लेकिन हमारे सूबे को इस बात का गर्व है कि हम हरिजनों का बड़ा उद्धार करते हैं, पर मेरी समझ में यह नहीं आता कि यहां इसके लिए कुछ क्यों नहीं किया जा रहा है। बहुत से कहने वाले यह कहते हैं कि हम तो बहुत कुछ करते हैं लेकिन पता नहीं, हरिजन क्यों असन्तुष्ट हैं। मैं पूज्य बापू की उन बातों को रखना चाहता हूं जो उन्होंने सवर्ण कहे जाने वालों के लिए कही थीं—

> "सवर्ण हिन्दुओं को चाहिए कि वह उन सुविधाओं को ग्रहण न करें, जो हरिजनों को प्राप्त नहीं हैं और उन्हें तब तक चुपचाप नहीं होना चाहिए जब तक कि समाज में से अस्पृश्यता का समूल विनाश नहीं हो जाता।"

लोकतंत्र की बड़ी दुहाई दी जाती है, लेकिन क्या सचमुच में यहां लोकतंत्र है? हम यह मानते हैं कि यहां राजनीतिक लोकतंत्र हो सकता है। एक बार गांधी जी से उनके एक साथी ने पूछा कि आपकी अपनी निजी देन संसार के लिए और भारतवर्ष के लिए क्या है, तो उन्होंने कहा कि "हरिजन उद्धार और चरखा"। अध्यक्ष महोदय, उनके ये दो शब्द इस भारतवर्ष का

हीं नहीं, बल्कि संसार की उन्नति के लिए परिचायक हैं। उन्होंने कहा था कि हमारे देश में सामाजिक समानता और आर्थिक समानता होनी चाहिए। जब तक ऐसा नहीं होता है, तब तक कल्याणकारी राज्य कभी भी स्थापित नहीं हो सकता और लोक तंत्र का नारा लगाना कोरी कल्पना है।

*श्री हरगोविन्द सिंह---श्रीमन्, इस अनुदान के सम्बन्ध में माननीय सदस्यों के विचार को सुन कर मुझे स्वयं कुछ ऐसा सन्देह होने लगा है कि यह अस्पृश्यता निवारण, यह भेद भाव शायद मिटने में अधिक दिन यदि लगेंगे तो उसका एक कारण तो यह है कि यह हमारे समाज में शताब्दियों से घुसी हुई है, लेकिन इस समय शायद अधिक प्रबल कारण यह होगा कि जिस मनोवृत्ति का परिचय हमको यहाँ मिला है, इसमें तो कोई सन्देह नहीं है, मैं पहले भी कह चुका हूं और आज भी उसको दोहराता हूं कि हमारे समाज के लिए इस से बढ़कर के लज्जा की बात कोई और नहीं हो सकती कि हम अपने समाज के एक प्रमुख अंग को अपने से इस कारण छोटा समझें कि वह किसी जाति विशेष में पैदा हुआ है। मैं तो यह मानता हूं कि यदि हम सभी ईश्वर ही के लड़के हैं, तो एक ही सम्बन्ध ईश्वर के लड़कों में स्थापित हो सकता है और वह है भाई भाई का। फिर उसमें नीच और ऊंच का सवाल कहां रह जाता है लेकिन आखिर यह भाव मिटेगा कैसे, इस मनोवृत्ति से मिटेगा या आपस में एकता स्थापित करने से मिटेगा, यह एक प्रश्न है, और जैसा कि मैं समझता हूं कि हमारे उन भाइयों को जो अपने को हरिजन समझते हैं, उनको भी यह सोचना चाहिए कि समाज में जो एक रूढ़िवादिता घुसी हुई है, तो यदि आज वह समाज का विघटन करना चाहते हैं, गांव गांव में, घर घर में एक विस्फोट पैदा करना चाहते हैं, एक संघर्ष स्थापित करना चाहते हैं, और इस प्रकार समझते हैं कि इस समस्या का हल निकलेगा, तब तो फिर ठीक है, यह भाव भी ठीक है, यह मनोवृत्ति भी ठीक है, और इस प्रकार से भाषण भी ठीक हैं। लेकिन यदि आप स्वयं यह समझते हैं कि हम इस समस्या का हल भ्रातृभाव पैदा करके, एक दूसरे के सम्पर्क में आकरके, एक दूसरे के निकट आकरके निकाल सकते हैं, तो मैं समझता हूं कि उसका एक दूसरा ही तरीका होगा। हमको अपने मनोभाव बदलने पड़ेंगे, इस समस्या के सुलझाने के लिए हम किस तरह से आगे बढ़ें वह रास्ता भी हमको बदलना पड़ेगा। और तभी हम इस समस्या का हल निकाल सकेंगे। जैसा मैंने पहले कहा इसमें कोई सन्देह नहीं, कोई सन्तोष मैंने उस समय भी इस पर प्रगट नहीं किया था कि यह जो अनुदान भवन के सामने प्रस्तुत है, वह पर्याप्त है, इससे कई गुना अगर हम को इस अनुदान के अन्तर्गत भवन से मांगने का अवसर मिलता तो वह हमारे लिए एक परम हर्ष की बात होती। लेकिन फिर भी मैं यह समझता हूं कि यह समझना कि ८० करोड़ के बजट में हरिजनों का कोई अंश नहीं है, यह नितान्त गलत है। वह होते हुए भी उसमें समाज की सेवा के लिए, समाज के कल्याण के लिए समाज की आर्थिक दशा सुधारने के लिए जो उपाय है, जो साधन बनाये जा रहे हैं, वह तो हैं ही, उससे समाज का कल्याण होगा, लेकिन उसके उपरान्त इतना बजट यह कोई ऐसी चीज नहीं है कि जिसके प्रति कोई लज्जा का भाव हममें उत्पन्न होना चाहिए। यह पुत्तू लाल जी ने कहा उन्होंने, दोनों ही बातें कहीं, उन्होंने कहा कि पारसाल यह चालू वित्तीय वर्ष में ४५ लाख का बजट था और १५, १६ लाख का अनुपूरक लाया गया, ७० लाख रु०, वही ७० लाख इसमें रखा हुआ है। तो उसका अर्थ क्या हुआ? वित्तीय वर्ष में तो ७० लाख रुपया खर्च किया गया। ५४ लाख बजट में रखा गया था, ६० लाख खर्च किया गया और इस साल भी मैंने पहले ही यह कह दिया था कि चूंकि विद्यार्थियों की संख्या का कोई अनुमान इस समय नहीं हो सकता इसलिए उसकी यदि आवश्यकता होगी, यदि विद्यार्थियों की संख्या बढ़ी तो जिस प्रकार चालू वित्तीय वर्ष में हमने एक अनुपूरक अनुदान भवन के सामने उपस्थित किया उसी प्रकार से यदि आवश्यकता होगी, तो फिर भी हम भवन के सामने अनुपूरक अनुदान के रूप में मांग लाकर उसकी पूर्ति करेंगे। लेकिन उसमें कोई वृद्धि नहीं हुई। यह तो किसी सोते हुए को

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री हरगोविन्द सिंह]

जगाना सहल होता है, लेकिन जागते हुए को जगाना तो शायद असम्भव सा होता है। बजट में ५४ लाख से ७० लाख इसी चालू वर्ष में कर दिया गया है। और मैंने पहले ही कहा कि आप सन्तोष न करें, और मुझे स्वयं सन्तोष नहीं है बावजूद इसके कि मैं इस विभाग का मन्त्री हूं। मैं चाहता हूं कि यदि सम्भव हो सके तो इससे अधिक खर्च किया जाय।

यहां बैकवर्ड क्लासेज की भी बात कही गयी। यह भी कहा गया कि यह एक हिस्टारिकल नेसेसिटी है। वह तो शायद रोज अध्ययन करते होंगे हिस्टारिकल नेसेसिटी का। मैं तो आजकल कुछ अध्ययन नहीं कर पाता हूं। लेकिन एक सोशलिस्ट के मुंह से यह बात सुनकर कि हमारे समाज का विघटन हो जाति के आधार पर, यह एक हिस्टारिकल नेसेसिटी है, यह सुनकर मुझे लेनिन का एक फिकरा याद आया कि यह ट्रू बुक्स वाले सोशलिस्ट्स बड़े खतरनाक होते हैं, जो ट्रू बुक्स पढ़ कर अपने को सोशलिस्ट कहते हैं। यह कभी भी हिस्टारिकल नेसेसिटी नहीं हो सकती। हमारे देश का कल्याण एकता में है। मैं किसी जाति को बैकवर्ड नहीं मानता और मेरे लिए सब से सुखद दिन वह होगा, जिस दिन कोई बजट हरिजन या बैकवर्ड न प्रस्तुत किया जाय। उनमें कोई भेदभाव न रहे। वही देश के लिए सबसे कल्याणकारी दिन होगा। इस बजट में हम उत्तरोत्तर वृद्धि करके उसी दिन को ले आना चाहते हैं। हम उसी की ओर बढ़ रहे हैं। मैं इस प्रान्त के दूसरे हिस्सों के सम्बन्ध में नहीं जानता लेकिन अपनी तरफ की बात जानता हूं कि बहुत से लोग जो आज अपने को पिछड़ी हुई जातियों में शामिल करते हैं, वे पिछड़े हुए नहीं हैं। यह एक आर्थिक समस्या है। यह कोई जातीय समस्या नहीं है। बहुत से ब्राह्मण और क्षत्री ऐसे हैं जिनकी आर्थिक दशा और लोगों से भी गिरी हुई है। वह भी इसी प्रकार से शोषित हैं, जैसे दूसरे मजदूर और किसान होते हैं। आखिर जमींदारी का उन्मूलन इसीलिए किया गया कि कोई किसी का शोषण न कर सके। मैं समझता हूं कि जाति के आधार पर कोई भी संघटन हमारे देश के लिए बड़ा ही अकल्याणकारी और घातक है और उस मनोवृत्ति को जितनी जल्दी मिटाने का प्रयत्न हम सब लोग मिलकर करें और यह सम्मिलित प्रयत्न द्वारा ही हो सकता है, उतना ही देश के लिए यह कल्याणकारी होगा।

इन शब्दों के साथ मैं आशा करता हूं कि भवन इस अनुदान को स्वीकार करेगा।

श्री जयपाल सिंह (जिला सहारनपुर)---दो सवाल करना चाहता हूं।

माननीय मन्त्री जी ने यह कहा है कि छुआछूत को कायम रखने के सम्बन्ध में और पिछड़े रहने के लिए कि सदस्यों की तरफ से जिस मनोवृत्ति का परिचय मिला है, यह सदस्यों के ऊपर एक तरह से आक्षेप है और मैं मुनासिब नहीं समझता हूं कि इस तरह से सदस्यों के लिए शब्द इस्तेमाल किये जायं।

श्री अध्यक्ष---यह तो आपने भाषण शुरू कर दिया। प्रश्न आप पूछना चाहें तो पूछ सकते हैं।

श्री जयपाल सिंह---सदस्यों की मनोवृत्ति पर जो मंत्री महोदय ने आक्षेप किया क्या यह उचित है?

श्री अध्यक्ष---उसका जवाब मैं दे दूंगा। कृपा करके आप बैठ जायं।

श्री राजनारायण---एक प्रश्न पूंछना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष---पहले श्री जयपाल सिंह के प्रश्न का उत्तर हो जाय। अगर सदस्यों को अधिकार है कि मन्त्री जी पर आक्षेप कर सकें, तो मंत्री जी को भी अधिकार है कि वह उपदेश दे सकें। उन्होंने जो कुछ कहा वह उपदेश की दृष्टि से कहा है, न कि अपमान करने की दृष्टि से। अगर मुझे ऐसा प्रतीत होता तो मैं ही उन्हें टोक देता।

श्री राजनारायण——मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूं कि हिन्दुस्तान मे वर्ग भेद भी है और वर्ण भेद भी है। जो सोशलिस्ट है वह वर्ण भेद भी मिटाने में विश्वास रखता है।

श्री कमला सिंह——मैं माननीय मन्त्री जी से यह पूछना चाहता हूं कि २ लाख ६० हजार रुपया पिछड़ी हुई और अनुसूचित जातियों के लिए रक्खा गया है, तो इसमें कितना रुपया पिछड़ी जातियों के लिए और कितना अनुसूचित जातियों के लिए।

श्री अध्यक्ष——ऐसा नहीं हो सकता। पहले आप भाषण दे लें, और बाद में मन्त्री जी अगर जवाब देना चाहेंगे, तो दे देंगे।

श्री कमला सिंह——दो तीन चीजें मुझे कहनी हैं। माननीय मंत्री जी ने जो अलहदा-अलहदा जातियों के बारे में कहा तो किसी का यह भाव नहीं है कि इस देश में हम किसी एक जाति को ले कर चलें। हर आदमी यह चाहता है कि हम इंडियन यूनियन के आदमी हों और अगर कोई इस भाव को बर्बाद करना चाहे तो हम हर तरीके से उसका मुकाबला करने के लिये तैयार रहें। लेकिन जहां तक क्लासेज सोसायटी का सवाल है कांग्रेस भी इसे मानती है कि देश में क्लासलेस सोसाइटी कायम हो। सोशलिस्ट पार्टी भी इसे मानती है। यह अनुदान विशेष तौर में पिछड़ी जातियों और हरिजनों के लिये रक्खा गया है। वह इसलिये रक्खा गया है कि हम इसे वर्णहीन समाज बनाना चाहते हैं। जो पिछड़े हुये हैं, जो छोटे हैं अगर उनको ऊपर उठा दिया जायगा तो वर्णहीन समाज बनाया जा सकता है और कोई भेदभाव समाज में न रह जायगा इसी अभिप्राय से यह अनुदान रक्खा गया है। हम यह चाहते हैं कि जितनी जातियां हैं जो पिछड़ी हुई हैं या जो कुचली जा रही हैं उनको समान कर दिया जाय शिक्षा से, आर्थिक स्थिति से और सब सरकार के स्तर पर आ जायं ताकि कोई ऐसा आदमी न रह जाय जो यह कह सके कि वह पिछड़ी जाति से सम्बन्ध रखता है या अपने को दूसरे नाम से पुकार सके। हम तो यह चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी हमारे प्रदेश में ऐसी व्यवस्था हो जाय कि हर आदमी कह सके कि वह इंडियन यूनियन का आदमी है, वह अपने को भारतवासी डिक्लेयर कर सके। अगर यह समस्या हल हो जाती है तो वर्णविहीन समाज कायम करने में कोई दिक्कत न होगी और देश से जातीयता या भेदभाव का सवाल मिट जायगा और यह चीज खत्म हो जायगी कि एक सब-इंस्पेक्टर जिस जाति का है उसी जाति वाले लोगों का वह पक्षपात करता है। इससे देश का भी कल्याण होगा और हमारे सामने कोई कठिनाई न होगी और देश ज्यादा से ज्यादा आगे बढ़ सकेगा और इस तरह से हम देश को सुन्दर बनाने में सफल हो सकेंगे। चूंकि हमारे पास रुपया बहुत कम है इसलिये मैं इस कटौती के प्रस्ताव को वापस लेता हूं।

(सदन की अनुमति से कटौती का प्रस्ताव वापस लिया गया।)

श्री अध्यक्ष——प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या ३९——अनुसूचित और पिछड़ी हुई जातियों का सुधार और उत्थान (लेखा शीर्षक : ५७– विविध व्यय) के अन्तर्गत ७०,००,००० रुपये की पूरक मांग स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

(इसके बाद सदन ८ बजे अगले दिन ११ बजे तक के लिये स्थगित हो गया।)

कैलासचन्द्र भटनागर,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश।

लखनऊ,
५ मार्च, १९५४।

रत्थी "क"

(देखिये तारांकित प्रश्न २१ का उत्तर पीछे पृष्ठ ५३६ पर।)

आजमगढ़ जिले में सन् १९५३ में हुये कत्लों का विवरण :—

नाम थाना	कत्ल की संख्या
१—जियानपुर	१
२—घोसी	१
३—मुहम्मदाबाद	१
४—मुबारकपुर	१
५—देवगाँव	३
६—प्रतरौलिया	१
७—महाराजगंज	२
८—कोतवाली	१
कुल जोड़ ..	११

विधान सभा सचिवालय

नत्थी 'ख'

(देखिये तारांकित प्रश्न २७ का उत्तर पीछे पृष्ठ ५४० पर)

कत्ल की संख्या

क्रम संख्या	थाना	लाठी द्वारा	बल्लम द्वारा	तलवार द्वारा	अन्य अस्त्रों द्वारा
१	कोतवाली	..	१	१	..	..
२	कर्नलगंज	..	..	१	..	१
३	पारसपुर	..	..	१	..	२
४	तराबगंज	..	..	१	..	१
५	नवाबगंज	..	..	..	..	..
६	बजौरगंज	..	२	..	..	..
७	मनकापुर	..	४	..	..	१
८	सादुल्लानगर	..	१	..	..	१
९	छपिया	..	..	..	..	१
१०	बलरामपुर	..	१	२	..	४
११	उतरौला	..	..	१	..	१
१२	इन्तियाथोक	..	१	१	..	३
१३	तुलसीपुर	..	..	..	..	१
१४	कौरिया	..	३	..	..	३
१५	धानपुर	..	१	..	..	२
१६	पचपेड़वा	..	..	१	..	..
१७	ललिया	..	..	..	..	१
	योग	..	१४	९	..	२२

विधान सभा उत्तर प्रदेश

नत्थी 'ग'

(देखिये तारांकित प्रश्न ३८ का उत्तर पीछे पृष्ठ ५४३ पर)

सेवा में,

श्रीमान् मन्नीलाल गुरुदेव जी,

एम० एल० ए०, विधान सभा, लखनऊ।

महोदय,

सेवा में सविनय प्रार्थना है कि सायल मौजा अजनर, थाना अजनर, का पुराना बाशिंदा और बड़ा काश्तकार है और डि० बोर्ड का सदस्य और ठेकेदार नहर है और आस-पास के गाँव में अच्छी नजरों से देखा जाता है और इसी मोनईरी की वजह से सरकार ने सायल को कार्तूसी दो नली का लाइसेंस दिया है। सायल की एक फैक्टरी चमड़ा अजनर की आबादी के बाहर रही है, लक्ष्मन सिंह वल्द राम सेवक सिंह ठाकुर, मौजा अजनर, का बड़ा आदमी कहलाता है और इसने बदमाशों का गिरोह कायम कर रक्खा है मगर इसको मेरे कारबार में बहुत ज्यादा हसद हो गया है। सन् १९४३ में इसने मेरे चमड़े की फैक्टरी में आग लगवा दी थी जिसमें काफी नुकसान हुआ और मेरी फसलों का नुकसान कराना, मवेशियों का मवेशीखाने में बन्द करना शुरू कर दिया, इसी हमदर्दी में सन् १९४९ ई० में मेरे मकान में आग लगवा दी। इसने ४० गाड़ी गल्ले की लाक में आग लगवा दी, मई सन् १९५३ ई० में जिसकी रिपोर्ट और इत्तला सरकार में होती रही। मकान में आग लगाने का मुकदमा अदालत सेशन हमीरपुर में पहुंच चुका है बकिया और वारदातों की कोई कार्यवाही इसके खिलाफ नहीं हुई और इसके हौसले बहुत ही ज्यादा बढ़ गये हैं इसी बुनियाद पर श्री शुक्ला जी थानेदार साहब अजनर ने मेरे गाँव के लोगों की बरबादी और परेशानी देख कर और आदेशों तताज देख कर एक रिपोर्ट हस्ब दफा १०७। ११७ की हजूर में पहुंचाई जिसका आज तक पता नहीं है जिसका नतीजा यह हुआ कि आज मैं और मेरी बिरादरी के लोग इसकी छुरी के नीचे पड़े हुये हैं और हमारे खून की नदियों से लक्ष्मन सिंह और इसके गिरोह के लोग नहा रहे हैं। और हमारे खून से यह अपनी जिन्दगी सींच रहा है सरकार को यह हाल मालूम होते हुये भी और खून न बहने का कोई इन्तजाम नहीं हो रहा है। ता० २३-८-५३ ई० का वाकया है कि मौजा अतनियाँ हार की परती आराजी में मेरे मोहन और कोकइयाँ चमार के मवेशी नन्दी और नत्थू लड़के चरा रहे थे कि लक्ष्मन सिंह व भुमानीदीन लोधी व भुमानी दीन ब्राह्मण व बद्री सिंह व नैहाल सिंह भान्जे लक्ष्मन सिंह ने नन्दी को काफी मारा जो अब करीब मरने वाला है जिसकी रिपोर्ट करने उसको उठा कर थाना अजनर ले गये मगर नन्दी की तरफ से रिपोर्ट न लिख कर उसके बाप की तरफ से रिपोर्ट उल्टी सीधी लिख दी और ३१ रास मवेशी बिना किसी नुकसान के मवेशीखाने में बन्द कर दिये और सायल और बिरादरी के लोगों को काफी धमकाया कि रिपोर्ट करने और दरखास्त देने से मेरा कुछ बिगड़ता नहीं है और न बिगड़ेगा। सायल और गाँव के रहने वाले बिरादरी के लोग आजिज आ गये हैं। और परेशान हो कर हालत परेशानी सरकार से यह प्रार्थना करती है कि सरकार के इन्तजाम में हमारी प्रार्थना को न सुन कर सायल कहाँ तक लक्ष्मन सिंह के हाथ अपने गले पर छुरी चलवाये, इसलिये यह जरूरी अमल है कि रिपोर्ट श्री शुक्ला जी थानेदार साहब अजनर मुलाहिजा हो कर गौर किया जाय और सरकार खुद मौके पर तसरीफ लावे और हमारी मुसीबतों की तहकीकात फर्मा कर हमारा माकूल इन्तजाम करे या हमको हुक्म देवे ताकि हम लोग अपनी जायदाद छोड़ कर मौजे से भाग जावें।

प्रार्थी,
भग्गूलाल वल्द पूरन चमार,
थाना अजनर, जिला हमीरपुर।

माननीय सभा सचिव,
(डा० सीताराम जी)
शिक्षा मंत्री, उत्तर प्रदेश।

हम लोगों को यह अच्छी तरह से ज्ञात है कि ठाकुर लक्ष्मन सिंह और श्री भग्गूलाल जी हरिजन में काफी अर्से से दुश्मनी चली आ रही है। लक्ष्मन सिंह एक (भूतपूर्व) जमींदार

और काबूतलब आदमी हैं और बहुत से सरकस आदमियों को अपने पास रखता है। कई दफा भग्गूलाल जी का आर्थिक नुकसान ठाकुर लक्ष्मन सिंह करवा चुका है और अब दुश्मनी इतनी हद तक बढ़ गई है कि भुग्गूलाल जी की जान का भी खतरा है। लिहाजा हम चाहते हैं कि भग्गूलाल जी की जान माल की हिफाजत की जाय।

लक्ष्मन सिंह जो एक साधन सम्पन्न व्यक्ति होने के कारण बहुत सी बातें अपने पक्ष में करा लेने में सफल हो जाते हैं इसलिये इस परिस्थिति की गम्भीरता को देखते हुये इसकी इन्क्वायरी किसी उच्च अधिकारी से कराने की कृपा की जाय तो अधिक अच्छा होगा। साथ ही इस गम्भीरता को महसूस करते हुये उनके जीवन की रक्षा का समुचित प्रबन्ध शीघ्र करवाने का भी प्रबन्ध किया जाय।

भवदीय,
ह० मन्नीलाल गुरुदेव, एम० एल० ए०,
हमीरपुर।
३१-८-५३।

ह० जोरावर वर्मा, एम० एल० ए०।
(हमीरपुर।)
३१-८-५३।

ह० तेज प्रताप सिंह, एम० एल० ए०,।
३१-८-५३।

सेवा में,
कलेक्टर बहादुर,
हमीरपुर।

सेवा में निवेदन है कि सायल मौजा अजनर, थाना अजनर, का पुराना बाशिन्दा और बड़ा काश्तकार है और डि० बोर्ड और ठेकेदार मुहर है और आसपास के गांव में अच्छी नजरों से देखा जाता है और इसी मातबरी की वजह से सरकार ने सायल को कारतूसी दो नली का लाइसेन्स दिया है और सायल की एक फैक्टरी चमड़ा अजनर की आबादी के बाहर रही है। लक्ष्मन सिंह वल्द रामसेवक सिंह ठाकुर मौजा अजनर का बड़ा आदमी कहलाता है और इसने बदमाशों का एक गिरोह कायम कर रखा है मगर इसको मेरे कारबार में बहुत ज्यादा हसद हो गया है। सन् १९४३ में इसने मेरे चमड़े की फैक्ट्री में आग लगवा दी थी जिसमें काफी नुक्सान हुआ और मेरी फसलों का नुकसान कराना, मवेशियों को मवेशीखाना में बन्द करना शुरू कर दिया है इसी हमदर्दी में सन् १९४९ में मेरे मकान में आग लगावा दी जिसकी रिपोर्ट और इत्तला सरकार में होती रही। मकान में आग लगाने का मुकदमा अदालत सेशन हमीरपुर में पहुंच चुका है बकिया और बारदातों की कार्यवाही इसके खिलाफ नहीं हुई और इसके हौसले बहुत ज्यादा बढ़ गये हैं इसी बुनियाद पर भी श्री शुक्ला थानेदार साहब अजनर ने मेरे और मेरे गांव के लोगों की बरबादी और परेशानी देख कर और अन्देशम नुक्सा अमन देख कर एक रिपोर्ट हस्फ दफा १०७/११७ की श्रीमान् साहब सुपरिन्टेंडेन्ट बहादुर पुलिस हमीरपुर में पहुंचाई जिसका आज तक पता नहीं है जिसका नतीजा यह हुआ कि आज मैं और मेरे बिरादरी के लोग इसकी छुरी के नीचे पड़े हुये हैं और हमारे खून की नदियों से लक्ष्मन सिंह और इसके गिरोह के लोग नहा रहे हैं और हमारे खून से अपनी जिन्दगी सींच रहे हैं। सरकार को यह हाल मालूम होते हुये भी हमारे खून न बहने का कोई इन्तजाम नहीं हो रहा है ता० २३-८-५३ का वाक़या है कि मौजा अथनियाँ हार की परती अराजी में मेरे व मोहन और कोकैया चमार के मवेशी नन्दी और नत्थुवा लड़के चरा रहे थे कि लक्ष्मन सिंह व भवानी दीन लोधी व भवानीदीन ब्राह्मण व बद्री सिंह व निहाल सिंह भान्जे लक्ष्मन

सिंह ने नन्दो को काफी मारा जो अब क़रीब मरने वाला है जिसकी रिपोर्ट करने उसको थाना अजनर ले गये मगर नन्दो की तरफ से रिपोर्ट न लिख कर उसके बाप की तरफ से उल्टी सीधी लिख दी और ३१ रास मवेशी बिना किसी नुक्सान के मवेशी खाना में बन्द कर दिये गये और सायल और बिरादरी के लोगों को काफी धमकाया कि रिपोर्ट करने और दरखास्त देने से मेरा कुछ नहीं बिगड़ता है और न बिगड़ेगा। सायल और गाँव के रहने वाले बिरादरी के लोग आजिज आ गये हैं और परेशान हो कर बहालत परेशानी में सरकार से यह प्रार्थना करते हैं कि सरकार के इन्तजाम में हमारी प्रार्थना को न सुन कर सायल कहाँ तक लक्ष्मन सिंह के हाथ अपने गले पर छुरी चलवावे, इसलिये यह जरूरी अमर है कि रिपोर्ट श्री शुक्ला थानेदार साहब अजनर मुलाहजा हो कर गौर किया जाये और सरकार खुद मौके पर तशरीफ लावें और हमारी मुसीबतों की तहकीकात फर्मा कर हमारा माकूल इंतजाम करें या हमको हुक्म देवें ताकि हम लोग अपनी जायदाद छोड़ कर मौजे से भाग जावें।

प्रार्थी,
भग्गूलाल वल्द पूरन,
कौम चमार, साकिन मौजा अजनर,
थाना अजनर, जिला हमीरपुर।

पी० एस० यू० पी० ए० पी० १४९ एल० ए०— १९५४—८५०